रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 21—दिसम्बर 27, 2013 (अग्रहायण 30, 1935)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 21—DECEMBER 27, 2013 (AGRAHAYANA 30, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	795
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1053
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1263
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	979
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	3907
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	1215
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	795
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1053
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1263
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	979
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3907
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1215
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 2013

सं. 116-प्रेज/2013--राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री कार्तिक सैकिया,
एबी कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 05.08.2012 को श्री नवनीत शर्मा नामक व्यक्ति ने उदालगुड़ी पुलिस स्टेशन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें यह कहा गया था कि एक अज्ञात एनडीएफबी (रंजन गुट) कैडर ने एनडीएफबी (रंजन गुट) के लैटरहैड पर पत्र लिखकर उनसे पांच लाख रुपये की मांग की है और उन्हें सेल नं. 8472932559 से फोन करके धमकी दी है। तदनुसार, कांस्टेबल कार्तिक सैकिया और कांस्टेबल पृथीराज चौहान नामक दो सिपाहियों को आवश्यक ब्रीफिंग के साथ उनके तेल डिपों में तैनात किया गया था।

दिनांक 12.08.2012 को लगभग 6:45 बजे अपराह्न में तेल डिपो में एक सशस्त्र युवक पहुंचा और उसने श्री नवनीत शर्मा पर बंदूक तानते हुए उन्हें मांगी गई रकम सौंपने का आदेश दिया। इस घटनाक्रम को देखते हुए पास में ही मौजूद कांस्टेबल कार्तिक सैकिया श्री नवनीत शर्मा की जान बचाने के दृष्टिकोण से स्वयं अपनी जान को जोखिम में डालते हुए दूसरी ओर चले गए और उन्होंने जबरन उगाही करने वाले व्यक्ति को हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इससे उस व्यक्ति का ध्यान हटकर कांस्टेबल की ओर चला गया और उन दोनों के बीच गोलीबारी हुई। तथापि, मौका देखते हुए नवनीत शर्मा वहां से सुरक्षित निकल गए। जबरन उगाही करने वाले व्यक्ति ने कांस्टेबल सैकिया के ऊपर दो गोलियां दागी जिसमें से एक उनकी दायीं कलाई और बीच की अंगुली में लगी। लेकिन अनुकरणीय साहस, सूझ-बूझ एवं सौंपे गए कर्त्तव्य के प्रति समर्पण का प्रदर्शन करते हुए कांस्टेबल कार्तिक सैकिया ने अपने घायल हाथों से ही जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी 9 एम एम सर्विस पिस्तौल से तीन गोलियां दागीं। दोनों ओर से गोलियां लगभग एक साथ ही चलीं लेकिन कांस्टेबल कार्तिक सैकिया इसमें स्वयं घायल हो गए जबकि जबरन उगाही करने वाला व्यक्ति घटना स्थल पर ही मारा गया। उदालगुड़ी सिविल अस्पताल द्वारा बेहतर इलाज के लिए रैफर किए जाने पर घायल कांस्टेबल कार्तिक सैकिया को जीएमसीएच भेजा गया। मृतक के पास से एक एम-20 पिस्तौल, दो राउंड चलाये गए खोखे, तीन राउंड जिंदा गोलाबारूद और सेल नं. 8472932559 के साथ दो मोबाइल हैंडसैट बरामद किए गए।

एबी कांस्टेबल कार्तिक सैकिया ने अपन जिम्मेदारी के प्रति उच्च स्तर के समर्पण, सूझ-बूझ और लगभग अपने प्राण की आहुति देने की हद तक साहस का प्रदर्शन किया। वे कुछ आड़ लेते हुए दूर से गोलीबारी कर सकते थे, लेकिन उससे सिविलियन नवनीत शर्मा की जान को खतरा हो सकता था।

इस मुठभेड़ में श्री कार्तिक सैकिया, एबी कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.08.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 117-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. रघुनाथ सिंह,
उप निरीक्षक

02. संतोष कुमार सिंह,
कांस्टेबल

03. संजय कुमार,
कांस्टेबल

04. बैजनाथ कुमार,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

बक्सर, रोहतास और कैमूर के जिले, गांव इटवा, पुलिस स्टेशन राजपुर, जिला बक्सर के सुरेश राजभर एवं बिहार तथा उत्तर प्रदेश के दुर्दांत रिकार्ड वाले 10-12 अपराधियों के उसके गैंग द्वारा त्वरित निरंतरता के साथ छिप कर की जा रही आपराधिक गतिविधियों से त्रस्त थे। वह बक्सर तथा बिहार एवं उत्तर प्रदेश के, उसके साथ लगे जिलों में कम से कम 46 जघन्य आपराधिक मामलों में आरोपी था, जिसमें हत्या, डकैती एवं फिरौती के लिए अपहरण के मामले शामिल थे। वह आम लोगों के साथ-साथ अनेक पुलिसकर्मियों की हत्या करने एवं उन्हें घायल करने के लिए भी जिम्मेदार था। वह 1979 से भगोड़ा था। बिहार सरकार द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर रू.25000/- का इनाम घोषित किया गया था।

दिनांक 24.06.2010 को लगभग 12.35 बजे अपराह्न में उप-पुलिस निरीक्षक एवं राजपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, रघुनाथ सिंह अपने मातहत पुलिसकर्मियों के साथ राजपुर पुलिस स्टेशन के अधीन मिट्टी के सिर्फ आठ घरों वाले लक्ष्मणपुर डेरा नामक एक छोटे गांव में सुरेश राजभर एवं उसके साथियों के छिपे होने की एक गोपनीय सूचना की जांच कर रहे थे। उन लोगों ने संदिग्ध घर को घेर लिया और उसकी ओर बढ़ने लगे। उस घर से अचानक गोलियों की बौछार शुरु हो गई जिसमें एसएपी जवान अवधेश प्रसाद साह को भी गोली लग गई। इस अचानक हमले और एसएपी जवान को गोली लगने से सभी पुलिसकर्मी तत्काल हिल गए। मोटी दीवारों वाली मिट्टी के घर में पोजीशन लिए हुए अपराधी लाभप्रद स्थिति में थे, जबकि खुले में होने के कारण पुलिसकर्मी स्वयं को बगैर किसी बचाव की स्थिति में पा रहे थे।

अपने जीवन को अत्यधिक जोखिम में पाने की स्थिति को नजरअंदाज करते हुए पुलिस दल ने अदम्य साहस एवं दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया। अपने रास्तों को बदलते हुए वे घर के निकट पहुंच गए और जवाबी हमला करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। अपराधियों ने

चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपनी गोलीबारी तेज कर दी। स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए रघुनाथ सिंह, उप-निरीक्षक ने अपने उच्चाधिकारी को मौजूदा परिस्थिति की सूचना दी और उन्होंने अतिरिक्त बल की मांग की। घटनास्थल पर अपने बल के साथ एसपी, बक्सर, एसडीपीओ, बक्सर और एसडीपीओ, डुमरांव के आगमन से अत्यंत हिंसक अपराधियों के साथ पूरी ताकत से मुकाबला कर रहे पुलिस दल का उत्साह बढ़ गया। स्थिति के मूल्यांकन के बाद नजदीकी घरों से भयभीत ग्रामीणों को बाहर निकाला गया। सभी प्रकार के उठाए गए एहतियाती कदमों के बावजूद पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपराधियों के भागने के सभी संभावित मार्गों पर तैनात कर दिया गया, जबकि दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी। स्थिति बेहद तनावपूर्ण एवं दिल दहला देने वाले जोखिम से भरी हुई थी। पुलिस की कार्रवाई एवं उनकी सचलता को अवरुद्ध करने के लिए अपराधियों ने पुलिस की दो जीपों को एवं उसकी हेडलाइटों को भारी गोलीबारी से क्षतिग्रस्त कर दिया था। इन सभी अवरोधों के बावजूद पुलिस दल उन्हें सौंपे गए कार्य को करने के लिए दृढ़ एवं प्रतिबद्ध था।

उप पुलिस अधीक्षक के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर उप पुलिस महानिरीक्षक, साहाबाद रेंज ने सफलतापूर्वक अभियान संचालित करने के लिए आगे की रणनीतिक योजना पर विचार-विमर्श किया। भागने के सभी संभावित मार्गों पर अवरोधों को और मजबूत किया गया। नजदीकी घरों की छतों के ऊपर एसटीएफ के जवानों को तैनात किया गया। हठी एवं दुर्दांत अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए दो छापामार-सह-हमलावर दल गठित किए गए। पहले दल में उप पुलिस महानिरीक्षक, साहाबाद के नेतृत्व में संजय कुमर सिंह, उप पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), भोजपुर, मृत्युंजय कुमार सिंह, उप पुलिस निरीक्षक (एसओजी), एसटीएफ, एससी, संतोष कुमार सिंह और जेसी, संजय कुमार सिंह शामिल थे। दूसरे दल में उपेंद्र कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक, बक्सर के नेतृत्व में अरविंद गुप्ता, एसडीपीओ, बक्सर, रघुनाथ सिंह, उप निरीक्षक-सह-प्रभारी अधिकारी, राजपुर पुलिस स्टेशन और जेसी, बैजनाथ कुमार, एसटीएफ शामिल थे। सभी प्रकर के एहतियाती कदम उठाते हुए दोनों दल सुनियोजित तरीके से अपराधियों के ठिकाने की ओर बढ़े। संजय कुमार सिंह, उप-पुलिस अधीक्षक, अरविंद कुमार गुप्ता, एसडीपीओ, मृत्युंजय कुमार सिंह, उप-पुलिस निरीक्षक और एसटीएफ के उप-निरीक्षक रघुनाथ सिंह को उप-पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा अभियान में नजदीकी कार्रवाई का आदेश दिया गया था। अपराधियों को गोलीबारी बंद करने और आत्मसमर्पण करने की लगातार चेतावनी दी जा रही थी लेकिन वे गाली-गलौज की भाषा में ललकारते हुए पुलिस दल के ऊपर भारी गोलीबारी करते रहे और पुलिस के विनाश की धमकी देते रहे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस दल की ओर से भारी गोलीबारी की गई और हथगोलों का विस्फोट किया गया। इसके बाद भी घर की मजबूत मिट्टी की दीवारों के भीतर मौजूद अपराधी बेखौफ एवं बेपरवाह थे। उप-पुलिस महानिरीक्षक, उप-पुलिस अधीक्षक, संजय कुमार सिंह, उप-निरीक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह, एससी संतोष कुमार सिंह और जेसी, संजय कुमार सिंह उत्तर की ओर से अपराधियों के ठिकाने की ओर आगे बढ़े, जबकि, पुलिस अधीक्षक, बक्सर, एसडीपीओ, बक्सर, अरविंद कुमार गुप्ता, उप-निरीक्षक रघुनाथ कुमार सिंह और जेसी, बैजनाथ कुमार के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर से बढ़ रहे थे। ठीक उसी समय अपराधियों ने पुलिसकर्मियों के बीच भ्रम पैदा कर चुपचाप वहां से निकल कर भागने के इरादे से एक रणनीति के तहत अपने छिपने के ठिकाने के एक हिस्से में आग लगा दी। दोनों पुलिस दलों द्वारा स्थिति को नियंत्रित में रखा गया था। भ्रम को टालने के लिए जिप्सी कार और लैंडमाइन्स वाहन की हेडलाइटों को जलाकर मुठभेड़ स्थल के ऊपर केंद्रित रखा गया था। जब पुलिस दल

स्थिति को नियंत्रित करने में लगी हुई थी, उसी समय अपराधियों के स्थानीय समर्थकों ने पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से गोलीबारी शुरु कर दी। उप-निरीक्षक, उदय शंकर के नेतृत्व में वहां उपलब्ध एसएपी जवानों और एसटीएफ, कैमूर के अतिरिक्त बल ने उनका सामना किया और बाहरी घेरे में स्थिति को नियंत्रण में किया। यह सिलसिला पूरी रात जारी रहा। जब भी पुलिस ने नजदीक जाने की कोशिश की, अपराधी रुक-रुक कर गोली चलाते रहे।

अंतिम उपाय के रूप में उप पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक ने पुन: स्थिति का मूल्यांकन कर दलों का समूह पुन: तैयार किया और नई रणनीति की योजना बनाई। उन्होंने भारी गोलीबारी के कवर के अधीन अपराधियों के घेरेबंदी वाले ठिकाने के निकट पहुंचने की भरपूर कोशिश की। जवाबी हमला करने में अपराधी ऊंचाई वाले स्थान पर थे। यह अत्यंत परिवर्तनशील स्थिति थी। यह लड़ाई बड़े पैमाने के युद्ध में तब्दील हो गयी। उप-पुलिस महानिरीक्षक, साहाबाद और पुलिस अधीक्षक, बक्सर ने अपराधियों को पुन: आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। इस पर गोलियों की बौछार के बीच उन्होंने एक बार पुन: पूर्व और पश्चिम की दिशाओं में भागने की कोशिश की। तथापि उनके प्रयास विफल कर दिए गए।

एक रणनीति के अनुसार एसडीपीओ, बक्सर के मोबाइल फोन पर एक अपराधी ने सुरेश राजभर के रूप में अपना परिचय देते हुए आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई। इसी बात पर उप महानिरीक्षक द्वारा पुलिस की ओर से गोलीबारी रूकवा दी गई और अपराधियों के आत्मसमर्पण के लिए उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक दोनों निकल कर सामने आ गए। लेकिन पुलिस दल के लिए घोर आश्चर्य पैदा करते हुए अपराधी दक्षिण पूर्व की दिशाओं में दो समूह में बाहर निकल कर आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर भागने की कोशिश की। इस तीव्र गोलीबारी के दौरान जेसी संजय कुमार के पैर में गोली लग गई। दोनों छापामार दलों द्वारा की गई जवाबी गोलीबारी में भाग रहे चार अपराधियों को गोली लगी और वे अपने हथियारों के साथ पूर्व की ओर मैदान में गिर पड़े।

कमरे में घुसने के क्रम में किसी अतिरिक्त आपराधिक हमले की आंशका को टालने के लिए पुलिस दल ने हथगोलों का विस्फोट किया जिसके परिणामस्वरूप तीन अपराधी उस स्थान पर मारे गए। वे घर के आंगन में मृत पाए गए। कुल मिलाकर सात अपराधी मारे गए जिनमें से दो पुलिस की वर्दी में थे।

यह भयावह मुठभेड़ 23 घंटे तक जारी रही जिसमें अपराधियों ने लगभग 500-600 राउंड फायर किए और उनके पास से बड़ी मात्रा में आग्नेय अस्त्र बरामद किए गए। इस बड़े अभियान में तैनात पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों की संख्या 181 थी। पुलिस द्वारा कुल 1280 राउंड फायर किए गए और इसके अतिरिक्त 11 हथगोले और 2 टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। यह उनके आपराधिक उतावलेपन, आश्चर्यजनक गोलीबारी क्षमता के साथ हिंसा के लिए उनकी ओर से चुनौती और प्रवृत्ति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अपराधियों के समर्थकों द्वारा पुलिस दलों के ऊपर बाहर से सभी दिशाओं से गोलीबारी इस तथ्य की पुष्टि करती है कि सुरेश राजभर ने अपराधियों का एक मजबूत समूह तैयार किया था। महत्वपूर्ण क्षण में उत्पन्न होने वाली ऐसी गंभीर स्थिति में पुलिस द्वारा गोलीबारी उचित रूप से आवश्यक, न्यूनतम और पूर्णत: न्यायोचित भी थी।

मामले के पर्यवेक्षण के दौरान यह पता चला कि अपराधियों के छिपने का स्थान ऐसी स्थिति में था कि किसी भी प्रकार की प्रभावी गोलीबारी अभियान के अंत तक अपराधियों को हतोत्साहित नहीं कर सकती थी। यह भी पाया गया कि सभी दिशाओं से पुलिस को निशाना बनाने के लिए अपराधियों के छिपने के घर की मोटी दीवारों में अनेक छेद किए गए थे। उन्होंने छेदों के द्वारा पुलिस के हमले की रणनीतियों और उनकी गतिविधियों को देखा।

सेवा की सर्वोत्तम भावना का निर्वहन करते हुए पुलिस दल के साथ मिलकर उप-पुलिस महानिरीक्षक, साहाबाद रेंज ने उन सबकी जान पर आसन्न जोखिम के बीच भी स्थिति को भली-भांति संभाला।

अपनी जान के अत्यधिक जोखिम को नजरअंदाज करते हुए पुलिस दल ने अपने कार्य में प्रशंसनीय धैर्य एवं कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण का प्रदर्शन किया है। अपनी सकारात्मक एवं त्वरित प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई, अटल निश्चय, सामर्थ्य तथा युद्धप्रिय भावना के द्वारा उन्होंने सुरेश राजभर एवं उसके गैंग के सदस्यों जैसे हठी अपराधियों के साथ लगातार लगभग 23 घंटे तक आमने-सामने मुकाबला किया। उनसे (अपराधियों से) आत्मसमर्पण करने की अपील करते समय पुलिस ने अत्यधिक धैर्य बनाए रखा। पुलिस दल को आत्म रक्षा में तथा सरकारी हथियारों एवं गोलाबारुद की सुरक्षा के लिए गोलीबारी करने के लिए तभी मजबूर होना पड़ा जब अपराधियों ने दहला देने वाले स्तर तक अपनी गोलीबारी को बढ़ा दिया।

<u>बरामदगी:</u>

1.	3006 यूएस माडल राइफल सेमी ऑटोमैटिक	-01
2.	3006 प्रतिबंधित बोर रेगुलर राइफल	-01
3.	.315 बोर रेगुलर राइफल	-06
4.	डीबीबीएल गन 12 बोर 4057/3764	-01
5.	.315-179 राउंड जिंदा कारतूस	
6.	.3006-102 राउंड जिंदा कारतूस	
7.	7.62 एमएम-3 राउंड जिंदा कारतूस	
8.	12 बोर-40 राउंड जिंदा कारतूस	
9.	.315-56 एम टी	
10.	3006-12 एमटी	
11.	बिंडेलिया-07	
12.	मोबाइल-3	
13.	मोबाइल सिम-4	

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री रघुनाथ सिंह, उप निरीक्षक, संतोष कुमार सिंह, कांस्टेबल, संजय कुमार, कांस्टेबल और बैजनाथ कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 25.06.2010 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 118-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. लव कुमार भगत,
कंपनी कमांडर

02. बृजेश सिंह, (मरणोपरांत)
हेड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 16/08/2011 को कंपनी कमांडर लव कुमार भगत के अधीन एक पुलिस दल नारायणपुर जिले में बारको, अदनार, चेमा, नाहकनार, कहकदी और तिरकनार नामक गांवों के क्षेत्र में नक्सल-विरोधी अभियान के लिए रवाना हुआ। यह सूचना प्राप्त होने पर कि नक्सली अपने हथियार एवं गोलाबारुद छिपाने के लिए तिरकनार का उपयोग करते हैं, कंपनी कमांडर ने उस गांव की घेराबंदी करके वहां तलाशी लेने का निर्णय लिया। उन्होंने दो दलों का गठन किया जिसमें से एक का नेतृत्व वे स्वयं कर रहे थे, जबकि दूसरे का नेतृत्व एपीसी, अनिल कुमार द्वारा किया जा रहा था। जैसे ही कंपनी कमांडर, लव कुमार के नेतृत्व वाला दल अपनी पोजीशन में आगे बढ़ रहा था, उस पर नक्सलियों के एक बड़े समूह ने घात लगाकर हमला कर दिया और पुलिस दल पर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध एवं भारी गोलीबारी शुरु कर दी। कंपनी कमांडर, लव कुमार ने उच्च नेतृत्व वाले गुणों का प्रदर्शन किया और उन्होंने अपने लोगों को युक्तिपूर्वक उपयुक्त पोजीशन लेने का निर्देश दिया और ठोस एवं प्रभावी जवाबी कार्रवाई की । मुठभेड़ के दौरान उन्होंने यह भी गौर किया कि नक्सलियों ने युक्तिसंगत तरीके से लाभदायक पोजीशन ले रखी है और उनका मुकाबला करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। कंपनी कमांडर, एचसी बृजेश सिंह एवं उनके 6 अन्य साथी नक्सल पोजीशन की ओर रेंगते हुए आगे बढ़े ताकि उनसे प्रभावी रुप से मुकाबला किया जा सके। एचसी बृजेश सिंह ने अपने सरकारी हथियार से गोली चलाकर एक नक्सली को मार गिराया। दल के शेष सदस्यों से आगे बढ़ते हुए सीसी लव कुमार

और एचसी बृजेश सिंह नक्सलियों के काफी नजदीक पहुंच गए और उन्होंने प्रभावी तरीके से नक्सलियों को उलझाए रखा। पुलिस दल ने यूबीजीएल और हथगोलों का प्रयोग करते हुए नक्सलियों को काफी क्षति पहंचाई। एचसी, बृजेश सिंह गोली लगने से बुरी तरह से घायल हो गए लेकिन वे आगे बढ़ते हुए गोली चलाते रहे। घने पेड़-पौधों एवं ऊंचे-नीचे भू-भाग का लाभ उठाते हुए नक्सली वहां से भाग निकले। इस अभियान में एचसी, बृजेश सिंह ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मुठभेड़ समाप्त होने के बाद मुठभेड़ स्थल से हथियारों एवं गोलाबारुद के साथ 04 नक्सलियों के शव बरामद किए गए।

इस अभियान में श्री लव कुमार भगत, कंपनी कमांडर, एसटीएफ ने अपनी सूझ-बूझ, नेतृत्व गुण एवं असाधारण व्यक्तिगत बहादुरी के उच्च स्तर का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा पर ध्यान न देते हुए आगे रह कर अपने कार्मिकों का नेतृत्व किया।

एचसी, बृजेश सिंह ने अभियान के दौरान असाधारण व्यक्तिगत साहस, नि:स्वार्थता एवं कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया। उनके कार्य ने उनके दल के सदस्यों को प्रोत्साहित किया और उसके परिणामस्वरुप सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई। कर्तव्य के मार्ग पर उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए।

बरामदगी:- 12 बोर की तीन बंदूक, 39 जिंदा कारतूस, एक मज़ल लोडिंग बंदूक, .315 के 22 जिंदा कारतूस एवं खाली कारतूस।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री लव कुमार भगत, कंपनी कमांडर और स्व. बृजेश सिंह, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 16/08/2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 119-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. देव नारायण पटेल,
सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी

02. वीरेंद्र श्रीवास्तव,
उप निरीक्षक

03. अंबुज शुक्ला,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 23.03.2011 को श्री देव नारायण पटेल गांव उरीदगांव, नारायणनार एवं चिंगानारालोंग के आस-पास के क्षेत्र में अपने सब-डिवीजन में रूटीन नक्सल-विरोधी अभियान (खोजबीन) पर थे। जब वे उरीदगांव जंगल पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि नक्सली पास में ही मौजूद हैं और वे जबरन लोगों को अपने कैडर में भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और कुलनार तथा रेमावंद के बीच जंगल में स्थानीय लोगों से जबरन पैसे की उगाही भी कर रहे हैं। एसडीओपी देवनारायण पटेल ने बेनूर में तैनात सीआरपीएफ से सहायता मांगी। उन्होंने पुलिस दल का नेतृत्व किया और उप कमांडेंट, डी. एस. मिश्रा ने सीआरपीएफ के दल का नेतृत्व किया और दोनों दल रेमावंद जंगल में एक जगह इकट्ठा हुए। उप कमांडेंट, डी.एस. मिश्रा और एसडीओपी, पटेल ने एक योजना बनाई और उन्होंने फोर्स को दो हिस्सों में बांट दिया। श्री देवनारायण पटेल के नेतृत्व वाले पुलिस दल ने एक तरफ से जंगल के हिस्से की घेराबंदी कर दी जबकि, उप-कमांडेंट, श्री डी.एस. मिश्रा के सीआरपीएफ दल ने दूसरी ओर से जंगल की घेराबंदी कर दी। घेराबंदी करते समय, एसडीओपी, श्री पटेल के नेतृत्व वाले पुलिस दल के ऊपर नक्सलियों द्वारा एके-47 और एलएमजी सहित अत्याधुनिक हथियारों से भारी गोलीबारी की गई। दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए एसडीओपी ने अपनी ओर से अनुकरणीय बहादुरी एवं नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया। वे सूझ-बूझ से अपने लोगों का नेतृत्व करते हुए उन्हें नक्सलियों के नजदीक उपयुक्त पोजीशन तक ले गए और उन्होंने अत्यंत ठोस एवं प्रभावी ढंग से नक्सलियों को उलझाए रखा। उनकी ओर से पेश किए गए उदाहरण ने उनके दल के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित किया। कांस्टेबल अंबुज शुक्ला और उप-निरीक्षक वीरेंद्र श्रीवास्तव ने दुश्मन के नजदीक पहुंचने और प्रभावी ढ़ंग से जवाब देने के लिए अपनी सुरक्षा पर ध्यान दिए बिना अनुकरणीय व्यक्गित साहस का प्रदर्शन किया। पुलिस की ओर से जवाबी आक्रमण के कारण नक्सलियों को गंभीर क्षति हुई जिसकी वजह से वे वहां से भागने के लिए मजबूर हो गए।

मुठभेड़ के बाद, घटनास्थल से 9 एमएम की एक कार्बाइन तथा 56 राउंड के साथ दो अज्ञात नक्सलियों के शव, 9 एमएम की एक पिस्तौल, 22 राउंड के साथ 12 बोर की एक बंदूक, एक हथगोला, लगभग 2.5 किग्रा. का एक टिफिन बम, चार डेटोनेटर, विस्फोटक एवं अन्य सामग्रियां बरामद की गईं। इस अभियान की सफलता एसडीओपी देव नारायण पटेल, उप-निरीक्षक वीरेंद्र श्रीवास्तव और कांस्टेबल अंबुज शुक्ला द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय साहस एवं वीरतापूर्ण कार्रवाई के कारण संभव हुई।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री देव नारायण पटेल, सब-डिवीजनल पुलिस अधिकारी, वीरेंद्र श्रीवास्तव, उप-निरीक्षक और अंबुज शुक्ला, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 23.03.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 120-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. भीम सेन टूटी,
पुलिस अधीक्षक

02. वीर बहादुर सिंह राठौर,
उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

एक गुप्त सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 04.08.2011 को 0400 बजे एसपी, किश्तवाड़, श्री भीम सेन टूटी, भा.पु.से. अपने साथ एसआई वीबीएस राठौर और अपनी एस्कार्ट पार्टी को लेकर पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ के गांव नागनीगढ़ (नागदना) केशवां में दो आतंकवादियों को पकड़ने के लिए निकल पड़े और इस अभियान के लिए कमांडिंग अधिकारी, 11 आरआर., एसओजी किश्तवाड़ एवं उप कमांडेंट, 74 बटालियन, के.रि.पु.ब. को भी शामिल किया गया। एसपी, किश्तवार के नेतृत्व वाला संयुक्त दल 0700 बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। चूंकि लक्षित घर गांव के बाहरी सिरे पर स्थित था, इसलिए एसपी, किश्तवाड़ ने पहले घेराबंदी के लिए कमांडिंग अधिकारी, 11 आरआर के नेतृत्व में अपने एस्कार्ट और त्वरित कार्रवाई दल को शामिल करते हुए एक एडवांस पार्टी तैयार की, जिसके पीछे धावा बोलने वाली मुख्य पार्टी को रखा गया। आतंकवादियों के पास वहां से निकलने के दो संभावित मार्ग थे, जिसमें से एक पर श्री भीम सेन टूटी, भा.पु.से. एसपी, किश्तवाड़ और कमांडिग अधिकारी, 11 आरआर स्वयं चौकस होकर तैनात थे, जबकि दूसरे मार्ग पर एसआई, वीबीएस राठौर और 11 आरआर के मेजर आनंद तथा एसओजी कार्मिक तैनात थे। सुरक्षा बलों की मौजूदगी को भांपते हुए, वहां छिपे आतंकवादी घर से चुपके से निकल कर भारी गोलीबारी के बीच बाहर आ गए। संयुक्त दल के पास आड़ लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसका लाभ उठाते हुए आतंकवादी उस घर के चारों ओर फैले मक्के के खेत में छिप गए। इसके पश्चात तलाशी अभियान शुरु किया गया।

तलाशी के दौरान, जब आतंकवादियों ने स्वयं को सुरक्षा बलों से घिरा हुआ पाया, तो उन्होंने तलाशी दल के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस दल ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की और इसके पश्चात हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया जबकि दूसरे आतंकवादी ने घेरे से निकलकर भागने की कोशिश की। दूसरे आतंकवादी को निष्क्रिय करने के लिए तलाशी अभियान जारी रखा गया जो कि उस समय भी मक्के की फसल के बीच छिपा हुआ था क्योंकि भागने के सभी मार्गों को अभियान दल द्वारा पहले ही बंद कर दिया गया था। अपनी असुरक्षित स्थिति को देखते हुए और अपनी जान की परवाह किए बगैर श्री भीम सेन टूटी, भा.पु.से., एसपी, किश्तवाड़ और एसआई, वीबीएस राठौर ने छिपे हुए आतंकवादी की तलाश शुरु करने के लिए अलग-अलग दो पुलिस दलों का नेतृत्व किया। अपनी जान की परवाह किए बगैर इन दोनों अधिकारियों ने अपने संबंधित दलों का सामने रह कर नेतृत्व किया और वे मक्के के खेत की झाड़ियों में छिपे आतंकवादी को घेरने में सफल हुए। यह

महसूस करते हुए कि उसके भाग निकलने की कोई संभावना नहीं है और उसे पुलिस दलों ने चारों ओर से घेर लिया है, छिपे हुए आतंकवादी ने नजदीक आ रहे पुलिस दल के ऊपर एक हथगोला फेंका। एसआई वीबीएस राठौर ने सूझ-बूझ से कार्रवाई करते हुए उस आतंकवादी को बिल्कुल नजदीक से गोली मारकर उसे वहीं पर ढ़ेर कर दिया। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार/गोला-बारुद बरामद किया गया। बाद में मारे गए आतंकवादियों की पहचान हबीब गुज्जर उर्फ सलमान, पुत्र खेदीन, निवासी-केशवान-किश्तवाड़ और इरशाद अहमद कोहली, पुत्र-जमाल दीन, निवासी-काटरू के रूप में की गई। हबीब गुज्जर उर्फ सलमान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का "ए" श्रेणी का आतंकवादी था और वह 06 जघन्य मामलों में वांछित था। दूसरे आतंकवादी की एलईटी में नई भर्ती हुई थी। संपूर्ण अभियान में श्री भीम सेन टूटी, भा.पु.से., एसपी, किश्तवाड़ और एसआई वीबीएस राठौर ने उच्च स्तर की बहादुरी, पेशेवरता, बंधुत्व की भावना और साहस का प्रदर्शन किया। उनके द्वारा प्रदर्शित नि:स्वार्थ कर्तव्यपरायणता एवं अद्वितीय साहस के परिणामस्वरूप खूंखार आतंकवादी मारे गए।

<u>बरामदगी:</u>

1.	राइफल एके-56	:	01
2.	मैगजीन एके-56	:	04
3.	एके-56 के राउंड	:	67
4.	चीन में निर्मित ग्रेनेड	:	02
5.	पाउच	:	02
6.	मैट्रिक्स शीट	:	02
7.	क्षतिग्रस्त मोबाइल	:	01
8.	चाकू	:	01

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री भीम सेन टूटी, पुलिस अधीक्षक और वीर बहादुर सिंह राठौर, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 04.08.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 121-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मंज़ूर अहमद, (मरणोपरांत)
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:

मंज़ूर अहमद की शुरुआती नियुक्ति जम्मू एवं कश्मीर पुलिस में वर्ष 1993 में उप-निरीक्षक के रूप में की गई थी जिन्हें बाद में राज्य में आतंकवाद-विरोधी अभियान के लिए चुना गया था। ये अधिकारी कुपवाड़ा और पुंछ जिले में ऑपरेशन ग्रुप में तैनात रहे। आतंकवाद-विरोधी कार्रवाई में उनके उत्कृष्ट ट्रैक रिकार्ड की वजह से उन्हें बांदीपुरा, कोकेरनाग, ट्राल और पम्पोर जैसे अत्यधिक आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में एसएचओ के रूप में तैनात किया गया और सिर्फ अपने जीवट के कारण उन्होंने उत्कृष्ट परिणाम भी हासिल किया।

ऐसे अभियानों के कारण इस अधिकारी को बारी से पहले ही निरीक्षक के रैंक में पदोन्नति प्रदान की गई और उन्हें वर्ष 2002 में वीरता के लिए पुलिस पदक भी प्रदान किया गया। इस अधिकारी ने लगभग अकेले ही एक दर्जन से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया।

इस अधिकारी के बहादुरीपूर्ण कार्यों ने उन्हें राष्ट्र-विरोधी तत्वों एवं विदेशी आतंकवादियों के सर्वप्रथम निशाने पर ला दिया और उन्होंने इस अधिकारी के सिर पर इनाम घोषित कर दिए। सहायक आसूचना ब्यूरो (एसआईबी), सीआईडी, सैन्य आसूचना आदि से इस संबंध में निरंतर आसूचना जानकारियां प्राप्त हो रही थीं और अधिकारी को इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया था और उन्हें अन्यत्र तैनाती का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने धमकियों के आगे झुकने से इंकार कर दिया और आतंकवादियों के विरुद्ध अपनी लड़ाई जारी रखी तथा उसका परिणाम भी आते रहे। यह अधिकारी आश्चर्यजनक जोश एवं उत्साह से कार्य करते थे और वे आतंकवादियों को कांटे की तरह चुभ रहे थे। नवम्बर, 2006 के आखिरी सप्ताह में इस अधिकारी को खतरे के संबंध में विशेष आसूचना जानकारियां प्राप्त हुई थीं और फिर भी इसका उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने उनके पीछे जाकर इस ताजा खतरे का दमन करने के लिए अपनी अद्वितीय शैली में तैयारी की जिसने आतंकवादियों के नेटवर्क को झकझोर कर रख दिया।

30 दिसम्बर, 2006 को ये अधिकारी कादलाबल चौक पम्पोर में भीड़ को नियंत्रित करने में व्यस्त थे (ईद-उल-जुहा के पवित्र पर्व को देखते हुए) जब फिरन पहने हुए दो आतंकवादी उनके काफी नजदीक पहुंचने में सफल हो गए और उन्होंने बेहद करीब से इस बहादुर अधिकारी के ऊपर गोली चला दी। इसके बावजूद यह अधिकारी अपने निजी सुरक्षा अधिकारियों एवं निकटवर्ती के.रि.पु.ब. के बंकर में तैनात बलों को अंधाधुंध गोलीबारी शुरु करने से मना करते रहे क्योंकि इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आम नागरिकों की जान जा सकती थी (क्योंकि बाजार हजारों खरीददारों से भरा हुआ था और राष्ट्रीय राजमार्ग 1-ए पर भारी यातायात चल रहा था)। इस अधिकारी के बहादुरी का अंतिम कृत्य संभवत: सर्वश्रेष्ठ था क्योंकि इनके आदेश के द्वारा बड़ी संख्या में नागरिकों के हताहत होने की स्थिति को टाला जा सका। इस संबंध में पुलिस स्टेशन, पम्पोर में प्राथमिकी सं. 175/2006 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह अधिकारी शहीद हो गए लेकिन अपने सर्वोच्च बलिदान में भी उन्होंने दर्जनों लोगों के प्राणों की रक्षा की जो अन्यथा जा सकती थी। ऐसे अद्‌वितीय बहादुरीपूर्ण कृत्य से इस अधिकारी ने (अपनी शहादत में भी) नागरिकों की हत्या करने के आतंकवादियों के घृणित इरादे को नाकाम कर दिया।

इस मुठभेड़ में स्व. श्री मंज़ूर अहमद, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 30.12.2006 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 122-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. शौकत अहमद, (मरणोपरांत)
सहायक उप-निरीक्षक

02. रणधीर सिंह, (मरणोपरांत)
हेड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 04.10.2006 को 11:30 बजे कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जो स्टैंडर्ड होटल मैसुमा के अंदर घुस गए थे। तदनुसार, के.रि.पु.ब. की 164 बटालियन एवं 158 बटालियन की नफरी के साथ श्रीनगर जिले के पुलिस दल द्‌वारा एक विशेष अभियान शुरु किया गया।

न्यू स्टैंडर्ड होटल के भवन परिसर की तत्काल चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई और उक्त भवन के चारों तरफ त्रि-स्तरीय सुरक्षा घेरा डाल दिया गया। सबसे आगे एसओजी श्रीनगर के पुलिस दल को तैनात किया गया। जब पुलिस दल तलाशी अभियान के लिए उस क्षेत्र की घेराबंदी कर रहा था, तभी न्यू स्टैंडर्ड होटल मैसुमा में छिपे आतंकवादियों ने अपने ऑटोमेटिक हथियारों से उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। यह देखा गया कि उक्त होटल में छिपे हुए दो उग्रवादी लगातार पुलिस दल के ऊपर गोलीबारी कर रहे थे। पुलिस दल और छिपे हुए आतंकवादियों के बीच भयानक गोलीबारी शुरु हो गई। पुलिस की विशेष टीम ने आतंकवादियों के ऊपर हमला करके उन्हें मार गिराने के लिए उस होटल में प्रवेश किया जो कि आतंकवादियों के कब्जे में था।

उक्त होटल एवं उसके साथ लगे भवन में फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का निर्णय लिया गया। होटल के भीतर फंसे नागरिकों को बाहर निकालते समय गोलीबारी में एसओजी के दो पुलिसकर्मियों नामत: जम्मू एवं कश्मीर सशस्त्र पुलिस की 5वीं बटालियन के एचसी रणधीर एवं शौकत अहमद ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। पुलिस दल के लिए आम लोगों एवं उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बगैर छिपे हुए आतंकवादियों को मार गिराना एक बड़ी चुनौती थी। आतंकवादियों के साथ गोलीबारी शुरु करने से पूर्व पुलिस दल ने आस-पास के क्षेत्र से पहले नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुठभेड़ जारी रही और अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई। मुठभेड़ पूरे दिन जारी रही और होटल स्टैंडर्ड मैसूमा के चारों ओर आम लोगों एवं उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से होटल के चारों ओर, जहां कि आतंकवादी छिपे हुए थे, त्रि-स्तरीय घेराबंदी कर दी गई और रात भर के लिए अभियान को रोक दिया गया। सुबह होने से पहले ही अभियान पुन: शुरु हो गया और मुठभेड़ के दौरान दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए। दो पुलिस कर्मियों को भी गोली लगी। इस संबंध में पुलिस स्टेशन मैसुमा में धारा 302, 427 आईपीसी एवं 27 आई.ए. अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी सं. 87/2006 दर्ज की गई है।

इस अभियान के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के श्रीनगर पुलिस घटक के पांचवीं बटालियन के एएसआई शौकत अहमद एवं एचसी रणधीर सिंह ने होटल के अंदर फंसे नागरिकों को बाहर निकालते समय अपनी जान की कुर्बानी दे दी और वे सामने आकर आतंकवादियों से मुकाबला करने में सक्रिय रहे जिसके परिणामस्वरूप दोनों आतंकवादी मारे गए।

<u>की गई बरामदगी</u>

1.	एके 56 बगैर पंजीकरण सं. एवं बगैर मैगजीन के	:	01
2.	एके 56 आर 9888 सं. वाली मैगजीन के साथ	:	06
3.	मैगजीन इन्सास	:	01
4.	मैगजीन एके 56	:	04
5.	मैगजीन ए.के. 47	:	01
6.	ए.के. 47 राउंड	:	24
7.	चीन में निर्मित ग्रेनेड	:	01
8.	मुश्ताक अहमद भट के नाम वाला क्षतिग्रस्त पहचान पत्र	:	01
9.	मोहम्मद अशरफ मीर के नाम का पहचान पत्र	:	01
10.	पॉकेट	:	01
11.	खून के धब्बे के साथ शर्ट	:	01
12.	सं. 650-2002103 वाला चीन में निर्मित ग्रेनेड	:	01
13.	ए.के. 47 की खाली मैगजीन	:	02
14.	राउंड	:	20
15.	क्षतिग्रस्त ग्रेनेड थ्रोवर	:	01
16.	जिंदा ग्रेनेड	:	01

इस मुठभेड़ में स्व. श्री शौकत अहमद, सहायक उप-निरीक्षक एवं स्व. श्री रणधीर सिंह, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 04.10.2006 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 123-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. मोहम्मद रफीक,
हेड कांस्टेबल

02. शबीर अहमद,
हेड कांस्टेबल

03. सुनील कुमार,
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 07.08.2011 को हंदवाड़ा पुलिस और सेना द्वारा वाड्डर पाईन जंगल में छिपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए उक्त क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरु किया गया। पुलिस/सेना के आगे बढ़ने की गतिविधि को देखते ही छिपे हुए आतंकवादियों ने उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। जवाबी कार्रवाई में, पुलिस के घटक में से एचसी मोहम्मद रफीक, एचसी शबीर अहमद एवं कांस्टेबल सुनील कुमार नामक तीन पुलिसकर्मियों ने स्वेच्छा से आगे बढ़ कर स्वयं अभियान का नेतृत्व किया और उन्होंने लक्षित स्थल की ओर बढ़ना शुरु कर दिया। आतंकवादी ने हताशा में उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी लेकिन ये कार्मिक अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने लक्ष्य के इर्द-गिर्द विभिन्न स्थानों पर पोजीशन ले ली ताकि छिपे हुए आतंकवादी को ढूंढ़ा जा सके और उसे घेराबंदी से निकल कर भागने का मौका न मिलने पाए।

रणनीति के अनुसार कार्य करते हुए, आतंकवादी के बेहद नजदीक पहुंचते ही इन पुलिसकर्मियों ने आतंकवादी पर भारी हमला कर दिया जिसका उस आतंकवादी ने फिर से जवाब दिया और गोलीबारी घंटों तक जारी रही। गोलीबारी के दौरान, ये सभी पुलिसकर्मी लक्षित स्थल के काफी नजदीक रहते हुए अपनी-अपनी पोजीशनों से आतंकवादी के ऊपर गोली चलाते रहे जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादी मारा गया और बाद में उसकी पहचान एलईटी संगठन के एक शीर्ष कमांडर और पीओके निवासी फहदुल्लाह

उर्फ आसिफ उर्फ अब्दुल रहमान उर्फ जी-4 के रूप में की गई। मारा गया आतंकवादी काफी लंबे समय से जिला कुपवाड़ा जिले के राजवर क्षेत्र में सक्रिय था और उसने उक्त क्षेत्र के लोगों/मुख्य धारा के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच दहशत कायम कर रखी थी। वह उस क्षेत्र में अनेक विघटनकारी गतिविधियों में शामिल था और वीआईपी लोगों, सुरक्षा बलों एवं पुलिस के लिए बड़ा खतरा बना हुआ था। वह उस क्षेत्र में युवाओं को आतंकवादी कैडर में शामिल होने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा था। उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों द्वारा उसके मारे जाने की अत्यधिक प्रशंसा की गई और उन्होंने सामान्य रूप से स्थानीय पुलिस की और विशेष रूप से उपर्युक्त पुलिसकर्मियों की प्रशंसा की।

की गई बरामदगी:

1.	ए.के.-47	:	01
2.	ए.के.-मैगजीन	:	05 (एक क्षतिग्रस्त)
3.	ए.के. – राउंड	:	130
4.	यू.बी.जी.एल.	:	01

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री मोहम्मद रफीक, हेड कांस्टेबल, शबीर अहमद, हेड कांस्टेबल और सुनील कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 07.08.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 124-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. ताहिर सजाद भट,
अधीक्षक

02. इफ्तखार तालिब
उप पुलिस अधीक्षक

03. अमित रैना,
एसजी कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

एक आसूचना जानकारी प्राप्त होने पर, श्री ताहिर सजाद भट, पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन के नेतृत्व में पुलिस घटक श्रीनगर ने दिनांक 24.05.2011 को हंदवाड़ा (कुपवाड़ा) के लरीबल, शतीगाम गांव में छिपे भाड़े के दो विदेशी सैनिकों को ढूंढ़ निकालने के लिए उक्त क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन्स) ने उप पुलिस अधीक्षक इफ्तखार तालिब और सार्जेंट कांस्टेबल अमित रैना नामक पुलिस घटक के एक अन्य जवान के नजदीकी सहयोग से अंदरुनी घेराबंदी वाले दल

का नेतृत्व किया और वे छिपे हुए आतंकवादियों की ओर से भारी गोलीबारी के बीच उनके द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहे और उसके बाद पुलिस दल ने छिपे हुए आतंकवादियों के ऊपर सामने से हमला कर दिया जिसके परिणामस्वरुप गोलीबारी में दोनों आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादी उस क्षेत्र में श्रृंखलाबद्ध आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे और वे अनेक मामलों में वांछित थे।

मई, 2011 के तीसरे सप्ताह में पुलिस घटक, श्रीनगर को एक सूचना प्राप्त हुई कि पाकिस्तान निवासी मोहम्मद अबास उर्फ उफैदुल्लाह (कमांडर) और अबू हमजा (जिला कमांडर) नामक एलईटी संगठन के दो आतंकवादी, जो पहले लरीबल, शतीगाम, हंदवाड़ा में अपनी गतिविधियां चला रहे थे और अस्थायी रुप से लोलाब के जंगलों में शिफ्ट हो गए थे, लोलाब के जंगलों में अपने कैडरों से मुलाकात करने के पश्चात अपनी गतिविधि वाले पुराने क्षेत्र में वापस लौट आए हैं। सूचना को आगे और पुख्ता किया गया और यह साबित हो गया कि एलईटी संगठन के दोनों कमांडर गांव लरीबल, शतीगाम, हंदवाड़ा में अपना अड्डा बनाए हुए हैं। आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले छिपने के ठिकाने की पहचान करने के उद्देश्य से इस सूचना को आगे और पुख्ता करने के लिए उप पुलिस अधीक्षक इफ्तखार तालिब के नेतृत्व में पुलिस घटक, श्रीनगर के एक दल का गठन किया गया। पुलिस दल ने गांव का दौरा किया और अपने स्रोत से पूरी जानकारी प्राप्त की। इन शीर्ष आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने के संबंध में संपूर्ण ब्योरों पर बातचीत करने के बाद, पुलिस दल ने उसी दिन मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट दी। पुलिस दल के प्रभारी को दल के अन्य सदस्यों के साथ उस घर का, जहां शीर्ष आतंकवादियों ने छिपने का ठिकाना बना रखा था और गांव में प्रवेश करने और निकलने के रास्तों की टोह लेने के लिए हंदवाड़ा के गांव लरीबल, शतीगाम क्षेत्र में भेजा गया।

पुलिस दल को पुलिस घटक श्रीनगर से पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ-साथ हंदवाड़ा पुलिस, 52 आर आर एवं 21 आर आर से सहायता प्रदान की गई। तदनुसार, लक्षित घर की घेराबंदी की गई और सुबह उस घर की तलाशी करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात, पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन्स), श्रीनगर, ताहिर सजाद भट की निगरानी में उपर्युक्त दल ने अंदरुनी घेरा डाला। दिनांक 24 मई, 2011 को तड़के अंदरुनी घेरे वाले पुलिस दल ने लक्षित-घर के निवासियों को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन जब आतंकवादियों ने देखा कि वे घिर गए हैं, तो उन्होंने लक्षित घर के निवासियों को बंधक बना लिया, जिसमें दो महिलाएं, एक वृद्ध व्यक्ति और एक बच्चा शामिल था। अतिरिक्त नुकसान को टालने के उद्देश्य से उस घर के साथ वाले अन्य घरों के निवासियों को बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। इस बीच आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए नागरिकों के बाहर निकलने के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने हेतु प्रयास जारी थे। इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि उपर्युक्त दोनों आतंकवादी भारी स्वचालित हथियारों से पूरी तरह से लैस हैं। तदनुसार, आतंकवादियों से बंधकों को मुक्त करने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। तथापि, वहां से घेरा तोड़कर भागने के उद्देश्य से आतंकवादियों ने अंदरुनी घेराबंदी वाले दल के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। उप पुलिस अधीक्षक, इफ्तखार तालिब के साथ पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन्स) ताहिर सजाद भट के नेतृत्व वाले पुलिस दल ने, जिसे अंदरुनी घेरे में तैनात किया गया था, अदम्य साहस और उच्च स्तर की कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया और उनके भागने के प्रयास को विफल कर दिया। इस समय अंदरुनी घेरे वाले दल ने ऐसे समय पर पर्यटकों के साथ निपटने में, विशेष कर तब, जबकि

नागरिकों का जीवन अत्यधिक खतरे में था, उच्च कोटि के कर्तव्य एवं धैर्य का प्रदर्शन किया। बंधकों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाने के उद्देश्य से घर के पिछले हिस्से से कमरे में घुसने का निर्णय लिया गया, ताकि आतंकवादियों को गोलीबारी में उलझाया जा सके और उसी बीच बंधकों की जान बचा ली जाए। तदनुसार, एक दल ने कमरे में प्रवेश किया, जबकि पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन्स), श्रीनगर, ताहिर सजाद भट, उप पुलिस अधीक्षक, इफ्तखार तालिब और सार्जेंट कांस्टेबल, अमित राणा सहित अंदरूनी घेराबंदी वाले दूसरे दल के सदस्यों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकवादियों को बेहद नजदीक से मुठभेड़ में उलझाए रखा। कमरे के अंदर प्रवेश करने वाले दल ने देखा कि आतंकवादियों ने उस घर के निवासियों को एक कमरे के अंदर बंद करके उसके बाहर से सिटकिनी लगा दी है। जब घेराबंदी वाले दल ने घर के सामने की ओर से आतंकवादियों को भारी गोलीबारी में उलझा रखा था, तब कमरे के अंदर प्रवेश करने वाले दल ने बगैर किसी नुकसान के न केवल बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला बल्कि घर के अंदर आतंकवादियों को मार गिराने की भी कोशिश की। तथापि, यह समझते हुए कि इस कार्रवाई में सामने की ओर तैनात सुरक्षा बल कार्मिकों की जान भी जा सकती है, कमरे में प्रवेश करने वाले दल को घर से बाहर निकलने और आंतकवादियों के साथ गोलीबारी में शामिल नहीं होने और सुरक्षित बचाए गए बंधकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के निर्देश दिए गए। अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए आतंकवादियों ने उन सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर हताहत करने की कोशिश की जिसकी अगुवाई उप पुलिस अधीक्षक, इफ्तखार तालिब और सार्जेंट कांस्टेबल, अमित रैना के साथ पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन्स), ताहिर साजिद भट कर रहे थे। इस समय गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब जारी था और सुरक्षा बलों की धावा बोलने वाली टीम के ठोस मनोबल को महसूस करते हुए आतंकवादियों ने हताश होकर उस घर (छिपने के ठिकाने) के पिछले हिस्से में आग लगा दी। आग से फैले धुएं ने धावा बोलने वाली टीम को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बहुत जल्द आग फैल गई और संपूर्ण भवन आग के घेरे में आ गया। कुछ समय बाद पूरा भवन जलकर राख हो गया। एलईटी संगठन के पाक निवासी मोहम्मद अबास उर्फ उफैदुल्लाह (कमांडर) और अबू हमजा (जिला कमांडर) नामक दोनों आतंकवादी, जो उस भवन में छिपे हुए थे, आग में जल गए और उन दोनों के शव पहचान से परे थे। इन आतंकवादियों का सफाया पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन्स), श्रीनगर, ताहिर सजाद भट, उप पुलिस अधीक्षक इफ्तखार तालिब और सार्जेंट कांस्टेबल, अमित राणा के अनुकरणीय साहस, सूझ-बूझ और उच्च स्तर की कर्तव्यपरायणता की वजह से संभव हुआ। मुठभेड़ स्थल से 02 (जली हुई) एके-47 और एके की 06 मैगजीनें (जली हुई) बरामद की गईं।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री ताहिर सजाद भट, पुलिस अधीक्षक, इफ्तखार तालिब, उप पुलिस अधीक्षक और अमित रैना, सार्जेंट कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 24/05/2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 125-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री ज़ोहेब तनवीर,

उप पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 29.08.2011 को 1507 बजे पुलवामा जिले के गांव मित्रीग्राम में मोहम्मद अमीन भट, पुत्र अब्दुल्ला भट नामक नागरिक के घर में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष सूचना प्राप्त होने पर, वहां एसओजी पुलवामा, सेना एवं सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरु किया गया। तलाशी अभियान के दौरान उस घर में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी, जिसका प्रभावी रूप से जवाब दिया गया। इस प्रक्रिया के दौरान भारी गोलीबारी के बीच छिपे हुए सभी आतंकवादी वहां से भागकर मोहम्मद अयूब भट, दामाद-गुलाम मोहम्मद भट उर्फ मुम्मा भट, पुत्र-काज़िर भट नामक व्यक्ति के निकटवर्ती घर में चले गए और वहां के लोगों को ढ़ाल बनाकर वहीं छिप गए। तलाशी दल के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती वहां से नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालना था और यह कार्य ऑपरेशन्स ग्रुप के श्री ज़ोहेब तनवीर, उप पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन्स), पुलवामा और उनके सहकर्मियों को सौंपा गया। अंधाधुंध गोलीबारी के बीच और अपनी जान की परवाह किए बगैर ज़ोहेब तनवीर के नेतृत्व वाले दल ने महिलाओं एवं बच्चों सहित लगभग 16 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नागरिकों को बचाने के पश्चात आतंकवादियों से हथियार डालने के लिए कहा गया, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया और उसकी बजाय उन्होंने तलाशी दल के ऊपर हथगोले फेंके और गोलियों की बौछार शुरु कर दी। अभियान दल की ओर से गोलीबारी का पुन: प्रभावी जवाब दिया गया जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच भयानक गोलीबारी हुई। यह मुठभेड़ लगभग चार घंटे तक चली जिसके बाद घर के भीतर से गोलीबारी रूक गई। ऐसा मान कर कि आतंकवादी मारे जा चुके हैं, श्री ज़ोहेब तनवीर के नेतृत्व में 55 आरआर और पुलिस के एक संयुक्त दल को तलाशी लेने के लिए उस घर के भीतर भेजा गया। वहां जबकि एक आतंकवादी जमीन पर गिरा हुआ था, दूसरा आतंकवादी, जो अभी भी जिंदा था और दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था, उसने तलाशी दल के ऊपर वहीं से गोलीबारी शुरु कर दी। तलाशी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पास के कॉरीडोर में पोजीशन ली और उन्होंने उस कमरे में की ओर गोलीबारी की जहां से वह आतंकवादी उनके ऊपर गोली चला रहा था।

श्री ज़ोहेब तनवीर ने अपने दल का नेतृत्व किया और अपनी जान की परवाह किए बगैर छिपे हुए आतंकवादी के अचानक हमले का जवाब दिया जिसके परिणामस्वरूप उस स्थान से हथियार/गोलाबारुद की भारी मात्रा में बरामदगी के अतिरिक्त दोनों आतंकवादी भी मारे गए। बाद में, मारे गए आतंकवादियों की पहचान इकराम भाई, निवासी-पाकिस्तान, दक्षिण कश्मीर के जेईएम गुट (श्रेणी "क") के डिवीजनल कमांडर और फारुक अहमद लोन उर्फ ताहिर भाई, पुत्र-गुलाम हसन लोन, निवासी-अगलर कांडी, जिला पुलवामा के जेईएम गुट (श्रेणी "क") के बटालियन कमांडर के रूप में की

गई। दोनों आतंकवादी जिला पुलवामा में आतंकवाद संबंधी विभिन्न घटनाओं में शामिल थे। दोनों आतंकवादियों की मौत विशेष कर पुलवामा जिले में जेईएम गुट के लिए एक झटके के समान थी। यह अभियान बगैर किसी नागरिक के हताहत हुए समाप्त हो गया। संपूर्ण मुठभेड़ के दौरान श्री ज़ोहेब तनवीर, उप पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन्स) ने बहादुरीपूर्वक लड़ाई लड़ी और उन्होंने नागरिकों को भी वहां से सुरक्षित बाहर निकाला और उसके पश्चात उन्होंने छिपे हुए आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में अपने दल का नेतृत्व किया जिसके कारण चार घंटे से अधिक समय तक चली दुस्साहसी कार्रवाई में बगैर किसी नागरिक के हताहत हुए दोनों खूंखार आतंकवादी मारे गए।

<u>की गई बरामदगी:</u>

1.	ए.के. 74	:	01
2.	ए.के. 56	:	01
3.	ए.के. मैगजीन	:	03
4.	ए.के. राउंड	:	240
5.	पाउच	:	02
6.	नकदी	:	4000/-रूपए
7.	मैट्रिक्स शीट	:	02
8.	सफाई उपकरण	:	01
9.	पहचान पत्र	:	01

इस मुठभेड़ में श्री ज़ोहेब तनवीर, उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 29.08.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 126-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री करनजीत लाल,

कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 25.05.2011 को, पुलिस स्टेशन डोडा के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले लोहारपुरा टाप लुदना क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधि के संबंध में विशेष सूचना प्राप्त होने पर लोहारपुरा टाप लुदना क्षेत्र में डोडा जिला पुलिस द्वारा विद्रोह-रोधी अभियान शुरु किया गया। उस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई और वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने अभियान दल के सदस्यों को मारने के इरादे से उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। अभियान दल ने आत्मरक्षा में गोलीबारी का जवाब दिया और उसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरु हो गयी जो तीन घंटे से अधिक समय तक चली। 8 आर.आर. एवं के.रि.पु.बल की 76वीं बटालियन भी इस अभियान में शामिल हो गई। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए और रणनीतिक पोजीशन लिए हुए बड़ी संख्या में आतंकवादियों के उत्कृष्ट प्रभुत्व को देखते हुए अभियान दल के समक्ष चुनौती खड़ी हो गई थी। ऐसी परिस्थिति के बीच, कांस्टेबल करनजीत लाल ने लक्षित स्थल की ओर बढ़ने का निर्णय लिया और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर बेहद नजदीक से छिपे हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। तथापि, अंधेरे और घने जंगल की आड़ का लाभ उठाते हुए अन्य आंतकवादी घेरे से निकल कर भागने में सफल रहे। वहां से भाग रहे आतंकवादी मारे गए आतंकवादी की राइफल भी अपने साथ ले गए। बाद में, मारे गए आतंकवादी की पहचान मोहम्मद इसाक, कोड मुनाज़िल, निवासी डरबैल छतरू, जिला किश्तवाड़ के रूप में की गई, जो कि एलईटी संगठन का "बी" श्रेणी का आतंकवादी था। उक्त आतंकवादी उस क्षेत्र में अनेक आतंकवादी कार्रवाईयों में शामिल रहा था। मारे गए आतंकवादी के पास से निम्नलिखित हथियार/गोलाबारुद बरामद किए गए:

1.	चीन में निर्मित ग्रेनेड	:	02
2.	ए के राइफल की मैगजीन	:	02
3.	ए के राइफल के राउंड्स	:	10
4.	गोलाबारुद के पाउच	:	01
5.	फायर किए हुए खोखे (एके राइफल)	:	10

कांस्टेबल करनजीत लाल ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर आतंकवादी को मारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आतंकवादी का सामने से मुकाबला किया।

इस मुठभेड़ में श्री करनजीत लाल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 25.05.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 127-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. शिराज़ अहमद, (मरणोपरांत)
हेड कांस्टेबल

02. गुलज़ार अहमद, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

अवथकुल के जंगल के क्षेत्र में आतंकवादियों के एक समूह की मौजूदगी के संबंध में एक विशेष सूचना प्राप्त होने पर, एसओजी कुपवाड़ा/18 ग्रेनेडियर्स द्वारा दिनांक 26.09.2011 को एक संयुक्त अभियान शुरु किया गया। उस क्षेत्र की समुचित घेराबंदी करने के उद्देश्य से, अवथकुल के जंगल के एक विशेष हिस्से की घेराबंदी की गई और श्री संजय सिन्हा, सीओ 18 ग्रेनेडियर के नेतृत्व वाले 18 ग्रेनेडियर्स के दल के साथ श्री ज़हूर अहमद, उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन्स), कुपवाड़ा के नेतृत्व वाले पुलिस घटक के दल ने घेरे के फैलाव को कम करना शुरु किया और उस क्षेत्र की गहन तलाशी शुरु कर दी। अभियान दल को जंगल में कुछ संदिग्ध गतिविधि नजर आई और चुनौती देने पर उन लोगों ने ऊंचाई, चट्टानों एवं घनी वनस्पतियों की आड़ का लाभ उठाते हुए अभियान दल के ऊपर अंधाधुंध एवं भारी गोलीबारी शुरु कर दी। शुरुआती संपर्क में 18 ग्रेनेडियर्स के संदीप सिंह घायल हो गए और उन्हें मुठभेड़ स्थल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। आतंकवादियों के ताकत की प्रबलता को महसूस करते हुए, उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन्स), कुपवाड़ा ने पुलिस दल को दो दलों में पुनर्विभाजित किया। एक दल का स्वंय नेतृत्व करते हुए एच.सी. शिराज़ अहमद के साथ अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर एक तरफ से आगे बढ़ना शुरु किया और उन्होंने आतंकवादियों के दल के ऊपर गोलीबारी की जिसमें एक आतंकवादी मारा गया। अभियान दल की ओर से भारी हमले को महसूस करते हुए, आतंकवादियों का समूह एक-एक और दो-दो के टुकड़ों में बंट कर बिखर गया और उन्होंने चट्टानों एवं घनी झाड़ियों की आड़ लेकर पुलिस दल के ऊपर भारी गोलीबारी शुरु कर दी जिसमें गोली लगने से गंभीर रूप से घायल होने के कारण एचसी शिराज अहमद की उसी स्थान पर मौत हो गई। बिखरे हुए आतंकवादियों के एक समूह का एचसी फारूक अहमद और कांस्टेबल गुलज़ार अहमद के नेतृत्व वाले दूसरे दल से आमना-सामना हो गया लेकिन वे फौरन चट्टानों के पीछे छिप गए। चट्टानों के पीछे छिपे आतंकवादियों के सफाए के उद्देश्य से, विशेष रूप से एचसी फारूक अहमद और कांस्टेबल गुलजार अहमद ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर उच्च स्तर की बंधुत्व भावना का प्रदर्शन करते हुए आतंकवादियों के ऊपर भारी गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप एक और आतंकवादी मारा गया। तथापि, नजदीकी गोलीबारी में कांस्टेबल गुलज़ार अहमद गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल होने की वजह से उन्होंने उसी स्थान पर दम तोड़ दिया। शेष आतंकवादियों ने चट्टानों की आड़ लेकर संयुक्त अभियान दल के ऊपर भारी गोलीबारी शुरु कर दी, जिसका प्रभावी जवाब दिया गया और इसके परिणामस्वरूप

शाम तक भारी गोलीबारी चलती रही और अंधेरा होने की वजह से अभियान को अगले दिन तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया।

दिनांक 27 सितम्बर को तड़के अभियान पुन: शुरु कर दिया और सीओ 18 ग्रेनेडियर्स के साथ परामर्श के उपरांत अभियान में शामिल संबंधित अधिकारियों द्वारा रणनीति तैयार की गई। योजना के अनुसार, अभियान क्षेत्र के फैलाव को और कम किया गया और आतंकवादियों को घेरने के लिए अभियान दल के सदस्य आगे बढ़ने लगे जिसके दौरान 18 ग्रेनेडियर्स के हवलदार रवि कुमार गोली लगने से घायल हो गए और घायल हवलदार को बचाने तथा आतंकवादियों को और नजदीक से घेरने के उद्देश्य से कैप्टन सुशील खजूरिया ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर आतंकवादियों के ऊपर भारी आक्रमण करते हुए उनकी तरफ बढ़ना शुरु कर दिया। उसी दौरान कैप्टन सुशील खजूरिया गोली लगने से घायल हो गए और घायल होने की वजह से उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया और हवलदार रवि कुमार भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाए और घायल होने के कारण उनकी भी वहीं मौत हो गई।

दुर्गम स्थलाकृति/कठिन लड़ाई के कारण, अभियान रात होने तक जारी रहा और पुन: उसे रात में रोक दिया गया, तथापि, सुबह ज्यों ही सब कुछ दिखाई देने लगा, इसे तत्परता से पुन: चालू कर दिया गया। इस अभियान के लंबे समय तक खिंचने के कारण पुलिसकर्मियों/सेना के मारे गए लोगों के शवों को अपने कब्जे में लेना आवश्यक था। अत: अभियान में शामिल संबंधित अधिकारियों द्वारा एक पृथक रणनीति तैयार की गई, जिसके तहत अलग-अलग दिशाओं से आतंकवादियों को उलझाया गया जिसके दौरान हवलदार रवि कुमार के शव को छोड़कर अन्य शवों को सफलतापूर्वक वहां से निकाल लिया गया। बाद में, 18 ग्रेनेडियर्स के दल ने प्रयास करके हवलदार रवि कुमार के शव को सफलतापूर्वक अपने कब्जे में ले लिया। शवों को अपने कब्जे में लेने के बाद, शेष आतंकवादियों को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से उनके ऊपर भारी हमला किया गया। पुलिस/सुरक्षा बलों एवं आतंकवादियों के बीच नजदीकी गोलीबारी चौथे दिन भी जारी रही यह 05 अज्ञात विदेशी आतंकवादियों के मारे जाने और उनके पास से भारी मात्रा में हथियारों/गोलाबारुद की बरामदगी के साथ ही समाप्त हुई। इस अभियान के दौरान एचसी शिराज अहमद एवं कांस्टेबल गुलज़ार अहमद द्वारा प्रदिर्शत बहादुरी के अनुकरणीय कार्य के अलावा, श्री ज़हूर अहमद, उप पुलिस अधीक्षक (आपरेशन्स), कुपवाड़ा एवं हेड कांस्टेबल, फारुक अहमद ने भी अपने निर्धारित कर्तव्य से आगे बढ़कर साहस, भाई-चारे की भावना, निस्स्वार्थ कर्तव्य, परिश्रम, समर्पण/बहादुरी के भाव का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

<u>बरामदगी:</u>

1.	राइफल एके47	:	05
2.	मैगजीन एके 47	:	18 (05 क्षतिग्रस्त)
3.	पिस्तौल 7.62 एमएम	:	02
4.	पिस्तौल मैगजीन	:	04
5.	एके 47 राउंड	:	402 (12 क्षतिग्रस्त)
6.	7.62 एमएम पिस्तौल राउंड	:	129

7.	रेडियो सेट 1 कॉम एंटीना के साथ	:	05
8.	एचई ग्रेनेड चीन में निर्मित	:	05 (नष्ट किया गया)
9.	जीपीएस	:	03 (01 टूटी हुई)

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री स्व.शिराज अहमद, हेड कांस्टेबल एवं स्व. श्री गुलजार अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 26.09.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 128-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. ज़हूर अहमद,
    उप पुलिस अधीक्षक

02. फारुक अहमद,
    हेड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 11.08.2011 को टंगवारी के निकट गिरवर के जंगल में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में कुपवाड़ा पुलिस द्वारा तैयार की गई एक विशेष सूचना प्राप्त हुई, जिसके अनुसार 18 ग्रेनेडियर्स के साथ मिलकर कुपवाड़ा पुलिस द्वारा एक अभियान की योजना बनाई गई। संयुक्त अभियान दलों ने श्री ज़हूर अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, आपरेशन्स, कुपवाड़ा के नेतृत्व में उस क्षेत्र की घेराबंदी एवं तलाशी का अभियान शुरु किया। जैसे ही विशेष लक्ष्य (जंगल क्षेत्र) की तलाशी की गई, वहां आतंकवादी गतिविधि नजर आई और आतंकवादी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। उस आतंकवादी ने आत्मसमर्पण करने से इंकार करते हुए श्री ज़हूर अहमद और उनके कार्मिकों के ऊपर यूबीजीएल के गोले तथा एच.ई. के हथगोले बरसाते हुए उस क्षेत्र की उबड़-खाबड़ स्थलाकृति का लाभ उठाते हुए वहां से भागने की कोशिश की। चूंकि वह आतंकवादी घने जंगल के क्षेत्र में छिपा हुआ था, अत: वह पुलिस दल को क्षति पहुंचाने और वहां से भाग निकलने के मामले में बेहद अच्छी स्थिति में था। श्री ज़हूर अहमद ने त्वरित प्रतिक्रिया स्वरूप अत्यधिक सूझ-बूझ का प्रदर्शन करते हुए पुलिस दल को दो दलों में पुनर्संगठित किया, जिसमें एक पुलिस दल को तेजी से उस क्षेत्र के आस-पास फैलाया

गया और दूसरे दल को टंगवारी राशनपुरा के आबादी वाले क्षेत्र के निकट नाकाबंदी करने का कार्य दिया गया, ताकि उस आतंकवादी द्वारा की जाने वाली अंधाधुंध एवं भारी गोलीबारी से नागरिकों को हताहत होने से बचाया जा सके। जोरदार गोलीबारी कर रहे आतंकवादी के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई शुरु की गई। गोलीबारी के दौरान एचसी फारूक अहमद के साथ उप पुलिस अधीक्षक, आपरेशन्स, कुपवाड़ा अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर आतंकवादी की ओर आगे बढ़ने लगे। बड़ी संख्या में हथियारों से लैस आतंकवादी की ओर बढ़ते समय श्री ज़हूर अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, कुपवाड़ा एवं उनके कार्मिकों ने घिरे हुए आतंकवादी के विरुद्ध भारी हमला करने में अपने कौशल व सूझ-बूझ का उपयोग किया और वे एक विदेशी आतंकवादी को निष्क्रिय करने में सफल हुए, जिसकी पहचान एलईटी संगठन के अबू हुर्राटा उर्फ ओबैदुल्लाह के रूप में की गई। संपूर्ण अभियान के दौरान श्री ज़हूर अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, ऑपरेशन्स, कुपवाड़ा एवं एचसी फारूक अहमद ने अदम्य साहस एवं बहादुरी का प्रदर्शन किया।

<u>बरामदगी:</u>

1.	राइफल एके-47	:	01
2.	मैगजीन एके-47 राइफल	:	05
3.	यूबीजीएल	:	01
4.	यूबीजीएल के गोले	:	05
5.	हथगोले	:	03
6.	पाउच	:	01

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री ज़हूर अहमद, उप पुलिस अधीक्षक एवं फारुक अहमद, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 11.08.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 129-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री अजीत सिंह,
सार्जेंट कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 01.03.2011 को, गांव डाडसारा अवंतीपुरा में जेईएम संगठन के एक आतंकवादी की मौजूदगी/गतिविधि के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, पुलिस, 42 आरआर और के.रि.पु.ब. की 180वीं बटालियन द्वारा वहां संयुक्त रूप से घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरु किया गया। अभियान के दौरान उस आतंकवादी का पता चल गया, जो गुलज़ार अहमद मीर, पुत्र अकली मीर, निवासी मीर मोहल्ला, डाडसारा के घर में जबरन प्रवेश कर गया। अंधेरा होने के कारण, रात में अभियान रोक दिया गया लेकिन घेराबंदी को पुख्ता रखा गया। दिनांक 02.03.2011 को सुबह में सभी पुलिस अधिकारी लक्षित घर के आस-पास के घरों से नागरिकों को बाहर निकालने के कार्य में लग गए। लक्षित घर के भीतर छिपे आतंकवादी ने किसी भी प्रकार की हरकत नहीं की, जिससे उसकी मौजूदगी का पता लगाने में काफी मुश्किल हुई। लक्षित मकान के कमरे में प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के नेतृत्व में सार्जेंट कांस्टेबल, संजीव देव सिंह और सार्जेंट कांस्टेबल, अजीत सिंह सहित पांच पुलिस कर्मियों एवं आरआर के दो जवानों को शामिल करते हुए एक छोटे दल का गठन किया गया। जैसे ही वे लक्षित घर के मुख्य दरवाजे के निकट पहुंचे, आतंकवादी ने कमरे में प्रवेश करने वाले दल के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी कर के आरआर के एक जवान को घायल कर दिया। तथापि, अन्य सदस्यों ने असाधारण बहादुरी और पेशेवर कौशल का प्रदर्शन किया जिसके कारण वे अपनी रक्षा करते हुए उस घर के अंदर प्रवेश करने में सफल हुए। कमरे में प्रवेश करने वाले दल ने अपनी सूझ-बूझ से उस कमरे की पहचान की जिसमें वह आतंकवादी छिपा हुआ था और सार्जेंट कांस्टेबल अजीत सिंह ने अनुकरणीय बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए आमने-सामने की लड़ाई में गोलीबारी करते हुए उस आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान शाबिर अहमद गुज्जर (जिला कमांडर) उर्फ पठान, पुत्र महबूब कुरैशी, निवासी जराध्यार के रूप हुई। निम्नलिखित हथियार एवं गोलाबारुद बरामद किए गए:

1.	राइफल एके	:	01
2.	एके-मैगजीन	:	02
3.	एके-गोलाबारुद	:	25

इस मुठभेड़ में श्री अजीत सिंह, सार्जेंट कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 02.03.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 130-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. जाविद इकबाल मट्टू,
अपर पुलिस अधीक्षक

02. रोमेश लाल,
उप निरीक्षक

03. विशाल शर्मा,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 03.07.2008 को अनंतनाग पुलिस को गांव नैना बाटापुरा बिजबेहरा में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में एक विशेष सूचना प्राप्त हुई। जिला पुलिस अनंतनाग द्वारा के.रि.पु.ब. की 93वीं एवं 130वीं बटालियन तथा 55वीं आर.आर. के साथ मिलकर एक अभियान शुरु किया गया। संपूर्ण गांव की घेराबंदी कर दी गई और इस बात की पुष्टि हो गई कि दो विदेशी आतंकवादी उस गांव में छिपे हुए हैं। अभियान दल के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती गांव में छिपे दोनों आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगाना था। धावा बोलने वाले दो दलों का गठन किया गया जिसमें से एक दल का नेतृत्व श्री जाविद इकबाल मट्टू, अपर पुलिस अधीक्षक, अनंतनाग द्वारा किया गया, जबकि दूसरे दल में 55 आरआर एवं के.रि.पु.ब. के कार्मिक शामिल थे।

दल को आतंकवादियों को उनके स्थानीय ठिकाने पर ही रोकने, उस घर की पहचान करने जिसमें आतंकवादी छिपे हुए थे और आस-पास के घरों को अपने कब्जे में लेने के कार्य सौंपे गए। इसी दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने गांव के विभिन्न स्थानों से गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस दल ने आतंकवादियों की गोलीबारी का बहादुरीपूर्वक जवाब दिया। श्री रोमेश लाल, उप निरीक्षक और श्री विशाल शर्मा, कांस्टेबल की सहायता से श्री जाविद इकबाल मट्टू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर न सिर्फ उस मकान को घेर लिया जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, बल्कि आस-पास के घरों से नागरिकों को बाहर भी निकाला। भारी गोलीबारी के बीच धावा बोलने वाले दल ने उस घर के साथ वाले मकान पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया जिसमें दो विदेशी आतंकवादी छिपे हुए थे। इस कार्य को सच्चे पेशेवरता के प्रदर्शन के साथ बिजली की गति से अंजाम दिया गया। गोलीबारी लगभग चार घंटे तक जारी रही, जो अबू आतिफ उर्फ शादक, निवासी गुजरांवाला, पाकिस्तान (आपरेशनल कमांडर एसकेआर) एवं सैयद हैदर, निवासी पाकिस्तान नामक दो शीर्षस्थ विदेशी आतंकवादियों के मारे जाने के बाद रुकी। घटना स्थल से 2 एके राइफल, 3 एके मैगजीन और 1 हथगोला (उसी स्थान पर नष्ट) बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस स्टेशन पुलवामा में धारा 307 आइपीसी, 7/27 आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी सं. 213/08 दर्ज है।

यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकवादी दक्षिण कश्मीर के अत्यंत कुख्यात एलईटी आतंकवादी थे। उन्होंने बदरू नर-संहार की योजना बनाकर उसे अंजाम दिया था जिसमें जून, 2006 में नौ नेपाली श्रमिकों की हत्या की गई थी। इसके अलावा, वे

अरावनी क्षेत्र में अनेक नागरिकों की हत्या में शामिल थे। अबू आतिफ उर्फ शादक, जो पाकिस्तान से आतंक फैलाने आया था, उस क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों से सक्रिय था और दक्षिण कश्मीर में एलईटी के आपरेशनल कमांडर के रूप में कार्यरत था।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जाविद इकबाल मट्टू, अपर पुलिस अधीक्षक, रोमेश लाल, उप निरीक्षक और विशाल शर्मा, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 03.07.2008 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 131-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री इम्तियाज हुसैन मीर,
पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 13.09.2011 को भटाट मोहल्ला, सोपोर (बारामुला) में एलईटी संगठन के स्वयंभू कमांडर, अब्दुल्ला उनी नामक एक खतरनाक पाकिस्तानी आतंकवादी की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस, सेना एवं के.रि.पु.ब. द्वारा उस क्षेत्र में संयुक्त अभियान शुरु किया गया। श्री इम्तियाज हुसैन, पुलिस अधीक्षक, सोपोर के नेतृत्व वाले पुलिस दल द्वारा लगभग 20 घरों वाले उस क्षेत्र की नाकेबंदी की गई। श्री इम्तियाज हुसैन के नेतृत्व वाले पुलिस दल ने लक्षित घर के बेहद नजदीक पहुंचकर वहां से निवासियों को बाहर निकल कर सुरक्षित स्थानों पर चलने के लिए कहा। नजदीक आ रहे पुलिस दल को देखकर वहां छिपे आतंकवादी ने उनके ऊपर गोलीबारी शुरु कर दी जिसमें वे बाल-बाल बच गए लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर उन लोगों ने अब्दुल रशीद शल्लाह के घर की ओर बढ़ना जारी रखा जहां कि कुछ महिलाएं और बच्चे दोनों ओर से गोलीबारी में फंसे हुए थे। सेना के दस्तों द्वारा मजबूत एवं प्रभावी बैक अप गोलीबारी की सहायता से श्री इम्तियाज हुसैन, पुलिस अधीक्षक, सोपोर के नेतृत्व वाले दल ने उस घर में प्रवेश किया और उन्होंने वहां फंसी महिलाओं एवं बच्चों को उस घर के पीछे की खिड़की से बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। तत्पश्चात सेना एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा उस घर को सील कर दिया गया ताकि वहां छिपा आतंकवादी निकल कर भाग नहीं पाए। शुरुआत में आतंकवादी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया और अभियान दल के सदस्यों के ऊपर गोलियां बरसानी शुरु कर

दी। अत्यधिक जोखिम का बहादुरी से मुकाबला करते हुए और अपने जान की परवाह किए बगैर पुलिस अधिकारी लक्षित घर के बेहद नजदीक पहुंच गए और उन्होंने लक्षित घर के प्रांगण के निकट खड़े किए गए महिंद्रा बुलेट प्रूफ रक्षक वाहन के ऊपर से अत्यंत नजदीक से आतंकवादी को गोलीबारी में उलझा दिया। इस गतिविधि से हतोत्साहित होकर आतंकवादी ने पुलिस दल की ओर एक हथगोला फेंका जिसके विस्फोट के कारण श्री इम्तियाज हुसैन, पुलिस अधीक्षक घायल हो गए। अपनी घायल अवस्था की परवाह किए बगैर उक्त अधिकारी ने बहादुरी और सूझ-बूझ का परिचय देते हुए अपने वाहन का स्थान बदल दिया और उस आतंकवादी को गोलीबारी में उलझाए रखा। आतंकवादी को बालकनी के साथ लगे हुए कमरे में छिपे देखकर श्री इम्तियाज हुसैन ने अनुकरणीय बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने सहयोगी अभियान दलों को उन्हें बैकअप कवर फायर देने के लिए कहा।

तत्पश्चात, उक्त अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस दल ने लक्षित घर की दीवार के निकट पहुंचकर वहां छिपे आतंकवादी को बेहद नजदीक से घेर लिया और उसे मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान अब्दुल्ला उनी के रूप में हुई जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार/गोलाबारुद बरामद किया गया। वह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) संगठन का प्रमुख ऑपरेशनल कमांडर था और वह उस क्षेत्र में अनेक हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के साथ-साथ नागरिकों, पुलिस कर्मियों एवं सुरक्षा बलों की हत्या की अनेक वारदातों में शामिल रहा। इस तात्कालिक अभियान में श्री इम्तियाज हुसैन, पुलिस अधीक्षक, सोपोर ने निर्दोष नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के साथ-साथ बहादुरी की उल्लेखनीय भूमिका एवं बंधुत्व भावना का प्रदर्शन किया। उक्त अधिकारी ने उच्च स्तर के नेतृत्व का प्रदर्शन किया और यह सुनिश्चित किया कि उस स्थान पर कोई अतिरिक्त नुकसान न हो।

बरामदगी:

1.	एके-47 राइफल	:	01
2.	एके-47 मैगजीन	:	03
3.	एके राउंड	:	25
4.	चीन में निर्मित पिस्तौल	:	01
5.	पिस्तौल मैगजीन	:	02
6.	पिस्तौल राउंड	:	04

इस मुठभेड़ में श्री इम्तियाज हुसैन मीर, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 13.09.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 132-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. ए.एच. शंकर,
उप कमांडेंट

02. नवीन जी. नायक,
कांस्टेबल

03. बी.डी. प्रदीप,
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 04.09.2012 को दक्षिण कन्नड़ जिले के पल्लीगड़डे में एएनएफ के दल और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी के बाद चलाए गए एक अभियान में श्री ए.एच. शंकर, उप कमांडेंट के नेतृत्व में युवा कांस्टेबलों नवीन नायक तथा बी.पी. प्रदीप एवं अन्य सदस्यों वाले दल ने लगातार दो दिनों तक 20 किमी. के घेरे वाले जंगल के क्षेत्र में सघन तलाशी की। उस समय वहां भारी वर्षा हो रही थी और जल स्रोत लबालब भरे हुए थे। दक्षिण कन्नड़ जिले के पश्चिमी घाट में कठिन भू-भाग से गुजरते समय भारी वर्षा का मुकाबला करते हुए, जल स्रोतों द्वारा उत्पन्न बाधाओं को लांघते हुए और खून चूसने वाली जोंकों एवं भूख से लड़ते हुए इन तीन बहादुर पुलिस कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर विक्रम गौड़ा के नेतृत्व वाले नक्सली दल का सामना किया। कर्नाटक राज्य में कार्यरत यह सर्वाधिक सक्रिय दल है।

वहां के कठिन भू-भाग, मौसम की प्रतिकूल स्थितियां और जंगल की सघनता ऐसी थी कि घटना स्थल पर कोई भी मीडियाकर्मी अथवा सिविल अधिकार कार्यकर्ता (जो कि आन्ध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से आया था) नहीं पहुंच सकता था। किसी विश्वसनीय सूचना के बगैर रात्रि के दौरान बरसात के मौसम में इस प्रकार का अभियान चलाने के बारे में वर्ष 2012 में देश के किसी अन्य राज्य में नहीं सुना गया। गंभीर जोखिम उठाते हुए उन्होंने अभियान चलाया और दल के अन्य सहयोगियों की जान भी बचाई। इस अभियान के कारण एक नक्सल कैंप को खोज निकाला गया जिसमें 8 सदस्य रह रहे थे। इस कैंप से नक्सल साहित्य, एक पिस्तौल, एक टिफिन बॉक्स बम, 1 हथगोला, राशन सामग्री एवं 8 बैग जब्त किए गए। कुल मिलाकर इस अभियान में 3 हथियार, 1 हथगोला, 1 टिफिन बम एवं अनेक कारतूस जब्त किए गए।

दोनों ओर से गोलीबारी के दौरान चेलप्पा नामक एक नक्सली, जो विगत 8 वर्षों से भूमिगत सक्रिय सदस्य था और एसीएम (क्षेत्रीय समिति सदस्य) था, वह कर्नाटक एवं आन्ध्र प्रदेश में प्रमुख नक्सल नेताओं के साथ भी अच्छे संपर्क में था। उसने आईईडी तैयार करने में महारथ हासिल कर रखी थी। इस कार्रवाई में एक और व्यक्ति, जो संभवत: तमिल भाषी था, घायल हुआ और वह अपना

हथियार छोड़कर वहां से भाग निकला। इस बात की पुष्टि करने वाली कोई रिपोर्ट नहीं है कि वह व्यक्ति आज की तारीख में जिंदा है या मर चुका है। आगे की जांच और अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श के दौरान इन तथ्यों का खुलासा हुआ है।

श्री ए.एच. शंकर, उप कमांडेंट और कांस्टेबल नवीन नायक एवं बी.डी. प्रदीप द्वारा चलाया गया अभियान कर्नाटक राज्य में अपनी प्रकृति का पहला और एक अद्वितीय अभियान है। अपनी जान जोखिम में डालकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने नक्सलियों का सामना करने में उन्होंने अनुकरणीय बहादुरी का प्रदर्शन किया है। उनके बहादुरीपूर्ण कार्य ने कर्नाटक राज्य में नक्सलियों के मनोबल को तोड़ा है और कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाटों में नक्सल गतिविधि की मजबूती एवं समर्थन को कम किया है। ऐसा कार्य करके उन्होंने न केवल कर्नाटक राज्य की बल्कि देश की भी महान सेवा की है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री ए.एच. शंकर, उप कमांडेंट, नवीन जी. नायक, कांस्टेबल और बी.डी. प्रदीप, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 04.09.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 133-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. राजेश त्रिपाठी,
पुलिस अधीक्षक

02. शिवेश सिंह बघेल,
उप पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 07.06.2012 को यह सूचना प्राप्त होने पर कि गांव झारी, पुलिस स्टेशन मझगावन के जंगल में जिला फॉरेस्ट नर्सरी में एक खूंखार एवं वांछित डकैत और 40,000 रू. के इनामी राजा मवासी के गिरोह को उनके द्वारा अपहृत व्यक्ति के साथ देखा गया है, रीवा ज़ोन के पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक, ए.जे.के. और प्रभारी पुलिस अधीक्षक, रीवा, राजेश त्रिपाठी तत्काल बल को इकट्ठा कर पुलिस स्टेशन मझगावन पहुंचे, उन्होंने वहां संपूर्ण पुलिस दल को ब्रीफ किया, फिर सभी

आगे बढ़ गए और गांव झारी से 3 कि.मी. पहले ही पुलिस दल ने अपने वाहनों को छोड़ दिया और डकैत गिरोह की ओर पैदल ही चल पड़े।

श्री राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में संपूर्ण पुलिस बल को तीन दलों में विभाजित किया गया, जिसमें से एक का नेतृत्व स्वयं उनके पास था, दूसरे दल का नेतृत्व श्री शिवेश सिंह बघेल के पास था, जबकि तीसरे कट ऑफ दल का नेतृत्व उप निरीक्षक माधव सिंह को सौंपा गया था।

सभी पुलिस दलों ने 5:00 बजे पूर्वाह्न तक घात लगा ली, जिसके उपरांत श्री राजेश त्रिपाठी के निर्देश पर दोनों दल डकैतों के छिपने के संभावित ठिकानों की ओर आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर डकैतों के "संतरी" ने अचानक पुलिस दल को देख लिया और वह गाली-गलौज करने लगा। डकैतों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर पुलिस बल के सदस्यों की हत्या करने के इरादे से पेड़ की आड़ में पोजीशन लेकर उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। दूसरी ओर पुलिस बल के सदस्य झाड़ियों के आस-पास खुले क्षेत्र में पोजीशन ले रहे थे। इसी बीच कांस्टेबल गंगा तिवारी के सिर के ऊपर से एक गोली निकल गई और वे बाल-बाल बच गए। उसके बाद श्री राजेश त्रिपाठी ने आत्मरक्षा में गोलीबारी शुरु की। यह पुलिस एवं डकैतों के बीच बेहद नजदीकी मुठभेड़ थी जो कि लगभग एक घंटे तक चली लेकिन श्री राजेश त्रिपाठी और श्री शिवेश बघेल की अगुवाई वाले पुलिस बल ने अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। इसी बीच कांस्टेबल सुनील तोमर और राजेन्द्र तोमर को गोली लग गई और वे घायल हो गए। श्री राजेश त्रिपाठी और श्री शिवेश बघेल ने घायल कांस्टेबलों का मनोबल बढ़ाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। इसी बीच श्री शिवेश बघेल ने डकैतों के ऊपर गोली चलाई जिसमें एक डकैत नीचे गिर गया और अन्य डकैत नाले में कूद गए और चिल्लाने लगे कि 'अपहृत व्यक्ति को मार दो'। उस तरफ श्री राजेश त्रिपाठी ने अपने दल के साथ डकैतों का पीछा किया लेकिन डकैतों ने गोलीबारी शुरु कर दी जिसमें उप निरीक्षक फूल सिंह गुर्जर बाल-बाल बच गए। उसी समय श्री राजेश त्रिपाठी ने एक डकैत को कांस्टेबल उमेश विश्वकर्मा की ओर निशाना साधते देखा और अपनी सुरक्षा और जान की परवाह किए बिना वे छलांग लगाकर उसके सामने आ गए और उन्होंने चपलतापूर्वक बहादुरीपूर्ण कार्रवाई करते हुए उस डकैत को मार गिराया। तत्पश्चात श्री राजेश त्रिपाठी और श्री शिवेश बघेल ने डकैतों का पीछा किया लेकिन डकैतों ने गोलीबारी शुरु कर दी जिसमें कांस्टेबल मोहम्मद तारिक घायल हो गए और उन्हें श्री राजेश त्रिपाठी एवं श्री शिवेश बघेल द्वारा बचा कर वहां से निकाला गया। उसके बाद दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई जिसमें दो डकैत मारे गए और अपहृत व्यक्ति श्री वीरेंद्र साहू को सुरक्षित मुक्त कराया गया।

दोनों ओर से गोलीबारी लगभग एक घंटे तक जारी रही। मुठभेड़ के पश्चात, घटनास्थल पर चार डकैत मृत पाए गए जिनकी पहचान राजा मवासी, रामनरेश मवासी, नाथू उर्फ नथुआ मवासी और कमलेश मवासी के रूप में की गई। मुठभेड़ स्थल पर मारे गए इन डकैतों के पास से कुल 4 राइफलें, 16 जिंदा कारतूस, 40 खाली खोखे और एक बैग में दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद हुईं। इस मुठभेड़ में पुलिस कर्मियों द्वारा आत्मरक्षा में कुल 47 राउंड गोलियां चलाई गई, जबकि डकैतों की ओर से लगभग 50-60 राउंड गोलियां चलाई गई। राजा मवासी गिरोह ने, जिनके ऊपर 40,000/-रू. का इनाम घोषित था, दिनांक 01.06.2012 को गांव कैलोरा, पुलिस स्टेशनल बरौंधा, जिला सतना के

निवासी वीरेंद्र साहू नाम के एक व्यवसायी का अपहरण छह लाख रू. की फिरौती की मांग की थी। इस घटना ने सतना और रीवा डिवीजन में चारों ओर आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था।

इस भयानक मुठभेड़ में श्री राजेश त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, ए.जे.के. ने अनुकरणीय नेतृत्व एवं कार्रवाई संबंधी असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया, अपने लोगों को सामने रहकर नेतृत्व प्रदान किया, अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के लिए अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर अनुकरणीय बहादुरी का प्रदर्शन किया और अपहृत व्यवसायी की जान बचाने के साथ-साथ खूंखार डकैत को मारकर उल्लेखनीय कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया।

इस भयानक मुठभेड़ में श्री शिवेश सिंह बघेल ने कार्रवाई संबंधी असाधारण कौशल व उल्लेखनीय कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया और अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों की रक्षा करने में अपनी निजी सुरक्षा को जोखिम में डालते हुए अनुकरणीय साहस का भी प्रदर्शन किया। उनका यह कार्य उनकी ड्यूटी से कहीं अधिक था।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री राजेश त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक और शिवेश सिंह बघेल, उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 07.06.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 134-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. विपिन कुमार माहेश्वरी,
पुलिस महानिरीक्षक

02. धर्म वीर सिंह,
अपर पुलिस अधीक्षक

03. संदेश कुमार जैन,
उप पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन और सिमी के आठ खूंखार एवं दुस्साहसी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से तीन को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आसूचना ब्यूरो द्वारा

परिचालित आईएम/सिमी के भगोड़े आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया था और वे वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल धमाके के मामलों में वांछित थे। वे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में पुन: संगठित हो रहे थे और अपनी गतिविधियां चला रहे थे और न सिर्फ संपूर्ण देश में अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ, बल्कि, भारत से बाहर भी विभिन्न संगठनों के संपर्क में थे।

मार्च, 2008 में सफदर नागौरी के नेतृत्व वाले शीर्ष सिमी कैडर की गिरफ्तारी इस प्रतिबंधित संगठन के लिए बड़ा धक्का था। आईएम/सिमी माड्यूल के सदस्यों ने एटीएस मध्य प्रदेश को हतोत्साहित करने और अपने कैडर के मनाबेल को बढ़ाने के लिए 28 नवम्बर, 2009 को एसटीएस, खंडवा यूनिट के कांस्टेबल सीताराम की हत्या कर दी। कांस्टेबल को गोली मारकर भागते समय आतंकवादियों ने दो अन्य नागरिकों की भी हत्या कर दी। अभियान को लगे इस बड़े धक्के के बावजूद, पुलिस दल हतोत्साहित नहीं हुआ, बल्कि, उन्होंने भगोड़े आतंकवादियों की तलाश करने का दृढ़ निश्चय किया। दिनांक 3 जून, 2011 को इस माड्यूल के साथ गोलीबारी में कांस्टेबल शिव प्रताप मारे गए, जबकि उप निरीक्षक मनीष और कांस्टेबल जितेंद्र घायल हो गए।

कांस्टेबल सीताराम की हत्या हो जाने के बाद, मध्य प्रदेश पुलिस ने योजना बनाकर अपनी संपूर्ण रणनीति की समीक्षा की और उन्होंने न केवल अनेक बम धमाकों के दोषी प्रमुख फरार आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए, बल्कि आईएम/सिमी की संगठन क्षमता को अक्षम बनाने के लिए भी 'ऑपरेशन विजय' नामक एक संकेंद्रित अभियान शुरु करने का निर्णय किया। श्री धर्म वीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, आपरेशन्स, एटीएस और श्री संदेश जैन, उप पुलिस अधीक्षक, एटीएस की सहायता से श्री विपिन माहेश्वरी, पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस, मध्य प्रदेश को इस खतरनाक माड्यूल के सदस्यों को गिरफ्तार करने की जिम्मेवारी सौंपी गई। इस दल ने पूछताछ के उपलब्ध रिकार्डों, आसूचना रिपोर्टों एवं एटीएस के पास उपलब्ध आंकड़ों का गहन परीक्षण किया और प्रतिबंधित संगठन के भीतर मानव आसूचना विकसित करने की योजना बनाई। इस दल ने एक वर्ष से अधिक समय तक एकत्र की गई छोटी-छोटी सूचना को आपस में जोड़ने के लिए उच्चतर स्तर के पेशेवर दृष्टिकोण, धैर्य एवं श्रमसाध्य प्रयासों का प्रदर्शन किया।

यह दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आईएम/सिमी के सक्रिय सदस्य एक लोकप्रिय हिंदू नेता एवं एक पुलिस मुखबिर की हत्या के षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए दिनांक 5 जून, 2011 को जबलपुर में शिफा मेडिकल स्टोर नामक आतंकवादियों के किराए के एक गुप्त ठिकाने पर इकट्ठा होने वाले हैं। आतंकवादियों के अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर आने की भी खबर थी। अपर महानिदेशक, आसूचना से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात, श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस, मध्य प्रदेश ने आईएम/सिमी के कार्यकर्ताओं को पकड़ने की अत्यंत सतर्कतापूर्ण योजना बनाई। योजना को कार्यान्वित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, एटीएस, धर्मवीर सिंह को जबलपुर कूच करने का निर्देश दिया गया। दल की अगुवाई करने वाले अधिकारियों से विचार-विमर्श करने के पश्चात, पुलिस अधीक्षक, एटीएस ने अत्यंत सतर्कतापूर्ण योजना बनाई जिसमें छापेमारी के समय एवं तरीके पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि वह एक घनी मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है जहां चौबीसों घंटे लोगों की गतिविधि जारी रहती है। इसमें विशेष सावधानी बरती गई क्योंकि दोनों ओर से गोलीबारी होने पर लोगों के जान-

माल का भारी नुकसान हो सकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए, किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति से निपटने के लिए दल के सदस्यों को बुलेट प्रूफ जैकेटों और ऑटोमैटिक हथियारों से लैस रखा गया था। पुलिस दल, पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस, श्री विपिन कुमार माहेश्वरी के निरंतर संपर्क में था, जो कि संपूर्ण अभियान का पर्यवेक्षण एवं समन्वय कर रहे थे। बुद्धिमानी से तैयार की गई योजना के तहत दक्षतापूर्वक की गई छापेमारी से आतंकवादियों को प्रतिक्रिया का कोई मौका ही नहीं मिला, हालांकि, उन्होंने अपनी पिस्तौलें निकाल कर पुलिस दल के ऊपर हमला करने की हर संभव कोशिश की। चपल एवं बेहतर समन्वयपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप आईएम/सिमी माड्यूल के चार घातक आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। उनमें से अधिकांश के पास भरे हुए हथियार थे। यदि उन्हें जरा सा भी मौका मिला होता, तो वे निश्चित रूप से हमला करके कुछ पुलिस अधिकारियों की हत्या कर देते, जैसा कि वे पहले कर चुके थे।

शुरुआती पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार आतंकवादियों ने बताया कि उनके प्रमुख, अबू फैसल और आईएम/सिमी माड्यूल के तीन अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी जन शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल के लिए रवाना होने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस अधीक्षक, एटीएस धर्म वीर सिंह ने पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस, श्री वी.के. माहेश्वरी को सूचित किया और उपयुक्त निर्देश प्राप्त होने के बाद, वे अपने दल के साथ जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार हो गए।

पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस, श्री वी.के. माहेश्वरी को पुलिस अधीक्षक, एटीएस द्वारा चार आतंकवादियों के ट्रेन में मौजूद होने की पुष्टि की गई। ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस ने स्वयं अभियान की अगुवाई करने का निर्णय लिया। आतंकवादियों को प्लेटफार्म से बाहर निकलते समय पकड़ने का निर्णय लिया गया। पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस, श्री वी.के. माहेश्वरी के नेतृत्व एवं नजदीकी पर्यवेक्षण में एक दल तैयार किया गया, जिसमें उप पुलिस अधीक्षक, संदेश जैन एवं अन्य सदस्य थे, जबकि पुलिस अधीक्षक, एटीएस, धर्म वीर सिंह के नेतृत्व में दूसरा दल पहले से ही ट्रेन में उनका पीछा कर रहा था।

पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस के नेतृत्व वाले दल ने यात्रियों के भेष में स्टेशन पहुंच कर ट्रेन के आगमन वाले संपूर्ण प्लेटफार्म का गहन सर्वेक्षण किया। दल के सदस्यों को पुन: इकट्ठा कर उन्हें विशेष कार्य सौंपा गया। ट्रेन के आगमन के पश्चात चारों अभियुक्त बहुत तेजी से प्लेटफार्म से बाहर निकलने लगे। पुलिस अधीक्षक, एटीएस ने अन्य दलों को संकेत द्वारा आतंकवादियों की पहचान बता दी। पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस, श्री वी.के. माहेश्वरी ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए एवं अनुकरणीय नेतृत्व तथा बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए बेहद नजदीक से उनका पीछा करना शुरु कर दिया और सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही आतंकवादी प्लेटफार्म से बाहर आए और भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम बूथ के पास टैक्सी के लिए प्रतीक्षा करने लगे, उन्होंने अपने दलों को आतंकवादियों को दबोचने का संकेत दिया। पुलिस अधीक्षक, एटीएस ने आतंकवादियों के गुट के सरगना अबू फैसल को रोकने का प्रयास किया और उसे अपनी पुलिस की पहचान बताकर चुनौती देते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन इस पर उस खूंखार आतंकवादी ने पुलिस दल के ऊपर गोली चलाने के लिए अपना हथियार बाहर निकालने की कोशिया की। उन्होंने इससे विचलित हुए बगैर अपने दल के साथ उस आतंकवादी का बहादुरीपूर्वक सामना किया और उसे गोली चलाने का कोई मौका दिए बगैर अंतत: उसे

पकड़ लिया। इसी बीच उप पुलिस अधीक्षक, संदेश जैन की अगुवाई वाले दल द्वारा अजाजुद्दीन, शेख महबूब एवं शेख इकरार नामक तीन आतंकवादियों को पकड़ लिया गया। अबू फैसल, शेख इकरार, शेख महबूब और अजाजुद्दीन नामक सभी चार आतंकवादियों को उसी स्थान पर घातक हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस बल ने अत्यंत बहादुरी एवं साहस के साथ अपनी योजना को कार्यान्वित किया। खून की एक भी बूंद बहाए बगैर उन्होंने सभी 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। यह धैर्य, बहादुरी, दलगत कार्य एवं कौशल का एक अनूठा उदाहरण है। यदि ऐसे दुर्दांत आतंकवादी नहीं पकड़े जाते तो, वे देश की एकता के लिए खतरा बन जाते। यदि उन्हें मार दिया जाता, तो यह ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। आतंकवादियों से प्राप्त जानकारी से उनके संगठन, भावी रणनीति, हूजी एवं तालिबान के साथ उनके गठजोड़, उनके राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क, संचार माध्यमों, भावी लक्ष्यों, उनके प्रशिक्षण शिविरों का पता चला है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने की रणनीति की योजना बनाने में बहुत लाभप्रद होगा। उनसे की गई पूछताछ से प्राप्त आसूचना के परिणामस्वरूप खंडवा में सिमी के 21 कार्यकर्ताओं और रतलाम में 5 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, जबकि, गुजरात पुलिस द्वारा दानिश नामक आईएम के एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की गई।

इस अभियान में श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस, मध्य प्रदेश, श्री धर्म वीर सिंह, पुलिस अधीक्षक, आपरेशन्स, एटीएस एवं श्री संदेश जैन, उप पुलिस अधीक्षक, एटीएस ने अपनी जान को जोखिम में डाल कर अनुकरणीय साहस, बहादुरी एवं असाधारण कर्तव्यपरायणता का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। यह एक युद्ध जैसी स्थिति थी जहां कि खून की एक भी बूंद बहाए बगैर अत्याधुनिक हथियारों से लैस शीर्ष वांछित आतंकवादियों को सार्वजनिक स्थान पर पकड़ा गया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, पुलिस महानिरीक्षक, धर्म वीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक और संदेश कुमार जैन, उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 05.06.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 135-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. रविन्द्र यलगोन्डा नुल्ले,
नायक

02. अबुबाकर अब्दुलगनी शेख,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 14.02.2011 को आईपीसी की धारा 392, 34 और भारतीय आयुध अधिनियम की धारा 25(1) (3) के अंतर्गत अपराध संख्या 11/2011 के तहत तीन अज्ञात अपराधियों के खिलाफ शिरोली एमआईडीसी पुलिस स्टेशन, जिला कोल्हापुर में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

दिनांक 17.02.2011 को शिरोली एमआईडीसी पुलिस के जांच दल ने दो कुख्यात अपराधियों को पकड़ा। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि उपर्युक्त अपराध में राजेन्द्र शिवाजी बाबर, निवासी गांव किकाली, जिला सतारा मास्टर माइन्ड और मुख्य अभियुक्त था। 1) पुलिस नायक रविन्द्र नुल्ले, 2) पुलिस नायक जयकुमार डिन्डे, 3) पुलिस कांस्टेबल अबुबाकर शेख, और 4) पुलिस कांस्टेबल उदय सातम वाले जांच दल ने पंढ़रपुर (जिला सोलापुर) और संगमनेर (अहमदनगर) सहित अनेक स्थानों पर उसकी तलाश की थी।

सूचना के आधार पर, दिनांक 19.02.2011 को उपर्युक्त दल ने अकोला नाका, संगमनेर में जाल बिछाया। लगभग 1930 बजे उक्त दल ने अपनी ओर आती हुई टीएन-02-एए-8962 नम्बर वाली एक सिल्वर कलर की फोक्सवैगन जेट्टा कार देखी। दल ने संदिग्ध कार को रुकने का आदेश दिया। पकडे जाने के डर से अभियुक्त ने तुरंत भरी हुई रिवाल्वर निकाली और जांच दल को निशाना बनाया। पीएन रविन्द्र नुल्ले और पीसी अबुबाकर शेख, दोनों ने अदम्य साहस और सूझ-बूझ कर प्रदर्शन करते हुए, अपनी जान को असन्न खतरे की परवाह न करते हुए, अभियुक्त के ऊपर कूद पड़े। पीएन रविन्द्र नुल्ले ने अपने हाथ की मजबूत पकड़ के साथ अभियुक्त की गरदन को पकड लिया। उसी समय अबुबाकर शेख तेजी से अभियुक्त की ओर कूदा और उसके हाथ से भरी हुई रिवाल्वर छीन ली। इस घटना में पुलिस नायक रविन्द्र नुल्ले का बाया हाथ गंभीर रुप से घायल हो गया।

घटना स्थल की तलाशी के दौरान एक हंसिया, एक चाकू, 49000/-रु. नगद, एक और देशी रिवाल्वर, उक्त अपराध में चुराया गए मोबाइल और कार बरामद हुए। पूछताछ के दौरान, यह पता चला कि अभियुक्त ने महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज 88 अपराध किए थे।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री रविन्द्र यलगोन्डा नुल्ले, नायक और अबुबाकर अब्दुलगनी शेख, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19/02/2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 136-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. भीमदेव बालचन्द्र राठोड़,

वरिष्ठ निरीक्षक

02. संजय मारुति मोरे,

उप निरीक्षक

03. संजय मानिकराव भापकर,

उप निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 13.08.2010 को मुम्बई में सक्रिय रवि पुजारी गैंग का आनंद ए. डांगले नामक एक कुख्यात गैंगस्टर फ्लैट नम्बर 601, 6वीं मंजिल, आरबीआई क्वॉटर के पीछे कावेरी बिल्डिंग, चेम्बूर, मुम्बई-71 में स्थित श्री विजय बी. भाटिजा के फ्लैट में जबरदस्ती घुसा। घर में घुसने के बाद उसने घर में उपस्थित व्यक्तियों, नामत: 1. श्री लक्ष्मण भाटिजा, 2. श्री विजय भाटिजा, 3. श्रीमती बिन्दु लक्ष्मण भाटिजा, 4. श्री अर्जुन एल. भाटिजा और 5. नौकरानी, सोनी गायकवाड़ को बन्दूक की नोक पर बन्धक बना लिया और 25 लाख रु. की मांग की तथा उसे तुरंत रुपए न दिए जाने पर जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में मुम्बई पुलिस आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत चेम्बूर पुलिस स्टेशन में आयुध अधिनियम की धारा 3,25 के साथ पठित आईपीसी की धारा 307, 342, 347, 353 के तहत अपराध संख्या 388/10 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को घटना की सूचना भाटिजा परिवार के संबंधी और पड़ोसी से मिली और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री बी.बी. राठोड़, पुलिस निरीक्षक श्री संजय मोरे और उप पुलिस निरीक्षक श्री संजय बापकर के नेतृत्व में तुरंत हरकत में आई। ये सभी चेम्बूर पुलिस स्टेशन में तैनात हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में यह घटना स्थल आता है।

अपराध स्थल पर पहुंचने पर श्री राठोड़, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने पुलिस दलों को हमला पार्टी, बैकअप पार्टी और कटऑफ पार्टी नामक तीन समूहों में बांटा और उन्हें युक्ति पूर्वक तैनात किया। हमला पार्टी में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, राठोड़, पुलिस निरीक्षक, मोरे और उप पुलिस निरीक्षक भापकर तथा अन्य कार्मिक शामिल थे। स्थल पर पहुंचने पर हमला टीम ने रणनीतिक रुप से क्षेत्र को घेर लिया और गैंगस्टर के साथ बातचीत आरंभ की।

तथापि, डाकू पर कोई असर नहीं हुआ। पुलिस पार्टी की सलाह को मानने के बजाय उसने अपनी मांग को तुरंत पूरा न किए जाने पर बन्धकों को मारने की धमकी दी। वर्तमान स्थिति से पैदा हुए खतरे को भांपकर, हमला पार्टी डाकू का ध्यान बांटने में सफल रही जिससे एक बंधक, श्री विजय भाटिजा को मुख्य द्वार खोलने का मौका मिल गया। तथापि, इसका आभास होने पर गैंगस्टर दो बन्धकों के साथ मास्टर बेडरुम में गया और पिस्टल तथा चाकू द्वारा उन्हें धमकाता रहा और अंदर से

दरवाजा बंद कर दिया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राठोड़, पुलिस निरीक्षक मोरे और पुलिस उप-निरीक्षक भापकर के नेतृत्व वाली हमला पार्टी ने अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया और मास्टर बेडरुम का दरवाजा तोड़ दिया तथा उसमें घुस गयी। गैंगस्टर ने काफी नजदीक से उन पर अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी। दल ने रणनीतिक स्थिति अपनाई और जवाबी गोलीबारी करके गैंगस्टर को घायल कर दिया। दोनों ओर से गोलीबारी में गैंगस्टर गंभीर रुप से घायल हो गया था। जैसे ही वह घायल हुआ, पुलिस दल, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राठोड़, पुलिस निरीक्षक मोरे और उप पुलिस निरीक्षक भापकर ने उसे तुरंत दबोच लिया और मेडिकल उपचार हेतु उसे राजाबाडी अस्पताल ले गए। भर्ती करने से पहले उसे मृत घोषित कर दिया गया था। उसके द्वारा कमरे में रखे गए दो बन्धकों को सुरक्षित बचा लिया गया था।

इस प्रकार, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बी.बी. राठोड़, पुलिस निरीक्षक एस.एम. मोरे और उप पुलिस निरीक्षक एस.एम. भापकर ने अपनी सुरक्षा और जान को आसन्न संकट में डालकर अत्यधिक खतरनाक और गंभीर स्थिति में अनुकरणीय साहस, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और समर्पण, सूझबूझ, रणनीति समझ और महान पराक्रम का प्रदर्शन किया। एक पिस्तौल, तीन जिन्दा कारतूस, पिस्तौल की तीन खाली गोलियां और चाकू बरामद किए गए थे।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री भीमदेव बालचन्द्र राठोड़, वरिष्ठ निरीक्षक संजय मारुति मोरे, उप-निरीक्षक और संजय मानिकराव भापकर, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 13/08/2010 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 137-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. विशाल हीरालाल ठाकुर,
उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी

02. कैलाश जयवंत टोकले,
उप निरीक्षक

03. अंकुश शिवाजी माने,
उप निरीक्षक

04. दिनकर कोमती टिम्मा,
हेड कांस्टेबल

05. शामनदास जयराम उइके,
हेड कांस्टेबल

06. रामा वत्ते कुडयामी,
नायक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 03.04.2013 को भामरागढ़ डिवीजन के नेलगुंडा, भाटपर जंगल क्षेत्र में नक्सलियों के मौजूद होने के संबंध में मुखबिर से सामान्य सूचना प्राप्त हुई कि वे उस जंगल में गांव वालों की बैठक आयोजित कर सकते हैं। इसके आधार पर तीन सी-60 पार्टियों (दलों) अर्थात अपने 27 कार्मिकों के साथ दिनकर टिम्मा, अपने 20 कार्मिकों के साथ शामनदास उइके, अपने 27 कार्मिकों के साथ रामा कुडयामी और एओपी धोदराज के पीएसआई कैलास टोकले, क्यूआरटी भामरागढ़ के पीएसआई अंकुश माने तथा 2 और कार्मिकों के साथ एसडीपीओ भामरागढ़, श्री विशाल ठाकुर के नेतृत्व में नक्सल-रोधी कार्रवाई की गई। दिनांक 03.04.2013 को पुलिस पार्टी ने मुरांगल, नेलगुंडा, गरेवाड़ा जंगल क्षेत्र की तलाशी ली और नेलगुंडा जंगल क्षेत्र में डेरा डाला।

दिनांक 04.04.2013 को 05.00 बजे पुलिस पार्टी ने गांव भाटपर के दक्षिण की ओर स्थित जंगल क्षेत्र में तलाशी की कार्रवाई आरंभ की। इस प्रयोजन के लिए उन्हें दो समूहों में बांटा गया, पहला समूह एसडीपीओ विशाल ठाकुर के नेतृत्व में था जिसमें पीएसआई कैलाश टोकले और सी-60 पार्टी के कमांडर-दिनकर टम्मा और रामा कुडयामी थे। दूसरा समूह सी-60 पार्टी के कमान्डर शामनदास उइके के साथ पीएसआई अंकुश माने के नेतृत्व में था। जब पार्टी इन्द्रावती नदी जंगल क्षेत्र के पास तलाशी कर रही थी तो नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी आरंभ कर दी। जैसे ही गोलीबारी आरंभ हुई, एसडीपीओ विशाल ठाकुर ने अपनी पार्टी को कवर लेने और नीचे लेटने के लिए कहा, इस प्रकार उन्होंने नक्सलियों की गोलीबारी से अपनी पार्टी को बचाने में सहायता की। जब नक्सलियों से गोलीबारी आरंभ हुई तो आगे वाली पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में जवाबी गोलीबारी की। नक्सलियों ने गंदी भाषा में चिल्लाना आरंभ कर दिया और पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध और भारी गोलीबारी आरंभ कर दी। इस महत्वपूर्ण समय पर पहले समूह के एसडीपीओ विशाल ठाकुर, पीएसआई कैलाश टोकले और सी-60 पार्टी के कमांडर दिनकर टिम्मा तथा रामा कुडयानी दांयी ओर से कवर फायर के साथ नक्सलियों की ओर आगे बढ़े तथा सी-60 पार्टी के कमांडर शामनदास उइके के साथ पीएसआई अंकुश माने की दूसरी पार्टी ने बांयी ओर से नक्सलियों पर गोलीबारी करके कवर प्रदान किया। पुलिस कार्मिकों की यह गतिविधि काफी खतरनाक थी क्योंकि नक्सली उनके काफी करीब थे, वे अपने शरीर और सिर के पास से गुजरती गोलियों को महसूस कर सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने साथी पुलिस कर्मियों की जान बचाने के लिए हमले का सामना किया। यह गतिविधि इतनी सहज थी कि जैसे ही नक्सलियों की ओर से गोलीबारी आरंभ हुई, वे नक्सलियों की गोलीबारी की दिशा में दौंडे और क्षणभर में ही जवाबी गोलीबारी की जिससे कुछ नक्सली मारे गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए पुलिस कर्मियों द्वारा की गई पहल ने साथी पार्टी कर्मियों को प्रेरित किया और उन्होंने भी विभिन्न दिशाओं और स्थितियों से

आक्रमक रुप से गोलीबारी आरंभ कर दी और इस आक्रमण से नक्सलियों में भगदड मच गई और वे घने बांस के जंगल का फायदा उठाकर दूर भागने लगे। घटनास्थल की कुशलतापूर्वक तलाशी करने के पश्चात पार्टी ने नक्सलियों के 5 शव (3 पुरुष और 2 महिलाएं,) एक .303 राइफल, एक मस्कट राइफल, छह भारमर राइफलें, सफेद तार के साथ 6 डेटोनेटर, तार का एक बंडल, कपडे और बिस्तर की सामग्री के साथ 5 पिट्ठू, टार्च, नक्सली साहित्य, दवाई और रोजमर्रा के उपयोग वाली सामग्री बरामद की।

इस कार्रवाई से मिसाल कायम हुई और गढ़चिरोली तथा महाराष्ट्र पुलिस के लिए मनोबल बढ़ाने वाली थी। यह सफलता विशाल ठाकुर, एसडीपीओ, पीएसआई अंकुश माने, पीएसआई कैलाश टोकले, सी-60 पार्टी के कमांडर दिनकर टिम्मा, रामा कुडयामी और शामनदास उइके द्वारा प्रदर्शित असाधारण साहस, कुशल नेतृत्व, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और उत्कृष्ट पराक्रम के कारण संभव हुई। पुलिस कर्मियों द्वारा प्रदर्शित निडर साहस, दृढ़संकल्प एवं, दृढ़ता, आने वाले समय में पुलिस विभाग के लिए एक प्ररेणा के रुप में कार्य करेगी।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री विशाल हीरालाल ठाकुर, उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी, कैलाश जयवंत टोकले, उप-निरीक्षक, अंकुश शिवाजी माने, उप-निरीक्षक, दिनकर कोमती टिम्मा, हेड कांस्टेबल, शामनदास जयराम उइके, हेड कांस्टेबल और रामा वत्ते कुडयामी, नायक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 04/04/2013 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 138-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. प्रभुदास पांडुरंग दुग्गा,
हेड कांस्टेबल

02. वसंत सीताराम खटेले,
उप निरीक्षक

03. प्रशांत रामचन्द्र काम्बले,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 24.11.2012 को आसूचना संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर, पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) द्वारा जारी आदेशों और निदेशात्मक अनुदेशों के अनुसार, पार्टी कमांडर प्रभुदास दुग्गा और पार्टी कमांडर विनोद हिचामी का दल गढ़चिरोली से रवाना हुआ और आधी रात को गांव-घोट पहुंचा। इसके बाद,क्यूआरटी दल घोट अपने अधिकारियों अर्थात परिवीक्षाधीन एएसआई खटेले और परिवीक्षाधीन एएसआई काम्बले के दल में उनके साथ शामिल हो गया। दिनांक 25.11.2012 को लगभग 04.00 बजे घोट से प्रस्थान करने के बाद, इन दलों को गांव मकछली के निकटवर्ती जंगल क्षेत्रों में छोड़ा दिया गया। नक्सल-रोधी कार्रवाई के दौरान, कोटरी और मुधोली के जंगल क्षेत्रों से गुजरने के बाद, वे गांव-अबापुर के पूर्व की ओर वाले जंगल क्षेत्रों में पहुंचे। सुबह लगभग 09.00 बजे जब वे कार्रवाई कर रहे थे तो जंगल क्षेत्र में घात लगाकर बैठे हथियारबंद नक्सलियों ने उन्हें मारने और उनके अग्नेयास्त्र छीनने के इरादे से अचानक पुलिस दलों पर गोलीबारी की। अचानक पैदा हुई इस आपात स्थिति में, पार्टी कमान्डर प्रभुदास दुग्गा ने पुलिस कर्मियों को जमीन पर उपलब्ध रक्षात्मक कवर लेने के लिए कहा। तदनुसार, पुलिस दलों ने भी नक्सलियों पर जवाबी गोलीबारी की। इसी बीच, पुलिस कांस्टेबल प्रफुल्ल चिताले, पुलिस कांस्टेबल महेन्द्र कुलेती और पुलिस कांस्टेबल गणेश मोहुरले को नक्सली गोलीबारी के आरम्भिक समाघात के दौरान स्प्लिन्टर से चोट लगी। भू-क्षेत्र की अनुकूल स्थिति का पहले से ही लाभ उठाने और पुलिस को पहुंचाई गई क्षति के कारण नक्सलियों की शुरुआती पकड़ के बावजूद हेड कांस्टेबल प्रभुदास दुग्गा, परिवीक्षाधीन पीएसआई खटेले और परिवीक्षाधीन पीएसआई काम्बले ने अपनी जवाबी कार्रवाई के निरंतर प्रयासों और साहसिक समन्वय के माध्यम से पुलिस दलों के मनोबल को बढ़ाया। एक पेड़ का कवर लेकर गोलीबारी करती एक महिला नक्सली का पता लगने पर तीनों ने उसी दिशा में लगातार भारी गोलीबारी करके उसे निशाना बनाया। पुलिस दलों के अधिक नियंत्रण का अंदाजा होने पर नक्सली घने जंगलों का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। नक्सलियों की ओर से गोलीबारी रुकने पर तीनों ने क्षेत्र की घेराबंदी की और उचित रुप से क्षेत्र की तलाशी करते हुए हमला होने की दिशा की ओर बढ़े। तलाशी के दौरान कंधे पर लटकी 12 बोर की राइफल और कारतूस की एक थैली के साथ एक महिला नक्सली का शव, 12 बोर की राइफल के 15 जिन्दा कारतूस वाला एक ट्रंक, 2 क्लेमोर डिब्बों सहित अन्य नक्सली सामग्री, 6 कम्बल, 6 स्वेटर, 6 प्लास्टिक तिरपाल, दवाई किट बॉक्स और अन्य विविध नक्सली सामग्री घटना स्थल पर इधर-उधर पड़ी देखी गई। बाद में मृतक नक्सली की पहचान रिक्की लेकामी, उम्र-25 वर्ष, पोटेगांव नक्सल दलम के एक सक्रिय सदस्य के रुप में हुई।

चूंकि तीनों ने प्राप्त आसूचना पर तुरंत कार्रवाई की, मुठभेड़ के आरंभिक चरण में चोट लगने के बावजूद हार न मानने वाली भावना के साथ साहसपूर्वक जवाब दिया और पहले से ही वन भूमि के अनुकूल स्थानों पर मौजूद नक्सलियों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए धैर्य के साथ दक्षतापूर्वक हमले को समन्वित किया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री प्रभुदास पांडुरंग दुग्गा, हेड कांस्टेबल, वसंत सीताराम खटेले, उप निरीक्षक और प्रशांत रामचन्द्र काम्बले, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 25/11/2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 139-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01.	विश्वास नारायण नांगरे पाटिल, उप पुलिस आयुक्त	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
02.	दीपक नरसू ढोले, निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
03.	नितिन दिगम्बर काकडे, उप निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
04.	अमित रघुनाथ खेतले, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
05.	अरुण सरजेराव माने, नायक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
06.	अशोक लक्ष्मण पवार, नायक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
07.	सौदागर निवरुत्ती शिन्दे, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 26 नवम्बर, 2008 की रात को सुप्रशिक्षित दस खतरनाक आतंकवादियों ने छह अलग-अलग स्थानों पर मुम्बई महानगर पर हमला किया। आतंकवादियों के हथियारों की तुलना में कम हथियारों से लैस मुम्बई सिटी पुलिस ने फिर भी डटकर मुकाबला किया और जो पुलिस तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों के साथ 59 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में उनमें से नौ आतंकवादी मारे गए और एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया गया। ये आतंकवादी देश के विरुद्ध युद्ध करने के एक मात्र उद्देश्य के साथ एके-47, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और आरडीएक्स जैसे घातक ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे। उन्होंने 183 सिविलियनों और पुलिस सहित 20 सुरक्षा कर्मियों को मारा और लगभग 300 सिविलियनों/पुलिस

बलों को गंभीर रूप से घायल किया जिससे शहर में अराजकता और अव्यवस्था पैदा हो गई। होटल लियोपोल्ड में 9 व्यक्ति मारे गए और दो पुलिसकर्मियों सहित 19 व्यक्ति घायल हुए, जबकि होटल ताज में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन सहित 34 व्यक्ति मारे गए और 7 पुलिसकर्मियों सहित एसआरपीएफ का एक कांस्टेबल और 34 व्यक्ति घायल हुए।

दिनांक 26 नवम्बर, 2008 को लगभग 21.40 बजे दस सुप्रशिक्षित खतरनाक आतंकवादियों ने सी.एस.टी. रेलवे स्टेशन के अंदर एके-47 से अंधाधुंध और उन्मत्त गोलीबारी की। अन्य दो आतंकवादी होटल ऑबरॉय में घुसे। उसी समय छह आतंकवादी कोलाबा की ओर गए और इनमें से दो प्रशिक्षित आतंकवादी कोलाबा के नरीमन हाउस में घुसे। उनमें से दो ने उसी तरह होटल लियोपोल्ड में अंधाधुंध और उन्मत्त गोलीबारी की और इसके बाद वहां अपने शेष दो सहयोगियों के साथ शामिल होने के लिए होटल ताज गए। होटल ताज जाने से पहले उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया के निकट होटल के चारों ओर दो शक्तिशाली आरडीएक्स बम भी लगा दिए।

होटल ताज में, चार आतंकवादियों ने तत्पश्चात अपनी अंधाधुंध गोलीबारी जारी रखी और निर्दोष लोगों पर ग्रेनेड फेंके। डीसीपी, जोन-I के दल द्वारा होटल में प्रवेश करने और तुरंत कार्रवाई करने तथा आकस्मिक जवाबी हमले और आतंकवादियों पर गोलीबारी से उनमें से एक आतंकवादी घायल हो गया, जिससे आतंकवादी आत्मरक्षा की स्थिति में आ गए। दलों ने डेढ़ घंटे तक होटल ताज के लगभग सभी तलों पर आतंकवादियों का पीछा किया, उनकी स्वतंत्र आवाजाही को बाधित किया और सैंकडों लोगों की जान बचाई। बाद में सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मॉनीटरिंग और द्वितीय तल से दोनों ओर से गोलीबारी से पुराने ताज के छठे तल पर अगले तीन घंटों तक हमलावरों की गतिविधियों को रोका जा सका। इस पुलिस दल द्वारा कड़े प्रतिरोध से आतंकवादी अवरुद्ध और असमर्थ हो गए तथा विभिन्न हॉलों, कमरों, चैम्बरों और रेस्टोरेंट से 500 से अधिक निर्दोष लोगों को भी बचाया जा सका और नए ताज में आतंकवादियों के प्रवेश को रोका जा सका। सम्पूर्ण कार्रवाई के दौरान दल ने अत्यधिक प्ररेणा और प्रतिबद्धता के साथ स्वेच्छा से अपनी जान को जोखिम में डाला।

<u>व्यक्तिगत भूमिका</u>

1. <u>श्री विश्वास नांगरे पाटिल, डीसीपी, जोन-I, मुम्बई</u>

दिनांक 26.11.2008 को, चार आतंकवादियों ने 21.40 बजे एके-47 बंदूकों, ग्रेनेडों और आरडीएक्स के आईईडी से होटल ताज पर हमला किया। विश्वास नांगरे पाटिल, तत्कालीन डीसीपी जोन-I 21.47 बजे अपने रेडियो ऑपरेटर (आरटीपीसी) खेतले के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हुए और 7 मिनट में ताज पहुंच गए। ताज में, उन्होंने ताज के सुरक्षा प्रमुख, सुनील कुडियाडी को साथ लिया और दूसरी मंजिल पर पहुंचे तथा देखा कि तीन आतंकवादी ऊपरी मंजिल की ओर जा रहे हैं। उन्होंने अपनी ग्लोक पिस्टल से तीन गोलियां चलाई (सीसीटीवी रिकार्ड के अनुसार 22.02 बजे), जिसमें से एक गोली एक आतंकवादी के पैर में लगी।

हथियारबंद आतंकवादियों से गंभीर खतरे को देखते हुए, जब आतंकवादियों ने एके-47 से हमला किया तो उन्होंने दीवार में लगी सामान रखने की एक पटिया के पीछे कवर लिया। उन्होंने श्री कुडियाडी के साथ साउथ विंग की 6वीं, 5वीं, चौथी और तीसरी सभी मंजिलों की पूरी तलाशी की। संयोगवश जब

वे तलाशी कर रहे थे, तब आतंकवादी नार्थ विंग की तीसरी मंजिल पर थे (जैसाकि बाद में सीसीटीवी रिकाडिंग में देखा गया)। वे निचली मंजिल पर आए और रायल स्टेयरकेस पर पहुंचे, जब आतंकवादियों ने उनके दल पर एक ग्रेनेड फेंका। जवाबी कार्रवाई में, विश्वास नांगरे पाटिल ने आतंकवादियों को रोकने के लिए ऊपर की ओर दो गोलियां चलाई।

तब उन्होंने एसआरपीएफ के दो कांस्टेबलों, राहुल शिन्दे और समाधान मोरे को बुलाया और पुराने ताज की नार्थ विंग की 6ठी मंजिल की ओर दौड़े। दल ने पूरी मंजिल की तलाशी की लेकिन उन्हें आतंकवादी नहीं मिले। इसलिए उन्होंने उपलब्ध कर्मियों के साथ सभी रास्ते बंद कर दिए और तब वे स्थल पर पहुंचे और कंट्रोल रूम से हमला दल भेजने के लिए कहा।

विश्वास नागरे पाटिल और उनके दल ने आतंकवादियों की आवाजाही से इस दृश्य के मूल्यांकन के आधार पर आतंकवादियों के रास्तों को बंद कर दिया। आतंकवादियों ने दस लोगों को बंधक बना लिया था। जब भी आतंकवादियों ने बंधकों के साथ नीचे आने की कोशिश की, तब उन्होंने और राजधर्वन ने दूसरी मंजिल से जवाबी गोलीबारी की। 03.00 बजे तक प्रभावी जवाबी कार्रवाई करके उन्होंने आतंकवादियों की नीचे नहीं आने दिया। इस अंतराल के दौरान ताज प्रबंधन ने इंटरकाम और मोबाइल पर मेहमानों का मार्गदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप 650 लोगों को बाहर निकाला जा सका।

03.00 बजे आतंकवादियों ने उस कमरे का पता लगा लिया जहां से उन्हें जवाबी गोलीबारी मिल रही थी और उन्होंने 5वीं मंजिल से कॉरिडोर में धमाका कर दिया। जब नौसेना के कमांडो ने अपनी कार्रवाई आरंभ की और साथ ही मंजिल पर भारी गोलीबारी हो रही थी, तब नांगरे पाटिल और उनका दल कॉरिडोर में बाहर आ गए। उन्हें निशाने पर देखकर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका और एके-47 से गोलीबारी की जिसमें पुलिस कांस्टेबल राहुल शिन्दे की मौत हो गई और दो कांस्टेबल गोलियों और स्पिलंटरों के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। दो अधिकारी और दो कांस्टेबल आग से घायल हुए।

2. <u>श्री दीपक नरसू ढोले, पुलिस निरीक्षक</u>

श्री दीपक ढोले, पुलिस निरीक्षक उस दल के सदस्य थे जिसे डीसीपी जोन-I द्वारा होटल ताज में आतंकवादी हमले का सामना करने के लिए बनाया गया था। पुराने ताज भवन के सीसीटीवी कैमरे में जाते समय पुलिस निरीक्षक ढोले और उप पुलिस निरीक्षक काकडे ने आतंकवादी को लिफ्ट से बच निकलने से रोकने के लिए नीचे की मंजिल (ग्राउंड फ्लोर) पर तीन लिफ्टों को बंद कर दिया। इसके बाद दल सीधे दूसरी मंजिल के सीसीटीवी कक्ष में गया जहां चार आतंकवादी होटल की छठी मंजिल पर थे। नियंत्रण कक्ष को दिए गए संदेश में, डीसीपी जोन-I को आतंकवादी को उलझाए रखने और उनकी गतिविधियों को छठी मंजिल तक नियंत्रित रखने का निर्देश दिया गया था।

लगभग 02:30 बजे या 27.11.2008 के तड़के, बंदूकधारी हतोत्साहित हो गए और उन्होंने अंदर से होटल में आग लगा दी तथा ग्रेनेड फेंकते हुए नीचे आने लगे जिसके कारण सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए और पुलिस दल को इन बंदूकधारियों का पता नहीं लगा।

लगभग 03.00 बजे के आस-पास चूंकि दूसरी मंजिल भी आग की चपेट में आ गई थी और जैसे ही पुलिस दल नीचे जाने के लिए होटल के बीच की सीढ़ियों की ओर जाने लगा, आतंकवादियों, जो अब

तीसरी मंजिल पर आ गए थे, ने दल की ओर अत्यधिक विस्फोटक ग्रेनेड फेंका और इसके तुरंत बाद गोलीबारी आरंभ कर दी। एके-47 राइफल से चलाई गई गोलियों की बौछार के कारण और आतंकवादियों द्वारा फेंके गए विस्फोटकों के शार्पनल के कारण पुलिस निरीक्षक ढोले का बायां हाथ जख्मी हो गया। उप पुलिस निरीक्षक काकडे, पुलिस कांस्टेबल अमित खेतले और पुलिस कांस्टेबल अरुण माने भी जख्मी हो गए जबकि पुलिस कांस्टेबल राहुल शिन्दे गंभीर रूप से घायल हो गए और तुरंत जमीन पर गिर गए। आतंकवादी तीसरी मंजिल से पुलिस दल पर गोलीबारी कर रहे थे जो सामरिक रूप से अनुकूल स्थिति में नहीं था। लेकिन आतंकवादियों की घातक गोलीबारी से भयभीत हुए बिना पुलिस निरीक्षक ढोले ने अन्य साथियों के साथ साहसपूर्वक जवाबी हमला जारी रखा जिससे असहाय पुलिस दल की रक्षा हो सकी।

लेकिन इस दोतरफा गोलीबारी के दौरान पुलिस दल दो समूहों में बंट गया और एक समूह आगे बढ़ा जबकि दूसरा समूह सीसीटीवी रूम में वापस आ गया। पुलिस कांस्टेबल राहुल शिन्दे जख्मी होने के बाद रेंगकर वापस सीसीटीवी रूम की ओर गए और सीसीटीवी रूम के सामने बेहोश होकर गिर गए। पुलिस निरीक्षक ढोले तत्पश्चात आगे बढ़े जबकि आतंकवादी अभी भी अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, और उन्होंने तेजी से पुलिस कांस्टेबल राहुल शिंदे को कमरे के अंदर खींच लिया ताकि आतंकवादियों द्वारा चलाई जा रही गोलियों से वह और अधिक जख्मी न हों। लेकिन कमरे के अंदर राहुल शिंदे की मौत हो गई। तब पुलिस निरीक्षक ढोले दल के शेष सदस्यों के साथ भवन के दक्षिण-पश्चिम कोने में अग्निशमन द्वार से नीचे की सीढ़ियों की ओर गए और मृतक राहुल शिन्दे के शव को आग से बाहर निकालने का निर्णय लिया और उन्हें सीसीटीवी रूम के बाहर से भवन के दक्षिणी छोर तक घसीटा, उस समय बंदूकधारियों ने दोबारा एक ग्रेनेड फेंका और दल पर गोलीबारी आरंभ कर दी जिसमें ताज होटल का कर्मचारी जख्मी हो गया। असाधारण बहादुरी से लड़ते हुए और घायल होने के बावजूद पुलिस निरीक्षक ढोले ने राहुल शिन्दे को नीचे रखा तथा उन्होंने और पीएसआई काकडे ने तब बंदूकधारियों की ओर से गोलीबारी बंद होने पर तीसरी मंजिल की ओर शेष बची सभी गोलियों से पुन: जवाबी कार्रवाई की।

तब तक सारा पुलिस दल आतंकवादियों द्वारा लगाई गई आग के बीच में फंस चुका था। पुलिस निरीक्षक ढोले, जो अग्निशमन उपकरणों का प्रयोग करने में भी प्रशिक्षित हैं, ने उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों का उपयोग किया और कुछ आग बुझाने का प्रयास किया जिससे दल को होटल के पश्चिम की ओर अग्निशमन सीढ़ियों के माध्यम से बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढने में मदद मिली। इसी दौरान पुलिस निरीक्षक ढोले अपने साथियों की जान बचाते हुए आग में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और चेहरे तथा दोनों कानों पर जलने से जख्म हो गए थे और साथ ही छाती में भीतरी चोट लगी थी। दल के दूसरे सदस्य भी जलने से जख्मी हो गए थे। इसके बाद पुलिस निरीक्षक ढोले जख्मी पुलिस दल को बाम्बे हॉस्पिटल ले गए। यद्यपि उपर्युक्त पुलिस दल हथियारों से लैस नहीं था, फिर भी वे बहादुरी से लड़े, आतंकवादियों से युद्ध किया और उन्हें निष्क्रिय करने का प्रयास किया लेकिन यह प्रयास व्यर्थ गया।

इस प्रकार पुलिस निरीक्षक ढोले ने बहादुरी से आतंकी हमले का सामना किया, आतंकवादियों की गोलीबारी के क्षेत्र में रहे, 03.00 बजे तक होटल की छठी मंजिल पर आतंकवादियों को उलझाए रखा

जिसके दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा होटल के अंदर के बाकी स्थानों से यात्रियों को निकाला गया, अपने पास उपलब्ध छोटे हथियार से आतंकवादियों की गोलीबारी का जवाब दिया, अग्निशामकों की मदद से भारी गोलीबारी के बीच दल का नेतृत्व किया और भवन से बाहर आते समय दल के सदस्यों की जान बचाई।

3. <u>श्री नितिन दिगम्बर काकड़े, उप पुलिस निरीक्षक</u>

दिनांक 26.11.2008 को एसआई काकड़े गेटवे ऑफ इंडिया से होटल लियोपोड की ओर दौड़े। होटल लियोपोड में पीएसआई काकडे, कोलाबा पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल अशोक पवार और राजेश सोनावने ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फिर होटल ताज की ओर दौड़े। होटल ताज जाते समय उन्हें पता चला कि आतंकवादियों ने होटल ताज के आस-पास दो शक्तिशाली ग्रेनेड रखे हैं और इसलिए उन्होंने जगह को खाली कराया और स्थल पर बम डिस्पोजल दस्ते को बुलाने की व्यवस्था की। जिस समय आतंकवादी होटल ताज के अंदर ग्रेनेड फेंक रहे थे और अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे, उस समय श्री नागरले, श्री नांगरे पाटिल, पीएसआई काकडे, पुलिस कांस्टेबल खेतले और पुलिस कांस्टेबल पवार ने घायलों को निकाला और उन्हें अस्पताल भेजा।

श्री नितिन काकडे, उप पुलिस निरीक्षक, होटल ताज में आतंकवादी हमले का सामना करने के लिए डीसीपी जोन-। द्वारा बनाए गए दल के सदस्यों में से एक थे। पुराने ताज भवन के सीसीटीवी रूम में जाते समय पुलिस निरीक्षक ढोले और पीएसआई काकडे ने लिफ्ट से आतंकवादियों का रास्ता रोकने के लिए नीचे की मंजिल पर तीनों लिफ्टों को बंद कर दिया। इसके बाद दल सीधे दूसरी मंजिल के सीसीटीवी रूम में गया जबकि चार आतंकवदी होटल की छठी मंजिल पर थे। कंट्रोल रूम को दिए गए संदेश में, डी सी पी जोन-। को आतंकवादियों को उलझाए रखने और उनकी गतिविधियों को छठी मंजिली तक नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए थे।

लगभग 02.30 बजे अथवा दिनांक 27.11.2008 को तडके बंदूकधारी हतोत्साहित हो गए और उन्होंने अंदर से होटल में आग लगा दी तथा ग्रेनेड फेकते हुए नीचे आने लगे जिसके कारण सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए और पुलिस दल को इन बंदूकधारियों का पता नहीं लगा।

लगभग 03.00 बजे के आस-पास चूंकि दूसरी मंजिल भी आग की चपेट में आ गई थी और जैसे ही पुलिस दल नीचे जाने के लिए होटल के बीच की सेंट्रल सीढियों की ओर जाने लगा, आतंकवादियों, जो अब तीसरी मंजिल पर आ गए थे, ने दल की ओर अत्यधिक विस्फोटक ग्रेनेड फेंका और इसके तुरन्त बाद गोलीबारी आरंभ कर दी। एके-47 राइफल से चलाई गई गोलियों की बौछार के कारण और आतंकवादियों द्वारा फेंके गए विस्फोटकों के शार्पनल के कारण पीएसआई काकडे का बांया हाथ जख्मी हो गया। पुलिस निरक्षक ढोले, पुलिस कांस्टेबल अमित खेतले और पुलिस कांस्टेबल अरूण माने भी जख्मी हो गए जबकि पुलिस कांस्टेबल राहुल शिन्दे गंभीर रूप से घायल हो गए और तुरंत जमीन पर गिर गए। आतंकवादी तीसरी मंजिल से पुलिस दल पर गोलीबारी कर रहे थे जो सामरिक रूप से अनुकूल स्थिति में नहीं था। लेकिन आतंकवादियों की घातक गोलीबारी से भयभीत हुए बिना पीएसआई काकडे ने अन्य साथियों के साथ साहसपूर्वक जवाबी हमला जारी रखा जिससे असहाय पुलिस दल की रक्षा हो सकी।

लेकिन इस दोतरफा गोलीबारी के दौरान पुलिस दल दो समूहों में बंट गया और एक समूह आगे बढा जबकि दूसरा समूह सीसीटीवी रूम में वापस आ गया। तब पुलिस निरीक्षक ढोले ने भवन के दक्षिण-पश्चिमी कोने में अग्निशमन द्वार की सीढ़ियों से नीचे की सीढ़ियों की ओर जाने के लिए दल के शेष सदस्यों का नेतृत्व किया, लेकिन जैसे ही दल भवन के दक्षिणी छोर तक पहुंचा, बंदूकधारियों ने फिर ग्रेनेड फेंके और दल पर गोलीबारी आरंभ कर दी जिसमें ताज होटल का एक कर्मचारी घायल हो गया। घालय होने के बावजूद पीएसआई काकडे ने पुलिस निरीक्षक ढोले के साथ तीसरी मंजिल की ओर आतंकवादियों पर शेष बची सारी गोलियां चलाकर जवाब दिया, तब बंदूकधारियों की ओर से गोलीबारी बंद हो गई थी। इस दौरान पीएसआई काकडे के दोनों कान जलने से जख्मी हो गए।

पीएसआई काकडे के वीरतापूर्ण कार्य से गेटवे ऑफ इंडिया पर रखे गए बम का पता चल सका और उन्होंने इसे निष्क्रिय करने की व्यवस्था की जिससे अनेक लोगों की जान बच सकी, होटल ताज के अंदर फंसे नागरिकों को बचाया, भारी हथियारबंद आतंकवादियों को 03.00 बजे तक होटल की छठी मंजिल पर उलझाए रखा, जिसके दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा होटल के अंदर अन्य स्थानों से यात्रियों को निकाला गया।

4. <u>श्री अमित रघुनाथ खेतले, पुलिस कांस्टेबल</u>

दिनांक 20.11.2008 को श्री अमित खेतले, पुलिस कांस्टेबल डीसीपी विश्वास नांगरे पाटिल के साथ वायरलेस आपरेटर के रूप में रात की ड्यूटी पर थे। कोलाबा में आतंकवादी हमले का समाचार मिलने पर वे डीसीपी जोन-I के साथ होटल ताज पहुंचे। डीसीपी जोन-I के साथ होटल के अंदर दोबारा सोचे बिना वे तुरंत हरकत में आ गए और होटल के अंदर आतंकवादियों के पीछे गए। अपनी जान को खतरा होने के बावजूद, उन्होंने ताज सुरक्षा की मदद से सभी मंजिलों की जांच करने में डीसीपी जोन-I की सहायता की। बाद में वे डीसीपी जोन-I के साथ गए और अनुकूल पोजीशन लेने के लिए दोबारा छठी मंजिल के उत्तर की ओर दौडे और आतंकवादियों की तलाश की।

डीसीपी जोन-I, पीएसआई काकडे, पुलिस कांस्टेबल खेतले और अन्य पुलिस कर्मियों ने होटल के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक घायल व्यक्तियों को हटाया और अस्पताल भेजा।

पुलिस कांस्टेबल अमित खेतले होटल ताज में आतंकवादी हमले का सामना करने के लिए डीसीपी जोन-I द्वारा बनाए गए दल के सदस्यों में से एक थे। बाद में दल होटल की छठी मंजिल पर गया। कंट्रोल रूम को दिए गए संदेश में, डीसीपी जोन-I को आतंकवादियों को उलझाये रखने और उनकी गतिविधियों को छठी मंजिल तक नियंत्रित रखने का निर्देश दिया गया था।

लगभग 02.30 बजे अथवा दिनांक 27.11.2008 के तड़के बंदूकधारी हतोत्साहित हो गए और उन्होंने अंदर से होटल में आग लगा दी तथा ग्रेनेड फेंकते हुए नीचे आने लगे जिसके कारण सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए और पुलिस दल को इन बंदूकधारियों का पता नहीं लगा।

लगभग 03.00 बजे के आस-पास चूंकि दूसरी मंजिल भी आग की चपेट में आ गई थी और जैसे ही पुलिस दल नीचे जाने के लिए होटल की बीच की सीढ़ियों की ओर जाने लगा, आंतकवादियों, जो अब तीसरी मंजिल पर आ गए थे, ने दल की ओर अत्यधिक विस्फोटक ग्रेनेड फेंका और इसके तुरंत बाद गोलीबारी आरंभ कर दी। एके-47 राइफल से चलाई गई गोलियों की बौछार और आतंकवादियों

द्वारा फेंके गए विस्फोटकों के शार्पनल के कारण पुलिस कांस्टेबल अमित खेतले घायल हो गए जबकि पुलिस कांस्टेबल राहुल शिन्दे गंभीर रूप से घायल हो गए और तुरंत जमीन पर गिर गए। आतंकवादी पुलिस दल की ओर तीसरी मंजिल से गोलीबारी कर रहे थे जो सामरिक रूप से अनुकूल स्थिति में नहीं था। लेकिन आतंकवादियों की घातक गोलीबारी से भयभीत हुए बिना डीसीपी विश्वास नांगरे पाटिल, पुलिस निरीक्षक ढोले, पीएसआई काकडे और पुलिस कांस्टेबल खेतले ने साहसपूर्वक अपना जवाबी हमला जारी रखा।

लेकिन इस दोतरफा गोलीबारी के दौरान पुलिस दल दो समूहों में बंट गया और एक समूह आगे गया जबकि दूसरा समूह सीसीटीवी रूम में वापस आ गया। पुलिस निरीक्षक ढोले ने भवन के दक्षिणी छोर में आतंकवादियों के दूसरे हमले का सामना करने के बाद भवन के दक्षिण-पश्चिमी कोने में अग्निशमन द्वार से नीचे की सीढ़ियों की ओर जाने के लिए दल के शेष सदस्यों का नेतृत्व किया। अब तक पुरा पुलिस दल आतंकवादियों द्वारा लगाई गई आग के बीच में फंस गया था। और अग्निशमन यंत्रों को का उपयोग करके पुलिस कांस्टेबल अमित खेतले और अन्य सदस्य आग से बाहर निकलने में सफल हुए।

इस वीरतापूर्ण कार्य में पुलिस कांस्टेबल अमित खेतले होटल ताज में डीसीपी जोन-। के साथ रहे, होटल ताज के अंदर फंसे नागरिकों को बचाया, अपने आप को खतरा होने पर भी पीछे नहीं हटे, भारी हथियारबंद आतंकवादियों का सामना किया, आतंकवादियों की गोलीबारी के बीच रहे, आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में मुख्य नियंत्रण कक्ष को लगातार सूचना दी, आतंकवादियों को 03.00 बजे तक होटल की छठी मंजिल पर उलझाए रखा जिसके दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा होटल के अंदर बाकी स्थानों से यात्रियों को निकाला गया।

5. <u>श्री अरूण कुमार सरजेराव माने, पुलिस नायक</u>

श्री अरूण माने होटल ताज में आतंकवादियों के हमले का सामना करने के लिए डीसीपी जोन-। द्वारा बनाए गए दल के सदस्यों में से एक थे। इसके बाद दल दूसरी मंजिल पर सीधे सीसीटीवी रूम में गया जहां चार आतंकवादी होटल की छठी मंजिल पर थे। कंट्रोल रूम को दिए गए संदेश थे, में डीसीपी जोन-। को आतंकवादियों को उलझाये रखने और उनकी गतिविधियों को छठी मंजिल तक नियंत्रित रखने का निर्देश दिया गया था।

लगभग 02.30 बजे अथवा दिनांक 27.11.2008 तड़के बंदूकधारी हतोत्साहित हो गए और उन्होंने अंदर से होटल में आग लगा दी तथा ग्रेनेड फेंकते हुए नीचे आने लगे जिसके कारण सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए और पुलिस दल को इन बंदूकधारियों का पता नहीं लगा।

लगभग 03.00 बजे के आस-पास चूंकि दूसरी मंजिल भी आग की चपेट में आ गई थी और जैसे ही पुलिस दल नीचे जाने के लिए होटल के बीच की सीढियों की ओर जाने लगा, आतंकवादियों, जो अब तीसरी मंजिल पर आ गए थे, ने दल की ओर अत्यधिक विस्फोटक ग्रेनेड फेंका और इसके तुरंत बाद गोलीबारी आरंभ कर दी। दल के सदस्यों ने इस हमले का जवाब दिया लेकिन एके-47 राइफल से चलाई गई गोलियों की बौछार और आतंकवादियों द्वारा फेंके गए विस्फोटकों के शार्पनल के कारण दल के कुछ

सदस्य घायल हो गए जबकि पुलिस कांस्टेबल राहुल शिन्दे गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु हो कई।

दोनों ओर से गोलीबारी के दौरान पुलिस दल दो समूहों में बंट गया और एक समूह आगे गया जबकि शेष सदस्य पुलिस निरीक्षक ढोले के साथ भवन के दक्षिणी छोर पर आतंकवादियों के दूसरे हमले का सामना करने के बाद भवन के दक्षिण-पश्चिमी किनारे में स्थित अंग्निशमन द्वार से गए जिसमें होटल ताज का एक कर्मचारी और एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस दल के सदस्यों ने बंदूकधारी पर जवाबी गोलीबारी की। तब तक पूरा पुलिस दल आतंकवादियों द्वारा लगाई गई आग के बीच में फंस गया और अग्निशमन यंत्रों का उपयोग करके श्री अरूण माने और अन्य सदस्य आग से बाहर निकलने में सफल हुए। इस दौरान श्री अरूण माने को जलने से आंतरिक चोटें आई।

इस वीरतापूर्ण कार्य में पुलिस नायक अरूण माने ने होटल ताज के अंदर असहाय नागरिकों को बचाया, आतंकवादियों को 03.00 बजे तक होटल की छठी मंजिल पर उलझाए रखा, जिसके दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा होटल के अंदर बाकी स्थानों से होटल के मेहमानों को निकाला गया।

6. <u>श्री अशोक लक्ष्मण पवार, पुलिस नायक</u>

दिनांक 26.11.2008 को पुलिस नायक अशोक पवार अपने घर के लिए निकल गए थे लेकिन कोलाबा में आतंकी हमले का समाचार मिलने पर तुरंत होटल लियोपोड की ओर दौडे। होटल लियोपोड में कोलाबा पुलिस स्टेशन के पीएसआई काकडे, पुलिस कांस्टेबल अशोक पवार और राजेश सोनावने ने घायलों को अस्पताल पंहुचाया और फिर होटल ताज गए। होटल ताज जाते समय रास्ते में उन्हें पता चला कि आतंकवादियों ने होटल के आस-पास दो शक्तिशाली बम रखे हैं और इसलिए उन्होंने क्षेत्र को खाली कराया और उस स्थान पर बम डिपोजल दस्ते को बुलाने की व्यवस्था की। जिस समय आतंकवादी होटल ताज के अंदर ग्रेनेड फेंक रहे थे और अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे, उस समय डीसीपी जोन-।, पीएसआई काकडे, पुलिस कांस्टेबल खेतले और पुलिस कांस्टेबल पवार ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस नायक अशोक पवार होटल ताज में आतंकवादी हमले का सामना करने के लिए डीसीपी जोन-। द्वारा बनाए गए दल के सदस्यों में से एक थे। दल तत्पश्चात सीधे ही दूसरी मंजिल के सीसीटीवी रूम में गया, जहां चार आतंकवादी होटल की छठी मंजिल पर थे। कंट्रोल रूम को दिए गए संदेश में डीसीपी जोन-। को आतंकवादियों को उलझाए रखने और उनकी गतिविधियों को छठी मंजिल तक नियंत्रित रखते का निर्देश दिया गया था।

लगभग 02.30 बजे अथवा दिनांक 27.11.2008 के तड़के बंदूकधारी हतोत्साहित हो गए और उन्होंने अंदर से होटल में आग लगा दी तथा ग्रेनेड फेंकते हुए नीचे आने लगे जिसके कारण सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए और पुलिस दल को इन बंदूकधारियों का पता नहीं लगा।

लगभग 03.00 के आस-पास चूंकि दूसरी मंजिल भी आग की चपेट में आ गई थी और जैसे ही पुलिस दल नीचे जाने के लिए होटल के बीच की सीढ़ियों की ओर जाने लगा, आतंकवादी, जो अब तीसरी मंजिल पर आ गए थे, ने दल की ओर अत्यधिक विस्फोटक ग्रेनेड फेंका और इसके तुरंत बाद गोलीबारी आरंभ कर दी। दल के सदस्यों द्वारा इस हमले का जवाब दिया गया लेकिन एके-47 राइफल

से चलाई गई गोलियों और आतंकवादियों द्वारा फेंके गए विस्फोटकों के शार्पनल के कारण दल के कुछ सदस्य घायल हो गए जबकि पुलिस कांस्टेबल राहुल शिंदे गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई।

दोनों ओर से गोलीबारी के दौरान पुलिस दल दो समूहों में बंट गया और एक समूह आगे गया जबकि शेष सदस्य पुलिस निरीक्षक ढोले के साथ भवन के दक्षिणी छोर पर आतंकवादियों के दूसरे हमले का सामना करने के बाद भवन के दक्षिण-पश्चिमी किनारे में स्थित अंग्निशमन द्वार से गए जिसमें होटल ताज का एक कर्मचारी और एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस दल के सदस्यों ने बंदूकधारी पर जवाबी गोलीबारी की। तब तक पूरा पुलिस दल आतंकवादियों द्वारा लगाई गई आग के बीच में फंस गया और अग्निशमक यंत्रों का उपयोग करके पुलिस नायक अशोक पवार और अन्य सदस्य आग से बाहर निकलने में सफल हुए। इस दौरान, पुलिस नायक अशोक पवार को जलने से आंतरिक चोटें आई।

इस वीरतापूर्ण कार्य में पुलिस नायक अशोक पवार ने गेटवे ऑफ इंडिया पर रखे बम का पता लगाया और बीडीडीएस के माध्यम से इसके निस्तारण की व्यवस्था की, होटल ताज के अंदर असहाय नागरिकों को बचाया, आतंकवादियों की गोलीबारी के बीच रहे, 0300 बजे तक होटल की छठी मंजिल पर आतंकवादियों को उलझाए रखा जिसके दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा होटल के अंदर बाकी स्थानों से होटल के मेहमानों को निकाला गया।

7. <u>श्री सौदागर निवरूत्ती शिन्दे, पुलिस कांस्टेबल</u>

दिनांक 26.11.2008 को श्री सौदागर शिन्दे, पुलिस कांस्टेबल, जो अपने घर जा रहे थे, यह जानकर पुलिस स्टेशन वापस आ गए कि दक्षिण मुम्बई के अनेक स्थानों पर कुछ समस्या उत्पन्न हो गई है और वे सीधे होटल ताज आ गए तथा आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई में डीसीपी जोन-। को रिपोर्ट किया।

श्री सौदागर शिन्दे होटल ताज में आतंकवादी हमले का सामना करने के लिए डीसीपी जोन-। द्वारा बनाए गए दल के सदस्यों में से एक थे। दल तत्पश्चात सीधे दूसरी मंजिल के सीसीटीवी रूम में गया। जहां चार आतंकवादी होटल की छठी मंजिल पर थे। कंट्रोल रूम को दिए गए संदेश में, डीसीपी जोन-। को आतंकवादियों को उलझाए रखने और उनकी गतिविधियों को छठी मंजिल तक नियंत्रित रखने का निर्देश दिया गया था।

लगभग 02.30 बजे अथवा दिनांक 27.11.2008 के तड़के बंदूकधारी हतोत्साहित हो गए और उन्होंने अंदर से होटल में आग लगा दी तथा ग्रेनेड फेकते हुए नीचे आने लगे जिसके कारण सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए और पुलिस दल को इन बंदुकधारियों का पता नहीं लगा।

लगभग 03.00 के आस-पास चूंकि दूसरी मंजिल भी आग की चपेट में आ गई थी और जैसे ही पुलिस दल नीचे जाने के लिए होटल के बीच की सीढ़ियों की ओर जाने लगा, आतंकवादियों, जो अब तीसरी मंजिल पर आ गए थे, ने दल की ओर अत्यधिक विस्फोटक ग्रेनेड फेंका और इसके तुरंत बाद गोलीबारी आरंभ कर दी। दल के सदस्यों द्वारा इस हमले का जवाब दिया गया लेकिन एके-47 राइफल से चलाई गई गोलियों की बौछार और आतंकवादियों द्वारा फेंके गए विस्फोटकों के शार्पनल के कारण

दल के कुछ सदस्य घायल हो गए जबकि पुलिस कांस्टेबल राहुल शिंदे गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई।

दोनों ओर से गोलीबारी के दौरान पुलिस दल दो समूहों में बंट गया और एक समूह आगे गया जबकि शेष सदस्य पुलिस निरीक्षक ढोले के साथ भवन के दक्षिणी छोर पर आतंकवादियों के दूसरे हमले का सामना करने के बाद भवन के दक्षिण-पश्चिमी किनारे में स्थित अग्निशमन द्वार से गए जिसमें होटल ताज का एक कर्मचारी और एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस दल के सदस्यों ने बंदूकधारी पर जवाबी गोलीबारी की। तब तक पूरा पुलिस दल आतंकवादियों द्वारा लगाई गई आग के बीच में फंस गया और अग्निशमक यंत्रों का उपयोग करके श्री सौदागर शिन्दे और अन्य सदस्य आग से बाहर निकलने में सफल हुए। इस दौरान श्री सौदागर शिन्दे को जलने से आंतरिक चोटें आई।

इस वीरतापूर्ण कार्य में पुलिस कांस्टेबल सौदागर शिन्दे ने होटल ताज के अंदर असहाय नागरिकों को बचाया, आतंकवादियों को 0300 बजे तक होटल की छठी मंजिल पर उलझाए रखा जिसके दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा होटल के अंदर बाकी स्थानों से होटल के मेहमानों को निकाला गया।

इस मुठभेड में सर्व/श्री विश्वास नारायण नांगरे पाटिल, उप पुलिस आयुक्त, दीपक नरसू ढोले, निरीक्षक, नितिन दिगम्बर काकडे, उप निरीक्षक, अमित रघुनाथ खेतले, कांस्टेबल, अरूण सरजेराव माने, नायक, अशोक लक्ष्मण पवार, नायक और सौदागर निवरूत्ती शिन्दे, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 26.11.2008 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 140-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. जमखोंगम ताउथांग,
    जमादार

02. लेइमापोकपम अमरजीत सिंह,
    हवलदार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 21.03.2012 को सांय लगभग 7.00 बजे जिला पुलिस, बिष्णुपुर को गांव "वांगू सबल" के सामान्य क्षेत्र में हथियारबंद उग्रवादियों के मौजूद होने और उनकी आवाजाही के संबंध में विश्वसनीय सूचना मिली। उक्त आसूचना संबंधी जानकारी के प्राप्त होने के तुरंत बाद बिष्णुपुर जिला कमांडो के कार्मिकों और 33 असम राइफल्स के कार्मिकों का एक संयुक्त दल बनाया गया और विद्रोह-रोधी कार्रवाई के लिए उक्त क्षेत्र में भेजा गया।

गांव में पहुंचने पर उचित ब्रीफिंग के बाद असम राइफल्स के कार्मिकों ने गांव के संदिग्ध स्थलों का बाहरी घेरा बनाया जबकि कमांडो कार्मिकों ने प्रत्येक घर की तलाशी ली। चूंकि यह रात का समय था और बिजली नहीं थी, इसलिए कार्रवाई करने में संयुक्त दल को काफी कठिनाई हुई। चारों तरफ अंधेरा होने के कारण वे शारीरिक तौर पर असुरक्षित होने के साथ-साथ आसान लक्ष्य भी थे। ऐसी स्थिति में जमादार जमखोंगम ताउथांग, जो कमांडो कार्मिकों का नेतृत्व कर रहे थे, ने अपने दल को आवासीय क्षेत्र से गुजरते हुए रणनीतिक चाल बनाए रखने और ग्रामवासियों के साथ निपटने में शांत किन्तु दृढ़ रहने के लिए सतर्क किया। इसलिए असम राइफल्स के कार्मिक भी क्षेत्र की घेराबंदी करने में अत्यधिक सतर्क थे और जमादार जामखोंगम ताउथांग के नेतृत्व में कमांडो कार्मिकों ने गांव वालों की आवाजाही पर गहन निगरानी रखते हुए आतंकवादियों की पहचान करने और उनके छिपने की जगह का पता लगाने के दृढ़ निश्चय के साथ प्रत्येक घर की तलाशी कार्रवाई की।

रात के लगभग 8.55 बजे जब कमांडो कार्मिक एक ग्रामवासी के आंगन के सामने पहुंचे, जिसकी बाद में पुखामबम ओंगबी चन्द्रकला देवी, उम्र लगभग 56 वर्ष, पत्नी स्वर्गीय पी. बिजाय सिंह के रूप में पहचान हुई, तो कमांडो दल ने घर में प्रवेश किया और घर में भूमिगत कैडर के होने की पुष्टि हुई। आतंकवादी को पिस्तौल से घर के मालिक और उसके परिवार को धमकाते हुए देखा गया। सूझबूझ का परिचय देते हुए और निर्दोष सिविलियनों को खतरे को भांपते हुए, पुलिस कमांडो ने भूमिगत कैडर को स्थानीय भाषा में अपने हथियार नीचे रखने के लिए चेतावनी दी। आतंकवादी ने चेतावनी की परवाह नहीं की और एक युवक कमांडो कार्मिकों की ओर गोलीबारी करते हुए पुलिस के महाजाल से बचने के व्यर्थ प्रयास में घर से बाहर भागा। कमांडो ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की और वहां एक सक्रिय मुठभेड़ शुरु हो गई। घर के परिसर में किचन, मुख्य आवासीय घर, उत्तर की ओर नवनिर्मित भवन आदि जैसे अनेक निर्माण का लाभ उठाकर आतंकवादी बचाव के लिए इधर-उधर भाग रहा था और बीच-बीच में गोलीबारी करके कमांडो पर हमला करने का प्रयास किया। दूसरी ओर, अंधेरे के कारण आतंकवादी की गतिविधि को स्पष्ट न देख पाने की वजह से कमांडो कार्मिकों को उसे नियंत्रित करने और पकड़ने में काफी कठिनाई हुई। तथापि, जमादार जमखोंगम ताउथांग ने स्थिति से निपटने के लिए एक मुस्तैद शारीरिक गतिविधि की। हवलदार एल. अमरजीत जो युवा, कर्मठ और प्रतिभाशाली जवान थे, ने अपने कमांडर जमादार जमखोंगम ताउथांग के सामने उत्पन्न खतरनाक स्थिति को महसूस किया। अतः, उन्होंने अपने कमांडर के इशारे के अनुसार कार्रवाई की। अंत में जमादार जमखोंगम ताउथांग और हवलदार एल. अमरजीत उसे घेरने में सफल रहे। काफी खतरनाक स्थिति में दोनों ने आतंकवादी को मार गिराया जिसकी बाद में खंगेमबाम नओचा उर्फ कोकपेई, उम्र लगभग 28 वर्ष, पुत्र (स्व.) खंगेमबाम बोर सिंह, निवासी वांगू नाओदाखोंग, प्रतिबंधित भूमिगत गुट

यूनाइटिड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) का एक कार्यकर्ता, आर्मी संख्या 1613, 2005 बैच के रूप में पहचान की गई। निम्नलिखित हथियार और गोलाबारुद, अभिशंसी सामान बरामद किए गए:

(i) एनके 231 संख्या वाली 9 एम एम की एक पिस्तौल

(ii) दो जिन्दा गोलियों से भरी एक मैगजीन

(iii) 9 एमएम कैलिबर का एक खाली खोखा

(iv) 9862591853 नम्बर वाले एयरटेल सिम कार्ड के साथ एक नोकिया मोबाइल

(v) 1000 मूल्य वर्ग के एक नोट और 100 रू. मूल्यवर्ग के तीन नोटों सहित 1300/-रू.।

महत्वपूर्ण मुठभेड़ में बिष्णुपुर जिले के कमांडो कार्मिकों ने निडर पराक्रम और दृढ़ साहस का प्रदर्शन किया और महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट भूमिका निभाई जिससे यह उपलब्धि प्राप्त हुई। यदि दोनों कमांडो कार्मिक इतनी तेजी से और समर्पित तरीके से कार्रवाई नहीं करते, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत जोखिम भी था, तो आतंकवादी न केवल बचकर निकल जाते बल्कि कमांडो कार्मिकों को क्षति भी पहुंचा सकते थे। वास्तव में, उग्र मुठभेड़ की खतरनाक स्थिति में जमादार जमखोंगम ताउथांग की नेतृत्व गुणवत्ता काफी अनुकरणीय थी और हवलदार एल. अमरजीत भी काफी आज्ञाकारी थे और उन्होंने अपने कमांडर के इशारे के अनुसार कार्रवाई की।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जमखोंगम ताउथांग, जमादार, लेइमापोकपम अमरजीत सिंह, हवलदार ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 21.03.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 141-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, ओडिशा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. संतोष जुआंग,
कांस्टेबल

02. त्रिनाथ तोतापडिया,
कांस्टेबल

03. भुबन चन्द्र देव,
लांस नायक

04. लक्ष्मी नारायण मुदुली,
कांस्टेबल

05. साधन बिस्वास,
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

मलकानगिरि जिले के नौगाडा जंगल में एक उप-निरीक्षक के अधीन 25 पुलिस कर्मियों के साथ एक अभियान आरंभ किया गया क्योंकि वहां से एक नक्सली समूह गुजरने वाला था। दिनांक 04.11.2010 को लगभग 05.30 बजे, 40-45 नक्सली कैडरों को उनकी ओर आते हुए देखा गया। जब उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, तो उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरु कर दी जिसका जवाब दिया गया। लांस नायक भुबन देव, कांस्टेबल संतोष जुआंग, कांस्टेबल त्रिनाथ तोतापडिया, कांस्टेबल लक्ष्मीनारायण मुदुली और कांस्टेबल साधन बिस्वास की ओर दो ग्रेनेड भी फेंके गए लेकिन अभियान कौशल को अपनाने के कारण वे बच गए; हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई। अधिक संख्या में होने के कारण नक्सली समूह ने पुलिस दल को घेरने का प्रयास किया। आदेश मिलने पर कांस्टेबल संतोष जुआंग, कांस्टेबल त्रिनाथ तोतापडिया, कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण मुदुली और कांस्टेबल साधन बिस्वास के साथ लांस नायक भुबन देव ग्रेनेड विस्फोट में कुछ चोटें लगने के बावजूद गोलीबारी की दिशा में आगे बढ़े। नजदीक जाने पर पता चला कि 10-12 नक्सलियों का एक समूह आस-पास ही है। अब कांस्टेबल संतोष जुआंग और कांस्टेबल त्रिनाथ तोतापडिया के साथ भूबन देव नक्सलियों के बांयी ओर बढ़े। उन्होंने नक्सलियों पर भारी गोलीबारी की और घटनास्थल पर ही दो नक्सलियों को मार गिराया। इस प्रक्रिया में वे बुरी तरह से जोखिम में पड़ गए थे जिससे निश्चित रूप से उनकी जान को खतरा उत्पन्न हो गया था। लेकिन बाकी नक्सली चारों तरफ गोलीबारी करते हुए घटना स्थल से भाग गए। कुछ नक्सली कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण मुदुली और कांस्टेबल साधन बिस्वास के बांयी ओर से भाग रहे थे। दोनों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर नक्सलियों का पीछा करना शुरु कर दिया। यद्यपि नक्सलियों ने उन पर भी गोलियां चलाई, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने 15 मीटर की दूरी पर दो नक्सलियों को मार गिराया। तथापि, 6-7 घायल उग्रवादियों सहित वे उग्रवादी पहाड़ी क्षेत्र और घने पेड़ों का फायदा उठाकर बचकर निकल गए। गोलीबारी एवं जवाबी गोलीबारी लगभग एक घंटे तक चली।

तलाशी के दौरान नक्सलियों के चार शव और निम्नलिखित हथियार, गोलाबारुद तथा अन्य सामान बरामद हुए:

1. तीन देशी एसबीएमएल बंदूकें
2. एक देशी एसबीबीएल बंदूक
3. एक जिन्दा उच्च विस्फोटक ग्रेनेड

4. 12 बोर के 16 जिंदा गोलाबारुद

5. 12 बोर का एक खाली कारतूस

6. एके-47 के चार खाली खोखे

7. 303 का एक खाली खोखा

8. एक ग्रेनेड पाउच

9. तीन गोलाबारुद पाउच

10. छः टार्च लाइट

11. दो फ्रर्स्ट एड किट बॉक्स

12. टैंट तारपोलिन का एक बण्डल

13. छपे हुए माओवादी पोस्टरों के पांच बंडल

14. दो जोड़ी माओवादी वर्दी

15. पांच शालें

16. सात स्टील प्लेटें

17. माओवादी साहित्य।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री संतोष जुआंग, कांस्टेबल, त्रिनाथ तोतापडिया, कांस्टेबल, भुबन चन्द्र देव, लांस नायक, लक्ष्मी नारायण मुदुली, कांस्टेबल और साधन बिस्वास, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 04.11.2010 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 142-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, ओडिशा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. आर. प्रकाश, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी

02.	लक्ष्मी वारा प्रसाद वासुपल्ली, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
03.	गेडेला श्रीकांत कुमार, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
04.	अम्बिका प्रसाद पात्रा, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
05.	दीनबंधु नायक कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 08.01.2011 को काशीपुर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत बसंगमाली पहाड़ी क्षेत्रों में सशस्त्र नक्सलियों की आवाजाही के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर, नक्सलियों को पकड़ने और उनकी गैर-कानूनी योजना को विफल करने के लिए जिला पुलिस (कुल 29) को शामिल करके नक्सल-रोधी कार्रवाई आरंभ की गई थी। दल का नेतृत्व श्री आर. प्रकाश, आईपीएस, तत्कालीन एसडीपीओ, बी. कटक (एसपी बोलनगीर) ने किया था। कार्रवाई के दौरान, दिनांक 09.01.2011 को लगभग सुबह 5.30 बजे पुलिस दल ने पहाड़ी के ऊपर हथियारों से अभ्यास करते हुए ओलिव ग्रीन वर्दी में लगभग 20-25 सशस्त्र कैडरों के एक समूह को देखा। टीम लीडर ने तुरंत आपरेशनल दल को फायरिंग पार्टी और कटऑफ पार्टी के रूप में दो समूहों में बांटा और उचित रणनीतिक स्थिति संभाली। तब टीम लीडर ने ओडिशा पुलिस के रूप में अपनी पहचान बताई और माओवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी, लेकिन माओवादियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी और पुलिस दल पर हैंड ग्रेनेड फेंके। माओवादियों के इस गैर-कानूनी कार्य और पुलिस दल के इस तथ्य के बारे में आश्वस्त होने पर कि माओवादी किसी भी हालत में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, पुलिस दल ने अपने बचाव में माओवादियों की ओर गोलीबारी करके जवाबी हमला किया। दोनों ओर से लगभग एक घंटे तक गोलीबारी हुई। पुलिस दल अपनी जान की परवाह किए बिना बहादुरी से लड़े। दोनों तरफ से इस गोलीबारी के दौरान पुलिस दल ने नौ सशस्त्र माओवादियों (चार पुरूष और पांच महिला माओवादियों) को मार गिराया, जिसमें दुब्बुरी श्रीनू उर्फ रवि उर्फ रमेश उर्फ चन्द्रन्ना, माओवादी समूह का कमांडर और डीसीएम (संभागीय समिति सदस्य) रैंक का सीपीआई (माओवादी) का सशस्त्र कैडर शामिल था, जिस पर 3 लाख रू. के इनाम की घोषणा की गई थी। पुलिस आपरेशनल दल के हमले के खतरे का आभास होने पर, शेष उग्रवादी घने जंगल, शिलाखण्डों और पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। पुलिस समूह ने काफी दूर तक उग्रवादियों का पीछा किया लेकिन उग्रवादी बचकर निकल गए।

इसके अतिरिक्त, गोलीबारी के स्थल से हथियारों और गोला-बारुद की काफी रसद अर्थात एक आईएनएसएएस (इंसास) राइफल, .303 की दो राइफलें, 2 पिस्तौलें, 2 एसबीएमएल बंदूकें, गोलाबारुद के 100 से अधिक राउण्ड, 18 किट बैग, बड़ी संख्या में जिलेटिन स्टिक, माओवादी साहित्य, वॉकी-

टाकी, इलेक्ट्रानिक डेटोनेटर, सुरंग विस्फोटक उपकरण, टेंट के सामान, दवाइयां, खाने के सामान आदि बरामद किए गए।

इस सफल गोलीबारी से नक्सलियों को काफी आघात पहुंचा है और इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण काशीपुर-नियामगिरी क्षेत्र समिति का पूर्णरूपेण सफाया हो गया है। यह कार्रवाई ओडिशा में नक्सल-रोधी कार्रवाई के इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है और इससे नक्सल-रोधी कार्रवाइयों में शामिल सुरक्षा बलों के विश्वास और मनाबेल में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री आर. प्रकाश, उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी, लक्ष्मी वारा प्रसाद वासुपल्ली, कांस्टेबल, गेडेला श्रीकांत कुमार, कांस्टेबल, अम्बिका प्रसाद पात्रा, कांस्टेबल और दीनबंधु नायक, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 09.01.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 143-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, ओडिशा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. संतोष जुआंग,
कांस्टेबल

02. त्रिनाथ तोतापडिया,
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 24.04.2011 को तेन्तुलीपादार वन क्षेत्र में एक अभियान (आपरेशन) चलाया गया था। लगभग 0600 बजे, पुलिस दल ने 100 मीटर की दूरी पर 30-40 नक्सलियों के समूह को पाया।

37 सदस्यों वाले पुलिस दल को तीन समूहों में बांटा गया। दो समूहों ने नक्सलियों को घेर लिया। तीसरा समूह हमला समूह के रूप में कार्य कर रहा था जिसके स्काउट कांस्टेबल संतोष जुआंग और कांस्टेबल त्रिनाथ तोतापडिया थे। जब उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया तो नक्सलियों ने भारी गोलीबारी शुरु कर दी जिसका पुलिस दल ने जवाब दिया। हमला समूह चुपचाप माओवादियों की ओर बढ़ा लेकिन नक्सलियों द्वारा देखे जाने पर उन पर गोलीबारी की गई। हमला समूह के कमांडर ने इसे एलएमजी की गोलीबारी होने का अनुमान लगाया। अब संतोष जुआंग और त्रिनाथ तोतापडिया को

उनके कमांडर द्वारा एलएमजी को शांत करने का कार्य सौंपा गया। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, माओवादियों द्वारा लगाई गई एक क्लेमोर की सुरंग में विस्फोट हुआ लेकिन दोनों जमीन पर लेट गए और सौभाग्यवश बच गए। दोनों कमांडो बेखौफ युक्तिपूर्वक उग्रवादियों की ओर बढ़ते रहे। अचानक उन्होंने एक महिला नक्सली को देखा, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही कार्रवाई की और उसे मार गिराया।

इसके बाद दोनों कमांडो एलएमजी गोलीबारी की बांयी ओर पहुंचे। कोई विकल्प न होने पर दोनों कमांडो आधे खड़े हुए और एलएमजी की तरफ भारी गोलीबारी की जिसमें एक नक्सली घायल हो गया। इससे अन्य नक्सली भयभीत हो गए और पेड़ों का फायदा उठाकर वे घायल माओवादी के साथ बचकर निकल गए। बंदूक की लड़ाई 0630 बजे से 0700 बजे तक जारी रही। क्षेत्र की तलाशी के दौरान एक नक्सली कैडर का शव मिला जिसकी बाद में गजाला के रूप में पहचान हुई।

एक ऐसी स्थिति में स्काउट के रूप में कार्य करना कांस्टेबल संतोष जुआंग और कांस्टेबल त्रिनाथ तोतापडिया के लिए असाधारण बहादुरी का कार्य था जहां नक्सली संतरियों की स्थिति के बारे में पता न होने के कारण किसी भी दिशा से गोलीबारी हो सकती थी। क्लेमोर सुरंग विस्फोट में बचने के अलावा, वहां इस प्रक्रिया में असुरक्षित होने के कारण नक्सलियों की एलएमजी को शांत करते समय उनकी जान को जोखिम था। नक्सलियों की एलएमजी की ओर बढ़ते समय, यदि महिला नक्सली ने कुछ दूरी से दो आगे बढ़ते कमांडो की गतिविधि को देख लिया होता, तो वे शहीद हो गए होते।

<u>बरामदगी:</u>

01. एक .303 राइफल

02. एक .22 राइफल

03. 12 बोर की एक देशी एसबीबीएल बंदूक (मृतक से बरामद की गई)

04. एक स्टील कंटेनर जो एक बारुदी सुरंग (लैंड माइन) प्रतीत होती है।

05. एक जिन्दा उच्च विस्फोटक ग्रेनेड (मृतक से बरामद हुआ)

06. 15 किट बैग

07. 12 बोर के 13 जिन्दा कारतूस

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री संतोष जुआंग, कांस्टेबल और त्रिनाथ तोतापडिया, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 24.04.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 144-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, ओडिशा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. मनोरंजन पाइकरे,
उप निरीक्षक

02. अरुण कुमार बेहेरा,
उप निरीक्षक

03. मराठी रबि, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

04. सारथी भुइयां,
कांस्टेबल

05. मनोज कुमार गुरू,
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 1-2/01/2011 की रात को तंगेइसुनी रायगाती वन क्षेत्र में माओवादियों की गतिविधि के बारे में विश्वसनीय सूचना मिलने पर एसओजी के अरुण कुमार बेहेरा, उप निरीक्षक, मराठी रबि, कांस्टेबल, सारथी भुइयां, कांस्टेबल, मनोज कुमार गुरू, कांस्टेबल और अन्य लोगों के साथ तोमका पुलिस स्टेशन के श्री मनोरंजन पाइकरे, उप-निरीक्षक माओवादियों को पकड़ने के लिए रायघाटी जंगल की ओर बढ़े। लगभग 0.400 बजे उनका सामना हथियार और किटबैग ले जाते 15-20 माओवादियों से हुआ। उन्हें देखने के बाद पुलिस दल ने उन्हें अपने हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी। कोई और विकल्प न होने पर पुलिस दल ने तुरंत बचाव की कार्रवाई की और अपने हथियारों से गोलीबारी की। गोलीबारी सुबह 6.00 बजे तक चली और इसके बाद माओवादी राष्ट्र विरोधी और माओवादी नारे लगाते हुए जंगल में भाग गए। इस कार्रवाई में 5 माओवादी मारे गए, 12 राइफलें, 127 जिन्दा कारतूस, 51 आयरन बाल (सिसा), 200 ग्राम गन पाउडर, माओवादी पैम्फलेट और अन्य माओवादी वस्तुएं जब्त की गईं। इस प्रक्रिया में उन्होंने अत्यधिक बहादुरी और साहस का प्रदर्शन किया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री मनोरंजन पाइकरे, उप निरीक्षक, अरुण कुमार बेहरा, उप-निरीक्षक, स्वर्गीय मराठी रबि, कांस्टेबल, सारथी भुइयां, कांस्टेबल और मनोज कुमार गुरू, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 02.01.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 145-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, राजस्थान पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री भारमल, (मरणोपरांत)
हेड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 23.05.2008 को गुर्जर आन्दोलन के दौरान श्री भारमल, हेड कांस्टेबल, आन्दोलनकारी गुर्जरों से दिल्ली-मुम्बई रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए पिलुपुरा (बयाना) रेलवे स्टेशन, जिला भरतपुर पर तैनात थे।

पिलुपुरा एक महत्वपूर्ण स्थल होने के कारण, प्रशासन के लिए ट्रैक का नियंत्रण काफी महत्वपूर्ण था। पुलिस दल को पराजित करने और ट्रैक पर कब्जा करने के लिए आन्दोलनकारियों ने घातक हथियारों से पुलिस दल पर हमला कर दिया। ड्यूटी के दौरान भारमल ने महान साहस, बहादुरी और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उन्होंने हिंसक आन्दोलनकारियों से रेलवे ट्रैक की सुरक्षा करने के लिए अपने दल को प्रेरित किया और उनका नेतृत्व किया। श्री भारमल और उनके बल के पास केवल 'लाठियां' होने के बावजूद उन्होंने अपने जिन्दा रहने तक आन्दोलनकारियों को रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त नहीं करने दिया। बाद में, पिलुपुरा में बडी संख्या में आन्दोलनकारी इकट्ठा हो गए जो संख्या में पुलिस दल से काफी अधिक थे। वे अचानक हिंसक हो गए और उन्होंने घातक हथियारों के साथ पुलिस दल पर हमला कर दिया। श्री भारमल ने साहस के साथ स्थिति के अनुसार कार्रवाई की और अपने दल के सदस्यों को वहां से सुरक्षित रुप से हटाया। उपर्युक्त घटना के दौरान, वे गंभीर रुप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। श्री भारमल ने घटना के दौरान अत्यधिक कर्तव्य परायणता, बहादुरी और साहस का प्रदर्शन किया। वे बहादुरी से लडे और राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय श्री भारमल, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 23/05/2008 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 146-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, राजस्थान पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री बाबू लाल, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 29.05.2007 को गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान बूंदी शहर में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो गई। गुर्जर समुदाय श्री देवनारायण मंदिर के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ था। कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा और अन्य जिलों के पुलिस बल तैनात किए गए थे। हिंसक धरना और विरोध प्रदर्शन के दौरान दंगाइयों ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बलों पर पत्थर फेंके। देवनारायण मंदिर परिसर के अंदर उन्होंने सरकारी वाहनों को भारी नुकसान पहुंचाया और मंदिर से बाहर आने के बाद अनेक दुकानों में आग लगा दी। इस उपद्रवी स्थिति के दौरान, जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी और अनेक पुलिस अधिकारी घायल हो गए। जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी ने गुर्जर समुदाय के दंगाइयों को हिंसा का सहारा न लेने की चेतावनी दी, फिर भी उन्होंने घातक हथियारों और पत्थरों से पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला किया। दंगाइयों को तितर-बितर करने का प्रयास करते समय पुलिस बल के अन्य सदस्यों के साथ जिला बाड़मेर के कांस्टेबल बाबूलाल को हिंसक दंगाइयों ने पकड़ लिया और उन्हें घातक चोंटे आई जिसके कारण अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनकी जान चली गई। इस प्रकार स्वर्गीय श्री बाबूलाल, कांस्टेबल ने बहादुरी और वीरतापूर्ण कार्य में अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान देकर अपने कर्तव्य से बढ़कर सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

इस मुठभेड़ में स्वर्गीय श्री बाबू लाल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 29/05/2007 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 147-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, त्रिपुरा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री बंकिम देबबर्मा,

सूबेदार

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण दिया गया

दिनांक 22.07.2012 को 12वीं बटालियन टीएसआर के रतन नगर कैम्प के पोस्ट कमांडर सूबेदार (जीडी) बंकिम देबबर्मा, को श्री बहिजॉय त्रिपुरा के नेतृत्व में भारी हथियारबंद एनएलएफटी उग्रवाद समूह की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली। इस समूह ने आस-पास के गांवों से जबरन धन वसूली करने के उद्देश्य से बंग्लादेश के मयानी छेरा से सटी बीपी संख्या 2272 के निकट स्थित बांग्लादेश की सीमा से लगे घने जंगल में लगभग 15 मिलोमीटर दूर श्री कुमबासरी त्रिपुरा की झुम झोपडी में शरण ली हुई थी। ऐसी पक्की और विशिष्ट सूचना मिलने पर सूबेदार (जीडी) बंकिम देबबर्मा ने युक्ति और रणनीतिक तरीके से अपने साथियों के साथ एक उचित योजना तैयार की। इसके बाद, सूबेदार (जीडी) बंकिम देबबर्मा ने 22 चुनिंदा कार्मिकों के साथ उग्रवादियों के विरुद्ध बिना समय गंवाए एक आक्रामक कार्रवाई आरंभ की। वे लक्षित स्थल की ओर बढ़े और जब वे लक्ष्य से लगभग 01(एक) किलोमीटर दूर थे, तब उन्होंने अपने दल को आक्रमण हेतु हमला करने वाली पार्टी और रणनीतिक रुप से उनके बचकर निकलने के रास्ते को बंद करने के लिए कट-ऑफ पार्टी के रुप में दो समूहों में बांट दिया।

जब वे अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए ऑटोमेटिक हथियारों की रेंज में लक्षित क्षेत्र के काफी नजदीक पहुंचे, तो हथियारबंद उग्रवादियों ने टीएसआर दल की उपस्थिति और गतिविधि को भांग लिया और अपने ऑटोमेटिक हथियारों से भारी गोलीबारी आरंभ कर दी। कोई और विकल्प न होने पर सूबेदार (जीडी) बंकिम देबबर्मा और उनके दल ने पोजीशन ली और अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने हथियारों से गोलीबारी करके जवाब दिया। इसके बाद, भारी हथियारबंद उग्रवादियों और एसआर दल के बीच भारी गोलीबारी हुई जिन्होंने हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा चलाई गई लगभग 200 रांउड गोलियों के जवाब में सूबेदार (जीडी) बंकिम देबबर्मा के नेतृत्व में 164 राउंड गोलियां चलाई, जो तीस (30) मिनट से अधिक समय तक जारी रही और उग्रवादियों को अपनी पोजीशन छोड़ने तथा दुर्गम भू-भाग का लाभ उठाकर बांग्लादेश की सीमा, जो घटना स्थल के काफी नजदीक है, की ओर भागने के लिए मजबूर कर दिया।

इसके बाद, सूबेदार (जीडी) बंकिम देबबर्मा ने घटना स्थल की पूरी तलाशी की और ओलिव ग्रीन रंग की वर्दी में अनेक गोलियों से छलनी एक उग्रवादी का शव, एक एके-47 राइफल, दो मैगजीनें, 50 (पचास) जिन्दा राउंड, चीन में निर्मित दो जिन्दा ग्रेनेड, दो पिट्ठू एक पोर्टेबल सोलर प्लेट और मृतक की व्यक्तिगत सामग्री के साथ नौ जनजातीय ग्राम प्रमुखों को सम्बोधित एनएलएफटी प्रिंटेड लेटर पैड के नौ (9) चन्दा नोटिस बरामद किए। उक्त शव की बाद में उसकी बहन श्रीमती कलाती त्रिपुरा द्वारा गंडाछेरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ताराबन कालोनी, हरीपुर के बहिजाँय त्रिपुरा उर्फ बॉयजॉय त्रिपुरा उर्फ बाशी त्रिपुरा (35) पुत्र श्री कंचनमोहन त्रिपुरा के रुप में पहचान की गई। यह आईपीसी की धारा 148/149/120(क)/353/307/384 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख) (क)/27,ई.एस. अधिनियम की धारा 5 और यूएलए (पी) अधिनियम की धारा 10/13 के तहत रायशियाबारी पुलिस स्टेशन के मामला संख्या 06/2012 के संदर्भ में है।

सम्पूर्ण कार्रवाई के दौरान सूबेदार बंकिम देबबर्मा ने सभी स्तरों पर अर्थात अपने व्यक्तिगत तथा शौर्यपूर्ण नेतृत्व में आसूचना एकत्र करने, आयोजना, कार्रवाई के निष्पादन में उच्चकोटि की पहल, दृढ़संकल्प और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया।

वास्तव में यह सूबेदार बंकिम देबबर्मा द्वारा किया गया अनुकरणीय बहादुरी और वीरतापूर्ण कार्य का मामला है जिसमें आधुनिक हथियारों और गोलाबारुद तथा अनेक अन्य अभिशंसी सामग्रियों की बरामदगी के साथ उनके मुखिया को मारकर हथियारबंद एनएलएफटी उग्रवादी समूहों के विरुद्ध लड़ाई में आश्चर्यजनक उपलब्धि प्राप्त की जिससे उग्रवादियों को भारी झटका लगा और कार्रवाई करने वाले दलों के मनोबल को बढावा मिला।

इस मुठभेड़ में श्री बंकिम देबबर्मा, सूबेदार ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 22/07/2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 148-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों का नाम और रैंक</u>

सर्व/ श्री

01. राम शंकर सिंह,
कांस्टेबल

02. रवेन्द्र सिंह यादव,
कांस्टेबल

03. चन्द्र पाल सिंह,
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 29.09.2011 को एसटीएफ दल को एक विश्वसनीय सूचना मिली। उक्त सूचना के आधार पर, अन्य लोगों के साथ-साथ उप-निरीक्षक हरपाल सिंह, कांस्टेबल राम शंकर, कांस्टेबल कमांडो रवेन्द्र कुमार सिंह और कांस्टेबल कमांडो चन्द्र पाल सिंह वाला एक दल 50,000/- रु0 के घोषित इनाम वाले खतरनाक डाकू शिवकुमार कोल के गैंग को पकडने के लिए धारकुंडी के रास्ते की ओर जंगल में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा। जैसे ही वे डाकुओं के नजदीक पहुंचे, तो मुखबिर ने उनकी पहचान हरिया गैंग

के रुप में की। इस पर, दल ने नेता ने उन्हें समर्पण करने के लिए चेतावनी दी जिसका जवाब गैंग ने उन पर गोलियों और उन्हें मारने के इरादे से पुलिस कार्मिकों को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलीबारी से दिया।। उनके द्वारा चलाई गई अनेक गोलियां जमीन को भेद गईं और गोलीबारी से बेखौफ पुलिस दल बाल-बाल बच गया। कांस्टेबल राम शंकर, कांस्टेबल/कमांडो रवेन्द्र सिंह और कांस्टेबल/कमांडो चन्द्र पाल सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना और साथ ही युद्ध कौशल की विभिन्न युक्तियों को अपनाकर गैंग की ओर बढ़े। डाकू गैंग की लगातार गोलीबारी इन कमांडों की प्रगाढ़ कर्तव्य भावना को नहीं हिला सकी और वे अनुकरणीय साहस और बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए गैंग की ओर आगे बढ़े जिसके दौरान गैंग द्वारा चलाई गई गोलियां अनेक बार उनके पास से निकल गई। बांयी ओर से गैंग को कवर करने के लिए दल के नेता के अनुदेश पर, कांस्टेबल राम शंकर, कांस्टेबल/कमांडो रवेन्द्र सिंह और कांस्टेबल/कमांडो चन्द्र पाल विवेक पूर्ण रणनीतिक गतिविधियों के साथ कर्तव्य के प्रति उच्चतम समर्पण का प्रदर्शन करते हुए बहादुरी पूर्वक रेंगकर आगे बढ़े और आत्मरक्षा में गोलीबारी की। दोनों ओर से तीव्र गोलीबारी के दौरान, एक डाकू को गोली लगी और कुछ देर के बाद गोलीबारी रुक गई। गैंग के अन्य सदस्य घटना स्थल से भाग गए। जांच करने पर जमीन पर पड़ा घायल अपराधी मृत पाया गया और बाद में उसकी पहचान खतरनाक डाकू गैंग नेता शिवकुमार कोल उर्फ हरिया के रुप में हुई।

बरामदगी

(क)	फैक्ट्री में निर्मित राइफल	-	01
(ख)	जिन्दा कारतूस	-	50
(ग)	.315 बोर के खाली खोखे	-	04
(घ)	फैक्ट्री में निर्मित डीबीबीएल बन्दूक	-	01
(ङ)	12 बोर के खाली खोखे	-	03

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री राम शंकर सिंह, कांस्टेबल, रवेन्द्र सिंह यादव, कांस्टेबल और चन्द्र पाल सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 29/09/2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 149-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. अतुल कुमार सिंह,
हेड कांस्टेबल

02. मणि चन्द्र,
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 02.04.2011 को खुंखार अपराधियों के एक खतरनाक गैंग के बारे में प्राप्त आसूचना संबंधी जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, उप-निरीक्षक डी.पी.सिंह ने अपने दल के साथ मुखबिर द्वारा पुष्टि किए जाने के पश्चात मोटर साइकिल पर जा रहे 03 अपराधियों को रोका। पुलिस दल ने अपराधियों को आत्म समर्पण करने के लिए चेतावनी दी। अपराधियों ने उन्हें मारने के इरादे से अचानक अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी। अपराधियों की गोलीबारी से बेखौफ हेड कांस्टेबल अतुल कुमार सिंह और कांस्टेबल/कमांडो मणिचन्द्र अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपराधियों की गोलीबारी की सीमा में आए और आत्मरक्षा में गोलीबारी करते हुए अपराधियों को पकड़ने के लिए आगे बढे। अपराधी द्वारा चलाई गई एक गोली कमांडो मणि चन्द्र को लगी। गंभीर रुप से घायल होने के बावजूद वे गोलीबारी करते हुए उसकी ओर आगे बढ़े। हेड कांस्टेबल अतुल कुमार सिंह ने गोली चलाई जो अपराधी को लगी और वह घायल हो गया। यह देखने पर कि कंमाडों को गोली लग गई है, हेड कांस्टेबल अतुल कुमार सिंह जोर से चिल्लाए जिसे सुनकर उप-निरीक्षक एस.एन. यादव वापस आए और स्थिति का जायजा लेने के बाद सावधानीपूर्वक रेंगकर अपराधी तक पहुंचे। इसके बाद यह पता चला कि गोलीबारी के दौरान जिस अपराधी को गोली लगी थी, उसकी सांसे नहीं चल रही हैं और दूसरा अपराधी पकड़ लिया गया है। पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम अतुल कुमार कौशल बताया और मृतक की पहचान विमल उपाध्याय के रुप में की। पिछली सीट पर बैठा दूसरा अपराधी भाग गया। आमने-सामने की इस उग्र मुठभेड में, जो एक गांव में हुई थी और जहां महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष राहगीर खतरनाक हथियारों के साथ खूंखार अपराधियों और पुलिस दल के बीच गोलीबारी में फंस गए थे, हेड कांस्टेबल अतुल कुमार और कमांडो मणि चन्द्र के नेतृत्व वाले दल ने लोगों को हताहत होने से बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अत्यधिक साहस एवं सूझबूझ के साथ खूंखार अपराधियों का सामना किया और उन्हें चुनौती दी तथा पूर्ण कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन किया।

<u>बरामदगी</u>:

(क)	देशी पिस्तौल	- 02
(ख)	जिन्दा कारतूस	- 02
(ग)	.35 बोर के जिन्दा कारतूस	- 05
(घ)	.32 बोर के जिन्दा कारतूस	- 05
(ड.)	मोबाइल फोन	- 03
(च)	बजाज डिस्कवर मोटर साइकिल	- 01

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अतुल कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल और मणि चन्द्र, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 02/04/2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 150-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री विजय प्रकाश सिंह,
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 15.02.2010 को, एसएचओ जहांगीराबाद और श्री विजय प्रकाश सिंह, निरीक्षक, कोतवाली शहर, जिला बुलंदशहर को एसएसपी, बुलंदशहर से 30,000/-रु0 के इनाम वाले कुख्यात अपराधी अंकित चौहान की गतिविधि एवं कोतवाली शहर क्षेत्र में कोई जघन्य अपराध करने की सूचना प्राप्त होने पर, वे तुरंत हरकत में आए और कोतवाली शहर में पुलिस बल लगा दिया और अपराधी को पकड़ने के लिए एक रणनीति बनाई तथा इसे अमल में लाने के लिए एसएचओ जहांगीराबाद, श्री विजय प्रकाश, निरीक्षक और स्टेशन अधिकारी गुलावटी के नेतृत्व में तीन पुलिस दल बनाए। ये दल बुलंदशहर शहर के विभिन्न प्रवेश स्थलों पर पहुंचे और वाहनों की गहन जांच शुरु की।

एस0ओ0 गुलावटी ने भुर-क्रांसिंग पर वाहनों की जांच करते समय दिल्ली की ओर से आती एक काले रंग की टवेरा कार देखी और उसे रुकने के लिए कहा लेकिन कार तेजी से शहर की घनी आबादी वाली सड़क डी0ए0वी कालेज रोड पर चली गई। पुलिस दल ने रणनीतिपूर्वक उसका पीछा किया, लेकिन बदमाशों ने गोलीबारी शुरु कर दी और सौभाग्यवश बच गए। एस0ओ0 गुलावटी ने अन्य दो दलों को सचेत किया। श्री विजय प्रकाश सिंह और एसएचओ जहांगीराबाद अपने दल के साथ तुरंत डी0ए0वी कालेज रोड की ओर गए और जैसे ही उन्होंने रेलवे क्रांसिंग पार की तो उन्होंने उक्त कार को देखा। बदमाशों ने अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ पाकर जल्दबाजी में अपनी कार रोकी और चार बदमाशों ने लगातार गोलीबारी करते हुए कार को वहीं छोड़ दिया तथा भारी ट्रैफिक और स्कूल जाने वाले बच्चों की आवाजाही का फायदा उठाकर तीन बदमाश बच निकले। उनका पीछा किया गया लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका जबकि एक बदमाश सड़क के किनारे कियोस्क के पीछे छिप गया और गोलीबारी करता रहा। पुलिस दलों ने अपने अपने वाहनों के पीछे पोजीशन ले ली।

चीनी मिल के पास वाली छोटी बाउंड्री दीवार से बदमाश के बच निकलने की संभावना को भांपते हुए श्री विजय प्रकाश आगे बढे और उसे चेतावनी दी, लेकिन बदमाश द्वारा लगातार गोलीबारी के कारण उन्हें एक गोली लगी और वे जख्मी हो गए, लेकिन श्री विजय प्रकाश सिंह पुलिस दलों को

प्रोत्साहित करते रहे। श्री विजय प्रकाश और एसएचओ जहांगीराबाद ने अनुकरणीय साहस, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना का प्रदर्शन किया, अपनी जान को अत्यधिक जोखिम होने पर भी वे उसे जिन्दा पकड़ने के निश्चित इरादे से अपनी पोजीशन छोड़कर आगे बढे और आत्म रक्षा में नियंत्रित गोलीबारी के साथ बदमाश को चेतावनी दी जिससे बदमाश नीचे गिर गया, जिसकी पहचान अपराधी अंकित चौहान के रुप में हुई।

बरामदगी:

1. मैगजीन के साथ इटली में बनी एक फैक्ट्री निर्मित पिस्तौल, 02 जिन्दा कारतूस और 09 एमएम बोर के 02 खाली खोखे।

2. मैगजीन के साथ यूएसए में बनी एक फैक्ट्री निर्मित पिस्तौल, .32 बोर के 08 खाली खोखे।

इस मुठभेड़ में श्री विजय प्रकाश सिंह, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 15/02/2010 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 151-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री विजय भूषण
अपर पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 01/05/2007 को लखनऊ में स्कूल जाते समय मोहित चन्दानी नामक 16 वर्षीय लड़के का अपहरण कर लिया गया था। यह सनसनीखेज अपराध दिन के उजाले में किया गया था। कुछ ही घण्टों के बाद अपहरणकर्ताओं ने उसकी रिहाई के लिए पचास लाख की फिरौती की मांग की। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक दोनों ही मीडिया में इस अपराध की विस्तृत खबर दी गई और यह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया।

इस मामले के समाधान और लड़के को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने के लिए श्री विजय भूषण, अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष कार्य दल (एसटीएफ) का गठन किया गया।

श्री विजय भूषण और उनके दल द्वारा इकट्ठी की गई सूचना और की गई छानबीन से पता चला कि अपहृत लड़के को बाराबंकी जिले के गणेशपुर गांव में एक वीरान मकान में बन्दी बनाकर रखा गया

था। श्री विजय भूषण के नेतृत्व में उक्त दल शीघ्र ही गांव में एक परित्यक्त मकान में बन्दी बनाकर रखा गया था। श्री विजय भूषण के नेतृत्व में उक्त दल शीघ्र ही गांव में पहुंचा और क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया। बचाव कार्य शुरु करने से पहले श्री विजय भूषण ने अपनी कमान के तहत पुलिस बल को दो दलों में बांट दिया जिसमें से एक दल का नेतृत्व उन्होंने स्वयं और दूसरे दल का नेतृत्व श्री साहब रशीद खान, उप पुलिस अधीक्षक ने किया। इसके बाद दोनों दलों ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरु की।

श्री विजय भूषण के नेतृत्व वाले पुलिस दल को देखते ही अपहरणकर्ताओं ने अपने हथियारों से घर के अन्दर से गोलीबारी शुरु कर दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय भूषण ने अपराधियों को गोलीबारी रोकने और आत्म-समर्पण करने की चेतावनी दी, किन्तु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे गोलीबारी करते रहे। योजना के अनुसार श्री विजय भूषण, अपर पुलिस अधीक्षक, उप निरीक्षक, विनय कुमार गौतम, हेड कांस्टेबल गजेन्द्र पाल सिंह, उप पुलिस अधीक्षक साहब रशीद खान और हेड कांस्टेबल अनिल कुमार सिंह युक्तिपूर्वक घर में घुस गए और जिन अपराधियों ने आत्मसमर्पण करने से इन्कार किया था, उन्हें मुठभेड़ में उलझा दिया। विशेष कार्य दल के सदस्यों ने निकट से गोलियों और गोलीबारी का, सामना करके दो अपहरणकर्ताओं को मार गिराया और मोहित चन्दानी नामक लड़के को अपहरणर्ताओं के चंगुल से जीवित बचाने में सफल रहे।

श्री विजय भूषण, आईपीएस, पुलिस अधीक्षक, एच आर सेल तथा तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक विशेष कार्यदल (एसटीएफ) ने अपने कर्तव्य की परिधि से बढ़कर उच्च कोटि की वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। अपने जीवन को गम्भीर खतरे के बावजूद वे उस परिसर में घुस गए जहां अपहरणकर्ता छिपे हुए थे और उन्हें मुठभेड़ में उलझाकर मार गिराया। वे मोहित चन्दानी नामक लड़के को बिना कोई चोट पहुंचे बचानें में भी कामयाब रहे।

<u>बरामदगी:</u>

1.	देशी पिस्तौल .315 बोर	-02
2.	जिन्दा कारतूस.315 बोर	-04
3.	खाली कारतूस .315 बोर	-06

इस मुठभेड़ में श्री विजय भूषण, अपर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक का द्वितीय बार नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 08.05.2007 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 152-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. अविनाश चन्द्र,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

02. विशम्भर दयाल शुक्ला,
अपर पुलिस अधीक्षक

03. सर्वेश कुमार राणा,
अपर पुलिस अधीक्षक

04. राजीव नारायण मिश्रा,
उप पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

पांच उग्रवादियों ने एक प्राइवेट जीप किराए पर ली और दिनांक 05.07.2005 को प्रात: 9.15 बजे जैन मन्दिर के समीप उसमें विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट के परिणामस्वरुप 8 से 10 मीटर तक घेराबन्दी टूट गई। धुंए और शोरगुल का फायदा उठाते हुए आतंकवादी अपनी पीठ पर बैग उठाए और हाथों में स्वचालित हथियार लिए हुए परिसर में घुस गए और आरजेबी/बीएम के मुख्य ढांचे के आन्तरिक घेरे की ओर भागे। कम्पनी कमाण्डर कृष्ण चन्द्र सिंह और प्लाटून कमाण्डर नरेश सिंह यादव के नेतृत्व में गश्त की डयूटी पर तैनात पीएसी के जवानों ने तत्काल पोजीशन ली और अपनी जान की परवाह न करते हुए पुलिस बल पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर रहे आतंकवादियों पर जबावी गोलियां चलानी शुरु की दी। श्री मुशर्रफ अली, हेड कांस्टेबल, श्री शत्रुघन दूबे, हेड कांस्टेबल और श्री हिमांशु यादव कांस्टेबल ने अनुकरणीय साहस प्रदर्शित किया। कम्पनी कमाण्डर विजातो टीनो और महिला कम्पनी कमाण्डर सन्तो देवी के नेतृत्व में आन्तरिक घेरे में ड्यूटी पर तैनात सी आर पी एफ के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने-अपने मोर्चों से आतंकवादियों के हमले का शीघ्रता से जवाब दिया। नन्द किशोर सिंह, उप निरीक्षक, सी आर पी एफ, श्री सुलतान सिंह, हेड कांस्टेबल, सी आर पी एफ और श्री धर्मवीर सिंह, हेड कांस्टेबल, सी आर पी एफ द्वारा असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया गया। सी आर पी एफ के ये तीनों जवान गोलियों से घायल हो गए। आर जे बी/बी एम परिसर पर आतंकवादी हमले का संदेश वायरलेस के माध्यम से तुरन्त पुलिस अधिकारियों तक पहुंच गया। फैजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश चन्द्र अपनी टीम, जिसमें सर्कल आफिसर सिटी श्री राजीव नारायण मिश्रा और अन्य लोग शामिल थे, सहित लगभग प्रात: 9.35 बजे जनरेटर कक्ष के निकट पहुंचे और अपनी पोजीशन ले ली। इन दोनों अधिकारियों ने असाधारण साहस और बहादुरी दिखाते हुए और अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकवादियों पर गोलियां चलाई जो मन्दिर की ओर ग्रेनेड फैंक रहे थे और अपने स्वचालित हथियारों से गोलियां चला रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक सिटी श्री बी.डी शुक्ला और अपर पुलिस अधीक्षक सुरक्षा श्री सर्वेश कुमार राणा भी मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गए

और सीता रसोई की ओर से अपनी पोजीशन ले ली और अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकवादियों से भिड़ गए। आतंकवादियों और सी आर पी एफ, पी ए सी और उत्तर प्रदेश पुलिस के संयुक्त पुलिस बलों के बीच लगभग डेढ़ घण्टे तक मुठभेड़ चलती रही। इसके परिणामस्वरुप पांचों आतंकवादी मारे गए जिन्होंने देशभर में साम्प्रदायिक असद्भाव और दंगे फैलाने के बुरे इरादे से मन्दिर पर हमला किया था । पुलिस बलों के इस प्रयास की समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रशंसा और सराहना की गई।

<u>की गई बरामदगियां:</u>

1. 05 ए.के.-47 राइफलें, 09 मैगजीनें और 141 जिन्दा कारतूस।
2. 02 रॉकेट लान्चर ट्यूब।
3. 15 ग्रेनेड।
4. 01 पिस्तौल और 04 जिन्दा कारतूस।
5. 01 चीनी पिस्तौल।
6. 01 कुरान शरीफ गुटका (मुसलमानी धार्मिक पुस्तक)।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अविनाश चन्द्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विशम्भर दयाल शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक, सर्वेश कुमार राणा, अपर पुलिस अधीक्षक और राजीव नारायण मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 05/07/2005 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 153-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. राजेश सिंह चौहान, हेड कांस्टेबल (मरणोपरान्त)

02. बृजेश कुमार यादव़, कांस्टेबल (मरणोपरान्त)

03.	उमा शंकर यादव, कांस्टेबल	(मरणोपरान्त)
04.	गिरीश चन्द्र नागर, कांस्टेबल	(मरणोपरान्त)
05.	लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, कांस्टेबल	(मरणोपरान्त)
06.	ईश्वर देव सिंह, कांस्टेबल	(मरणोपरान्त)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

श्री धीरेन्द्र कुमार राय के नेतृत्व में विशेष कार्य बल का दल थोकिय उर्फ अम्बिका पटेल (आई एस-229) के खूंखार गैंग के बारे में आसूचना एकत्र कर रहा था। गैंग लीडर थोकिया पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। विशेष कार्य बल गैंग की गतिविधियों को रोकने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास कर रहा था। दिनांक 22-07-2007 को श्री धीरेन्द्र कुमार राय, उप पुलिस अधीक्षक सहित विशेष कार्य बल पुलिस दल के साथ चित्रकूट में उपस्थित थे। ये आसूचनाए प्राप्त हो रही थीं कि यह गैंग सकरी बेडा़ के जंगल में उपस्थित है और कुछ सनसनीखेज अपराध करने वाला है और उसी क्षेत्र में गैंग की उपस्थिति का पता चला था। दिनांक 22-05-2007 को लगभग प्राप्त: 5 बजे उक्त टीम छानबीन के लिए जंगल में गईं। दो टीमें बना दी गईं। उप पुलिस अधीक्षक श्री डी.के. राय के नेतृत्व में पहली टीम में श्री डी.के. राय, डीएसपी, उप निरीक्षक सर्वश्री शैलेन्द्र सिंह, शरद तिराला, महावीर सिंह, हेड कांस्टेबल योगेश कुमार शर्मा, कांस्टेबल बृजेश तिवारी, कमाण्डो उपेन्द्र सिंह, लक्ष्मण शर्मा, मनीष उपाध्याय शामिल थे और दूसरी टीम में उप निरीक्षक दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में एस आई दिनेश कुमार यादव, कांस्टेबल शेषम सिंह, हेड कांस्टेबल कमाण्डो शिव कुमार अवस्थी, राजेश चौहान कांस्टेबल कमाण्डो दिनेश सिंह, उमा शंकर, बृजेश यादव, गिरीश चन्द्र नागर और मुनीर अहमद शामिल थे। दोनों टीमों को जंगल में एक जल-स्रोत के समीप सुरक्षित स्थान पर तैनात किया गया था। कुछ समय पश्चात पहाड़ी/जंगल की दक्षिण दिशा से 4 व्यक्ति आते दिखाई दिए। जब उन्हें रुकने की चुनौती दी गई, तो वे खाने की टोकरियों को फेंक कर जंगल की ओर भाग गए। विशेष कार्य बल की टीम ने उनका पीछा किया और बेधा जंगल की पहाड़ियों पर चढ़ गई। डाकुओं ने पुलिस कर्मियों को मारने के इरादे से अचानक एस टी एफ टीम पर गोलियां चलानी शुरु कर दी। एस टी एफ टीम द्वारा चुनौती दिए जाने पर उन्होंने गालियां देनी शुरु कर दी और कहा कि उनको मारने के बाद उनके हथियार छीन लेगें। सुरक्षा का कोई विकल्प न होने के कारण एस टी एफ टीम ने आत्म-रक्षा में नियंत्रित तरीके से गोलीगारी शुरु की। यह मुठभेड़ सुबह 8 बजे से 9.15 बजे तक चलती रही। एस टी एफ टीम ने डाकुओं को रोकने की पूरी कोशिश की किन्तु डाकू कठिन भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर सफलतापूर्वक बचकर भाग गए। गोलीबारी रुकने पर एक डाकू मृत पाया गया जिसकी पहचान मइया दीन नामक एक सक्रिय कट्टर सदस्य के रुप में की गई।

मुठभेड़ समाप्त होने पर एस टी एफ टीम ने भगोड़े डाकुओं को खोजने के लिए छानबीन शुरु की। शाम को एस टी एफ टीम दो वाहनों में जंगल से वापस आ रही थी। जब टीम वर्षा के कारण कीचड़ भरी, ऊबड-खाबड़ तंग कच्ची सड़क से जा रही थी, तब वाहनों की गति धीमी हो गई। थोकिया उर्फ अम्बिका पटेल ने अपने गैंग के 30-35 सदस्यों के साथ टेकरी पर घात लगाने की योजना बनाई थी। गैंग ने एस टी एफ के वाहनों पर ताबड़-तोड़ गोलियां चलाई। आगे वाले एस टी एफ वाहन का ड्राइवर डाकुओं की गोली लगने के कारण गिर गया। कोई और विकल्प न होने के कारण एस टी एफ टीम ने रेंग कर पोजीशन सम्भाली और घात को तोड़ने के लिए गैंग पर जबावी गोलियां दागनी शुरु कर दी। एस टी एफ टीम द्वारा समय पर जबावी कार्रवाई करने के कारण डाकू वाहन के समीप जाने का साहस नहीं जुटा पाए। इस मुठभेड़ में एस टी एफ टीम के 6 सदस्यों नामत: हेड कांस्टेबल कमाण्डो राजेश सिंह चौहान, कांस्टेबल कमाण्डो बृजेश यादव, कांस्टेबल कमाण्डो उमा शंकर, कांस्टेबल कमाण्डो गिरीश चन्द्र नागर, कांस्टेबल कमाण्डो लक्ष्मण प्रसाद शर्मा और कांस्टेबल ड्राइवर ईश्वर देव सिंह ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इन 6 कार्मिकों, जिन्होने गैंग से लड़ते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, के अतिरिक्त, एस आई शैलेन्द्र सिंह, एस आई शरद तिलारा, एस आई दिनेश कुमार यादव, और एस आई महावीर सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अदम्य साहस का परिचय दिया।

<u>की गई बरामदगियां:</u>

1. फैक्टरी निर्मित .315 बोर की राइफल
2. .315 बोर के 88 जिन्दा कारतूस
3. 7.65 बोर के 11 जिन्दा कारतूस
4. 8 बोर के 09 जिन्दा कारतूस
5. फ्यूज सहित एक हैण्ड ग्रेनेड़

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री स्व. राजेश सिंह चौहान, हेड कांस्टेबल, स्व. बृजेश कुमार यादव, कांस्टेबल, स्व. उमा शंकर यादव कांस्टेबल, स्व. गिरीश चन्द्र नागर, कांस्टेबल, स्व. लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, कांस्टेबल और स्व. ईश्वर देव सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 22/07/2007 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 154-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री विनीत कुमार गोयल,
उप महानिरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 24/11/2011 को पश्चिम मिदनापुर के पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी, आई पी एस और श्री अलोक राजोरिया, आई पी एस, अपर पुलिस अधीक्षक (प्रचालन) झारग्राम ने यह सूचना मिलने पर कि सी पी आई (माओवादी) का एक उच्च पोलित ब्यूरो सदस्य और उसका सशस्त्र दल जामबनी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत खुशबानी जंगल क्षेत्र में और उसके आसपास मौजूद हैं, उनके छिपने के स्थान की टोह ली। टोह लेने के दौरान, वे अपनी जान की परवाह किए बगैर भारी बारुदी सुरंगो वाले जंगल के क्षेत्र में गए, जिस पर पूरी तरह सशस्त्र माओवादी समूहों ने अधिकार किया हुआ था।

क्षेत्र की टोह लेने के पश्चात, उन्होने श्री सुमित कुमार, आई पी एस, एस डी पी ओ झारग्राम और 207 कोबरा बटालियन के अधिकारियों सहित श्री विनीत कुमार गोयल, आई पी एस, उप महानिरीक्षक मिदनापुर रेंज के नेतृत्व में सतर्कतापूर्ण एक तेज कार्रवाई की योजना बनाई। योजना बनाने के पश्चात, श्री विनीत कुमार गोयल आई पी एस ने संयुक्त बलों को भू-भाग, खतरों और सशस्त्र कैडरों के पास शस्त्रों और गोला-बारुद आदि के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया।

योजना के अनुसार, विनीत कुमार गोयल, आई पी एस और प्रवीण कुमार त्रिपाठी आई पी एस समग्र कमान सम्भालते हुए अपनी टीमों के साथ युक्ति पूर्वक बरीशोल जंगल के समीप लक्षित छिपने के स्थल की ओर बढ़े। अपने-अपने स्थलों पर पहुंचने के बाद टीमों ने क्षेत्र की घेराबन्दी की।

लगभग 1630 बजे, जब श्री आलोक राजोरिया के नेतृत्व ने आक्रमण-टीम लक्षित छिपने के स्थान के समीप पहुंची, तब 12-15 सशस्त्र कैडरों ने ताबड़-तोड़ गोलियां चलानी और ग्रेनेड फेंकने शुरु कर दिए। इस पर कांस्टेबल तपस घोष, डी ए पी झारग्राम, एसी नगेन्द्र सिंह, एसी बिनोज पी.जोसेफ, एस. श्रीनू सिपाही/जीडी, सिपाही/जीडी एस. मथुबेला एनओ, सिपाही/जीडी बिरेन्द्र कुमार सिंह, सिपाही/जीडी दीपक कुमार और आलोक राजोरिया आई पी एस के नेतृत्व में सारी 207 कोबरा बटालियन अपनी जानों को गम्भीर खतरे में डालते हुए असाधारण साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए और गोली चलाकर आगे बढ़ने की रणनीति अपनाते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र संगठनों द्वारा चलाई जा रही गोलियों से बचते हुए रणनीति पूर्वक आगे बढ़े और सशस्त्र संगठनों द्वारा चलाई जा रही गोलियों और फेंके जा रहे ग्रेनेड स्प्लिन्टरों के बीच गोलियां चलायी।

इसी बीच कुछ सशस्त्र कैडरों ने जंगल के अन्य छोरों पर तैनात टीमों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। गोलीबारी के बीच, विनीत कुमार गोयल और प्रवीण कुमार ने अदम्य साहस दिखाते हुए जंगल की सीमा की ओर रेंगते हुए गए और सशस्त्र कैडरों को पकड़ने के उद्देश्य से उनकी ओर बढ़े। साहसिक नेतृत्व और उच्चतम व्यावसायिक बुद्धिमत्ता दर्शाते हुए उन्होंने न केवल सशस्त्र कैडरों का तेजी से पीछा करते हुए उन्हें निकटवर्ती बरीशोल गांव में जाने पर मजबूर किया अपितु पूरी कार्रवाई के दौरान अन्य टीमों के साथ समन्वय, सम्प्रेषण और मार्गदर्शन की व्यवस्था भी बनाए रखी ताकि पुलिस की ओर

किसी भी क्षति/दुर्घटना को होने से रोका जा सके। इस कार्रवाई के परिणामवरुप कुछ सशस्त्र कैडरों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली।

दूसरी ओर, सुमित कुमार आई पी एस और कांस्टेबल बापी सिन्हा ने सशस्त्र काडरों की भारी गोलीबारी का सामना करते हुए तथा अनुकरणीय वीरता प्रदर्शित करते हुए टीम के सदस्यों के जीवन की रक्षा करने और सशस्त्र कैडरों को पकड़ने के उददेश्य से उन पर गोलियां चलायी जिससे सशस्त्र कैडर वापस भाग गए।

आधे घण्टे तक चली गोलीबारी के बाद उक्त क्षेत्र की तलाशी के दौरान, जमीन पर एक व्यक्ति, जिसके हाथ में एके-47 थी (जिसकी पहचान बाद में सी पी आई (माओवादी) के उच्च पोलित ब्यूरो के सदस्य के रुप में हुई) का शव मिला। और तलाशी करने पर, निकट ही एक एकेएम राइफल, नकदी का बैग, माओवादी साहित्य, हार्ड डिस्कें और अन्य सामग्री भी बरामद हुई ।

इस पूरी कार्रवाई में कट्टर माओवादियों की ओर से भारी गोलीबारी और अपनी जीवन को खतरा होने के बावजूद अधिकारियों और कार्मिकों ने अत्यन्त चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अनुकरणीय साहस और उत्कृष्ट नेतृत्व, वीरता, कर्त्तव्य परायणता, जान को खतरे की परिस्थितियों में अनुकरणीय धैर्य का प्रदर्शन किया और वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई में प्रेरक सफलता प्राप्त की। पुलिस कार्मिकों की वीरतापूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरुप पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद को गहरा झटका लगा जिससे व्यवस्था और शान्ति दिखाई देने लगी।

<u>बरामदगी</u>

1.	अर्सेनल नं. केटी-435182 वाली एके-47 राइफल	-01
2.	कैमोफ्लेज कलर का सूती गोलाबारुद का पाउच	-01
3.	चैन लगा कई जेबों वाला काले रंग का छोटा रैक्सीन बैग (जिसमें हार्ड डिस्कें, पेन ड्राइव और माओवादी साहित्य था)	-01
4.	मोटोरोला का वायरलेस हैण्ड सेट-	-01
5.	क्षतिग्रस्त 500 जी बी का हार्ड डिस्क स्टोर जेट	-01
6.	क्षतिग्रस्त 320 जीबी का हार्ड डिस्क सीगेट	-01
7.	टूटी हुई सी डी	-01
8.	पेंसिल टार्च लाइट (काले रंग की)	-01
9.	सैमसंग मोबाइल फोन (काले रंग का)	-01
10.	नोकिया मोबाइल फोन (काले रंग का)	-01
11.	प्लास्टिक पाकेट में यू एस बी कोर्ड	-01
12.	डाटा कार्ड	-04

13.	मोबाइल की चिपें	-14
14.	रिलायन्स मोबाइल सिम कार्ड	-01
15.	बी एस एन एल मोबाइल सिम कार्ड	-01
16.	4 जी बी डाटा ट्रैवलर पेन ड्राइव	-01
17.	कार्ड रीडर जेम्बोनिक	-01
18.	पाकेट डायरी	-01
19.	एक प्लास्टिक पाकेट जिसमें पुलथू, तेल की बोतल सूती कपड़े के टुकड़े थे।	-01
20.	सुनहरे रंग के कवर सहित चश्मा	-01
21.	एक प्लास्टिक पाकेट जिसमें नेपथेलिन की 5 गोलियां थी	-01
22.	इयूरासेल बैटरी (छोटी)	-01
23.	बालपेन	-04
24.	थर्मामीटर	-01
25.	जिलेट ब्लेड	-04
26.	जिलेट रेजर	-01
27.	कैंची (छोटी)	
28.	लोटस मीडिया मेड काम्पैक्ट डिस्क	-01
29.	विभिन्न मूल्यवर्ग की 84,535/रुपए की कुल नकदी	
30.	एके-47 राइफल जिसमें बट संख्या एस ए पी/8-31, लगा था, स्लिंग सहित आर्सेनल संख्या बीई-445317 फिट किया गया था, चेम्बर में एक राऊंड 7.62 एम एम जिन्दा गोला-बारुद और मैगजीन में एक राऊंड 7.62 एम.एम जिन्दा गोला बारुद भरा था	-01
31.	7.62 एम-एम का खाली कारतूस	-02
32.	सफेद रंग की जर्किन-01	
33.	एक्टेंशन कार्ड सहित नोवाक्स कम्पनी की एक हियरिंग ऐड मशीन	-01
34.	चमड़े की चप्पल	-01

35. खून के धब्बे वाली एक सैमसंग मोबाइल बैटरी
जिसका नं. एबी-553446 बी यू था -01

इस मुठभेड़ में श्री विनीत कुमार गोयल, उप महानिरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 24.11.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 155-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/ श्री

01. अरुण कुमार,
उप कमांडेट

02. कमलेश सिंह,
कांस्टेबल

03. सत्यवीर सिंह,
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 41 बटालियन को जिला कांकेर (छत्तीसगढ़) के अत्यन्त संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया है। इस यूनिट का 'बी' कम्पनी आपरेटिंग बेस (सी ओ बी) उदानपुर नामक दूरवर्ती एवं एकाकी स्थान से प्रचालन कर रहा है। आस-पास का क्षेत्र नक्सलियों से बुरी तरह प्रभावित है, अत: सी ओ बी को प्रचालनात्मक और प्रशासनिक दृष्टि से स्वत: निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त आसूचना एकत्र करना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सी ओ बी नक्सलियों के गढ़ में अवस्थित है और उसे स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त है।

दिनांक 2 अप्रैल, 2012 को लगभग 0040 बजे कांस्टेबल कमलेश सिंह और कांस्टेबल सत्यवीर सिंह जिस समय मीडियम मशीन गन (एम एम जी) मोर्चा न. 09 पर डयूटी पर तैनात थे तब उन्होंने अपने हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर (एच एच टी आई) और नाइट विजन डिवाइस (एन वी डी) के माध्यम से सी ओ बी के उत्तर पश्चिम की ओर कुछ अजीब सी हलचल महसूस की। यह हलचल मोर्चा न.-09 से लगभग 150-200 मीटर की दूरी पर थी। कांस्टेबल कमलेश सिंह ने उसी दिशा में अपनी एच एच टी

आई और बाद में एन बी डी को केन्द्रित किया और पाया की बहुत से लोग छद्मवरण में गुप्त रुप से झुक-झुक कर एक के पीछे एक आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी रुपरेखा छिपाने के लिए स्वयं को कम्बलों से ढक रखा था। अपनी एच एच आई को और अधिक संकेन्द्रित करने पर ये सतर्क और अनुभवी सिपाही उक्त ग्रुप द्वारा ले जाए जा रहे हथियारों की पहचान कर सके। इन सतर्क सन्तरियों ने तत्काल सारे आस-पास के क्षेत्र की जांच की और लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर मोर्चा नं.14 की तरफ भी ऐसी ही हलचल पायी। वे तत्काल समझ गए कि मध्य रात्रि में उनके सी ओ बी को बड़ी संख्या में माओवादियों ने घेर लिया है। इन सन्तरियों ने कोई संकेत दिए बिना अपने कम्पनी कमाण्डर श्री अरुण कुमार, उप कमाण्डेट को इस घटना की सूचना दी।

श्री अरुण कुमार अपनी गतिविधि को छिपाते हुए युक्तिपूर्वक से सिपाहियों के पास पहुंच गए। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और इसके पश्चात नक्सलियों की संख्या, उनकी दूरी के साथ-साथ अपनी अवस्थिति का शीघ्रता से मूल्यांकन किया और तत्काल सी ओ बी को सतर्क किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि नक्सलियों को लेशमात्र संकेत दिए बगैर आसन्न खतरे का सामना करने के लिए कार्मिक विधिवत रुप से तैनात हैं और सुरक्षा की स्थिति पर्याप्त रुप से मजबूत है।

नक्सलियों ने हमला कर दिया और उन्होनें सबसे पहले बिजली की आपूर्ति काट दी, पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया जिसके पश्चात उन्होंने सी ओ बी पर दक्षिण-पश्चिम और उतर-पूर्व दिशाओं से छोटे हथियारों राकेट लांचरों, 2 इंच के मोर्टार, राकेट और मोलोटोव काकटेल आदि से गोलियों की बौछार कर दी ताकि पहले सी ओ बी को आंतकित कर सके और अधिक से अधिक लोगों को हताहत कर सकें तथा आतंक और अव्यवस्था फैलाकर अन्त में सी ओ बी को घेर सकें। पूर्णतया तैयार सी ओ बी कमाण्डर और सतर्क सैनिकों ने प्रतिरक्षा में पोजीशन ली, शत्रु की स्थिति का मूल्यांकन किया और घनी अंधेरी रात में नकसलियों की लक्षित दिशाओं में जबावी कार्रवाई की। सी ओ बी कमाण्डर ने धैर्य बनाए रखा और सुनिश्चित किया कि उत्साहित सैनिक न केवल हमले का जबाव देने में सक्षम हैं बल्कि इन नक्सलियों को घायल भी कर सकते हैं।

कम्पनी कमाण्डर के आदेशों पर कांस्टेबल कमलेश सिंह और कांस्टेबल सत्यवीर सिंह ने अपनी एम एम जी से लक्षित गोलीगारी करके नक्सलियों को उलझा दिया, जिससे काफी अधिक नक्सली हताहत हो गए। इसके साथ ही वे अपने एच एच टी आई और एन वी डी से सामान्य क्षेत्र की छानबीन भी करते रहे ओर उदानपुर के सी ओ बी के सैन्य दल को लगातार चेतावनी देते रहे और नक्सलवादियों की स्थिति के बारे में अद्यतन सूचना देते रहे। नक्सलवादियों द्वारा दागे गए बम चौकी पर गिरने लगे और कई खोखे मोर्चा संख्या 9 पर गिरे जहां कांस्टेबल कमलेश सिंह और कांस्टेबल सत्यवीर सिंह ने पाजीशन ले रखी थी। नक्सली हमले का मुख्य बल मोर्चा संख्या 09 और 14 को नष्ट करके कैंप में घुसने पर था। यह महसूस करने पर कांस्टेबल कमलेश सिंह ने उस राकेट लाँचर डेट को नष्ट करने का निर्णय लिया जिससे सीधे चौकी पर गोलीबारी की जा रही थी। वे कांस्टेबल सत्यवीर सिंह के साथ नक्सलियों की मारक गोलीबारी का मुकाबला करते हुए रेंगते हुए मोर्चे के आगे बढ़े। उन्होने राकेट लांचर डेट की अवस्थिति का पता लगाया और अदम्य साहस दर्शाते हुए उसे नष्ट कर दिया। एन वी डी के माध्यम से यह देखा गया कि नक्सली अपने कई मृतक/घायल साथियों को हटा रहे थे। अपनी

व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करके उनके द्वारा की गई साहसिक कार्रवाई से नक्सलियों द्वारा चौकी को नष्ट किए जाने से बचा लिया गया।

इसी बीच, नक्सलवादियों के एक दल ने भारी गोलीबारी करते हुए मोर्चा नं0 14 की ओर बढ़ने का प्रयास किया। इस पर श्री अरुण कुमार अपने चारों ओर गिरते हुए बमों और राकेटों का बहादुरी से सामना करते हुए मोर्चा नं0 14 की ओर भागे। उन्होंने उत्कृष्ट बहादुरी, सराहनीय नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया और नक्सलियों के हमले की तीव्रता कम करने के लिए भारी गोलीबारी करके कारगर जबावी कार्रवाई सुनिश्चित की और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पेशेवर तरीके से अपनी 51 एम एम मोर्टारों का प्रयोग किया और रणनीतिपूर्वक प्रकाशमान बमों और भारी विस्फोटक बमों का प्रयोग करके सीधी गोलीबारी की, जिससे काफी अधिक नक्सली हताहत हुए। युवा कम्पनी कमाण्डर ने अपने सैनिकों को सूझबूझ से गोलीबारी की दिशा बदलने के लिए प्रभावशाली तरीके से प्रेरित किया क्योंकि नक्सलवादी अपनी स्थिति बदल/समायोजित कर रहे थे जिससे विद्रोही बड़ी संख्या में हताहत हो गए।

श्री अरुण कुमार, 01 अप्रैल और 02 अप्रैल की भयानक मध्यरात्रि में 0040 बजे से 0330 बजे तक, भारी मात्रा में शस्त्रों से लैस नक्सलियों, जिनकी संख्या बाद में लगभग 200 बताई गई थी, के विरुद्ध लड़ाई जीत गए। अनुकरणीय कमाण्ड, आग्नेय अस्त्रों पर सराहनीय नियंत्रण सहित नेतृत्व गुणों और संसाधनों के इष्टतम उपयोग का प्रदर्शन करते हुए अरुण कुमार ने अपने बहादुर साथियों के साथ रात्रि 0330 बजे तक हमले का जवाब दिया और बहुत से नक्सलियों को मार गिराया और अन्यों को गम्भीर रुप से घायल कर दिया कि जो अपने हथियार और विस्फोटक छोड़ कर भाग गए। छत्तीसगढ़ राज्य के आसूचना ब्यूरो इस कार्रवाई के दौरान 4 नक्सलियों की कोयलीबेड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गोम ग्राम के निकट दाह-सस्कार की पुष्टि की।

यह कार्रवाई अपने संसाधनों के इष्टतम उपयोग सहित अपने सैनिकों का नेतृत्व करने वाले सुप्रशिक्षित उत्साहित कमाण्डर का एक ऐसा उदाहरण है, जिसमें घनी अंधेरी रात में क्षेत्रीय हथियारों का प्रयोग करने और बल के कैम्प पर नक्सलियों के एक अत्यन्त भयानक हमले की जबावी कार्रवाई के बावजूद उदानपुर गांव के आस-पास के क्षेत्र में कोई संपार्श्विक क्षति नहीं हुई।

समन्वय का स्तर और लड़ाई की पद्धति का उपयोग उच्च कोटि का था, जिससे अपनी ओर कोई हताहत नहीं हुआ। इसके अलावा नक्सलियों ने इस स्तर तक योजना बनाई थी कि उन्होंने कोयलीबेडा और सी ओ बी उदानपुर के बीच ऐसे मार्ग अवरोध बना दिए थे ताकि वहां किसी भी प्रकार के अतिरिक्त सैन्य बल को आने से रोका जा सके। इस घटना से लड़ाकू सैन्य दलों का मनोबल ऊँचा हुआ है और यह एक एकाकी सी ओ बी द्वारा आत्म-निर्भर आधार पर आक्रामक भावना के साथ रक्षात्मक कार्रवाई को दर्शाने वाला एक आदर्श मामला भी है।

<u>बरामदगी</u>

(क)	इम्प्रोवाइज्ड क्रूड राकेट लान्चर	-01
(ख)	ब्लाइंड एचई मोर्टार बम	-04
(ग)	पेट्रोल बम	-20

(घ)	इम्प्रोवाइज्ड पेट्रोल/एचई राकेट	-06
(ड.)	राकेट प्रोजेक्टाइल का स्क्रेप	-07
(च)	वायर कटर	-01
(छ)	डेटोनेटर	-04
(ज)	चाकू (छोटा)	-01
(झ)	कैमोफ्लेज कैप	-02

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अरुण कुमार, उप कमाण्डेंट, कमलेश सिंह, कांस्टेबल और सत्यवीर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 02/04/2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 156-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/ श्री

01. के0 कुमारन, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

02. अर्जुन ओरांव,
कांस्टेबल

03. वी0 वी0 प्रसाद गंजला,
कांस्टेबल

04. सी0 आर0 सोरेन,
हेड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

अनुमोदित कार्रवाई योजना के अनुसार दिनांक 26-3-2012 को लगभग 0735 बजे 76 कार्मिकों के दो दल श्री के. जयशंकर, 217 बटालियन के उप कमाण्डेट की कमान के अधीन क्षेत्र पर कब्जा और तलाशी कार्रवाई करने के लिए कैम्प से रवाना हुए। दोहरी पंक्ति बनाते हुए एक दल ने बांयी ओर और दूसरे दल ने दांयी ओर को कवर किया। जब तक इन दोनों दलों ने लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी

तय कर ली थी, तभी लगभग 0810 बजे नक्सलवादियों ने पेड़ों और बांधों के पीछे अति सुरक्षित स्थिति में इन दलों पर बायीं और दांयी ओर से सामने से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी। इन दलों ने भी तत्काल जबावी गोलियां चलायीं। चूंकि नक्सलवादी अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, अत: दांयी ओर सामने की स्थिति में खड़े डी/217 पार्टी के कांस्टेबल/जीडी के0 कुमारन, कांस्टेबल/जीडी अर्जुन ओरांव ने तत्काल स्थिति सम्भाली और नक्सलियों के हमले पर जबावी कार्रवाई करते हुए जबावी गोलीबारी की। उन पर भारी गोलीबारी होने के बावजूद वे रणनीतिपूर्वक आगे बढ़े और निकट से गोलीबारी शुरु कर दी। कांस्टेबल/जीडी के0कुमारन और कांस्टेबल/जीडी अर्जुन सिंह ने दृढ़ निश्चय दर्शाते हुए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर छिपे हुए नक्सलवादियों द्वारा उनकी दिशा में की जा रही गोलियों की बौछार का कारगर ढंग से मुकाबला किया। जैसा कि नक्सलियों की ओर से आने वाली चीखों और आहों से पता चला, कांस्टेबल/जीडी के0 कुमारन और कांस्टेबल/जीडी अर्जुन ओरांव के साहसिक जवाबी आक्रमण से पीछे भागते हुए कुछ नक्सली घायल हो गए थे और कुछ मारे गए थे। कांस्टेबल/जीडी के0 कुमारन और कांस्टेबल/जीडी अर्जुन ओरांव इस निडर कार्रवाई के परिणामस्वरुप कार्रवाई की गति को बनाए रखने और नक्सलियों को दुबारा इकट्ठा होने से रोकने में भी सफल हुए। इस कार्रवाई के दौरान श्री अर्जुन ओरांव के बाएं कंधे में नक्सलियों की गोली लगी और श्री के0 कुमारन के दाएं जबड़े में घातक चोट लगी। घातक चोटों के बावजूद, कांस्टेबल/जीडी के. कुमारन और कांस्टेबल/जीडी अर्जुन ओरांव अतुलनीय साहस, उत्कृष्ट शौर्य और असाधारण बहादुरी दर्शाते हुए आगे बढ़ते रहे और नक्सलियों के प्रयास को विफल कर दिया, जो उन्हें घेरने और उनके हथियार छीनने की कोशिश कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने नक्सलियों की व्यवस्था को भी छिन्न-भिन्न कर दिया। इनके दृढ़निश्चय को देखते हुए नकसली अपनी पोजीशन से पीछे हटने को मजबूर हो गए। इस प्रकार अपना जीवन बलिदान करने से पूर्व, कांस्टेबल/जीडी के0 कुमारन ने अनुकरणीय साहस, बहादुरी, जवाबी हमला करने में तत्परता और सूझ-बूझ दर्शायी और कांस्टेबल/जीडी अर्जुन ओरांव ने घातक चोटें लगने के बावजूद अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

नक्सलियों को कांस्टेबल/जीडी के0 कुमारन, जो बुरी तरह घायल हो गए थे, के बहुत नजदीक आता हुआ देखकर हेड कांस्टेबल/जी डी सो.आर.सोरेन ने, जो डी/217 की पार्टी में तैनात थे, शीघ्र स्थिति सम्भाली और नक्सलियों पर गोलियां चलानी शुरु कर दी। उन्होंने डी/217 को सभी जवानों को जबावी गोलीबारी करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुठभेड में बुरी तरह जख्मी हुए कांस्टेबल/जीडी श्री के. कुमारन को प्राथमिक सहायता प्रदान की। दुर्भाग्यवश, कांस्टेबल/जीडी के0 कुमारन की घायल होने के कारण मृत्यु हो गई। एचसी/जीडी श्री सी0आर सोरेन ने बिना भयभीत हुए कमान की उच्च क्षमता प्रदर्शित की और कांस्टेबल/जीडी के0 कुमारन के व्यक्तिगत हथियार प्राप्त कर लिए और अपनी सुरक्षा में रख लिए। उन्होंने शहीद सी टी/जीडी के0 कुमारन के पार्थिव शरीर को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया। इस प्रकार एचसी/जीडी सी0आर0सोरेन ने मुठभेड़ के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर अनुकरणीय साहस, बहादुरी और वीरतापूर्ण कार्रवाई प्रदर्शित की।

नक्सलियों द्वारा सैनिकों पर अंधाधुध गोलियां चलाने के दौरान डी/217 की पार्टी में तैनात कांस्टेबल/जीडी श्री वी0वी0 प्रसाद गंजला को एचसी/जीडी सी0आर0सोरेन द्वारा आदेश दिया गया था कि वे उनके बचाव में गोलियां चलाएं ताकि वे घायल कांस्टेबल/जीडी के0 कुमारन की ओर बढ़ सकें। कांस्टेबल/जीडी वी0वी0 प्रसाद गंजला ने बहुत ही व्यावसायिक तरीके से गोलियां चलाकर उन्हें चतुराई

से कवर प्रदान किया जिससे नक्सलियों का ध्यान दूसरी ओर चला गया और वे आगे बढ़ने से रुक गए। अपने जीवन को अत्यधिक जोखिम में डालते हुए, पूरी निष्ठा और बलिदान की अनुकरणीय भावना के साथ वे घायल कांस्टेबल/जीडी अर्जुन ओरांव की तरफ बढ़े। उन्होनें कांस्टेबल/जीडी अर्जुन ओरांन को प्राथमिक सहायता उपलब्ध करायी। अपनी स्वयं की सुरक्षा को जोखिम से अवगत होते हुए भी उनकी निर्भीकता पूर्वक आगे बढ़ने की साहसिक कार्रवाई एक-मात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्रवाई थी जिससे कांस्टेबल/जीडी अर्जुन ओरांव को उनके हथियारों सहित सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में सहायता मिली। इस प्रकार इस मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल/जीडी वी0वी प्रसाद गंजला ने अनुकरणीय साहस और बहादुरी का प्रदर्शन किया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री स्व. के0 कुमारन कांस्टेबल, अर्जुन ओरांव, कांस्टेबल, वी0वी0 प्रसाद गंजला, कांस्टेबल और सी0आर0 सोरेन, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 26/03/12 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 157-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री सम्पत लाल, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

बस्तर रेंज छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में दिनांक 1/4/2012 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, नक्सलवादियों द्वारा दिनांक 15/04/2010 को आवाहन किए गए प्रस्तावित युक्तिपूर्ण आक्रमण रोधी अभियान के मद्देनजर सी आर पी एफ द्वारा लगातार 3 दिन तक क्षेत्र पर अधिपत्य स्थापित करने की कार्रवाई करने का फैसला लिया गया था।

बैठक में लिए गए फैसले के अनुरुप, 62 बटालियन द्वारा चिन्तलनार, चिन्तागुफा और काकेरलंका कैम्प से लगातार 3 दिन तक क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करने की कार्रवाई की योजना बनाई गयी थी। ए/62 की 3 प्लाटूनों, सी/62 की 1 प्लाटून और जी/62 की 01 प्लाटून वाली पार्टी दिनांक 04/04/2010 को क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए गई। सैन्य दल का नेतृत्व श्री सत्यवान सिंह, उप कमांडेन्ट द्वारा किया गया था। पार्टी ने शुरु में बुरकापाल गांव और फिर मुकराम गांव में तलाशी की कार्रवाई की। इन दो गांवों में तलाशी की कार्रवाई करने के पश्चात उक्त पार्टी दिनांक 06/04/2010 को चिन्तलनार से होकर तदमेतला गांव के लिए निकल गई। लगभग 0550 बजे

जब यह पार्टी गरगरमेटा पहाड़ी के निकट पहुंची, तब घात लगाकर बैठे लगभग 700 सशस्त्र नक्सलियों ने अचानक चारों ओर से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी। सैन्य दल ने बड़ी बहादुरी से जबावी कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान 75 बहादुर जवानों ने अपने जीवन की आहुति दे दी और 07 जवान गम्भीर रुप से घायल हो गए।

इस घटना का संदेश मिलने पर एक अतिरिक्त संबल पार्टी भेजी गई, जिसमें कांस्टेबल/ड्राइवर सम्पत लाल को बुलेट प्रूफ बंकर टाटा 407 में भेजा गया था ताकि वे नक्सली हमले को रोकने में जवानों की सहायता करने के साथ-साथ अपनी जख्मी सहकर्मियों का पता लगाकर वापस ला सकें।

वास्तविक बहादुरी की इस कार्रवाई के दौरान सीटी/ड्राइवर सम्पत लाल ने अपने जख्मी साथी जवानों को बचाने और पता लगाकर उन्हें वापस लाने के लिए बुलेट प्रूफ वाहन टाटा 407 को चलाकर असाधारण व्यावसायिक बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया। तथापि, नक्सलियों ने उनके वाहन पर गोलियां चलानी शुरु कर दीं, किन्तु सीटी/ड्राइवर सम्पत लाल अपनी जान की परवाह किए बगैर नक्सलियों की गोलियों की बौछार में घिरे अपने साथी कर्मियों को बचाने और सभी जख्मी कर्मियों को वहां से हटाने के लिए आगे बढ़ते रहे। दुर्भाग्यवश, नक्सलियों द्वारा लगाए गए एक आई ई डी से उनके वाहन में विस्फोट हो गया, जिसमें उनकी जान चली गई। नक्सलियों द्वारा उनके वाहन में विस्फोट करने से पूर्व उन्होंने अदम्य वीरता, साहस और कर्तव्यपरायणता प्रदर्शित की और अपनी जान की परवाह किए बगैर कार्मिकों को हर सम्भव सहायता प्रदान करने का प्रयास किया।

इस मुठभेड़ में स्व. श्री सम्पत लाल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 06/4/2010 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 158-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/ श्री

01. उदय दिव्यांशु, उप कमाण्डेंट — (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)

02. राजन रोशन तिरकी, सहायक कमाण्डेंट — (वीरता के लिए पुलिस पदक)

03.	विनोद सावंत, सहायक कमाण्डेंट	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
04.	एम0 कैलाशम, हेड कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
05.	यू0 रामा राव, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
06.	प्रताप पॉल, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
07.	पिंगले कल्पेश सम्पत, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

श्री उदय दिव्यांशु, उप कमाण्डेंट की समग्र कमान के अंतर्गत 202 कोबरा बटालियन की चार (4) टीमों को ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' नामक दो दलों में बांटकर दिनांक 15/6/2010 से दिनांक 16/6/2010 तक विशेष अभियान के लिए इस आसूचना के आधार पर तैनात किया गया था कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले में सलबोनी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत दुली के जंगलों में उपस्थित 90 से 100 भारी मात्रा में सशस्त्र माओवादी आ-जा रहे हैं/प्रशिक्षण कैम्प आयोजित कर रहे हैं। लगभग 160430 बजे जब दोनों दल घने जंगल में तलाशी कर रहे थे, तब वे लगभग एक मिलोमीटर की परिधि में फैले अत्यंत सुरक्षित स्थिति से सशस्त्र माओवादियों द्वारा घात लगाकर की गई अंधाधुंध गोलीबारी/आईईडी विस्फोटों में घिर गए। सशस्त्र माओवादी बहुत निकट से विभिन्न दिशाओं से एके 47 और एस एल आर जैसे आधुनिक हथियारों और साथ ही देशी हथियारों से गोलियां चला रहे थे।

ग्रुप 'ए' घात लगाकर बैठे माओवादियों द्वारा बनाए गए मारक क्षेत्र में घिर गया। अपने जवाबी हमले के दौरान, श्री उदय दिव्यांशु डीसी, श्री विनोद सावंत एसी, और कांस्टेबल/जीडी एस0पी0 पाणिग्रही ने तत्काल एक छोटी टीम बनाई और घात लगाकर बैठी बहुत सी पार्टियों में से 15 से 20 माओवादियों वाली एक पार्टी का पता लगा लिया और उनकी घात का वीरता से मुकाबला किया। इसी प्रकार, श्री राजन रोशन तिरकी एसी ने एचसी/जीडी एम. कैलाशम और यू0रामाराव के साथ दूसरी छोटी टीम बनाई और 15 से 20 माओवादियों की घात लगाकर बैठी पार्टी का पता लगाया और उसका बहादुरी से मुकाबला किया।

जबावी हमले के दौरान ग्रुप 'बी' भी माओवादियों की घात में घिर गया था। कांस्टेबल/जीडी प्रताप पॉल और कांस्टेबल/जीडी पिंगले ने अन्य छोटी टीम बनाई और घात लगाकर बैठी 10 से 15 माओवादियों की टीम का पता लगाया और बहादुरी से जबावी हमला किया।

अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इन टीमों के सभी कार्मिक माओवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी और बारुदी सुरंग क्षेत्र में रेंगते हुए आगे बढ़े और माओवादियों के सुरक्षित क्षेत्र में निकट से आक्रमण करके उन्हें तितर-बितर कर दिया और कई माओवादियों को मार गिराया।

इन कार्मिकों द्वारा आगे बढ़ते हुए सतत पीछा करने से माओवादी भयभीत हो गए और इन टीमों ने भाग रहे आठ माओवादी गोरिल्लाओं को मार गिराया। अन्य माओवादी अपने शस्त्र/गोलाबारुद छोड़कर बच कर भागने में सफल हो गए। घात स्थल से एक एके 47, 01 एसएलआर, 4 एसबीबीएल, 02 पिस्तौलें, बडी मात्रा में गोलाबारुद सहित 04 बड़ी बारुदी सुरंगें, आई ई डी के घटक बरामद किए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन समूहों को मारे गए 8 माओवादियों के शव सलबोनी पुलिस स्टेशन ले जाते समय माओवादियों द्वारा लगाई गई एक अन्य घात को नष्ट करने में सफलता मिली।

बहादुरी की इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए कमाण्डों ने बड़ी संख्या में माओवादियों, प्रतिकूल और विरोधी परिस्थितियों में और आई ई डी विस्फोटों का सामना करते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर उत्कृष्ट शौर्य और असाधारण बहादुरी एवं साहस का परिचय दिया और एक उत्कृष्ट कार्रवाई को पूरा करने में सफलता प्राप्त की।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री उदय दिव्यांशु, उप कमाण्डेंट, राजन रोशन तिरकी, सहायक कमाण्डेंट, विनोद सावंत, सहायक कमाण्डेंट, एम. कैलाशम, हेड कांस्टेबल, यू. रामा राव, कांस्टेबल, प्रताप पॉल, कांस्टेबल और पिंगले कल्पेश सम्पत, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 16/06/2010 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 159-प्रेज/2013- राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. महादेव मिंज, (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक-मरणोपरांत)
कांस्टेबल

02. प्रवीण कुमार, (वीरता के लिए पुलिस पदक)
हेड कांस्टेबल

03. सुरेश वी., (वीरता के लिए पुलिस पदक)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 19.09.2012 को लगभग 0900 बजे ई/02 और एफ/02 के 67 कार्मिकों की एक पार्टी, जिसमें 02 प्रतिनिधि सिविल पुलिस के थे, श्री मनीष कुमार, सहायक कमांडेंट की कमान के अधीन कैम्प से रवाना हुई, जिसे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुलिस स्टेशन – भेजी के अन्तर्गत गोरखा कैम्प के कार्मिकों के लिए जीवन-रक्षक दवाएं और राशन ले जाने वाले हेलीकाप्टर को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने की सुविधा हेतु हेलीपेड के आस-पास के क्षेत्र में तलाशी और सफाई अभियान चलाना था।

हेलीपेड क्षेत्र की तलाशी करने के पश्चात इन कार्मिकों ने अपनी उपयुक्त पोजीशन ली। तभी लगभग 1005 बजे अचानक नक्सलियों ने तीन विभिन्न दिशाओं से अपने आटोमेटिक हथियारों से भारी गोलीबारी शुरु कर दी और इसके बाद और आईईडी विस्फोट भी कर दिए। अनुमान है कि वहां 150-200 सशस्त्र नक्सलवादी मौजूद थे, जो वर्षा ऋतु के दौरान घने पेड़-पौधों का लाभ उठाकर अलग-अलग दिशाओं से उस क्षेत्र के निकट पहुंचे और उनकी स्पष्ट योजना सैन्य दलों को अधिकतम क्षति पहंचाने और उनके हथियार लूटने की थी। सैन्य दलों द्वारा क्षेत्रीय हथियारों (ए जी एल – यू बी जी एल, 51 एम एम मोर्टार और आर/ग्रेनेड) का कारगर ढंग से प्रयोग करके बड़ी कुशलता से जवाबी कार्रवाई की गई। इस प्रक्रिया के दौरान, एचसी/जीडी प्रवीण कुमार, कांस्टेबल/जीडी महादेव मिंज और कांस्टेबल/जीडी सुरेश वी. ने कुछ नक्सलियों को काली वर्दी में देखा और लक्ष्य साधकर तत्काल उन पर गोलियां चलाई। दोनों ओर से गोलीबारी के दौरान, मोर्टार दल कमाण्डर एचसी/जीडी प्रवीण कुमार को बांई जांघ के ऊपरी हिस्से में गोली लगी। बहुत अधिक खून बहने के बावजूद उन्होंने उत्कृष्ट साहस और वीरता दिखाई और अपनी जान की परवाह किए बगैर नक्सलियों से लड़ते रहे। उन्होंने मोर्टार-1 को नक्सलियों की दिशा में एच ई बम चलाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया। उन्होंने बेस कैम्प के सैन्य दलों को सतर्क किया और उनसे नक्सलियों के विरुद्ध क्षेत्रीय हथियारों का प्रभावी प्रयोग करने का अनुरोध भी किया। कांस्टेबल/जीटी महादेव मिंज को मोर्टार-2 पर ड्यूटी करते हुए भीषण मुठभेड़ के दौरान दांयी ओर छाती के नीचे गोली लगी। उनके शरीर में गोली लगने से बहुत अधिक खून बहने के बावजूद, उन्होंने अनुकरणीय साहस और अदम्य वीरता का परिचय दिया और अपनी जान की परवाह किए बगैर नक्सलियों पर गोलीबारी जारी रखी और उन्हें निकट आने और हथियार लूटने से रोका। घटना स्थल से हटाकर कम्पनी की तैनाती स्थल तक ले जाने के दौरान कांस्टेबल/जीडी महादेव मिंज ने अपने सहकर्मियों को बताया कि उन्होंने गोलीबारी में कम से कम 3-4 नक्सलियों को मार गिराया है जो उनके दृढ़निश्चय को प्रदर्शित करता है। तथापि, वे रास्ते में ही शहीद हो गए। कांस्टेबल/जीडी सुरेश वी. 51 एमएम मोर्टार के साथ मोर्टार 1 पर ड्यूटी दे रहे थे। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान उन्होंने देखा कि उनका मोर्टार डिटैचमेन्ट कमाण्डर और मोर्टार-2 घायल हो गए हैं और घने पेड़-पौधों के कारण वे मोर्टार से "परम्परागत रूप से" एचई बम नहीं चला पा रहे थे। किन्तु समय की आवश्यकता को देखते हुए, उन्होंने अपनी सूझ-बूझ और अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने अपरम्परागत ढंग से अपने दाहिने कंधे की सहायता से 06 एचई बम दागे जिससे मोर्टार के बल के कारण उनका कंधा बुरी तरह जख्मी हो गया। जब अपने गंभीर रूप से घायल कंधे से मोर्टार चलाना बिल्कुल कठिन हो गया, तो उन्होंने अपने दूसरे हथियार X-95 का सहारा लिया और 64 राउंड चलाए और नक्सलियों के प्रयास को विफल कर दिया। उल्लेखनीय है कि बाद में

आसूचना एजेन्सियों और प्रिंट/इलेक्टानिक मीडिया ने इस बात की पुष्टि की कि दिनांक 19.09.2012 के गोरखा में हुई मुठभेड़ में कम से कम 6 नक्सली मारे गए और कुछ घायल हो गए थे।

यह कुछ भी नहीं अपितु इन तीनों सिपाहियों की उच्चकोटि की व्यावसायिकता और अदम्य साहस एवं अडिग दृष्टिकोण का परिचयक है जिससे न केवल बड़ी संख्या में नक्सली भाग खड़े हुए, शस्त्र, गोलाबारुद और कार्मिक बच गए, बल्कि बल का गौरव भी बढ़ा।

बरामदगियां:-

चार टिफिन बम/आईईडी (लगभग 02 किलोग्राम), 1000 मीटर बिजली की तार, 30 मीटर कोडेक्स वायर और छह डेटोनेटर।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री स्व. महादेव मिंज, कांस्टेबल, प्रवीण कुमार, हेड कांस्टेबल और सुरेश वी., कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19.09.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 160-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. थोंगलेनलाल हाकिप, सहायक कमांडेंट (वीरता के लिए पुलिस पदक)

02. शौकत अहमद गेनी, कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

03. अजय सिंह तोमर, कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 8 जुलाई, 2011 को लगभग 1825 बजे पुलिस स्टेशन, राजपुरा, जिला पुलवामा के अंतर्गत गांव हंजन पायीन के अली मोहम्मद हुर्रा पुत्र फारुक हुर्रा के घर में प्रतिबंधित हथियारों गोलाबारुद के साथ कुछ आतंकवादियों के मौजूद होने के बारे में उप पुलिस अधीक्षक पुलवामा, जम्मू एवं कश्मीर से विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, श्री थोंगलेनलाल होकिप, सहायक कमांडेंट और श्री राजा जुहैब तनबीर, उप पुलिस अधीक्षक (एसओजी) पुलवामा की कमान में विशेष कार्रवाई समूह दल के साथ

डी/182 बटालियन, सीआरपीएफ की एक समर्पित यूनिट, मेजर पी. दीक्षित की कमान में 44 आरआर का दल और सिविल पुलिस का दल हंजन पायीन गांव पहुंचे और यथोचित विचार-विमर्श के बाद गांव-हंजन पायीन के अली मोहम्मद हुर्रा के घर (जहां आतंकवादी छिपे हुए थे) को सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कुशलतापूर्वक घेर लिया गया। जब घेराबंदी की जा रही थी, तब घेराबंदी करने वाले दल पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए और हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए तथा बचकर भागने के लिए घेरे को तोड़ने का प्रयास करते हुए एक आतंकवादी अली मोहम्मद हुर्रा के घर से बाहर निकला। इस समय आरआर और एसओजी दल के साथ कांस्टेबल/जीडी ए.एस. तोमर ने अपना संतुलन खोए बिना और आतंकित हुए बिना अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्होंने आतंकवादी को घेराबंदी को नहीं तोड़ने दिया और आतंकवादी को बहादुरी के साथ घेराबंदी के अंदर ही उलझाए रखा। यह बंदूक की लड़ाई 2000 बजे तक जारी रही और अंतत: उक्त आतंकवादी की ओर से गोलीबारी बंद हो गई। पहले आतंकवादी को कवरिंग फायर देने वाले दूसरे आतंकवादी ने गोलीबारी जारी रखी जिसके कारण दल उस स्थान तक नहीं पहुंच सके जहां अली मोहम्मद हुर्रा के घर के बाहर उस स्थान पर बिना किसी प्रत्यक्ष गतिविधि के आतंकवादी लेटा हुआ था। लगभग 1945 बजे श्री एन. शिव शंकर, कमांडेंट, 182 बटालियन, सीआरपीएफ और श्री जे.के. जोशी, उप कमांडेंट (आपरेशन) यूनिट की तुरंत कार्रवाई दल के साथ मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे और कार्रवाई की कमान संभाली। अली मोहम्मद हुर्रा के घर में छिपा हुआ आतंकवादी सुरक्षा बल को उलझाने के लिए अभी भी बीच-बीच में लगातार गोलीबारी कर रहा था। कमांडेंट 44 आरआर और एसएसपी, पुलवामा भी कार्रवाई का पर्यवेक्षण कर रहे थे। लगभग 2100 बजे डा. बी.एन. रमेश, आईपीएस, आईजीपी (आपरेशन) कश्मीर, सीआरपीएफ मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और कार्रवाई की कमान संभाली। उन्होंने देखा कि एक आतंकवादी किसी गतिविधि के बिना अली मोहम्मद हुर्रा के घर के बाहर लेटा हुआ है। दूसरा आतंकवादी घर के अंदर से लगातार गोलीबारी कर रहा था। वे अन्य दलों के साथ आगे बढ़े और अन्य आतंकवादी द्वारा लगातार गोलीबारी के बीच बेहोश आतंकवादी को सरकारी अस्पताल, पुलवामा भेजा। सरकारी अस्पताल, पुलवामा के डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस आतंकवादी की बाद में जे.ई.एम. बटालियन कमांडर जावेद नेंगरू उर्फ उमेर पुत्र फारुक अहमद, निवासी हंजन बाला के रूप में की गई और उससे एक एके-56 राइफल, 02 मैगजीनें और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। बेहोश आतंकवादी को वहां से हटाने के बाद अली मोहम्मद हुर्रा के घर से गोलीबारी बंद हो गई लेकिन सभी सुरक्षा बलों की घेराबंदी नहीं हटाई गई और सवेरा होने पर तलाशी आरंभ करने/घर में घुसने का निर्णय लिया गया। सवेरा होने से पहले, डा. बी.एन. रमेश, आईपीएस, आईजीपी (आपरेशन), श्री नीरज कुमार, डीआईजी (आपरेशन) दक्षिण कश्मीर, सीआरपीएफ और 12 सेक्टर आरआर के ब्रिगेडियर शिवेन्द्र सिंह ने कमांडेंट, 182 बटालियन, सीआरपीएफ, कमांडेंट 44 आरआर और एसएसपी, पुलवामा के साथ कार्य योजना तैयार की और विभिन्न सुरक्षा बलों को विशिष्ट कार्य सौंपे गए और सवेरा होते ही छिपने की जगह तथा घर के आस-पास घेराबंदी आरंभ हो गई।

दिनांक 09.07.2011 को लगभग 0530 बजे जब डा. बी.एन. रमेश, आईजीपी (आपरेशन) श्री एन. शिवशंकर, कमांडेंट 182 बटालियन सीआरपीएफ को कुछ निर्देश दे रहे थे, तब अली मोहम्मद हुर्रा के घर में छिपा एक आतंकवादी अचानक घर से बाहर आया और आईजीपी (आपरेशन) की ओर एक-एक करके दो हैंड ग्रेनेड फेंके और पूरब की ओर भागने का प्रयास किया। डा. बी.एन. रमेश, आईजीपी

(आपरेशन), श्री एन. शिव शंकर और कांस्टेबल/जीडी आजाद अहमद खान ने तुरंत रणनीतिक पोजीशन ली और कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप उस आतंकवादी को रास्ता बदलना पड़ा और उसे गुलाम मोहम्मद मीर के घर के एक भाग में शरण लेनी पड़ी थी, जो दक्षिण दिशा की ओर स्थित था। आतंकवादी नए घर में चला गया और नए घर की खिड़कियों से गोलीबारी आरंभ कर दी। यह लड़ाई 1300 बजे तक जारी रही अंदर से लेकिन लगातार गोलीबारी और ग्रेनेड फेंकने के कारण सुरक्षा बलों के लिए छिपने के स्थान के अंदर प्रवेश करना काफी मुश्किल हो गया। अंत में लगभग 1300 बजे एक नई कार्य योजना बनाई गई कि सीआरपीएफ और पुलिस दल गुलाम मोहम्मद वनी के घर, जो छिपने के स्थान से पश्चिम की ओर मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर स्थित था, की सबसे नजदीक वाली खिड़की से अश्रु गैस के गोले फेंकेगा।

गुलाम मोहम्मद वनी की खिड़की तक पहुंचना काफी जोखिम भरा था, लेकिन सूझबूझ और उत्कृष्ट कार्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए सहायक कमांडेंट श्री थोंगलेनलाल हाकिप, कांस्टेबल/जीडी शौकत अहमद और कांस्टेबल/जीडी परमेश्वर सिंह के साथ भारी गोलीबारी के बीच रेंगकर चले और अश्रु गैस के गोले छोड़ने के लिए गुलाम मोहम्मद वनी की पूर्वी खिड़की की ओर पहुंचे लेकिन आतंकवादी को उनकी पोजीशन का पता चल गया और उक्त खिड़की के अंदर उनकी ओर एक हैंड ग्रेनेड फेंका, लेकिन यह ग्रेनेड खिड़की में नहीं जा सका। तब आतंकवादी ने अपने ऑटोमेटिक हथियार से भारी गोलीबारी की, लेकिन सहायक कमांडेंट थोंगलेनलाल हाकिप और कांस्टेबल शौकत अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना और धैर्य तथा दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन करते हुए दीवार के कोने के पीछे कवर के लिए दौड़े और अपनी जान को जोखिम में डालकर आतंकवादी पर गोलीबारी आरंभ कर दी। सहायक कमांडेंट थोंगलनेलाल हाकिप ने तब कांस्टेबल/जीडी परमेशवर सिंह, जो खिड़की के पीछे थे, को जल्दी-जल्दी एक के बाद एक नौ अश्रु गैस के गोले फेंकने का निर्देश दिया जिससे आतंकवादी उसके बाद कार्रवाई करने में असमर्थ हो गया। उसी समय आरआर और एसओजी कार्मिकों ने छिपने के स्थान पर कुछ ग्रेनेड फेंके और छिपने के स्थान की खिड़की के अंदर लगातार एमजीएल (मल्टीपल ग्रेनेड लांचर) से गोलीबारी की। यह लड़ाई 1520 बजे तक चली जिसमें जे-ई-एम के एक खूंखार आतंकवादी नामत: अहसान भाई उर्फ मोहमू जे-ई-एम का डिवीजन कमांडर/मुख्य वित्त सलाहकार, निवासी पाकिस्तानी की मौत हो गई।

डा. बी.एन. रमेश, आईपीएस, आईजीपी (आपरेशन) कश्मीर, सीआरपीएफ के विशिष्ट पर्यवेक्षण के अंतर्गत सफलतापूर्वक कार्रवाई की गई जो मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे, कार्रवाई की कमान संभाली और कार्रवाई का पर्यवेक्षण किया। इस कार्रवाई में श्री थोंगलेनलाल होकिप, सहायक कमांडेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें उन्होंने विद्यमान चिह्नित घर को घेरने के लिए तुरंत कार्रवाई की और अच्छी तरह कमान संभाली और कार्रवाई को नियंत्रित करने में अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया तथा कार्रवाई की सफलता के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने कर्तव्य का पालन किया। सूझबूझ और उत्कृष्ट कार्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए श्री थोंगलेनलाल हाकिप, सहायक कमांडेंट, दो कांस्टेबलों, कांस्टेबल शौकत अहमद और कांस्टेबल परमेश्वर सिंह के साथ भारी गोलीबारी के बीच रेंगकर चले और अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादी के छिपने की जगह पर अश्रु गैस के गोले फेंकने के लिए गुलाम मोहम्मद वनी की पूर्वी खिड़की तक पहुंचे। 182 बटालियन के कांस्टेबल/जीडी शौकत अहमद ने भी इस कार्रवाई में काफी सक्रिय/बहादुरीपूर्ण भूमिका निभाई और खूंखार आतंकवादी को समाप्त करने के

लिए अदम्य वीरता का कार्य किया। इसके अलावा, दिनांक 08.07.2012 को लगभग 1930 बजे जब एक आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़कर अली मोहम्मद हुर्रा के घर से बचकर भागने का प्रयास किया तब 182 बटालियन के कांस्टेबल/जीडी ए.एस. तोमर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपना संतुलन खोए बिना और आतंकित हुए बिना अपनी जान को खतरे में डालकर आतंकवादी को घेरा नहीं तोड़ने दिया और आतंकवादी को बड़ी बहादुरी से घेराबंदी के अंदर ही उलझाए रखा।

पुलिस स्टेशन राजपुरा, जिला पुलवामा (जम्मू और कश्मीर) के अंतर्गत हंजन पायीन में दिनांक 8-9/07/2011 को कार्रवाई के दौरान अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने अनुकरणीय साहस और विशिष्ट वीरतापूर्ण कार्रवाई एवं शानदार नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप जे-ई-एम के दो खूंखार आतंकवादियों नामत: (1) अहसान भाई उर्फ मेहमू, जे-ई-एम का डिवीजन कमांडर का मुख्य वित्त सलाहकार, निवासी पाकिस्तान और (2) जावेद अहमद नेंगरू उर्फ उमेर पुत्र फारूक अहमद, निवासी हंजन बाला (दोनों को श्रेणी 'ए' आतंकवादी के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था और पिछले एक दशक से पुलवामा क्षेत्र में सक्रिय थे तथा पिछले 11 वर्षों से सुरक्षा बलों को उनकी तलाश थी) के मारे जाने के अलावा उनके कब्जे से हथियार और गोला बारुद बरामद किए गए।

<u>बरामदगी</u>

(i)	एके-56 राइफल	-	02नं.
(ii)	एके-मैगजीन	-	03+01 (क्षतिग्रस्त) नं.
(iii)	हैंड ग्रेनेड	-	01 (वहीं पर क्षतिग्रस्त) नं.

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री थोंगलेनलाल हाकिप, सहायक कमांडेंट, शौकत अहमद गेनी, कांस्टेबल और अजय सिंह तोमर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 08.07.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 161-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री सुखदेव सिंह, (मरणोपरान्त)
हेड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 18.12.2011 को पश्चिम सिंहभूम के पुलिस स्टेशन सोनुआ के अन्तर्गत बन्दू गांव के निकट लगभग 100 सशस्त्र सीपीआई (माओवादी) कैडरों की मौजूदगी की सूचना मिली। एक अभियान चलाने की योजना बनाई गई। सिविल पुलिस के घटकों सहित 209 कोबरा के 4 टीमों वाली एक पार्टी श्री नरेश पवार की देखरेख में रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ी और पूर्वनिर्धारित स्थान पर पहुंची और दिनांक 20.12.11 को (दिन के समय) एक पहाड़ी पर एलयूपी (पोजीशन) ले ली और लगभग 1800 बजे (अंधेरा होने के बाद) एलयूपी से दुबारा चली। दिनांक 21.12.11 को (लगभग 1235 बजे) जब हमला टीम-I. (टीम-I) अपने लक्ष्य के निकट पहुंची तभी अचानक माओवादियों ने अपने भली-भांति स्थापित, मोर्चों से भारी गोलीबारी शुरु कर दी। इस पर श्री मृत्युजंय कुमार, ए.सी. ने अदम्य साहस दर्शाते हुए दुश्मन पर हमला कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच श्री पंवार ने तीन जवानों की सहायता से अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बगैर दुश्मन पर बगल से हमला कर दिया और श्री मृत्युजंय कुमार, ए.सी. के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। जब हमला टीम-I. भारी गोलीबारी से घिरी थी, तब स्व. एच.सी./जीडी सुखदेव सिंह ने 51 एमएम मोर्टार लिया और सामने आकर नजदीक से गोलीबारी की जिससे कुछ समय के लिए शत्रु शांत हो गए। जब वे दुबारा मोर्टार से गोलियां चला रहे थे, तब उनकी दोनों टांगों में माओवादी को एलएमजी की गोलियां लगीं, तथा वे घायल हो गए और पहाड़ी से फिसल गए। घायल होने के बावजूद, वे बहादुरी से लड़े और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी इस कार्रवाई से नक्सली हमारे लोगों पर लक्ष्य साध कर गोलियां चलाने में सफल नहीं हो पाए। उनकी इस कार्रवाई से उनके दल के कई साथियों की जान बच गई।

<u>बरामदगियां</u>

1.	खाली खोखे (इन्सास/7.62 एमएम)	44 राउंड्स
2.	315 के जिन्दा राउंड्स	02 राउंड्स
3.	फ्लैश गन सहित आई ई डी	01
4.	सिलाई मशीन	05
5.	जेन सेट	01

इस मुठभेड़ में स्व. श्री सुखदेव सिंह, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 21.12.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव

राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 162-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री सत्य प्रकाश देशवाल, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

झारखण्ड के लातेहर जिले के बरवाडीह पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत करमडीह गांव के निकट दिनांक 30.3.2012 से दिनांक 6.4.2012 तक एक अभियान इस आसूचना के आधार पर चलाया गया था कि बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में वरिष्ठ माओवादी नेता और बीआरसी और कई एलजीएस के अन्य नेता बड़ी संख्या में एक उच्च स्तर की बैठक के लिए एकत्र हुए हैं जो विभिन्न स्थानों/मार्गों यथा कुटकू, खुरहा.-मदगरी मार्ग, सनेया-कुटकू मार्ग पर बारुदी सुरंगें बिछाकर तथा छल-बमों की सहायता से सनेया गांव के पूर्व में भ्रामक शिविर स्थापित करके सुरक्षा बलों का ध्यान दूसरी ओर आकृष्ट करना और इन्हें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। 203 कोबरा और जे जे के 1 ए जी की तीन-तीन टीमों सहित तीन हमला पार्टियां दिनांक 30.3.2012 को लातेहर से अलग-अलग स्थानों से अभियान क्षेत्र में भेजी गई।

श्री डी.ई. किन्दु, डी.सी. की कमान में हमला पार्टी-4 मोरवाई, करमपानी में ढूंढकर नष्ट करने का अभियान चलाने के लिए दिनांक 02.04.2012 को बेरे पहुंची और श्री कुलदीप कुमार, ए.सी. की कमान के अधीन हमला दल-5 से मिली। दोनों पार्टियों ने बेरे के निकट पोजीशन संभाली। इसके बाद नारनागू में अभियान चलाने के लिए 4 और 5 दोनों हमला पार्टियां दिनांक 4.4.2012 को 1300 बजे कायल नदी पर पहुंची और हमला पार्टी-2 से मिलीं। सभी हमला पार्टियों ने नारनागू और करमडीह के बीच जंगल में पोजीशन (एलयूपी) संभाली। कमान चौकी ने हमला पार्टी-4 को हेलीकाप्टर उतारने के लिए करमडीह पर अधिकार करने और उसकी साफ-सफाई करने हमला पार्टी-5 को सेरनडाग जंगल क्षेत्र को घेरने और हमला पार्टी-2 को सेरनडाग से लाट के बीच रोप (आरओपी) बिछाने का आदेश दिया, ताकि दिनांक 05.04.2012 को एमपीवी द्वारा करमडीह के मार्ग से ताजा हमले किए जा सकें। आदेशों के अनुसरण में तीनों हमला पार्टियों ने दिनांक 5.4.2012 को 0900 बजे तक पोजीशन संभाल ली। इसकी सूचना कमान चौकी को दे दी गई। 1005 बजे, जब हेलीकाप्टर उतरने ही वाला था, नक्सलियों ने उत्तर-पश्चिम दिशा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से गोलियां चला दी। तथापि, 2 कार्मिकों को लेकर हेलीकाप्टर ने 1015 बजे उड़ान भर ली। नक्सलियों ने गांव की उत्तर-पश्चिम की ओर से गोलियां चलानी शुरु कर दी, जहां जे जे कार्मिकों को हेलीकाप्टर को सुरक्षित उतरने के लिए क्षेत्र की सुरक्षा का कार्य सौंपा गया था। श्री डी.ई. किन्दू, डी.सी. सैटेलाइट फोन के माध्यम से टाइगर 203 को कुछ बातों की सूचना दे रहे थे। टाइगर 203 ने श्री डी.ई. किन्दू, डी.सी. को कुछ एचई बमों का विस्फोट करने के पश्चात गोलीबारी की दिशा में बढ़ने का निर्देश दिया। श्री किन्दू ने इस वास्तविकता का शीघ्र ही अनुमान लगा लिया कि नक्सली उनके सैन्य दलों पर भारी हमला करने वाले हैं और रणनीतिपूर्वक चलते हुए उन्होंने अलग-अलग घटकों को इस प्रकार कार्य सौंपा – टीम-2 को दाहिनी ओर से स्थल के निकट आने को कहा टीम-1 और टीम-18 को गांव को पश्चिम से पूर्व की ओर से कवर करने को कहा क्योंकि नक्सल उस ओर से भी हमला कर सकते थे और श्री कुलदीप कुमार, एसी को तत्काल लौटने

और अपनी टीम को करमडीह गांव से कुछ दूरी पर रोप (आरओपी) ड्यूटी के लिए तैनात करने का आदेश दिया। चूंकि शेष दलों को गांव की समग्र सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, इसलिए श्री डी.ई. किन्दु, डी.सी. और श्री संजय कुमार, ए.सी. 6 जवानों के साथ गोली चलाकर आगे बढ़ने की रणनीति अपनाते हुए तत्काल गोलीबारी की दिशा में बढ़े और रणनीतिपूर्वक धरती की ओट में 8 कार्मिकों सहित ऐसे स्थान पर पहुंचे जो जेजे कार्मिकों पर भारी गोलीबारी कर रहे नक्सलियों के मुख्य हमला दल से मुश्किल से 50-75 मीटर की दूरी पर था। जेजे कार्मिक भी जवाबी गोलीबारी कर रहे थे जिसमें एक नक्सली घायल हो गया था। श्री कुलदीप कुमार, ए.सी. के नेतृत्व में टीम संख्या-5 करमडीह गांव पहुंची और उत्तर-पश्चिम दिशा में, जहां से नक्सली गोलियां चला रहे थे, दो एचई बम फेंके। श्री डी.ई. किन्दू, डी.सी., श्री संजय कुमार, ए.सी., कांस्टेबल सत्य प्रकाश, कांस्टेबल सुनील कुमार पाणिग्रही, कांस्टेबल सी.के. पाण्डेय, श्री संजय कुमार, ए.सी., कांस्टेबल विक्रम सिंह, कांस्टेबल रविन्द्र कुमार, कांस्टेबल दिलीप प्रधान सभी ने अलग-अलग पेड़ों और पत्थरों के पीछे लाइन बनाकर पोजीशन सम्भाली और नक्सलियों की दिशा में भारी गोलीबारी की। यह नजदीक से लड़ा गया ऐसा विशेष युद्ध था जिसमें शत्रु को पर्याप्त ऊंचाई पर होने और मजबूत आश्रय दोनों का लाभ प्राप्त था। तथापि, सैन्य दलों ने व्यावसायिक कौशल और साहस के साथ बहादुरी से लगभग तीन घण्टे तक मुकाबला किया। विशेष रूप से कांस्टेबल/जीडी सत्य प्रकाश ने अनुकरणीय बहादुरी प्रदर्शित की और झाड़ियों में रेंग रहे एक नक्सली को मार गिराया। 10-15 नक्सलियों ने मारे गए नक्सली को भारी गोलीबारी की आड़ में उठा ले जाने का प्रयास किया। कांस्टेबल/जीडी सत्य प्रकाश ने अपनी जान की परवाह किए बिना बहादुरी से आड़ से बाहर आए और कुछ यूबीजीएल ग्रेनेड दागे। इस वीरता के प्रयास में कुछ और नक्सली घायल होकर गिर गए। दुर्भाग्यवश अपनी पोजीशन बदलते समय कांस्टेबल/जीडी सत्य प्रकाश को गर्दन पर गोली लगी और वे जमीन पर गिर गए। कांस्टेबल/जीडी सत्य प्रकाश और एक घायल जेजे कार्मिक को 20-30 मीटर की दूरी पर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और उनकी प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। श्री सत्य प्रकाश को ले जाने के लिए सैटेलाइट फोन के माध्यम से कमान चौकी से अनुरोध किया गया था। तब तक टीम-2 भी वहां पहुंच गयी थी और टीम-2 के एचसी कुलबीर सिंह ने भी ग्रेनेड दागने के लिए यूबीजीएल का उपयोग किया। सैन्य दलों ने अनुकरणीय कार्य किया जिससे नक्सली भागने पर मजबूर हो गए।

दोनों घायल कार्मिकों को कमांडेंट-203 द्वारा एमपीवी में लाभर के सी.आर.पी.एफ. कैम्पऔर वहां से उन्हें एम्बुलेंस में चिआंकी, डाल्टनगंज ले जाया गया। वहां से उन्हें हेलीकाप्टर द्वारा अपोलो अस्पताल, रांची ले जाया गया जहां कांस्टेबल/जीडी सत्य प्रकाश देशवाल को मृत घोषित किया गया।

कुछ व्यक्तियों ने अनुकरणीय साहस और बहादुरी का परिचय दिया जिसने हमें बड़े अपयश से बचा लिया। कांस्टेबल/जीडी सत्य प्रकाश देशवाल एक ऐसे ही नायक थे। उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत हथियार से गोलियां चलाई अपितु आगे बढ़कर फंसे हुए जेजे सैनिकों को बचाने के लिए भी आगे बढ़े, अपने साथी से यूबीजीएल मांगकर निडरता से गालियां चलाई, जिससे नक्सलियों को आगे बढ़ना रूक गया और अन्ततः वे शहीद हो गए।

इस मुठभेड़ में स्व. श्री सत्य प्रकाश देशवाल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 05.04.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 163-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. देव शंकर मिश्र,
उप कमांडेंट

02. नीरज कुमार,
निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 23.03.2011 लगभग 1145 बजे को पुलिस स्टेशन बेनूर के उत्तर पश्चिम में लगभग 7 किलोमीटर के निकट गांव कुलानार, पुलिस स्टेशन बेनूर के आस-पास के वन क्षेत्र में 40-50 हथियारबंद नक्सलियों की उपस्थिति के बारे में पुलिस स्टेशन बेनूर में राज्य पुलिस से विशिष्ट आसूचना संबंधी जानकारी प्राप्त हुई। इन जानकारियों से नक्सल कैडर में शामिल होने के लिए ग्रामवासियों को मजबूर करने हेतु ग्रामवासियों की एक बैठक आयोजित करने की नक्सली योजना का पता चला। इस जानकारी के आधार पर, बेनुर पुलिस और ए/139 बटालियन, सीआरपीएफ के साथ विशेष संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई गई। श्री देव शंकर मिश्र, उप कमांडेंट, जो उस समय ए/139 बटालियन में उपस्थित थे, ने स्वेच्छा से नेतृत्व करना स्वीकार किया। उनकी सहायता करने के लिए निरीक्षक नीरज कुमार ए/139 के अन्य दल के एक प्रभारी थे।

नक्सलियों की समय पूर्व चेतावनी प्रणाली द्वारा देख लिये जाने से बचने के लिए, दल को सीआरपीएफ और राज्य पुलिस वाले दो भागों में बांटा गया। कार्रवाई आरंभ करने से पहले, एफयूपी पूर्व-निर्धारित था। जैसाकि पहले ही जानकारी दे दी गई थी, दोनों दल सभी संभावित दिशाओं से क्षेत्र को घेरने के लिए गए। श्री डी.एस. मिश्र और निरीक्षक नीरज कुमार के नेतृत्व में दल बांयी ओर से क्षेत्र को घेरने के लिए आगे बढ़ा, जहां नक्सलियों की उपस्थिति की संभावना अधिकतम थी। घेराबंदी की तैयारी के दौरान, नक्सलियों, जिन्होंने पेड़ों और शिलाखण्डों के पीछे पोजीशन ले रखी थी, ने काफी नजदीक से सीआरपीएफ दल की ओर अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ कर दी। गोलियों की भारी बौछार पूरे क्षेत्र में छा गई। श्री देव शंकर मिश्र, उप कमांडेंट/निरीक्षक जीडी नीरज कुमार ने अपनी जान को जोखिम में डालकर युक्तिपूर्वक नक्सलियों को घेरने का निर्णय लिया। दोनों ओर से भारी और लम्बी गोलीबारी के बीच श्री

देव शंकर मिश्र, उप कमांडेंट और निरीक्षक/जीडी नीरज कुमार कुशलतापूर्वक रेंगकर चले और टीले के निकट पोजीशन लिए हुए नक्सली समूहों के नजदीक जाने में सफल हुए। श्री देव शंकर मिश्र, उप कामंडेंट ने ग्रेनेड फेंके जिससे नक्सली भयभीत हो गए और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा। इसी बीच, इन दोनों ने 4-5 वर्दीधारी नक्सलियों के एक समूह को गोलीबारी करते हुए घने जंगल की ओर जाते हुए देखा। श्री देव शंकर मिश्र, उप कमांडेंट और निरीक्षक/जीडी नीरज कुमार ने अपनी स्वयं की सुरक्षा की परवाह किए बिना गोलीबारी करके आगे बढ़ने की रणनीति अपनाकर भाग रहे नक्सलियों का पीछा किया। दोनों ओर से अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। ऐसा करते समय, श्री देव शंकर मिश्र, उप कमांडेंट कवर लेने के प्रयास में फिसल भी गए और जख्मी हो गए। अपनी रक्तस्राव वाली चोट की परवाह किए बगैर श्री देव शंकर मिश्र, उप कमांडेंट और निरीक्षक/जीडी नीरज कुमार ने गोलीबारी करते हुए नक्सलियों का पीछा करना जारी रखा। यह दोतरफा गोलीबारी लगभग 90 मिनट चली। भीषण लड़ाई समाप्त होने के बाद छानबीन के दौरान, दो वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए। एक की पहचान सीपीआई (माओवादी) के पूर्वी बस्तर डिवीजन के केशकाल बर्दा दलम के कमांडर, सुनील और दूसरे की पहचान सीपीआई (माओवादी) के पूर्वी बस्तर डिवीजन के केशकाल बर्दा दलम के सदस्य, रामनाथ के रूप में की गई। मुठभेड़ स्थल से एक 9 एमएम की आटोमेटिक कारबाइन, एक भरी हुई आटो 9 एमएम पिस्तौल, एक 12 बोर की भरी हुई बंदूक गोलाबारुद, विस्फोटकों और अन्य घातक सामग्रियों की रसद बरामद की गई। खून के धब्बों और घसीटने के निशानों से पता चला कि कार्रवाई के दौरान नक्सली समूह को अधिक नुकसान हुआ है।

श्री देव शंकर मिश्र, उप कमांडेंट और निरीक्षक/जीडी नीरज कुमार ने अपनी स्वयं की जान की परवाह किए बिना गंभीर जोखिम को स्वीकार करने में तत्काल और सतर्कतापूर्वक वीरतापूर्ण नेतृत्व एवं अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया। वे नक्सलियों से लड़े और खूंखार नक्सलियों का सफाया कर दिया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री देव शंकर मिश्र, उप कमांडेंट और नीरज कुमार, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 23.03.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 164-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का तृतीय बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01.	प्रकाश रंजन मिश्र, उप कमांडेंट	(वीरता के लिए पुलिस पदक का तृतीय बार)
02.	करुण कुमार ओझा, सहायक कमांडेंट	(वीरता के पुलिस पदक)
03.	रमन कुमार, कांस्टेबल	(वीरता के पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 19.7.2012 को श्री प्रकाश रंजन मिश्र, उप कमांडेंट, 203 कोबरा को अजय गंजू उर्फ पारस, वरिष्ठ माओवादी नेता (रीजनल कमाण्डर एवं बिहार रीजनल मिलिट्री कमीशन मेम्बर) की आवाजाही के बारे में विश्वस्त सूचना मिली। सूचना के अनुसार, अजय गंजू (नक्सलवादियों के समूह के साथ) पुलिस स्टेशन कुंडा के अन्तर्गत अत्यंत दूरवर्ती और प्रतिकूल स्थान लकरमन्ना में अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आ रहा था। छतरा के पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दी गई जिन्होंने मानव और तकनीकी स्रोतों से इस बात की पुष्टि की। चूंकि अजय गंजू उस क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से सक्रिय माओवादी था और अपनी आतंकी/लड़ने की क्षमता के कारण रीजनल कमाण्डेन्ट बना दिया गया था, इसलिए पुलिस अधीक्षक छतरा ने श्री प्रकाश रंजन मिश्र, उप कमांडेंट और श्री करुण कुमार ओझा, सहायक कमांडेंट के साथ एक छोटी टीम का अभियान चलाने की योजना बनाई। आई जी पी सी आर.पी.एफ. जे.के.डी., डी.आई.जी., सी.आर.पी.एफ. रांची और कमांडेंट 203 कोबरा के आसूचना भेजी गई जिन्होंने एक अभियान चलाने की योजना बनाई। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि श्री प्रकाश रंजन मिश्र, उप कमांडेंट की कमान में श्री करूण कुमार ओझा, सहायक कमांडेंट और एसआई एस. तमांग, ओसी लालोंग पुलिस स्टेशन के साथ बी/203 कोबरा की दो टीमों के साथ अभियान आगे बढ़ाया जाए और सहभागी दलों को उपयुक्त ढंग से विवरण देने और विभिन्न दलों को काम बांटने के बाद वे 2030 बजे लक्षित स्थान की ओर बढ़े। कुंडा तक वाहनों का इस्तेमाल किया गया। उसके पश्चात सैन्य दलों ने गांव की ओर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। घना अंधेरा, दुर्गम भूभाग, झाड़ियां, नाले और भारी वर्षा होने के बावजूद, सैन्य दल बड़ी तेजी से आगे बढ़ता रहा और लगभग 0330 बजे गांव के निकट पहुंचा। गांव जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। एनवीडी से पास के जंगल का जायजा लेने के बाद श्री प्रकाश रंजन मिश्र, उप कमांडेंट ने घेराबंदी दल को गांव को घेरने का आदेश दिया। ज्योंही घेराबंदी दल ने गांव का घेराव करना शुरु किया, त्योंही श्री प्रकाश रंजन मिश्र, उप कमांडेंट, श्री करुण कुमार ओझा, सहायक कमांडेंट, एसआई एस. तमांग ओ/सी लालोंग ने आक्रमण दल के कुछ चुनिन्दा बहादुर सदस्यों के साथ मकानों के समूह की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। शीघ्र ही, गांव के कुत्तों ने भौंकना शुरु कर दिया और निकटवर्ती जंगल से गोलियों की बौछार शुरु हो गई। गोलियों की परवाह किए बगैर करुण कुमार ओझा और एस. तमांग और आक्रमण दल सहित श्री प्रकाश रंजन मिश्र शीघ्रता से अजय गंजू के मकान की ओर बढ़े और घेराव दल को मकान को चारों ओर से घेरने और उनके मकान की तलाशी करने का आदेश दिया। श्री प्रकाश रंजन मिश्र जो आक्रमण दल का नेतृत्व कर रहे थे, शीघ्र ही अजय गंजू के घर निकट पहुंचे और उन्होंने एक व्यक्ति को जंगल की ओर भागते हुए देखा। उन्होंने एचसी/आरओ प्रभाकर सिंह, कांस्टेबल एस. खालको और कांस्टेबल अजीत राम वर्मा को दांयी ओर से कवर/सहायता प्रदान करने का आदेश दिया क्योंकि वे बचकर भाग रहे नक्सली का पीछा कर रहे थे। श्री करुण कुमार ओझा और कांस्टेबल रमन कुमार ने नक्सली का पीछा करना शुरु कर दिया। नक्सली ने पीछे मुड़कर कुछ राउंड गोलियां दागी किन्तु श्री पी.आर. मिश्र और उनके पीछे आ रहे करुण कुमार ओझा और कांस्टेबल रमन कुमार बाल-बाल बच गए और नक्सलियों की गोलियों से रुके बिना उनका पीछा करते रहे। आक्रमण-दल की ओर जंगल से गोलियों की बौछार आई जिसका एचसी/आरओ प्रभाकर सिंह, सीटी एस. खालको और सीटी अजीत राम वर्मा ने जवाब दिया। इस जबावी कार्रवाई से छापामार/तलाशी दल को आगे बढ़ने में सहायता मिली। जब श्री प्रकाश रंजन मिश्र, श्री करुण कुमार ओझा और कांस्टेबल रमन कुमार के साथ नक्सली के निकट पहुंचे, तब उसने पीछे मुड़कर श्री प्रकाश रंजन मिश्र पर कई राउंड गोलियां दागीं किन्तु निशाना साध कर गालियां चलाने के बावजूद वे बच गए। जब नक्सली जंगल में घुसने ही वाला था, तब अपनी ओर आ रही माओवादियों की गोलियों के बीच ही श्री प्रकाश रंजन मिश्र, श्री वरुण कुमार ओझा और कांस्टेबल रमन कुमार ने बचकर भाग रहे नक्सली पर गोली चला दी, जो तत्काल जमीन पर गिर गया। श्री प्रकाश रंजन मिश्र, श्री करुण कुमार ओझा और कांस्टेबल रमन कुमार नक्सली पर लगातार जबावी गोली चलाते रहे। जब नक्सलियों की ओर से गोलीबारी रुकी, तब वे नजदीक आए और उन्हें एक भरी हुई 9 एमएम की पिस्तौल के साथ एक

व्यक्ति का शव मिला। एक एचई 36 ग्रेनेड कुछ फुट की दूरी पर पड़ा हुआ था। तलाशी लेने पर एक एचई 36 ग्रेनेड, एक भरी हुई 9 एमएम मैगजीन और उसकी जेब में दो मोबाइल पाए गए। घेराबंदी दल ने उस स्थान की ओर बढ़ना शुरु किया, जहां से माओवादी गोलियां चला रहे थे। किन्तु सैन्य दलों के पहुंचने से पहले माओवादी बचकर भागने में सफल हो गए थे। उक्त स्थान से विभिन्न हथियारों से चलाई गयी गोलियों के खोखे पाए गए। बाद में, ग्रामीणों द्वारा मृतक व्यक्ति की पहचान अजय गंजू उर्फ पारस उर्फ फागू के रूप में की गई जो नक्सलियों का खूंखार रीजनल कमाण्डर और बिहार रीजनल मिलिट्री कमीशन का सदस्य था और जिसका बिहार और झारखण्ड के कई जिलों में आतंक था और उस पर 7 लाख का पुरस्कार घोषित था। बिहार और झारखण्ड के विभिन्न जिलों में उसके विरुद्व 100 से अधिक मामले लंबित रहे थे। कई वर्षों से वह बिहार और झारखण्ड के सीमावर्ती क्षेत्र में होने वाले नक्सलवादी, विस्फोटों, हमलों और मुठभेड़ों की लगभग सभी घटनाओं में शामिल रहने वाला प्रमुख व्यक्ति था। सैन्य दल ने कुन्डा पुलिस स्टेशन लौटकर शव और बरामद की गई सामग्रियां पुलिस स्टेशन को सौंप दी और छतरा में बेस कैम्प के लिए चले गए।

इस पूरे अभियान में, श्री प्रकाश रंजन मिश्र, उप कमांडेंट और श्री करुण कुमार ओझा, सहायक कमांडेंट ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी जान को स्पष्ट खतरा/जोखिम होने के बावजूद सैन्य दल का सामने से नेतृत्व किया। अभियान के दौरान उनकी पहल, शीघ्र कार्रवाई और उनके असाधारण साहस और बहादुरी ने इस अभियान को एक बड़ी सफलता में बदल दिया जिसके परिणामस्वरूप एक खूंखार माओवादी रीजनल कमाण्डर मारा गया। इस पूरे अभियान में कांस्टेबल रमन कुमार ने असाधारण कर्त्तव्यपरायणता एवं उत्कृष्ट बहादुरी के साथ एक समान जोखिम उठाते हुए उनकी पूरी सहायता की। इन तीन कार्मिकों ने अपने जीवन को स्पष्ट जोखिम होने के बावजूद अनुकरणीय साहस, असाधारण धैर्य और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री प्रकाश रंजन मिश्र, उप कमांडेंट, करुण कुमार ओझा, सहायक कमांडेंट और रमन कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का तृतीय बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 20.07.2012 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 165-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. विमल पंवार,
उप कमांडेंट

02. ठाकुर दिवाकर सिंह,
सहायक कमांडेंट

03. राम नरेश,
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

पीरी के जंगली क्षेत्र में ईआरबी/कोयल-शंख जोन के नक्सलियों के 200 से अधिक कैडरों और उनके शीर्ष कमाण्डरों के इकट्ठे होने के बारे में आसूचना संबंधी जानकारी मिलने पर, सिविल पुलिस और सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों द्वारा "ट्राएंगल" नामक अभियान चलाने की योजना बनाई गई। तीन विभिन्न केन्द्रों से तीन हमला (स्ट्राइक) पार्टियां बनाई गयीं। हमला पार्टी-। में श्री ठाकुर दिवाकर सिंह, सहायक कमांडेंट की कमान में 203 कोबरा की टीम-2 और श्री विजय कुमार, कमांडेंट, 208 कोबरा की समग्र कमान के अधीन 208 कोबरा तथा 1 एजी झारखण्ड जगुवार की टीमें, हमला पार्टी-2 में श्री विमल पंवार, उप कमांडेंट और एसडीपीओ वरवाडीह की कमान के अधीन कोबरा 208 की दो टीमों सहित 203 की टीम 14 शामिल थीं, और हमला पार्टी-3 में कान्हे/सरजू केन्द्र (एक्सिस) से 1 एजी और एएसपी लातेहर सहित श्री डी.ई. किन्दू की कमान में 203 कोबरा की टीम शामिल थी। हमला पार्टियां 1400 बजे बेस कैम्प गाऊ, लातेहर से वाहन से चलीं और 1430 बजे गारु के जंगल में तीनमोहानी जंक्शन से पैदल चलीं। हमला पार्टी-। लक्षित पीरी नाला के लिए उत्तर की ओर से और

हमला पार्टी-।। उसी स्थान के लिए दक्षिण की ओर से गयी। दोनों हमला पार्टियों ने दिनांक 31.7.2011 को रात में जंगल में लूप (एलयूपी) लिया और दिनांक 1.8.2011 को लगभग 0900 बजे लक्ष्य के निकट पहुंच गई। हमला पार्टी-।। के कमाण्डर श्री विमल पंवार, उप कमांडेंट और उनके दल के सदस्यों ने वहां से 50 मीटर की दूरी पर घने जंगल के बीच नक्सलियों के छिपने के स्थान को देखा। श्री विमल पंवार, उप कमांडेंट ने तत्काल गोलियां नहीं चलाई क्योंकि वे पूर्णतया आश्वस्त होना चाहते थे कि वहां उपस्थित लोग नक्सली ही हैं, ग्रामीण नहीं। वे यह भी पता लगाना चाहते थे कि वहां आस-पास नक्सलियों के और छिपने के स्थान अथवा मोर्चे तो नहीं मौजूद है, अत: श्री विमल पंवार, उप कमांडेंट और उनके दल के सदस्यों ने तत्काल पोजीशन सम्भाली और पार्टी को कार्रवाई करने के लिए तैनात करना शुरु कर दिया। नक्सलियों को इस बात की भनक लग गई और उन्होंने पार्टी पर गोलियां चला दी और बचकर भागने का प्रयास किया। पार्टी ने भी तत्काल बदले में भारी गोलीबारी की। कुछ ही पलों में 100 से 250 गज की दूरी से हमारी पार्टी पर चारों दिशाओं से गोलियां बरसने लगीं। चूंकि पार्टी चारों ओर से ऊंची नीची पर्वतश्रेणियों से घिरी पर्वतश्रेणी पर थी और घने जंगल और ऊंचे पेड़ों के कारण दृश्यता बहुत ही सीमित थी, इसलिए भागते हुए नक्सलियों की स्थिति का पता लगाना बहुत कठिन था। तथापि, पार्टी ने गोलियां चलानी शुरु कर दी और बहुत ही रणनीतिपर्वूक और कुशलतापूर्वक आगे बढ़ी। यह जानकार कि हमला पार्टी-2 पर गोलीबारी की गई है, हमला पार्टी-। रणनीतिपूर्वक हमला पार्टी-2 की अवस्थिति की ओर गई। लगभग 200 मीटर की दूरी तय करने के बाद आगे वाला दल अर्थात कांस्टेबल/जीडी राम नरेश सहित श्री ठाकुर दिवाकर सिंह, सहायक कमाडेंट, घनी और ऊंची चोटी से 100 से 200 गज की दूरी पर अपनी दायीं तरफ तीन ओर से गोलियों की भारी बौछार से घिर गए। उन्होंने पोजीशन सम्भाली और गोली चलाओ और आगे बढ़ो रणनीति के तहत नक्सलियों की ओर रेंगकर बढ़े। नक्सलियों ने उन पर देशी बम भी फेंके। धैर्य सहित हमला पार्टी-1 के कमांडो श्री ठाकुर दिवाकर सिंह, सहायक कमांडेंट, कांस्टेबल/जीडी राम नरेश के साथ रेंगते हुए धैर्य के साथ संगठित शत्रु की ओर बढ़े और लड़ाई होने लगी। श्री ठाकुर दिवाकर सिंह, सहायक कमांडेंट और स्काउट कांस्टेबल/जीडी राम नरेश ने एक आदमी को काली डांगरी में ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए और अपने आटोमेटिक हथियार से गोलियां चलाते हुए देखा। बहुत ही निकट से भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें कमाण्डोज ने भारी मात्रा में गोलीबारी की और यूबीजीएल के शैल फैंके और देखा कि काली डांगरी वाला व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया है और जमीन पर गिर गया है। पार्टी के फैलाव से नक्सलियों द्वारा हमारी पार्टी को घेरे जाने के अवसर समाप्त हो गए वे विस्मित होकर आश्रय के लिए इधर-उधर भागने लगे। कुछ मिनटों बाद पार्टी ने उनके छिपने के स्थान नम्बर-। से 60 मीटर की दूरी पर छिपने का एक अन्य स्थान देखा। पार्टी ने तत्काल उस पर छापा मारा। यह स्थान एक प्रशिक्षण कैम्प था जहां भीतर प्रशिक्षण के बहुत से सामान और ढांचे पाये गए। ज्योंही पार्टी ने दूसरी ओर को बढ़ना शुरु किया उन्हें नजदीकी पहाड़ी पर से गोलियों की भारी बौछार का सामना करना पड़ा। घात लगाकर यह हमला छिपने के लिए बनाए गए एक नए ठिकाने से किया जा रहा था। पार्टी ने कारगर ढंग से जबावी कार्रवाई की और चार नक्सली घायल स्थिति में भागते देखे गए। छिपने के इस स्थान को भी नष्ट कर दिया गया। लगभग 45 मिनट तक गोलीबारी बंद रही और पार्टी ने तलाशी अभियान शुरु किया। कुछ ही मिनट बाद लगभग 1300 बजे, उन्हें छिपने का एक और स्थान और भूमि पर 200 मीटर लम्बी फैली हुई कुछ कार्मिक रोधी सुरंगें (एंटी पर्सनल माइन्स) मिलीं जिनमें से कुछ छिपने के स्थान के बाहर पेड़ों पर लगाई गई थी। बहुत सी तारें और कुछ विस्फोटक सामग्रियां छिपने के स्थान के भीतर थीं और छिपने का यह स्थान निर्जन था। पार्टी ने छिपने के .स्थान को नष्ट कर दिया। तलाशी अभियान दुबारा शुरु किया गया और नक्सली बीच-बीच में गोलियां चलाते रहे और पार्टी जवाबी गोलियां चलाती रही और आगे बढ़ती रही। इस समय तक श्री विजय कुमार, कमांडेंट भी पहुंच गए थे और लगभग 400 गज की दूरी पर दूसरी पहाड़ी पर अपनी हमला पार्टी-। के साथ पोजीशन संभाल ली थी और हमला पार्टी-।। की सहायता के लिए निकट आए, जो दोनों हमला पार्टियों के सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी का लाभ उठाते हुए नक्सलियों के एक अथवा दो समूहों को घेरने का प्रयास कर रही थी। किन्तु जब दोनों हमला पार्टियों के बीच के क्षेत्र में अनेक बारुदी (सुरंगों) का पता चला, तब श्री विजय कुमार, कमाण्डेंट ने श्री विमल पंवार, उप कमांडेंट को निर्देश दिया कि बरामद की गई विस्फोटक सामग्रियों, बारुदी सुरंगों और अन्य संदेहास्पद वस्तुओं को न तो छेड़ें, न ही छुएं और न ही उन्हें संचालित करें और बरामद किए गए और पायी गई संदेहास्पद वस्तुओं की तस्वीरें लेने के बाद शीघ्रता से इस स्थान से हट जाएं। दोनों ही हमला पार्टियों ने किसी भी दिशा में साझे आर.वी. का निर्णय लिया और हमला पार्टी-।। को उसी आर.वी. की ओर अर्थात गणेशपुर क्षेत्र की ओर बढ़ने का निर्देश दिया गया जहां नक्सलियों के सम्भावित घातों को वास्तव में विफल किया जाना था। हमला पार्टी ने अत्यंत बहादुरी, साहस और दृढ़निश्चय के साथ मुकाबला किया जिससे नक्सली पीछे हटने के लिए विवश हो गए और घने जंगल का फायदा उठाते हुए भाग निकले। गोलीबारी बंद होने के पश्चात पार्टी ने उस क्षेत्र की तलाशी शुरु की और 20-20 किग्रा. वजन वाली 11 आईईडी, 8 एमएम की पिस्तौल-03 जिन्दा राउण्ड, एसएलआर के खाली खोखे, 8000/-

रू. नकद और 1 गैस सिलेण्डर बरामद किया गया। जमीन पर खून के कुछ धब्बे भी पाए गए। पार्टी ने नक्सलियों का पीछा किया किन्तु अंत में वे मुठभेड़ स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र से भागने में सफल हो गए। कमाण्ड पोस्ट से प्राप्त निर्देश के अनुसार, हमला पार्टी -02 और 03 एक निर्धारित स्थान पर एकत्र हुई और गणेशपुर-धमखानर की ओर से बेस कैम्प लौट गई। बरामद की गई वस्तुएं नक्सलियों के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी और इससे नक्सलियों को बड़ा धक्का लगा क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के दुर्गम/दूरस्थ जंगली इलाके में सुरक्षा बलों के आने का अनुमान नहीं लगाया था। यदि ये वस्तुएं बरामद न कर ली गई होतीं, तो नक्सलियों द्वारा इन्हें सुरक्षा बलों पर हमला/घात/विस्फोट करने में उपयोग किया जा सकता था और कई जानें जा सकती थीं। बाद में अभियान समाप्त होने पर, समाचार पत्रों और आसूचना ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार नरेश खैरवरार नामक एक जोनल कमाण्डर सहित 4 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे नक्सलियों के लिए बड़ा झटका माना जाता है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री विमल पंवार, उप कमांडेंट, ठाकुर दिवाकर सिंह, सहायक कमांडेंट और राम नरेश, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 01.08.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

सं. 166-प्रेज/2013-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. नागेश कुमार,
सहायक कमांडेंट

02. बिभु प्रसाद दास,
कांस्टेबल

03. रोशन लाल,
निरीक्षक

04. के. रविन्दर,
कांस्टेबल

05. कैलाश बिशी,
कांस्टेबल

06. सी. लाला भाई,
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 14.11.02011 को लगभग 1300 बजे पुलिस अधीक्षक्, पुरूलिया को पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले के बलरामपुर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत अयोध्या की पहाड़ियों की पूर्वी ढलानों पर घाटबेरा गांव के आस-पास जंगली क्षेत्र में प्रमुख कमाण्डर रणजीत पॉल सहित 10-15 सशस्त्र माओवादियों की आवाजाही की सूचना मिली। तदनुसार, श्री डी.टी. बनर्जी, कमांडेंट, 207 बटालियन कोबरा और श्री एस.के. चौधरी, पुलिस अधीक्षक, पुरूलिया (पश्चिम बंगाल) से परामर्श करने के पश्चात, कमान अधिकारी एफ/207 श्री नागेश कुमार, सहायक कमांडेंट और श्री अभिजीत बनर्जी, उप पुलिस अधीक्षक, (डीएण्डटी), सिविल पुलिस, पुरूलिया, पश्चिम बंगाल द्वारा घाटबेरा गांव के पश्चिम में जंगल के क्षेत्र के निकट 'घात घाटबेरा' नामक अभियान चलाने की योजना बनाई गई। श्री नागेश कुमार, सहायक कमांडेंट के अधीन एफ/207 कोबरा की एक टीम को घात पार्टी के रूप में तैनात किया गया और श्री शाजी एंटोनी, सहायक कमांडेंट की कमान के अधीन एफ/207 कोबरा की एक अन्य टीम को रिजर्व पार्टी के रूप में रखा गया। यह निर्णय लिया गया कि घात पार्टी, रिजर्व पार्टी और राज्य पुलिस के 40 कमाण्डो 1700 बजे केरवा राज्य सशस्त्र पुलिस कैम्प में मिलेंगे। वहां से ये पार्टियां घाटबेरा गांव की ओर बढ़ेंगी। घात पार्टी सीधे घाटबेरा के पश्चिम में जंगल की ओर जाएगी लेकिन राज्य पुलिस कमाण्डो सहित रिजर्व पार्टी धोखा देने की रणनीति के तहत घाटबेरा गांव से होकर वापस आएगी।

श्री नागेश कुमार, सहायक कमांडेंट और श्री शाजी एंटोनी, सहायक कमांडेंट द्वारा एफ/207 कोबरा की अवस्थिति पर विस्तृत जानकारी दिए जाने के बाद लगभग 1600 बजे पार्टियां केरवा कैम्प के लिए निकलीं, जहां उन्हें राज्य पुलिस के कमाण्डो मिले और वे वाहन द्वारा घाटबेरा गांव की ओर गए। जब सारी पार्टी घाटबेरा गांव के पश्चिमी छोर पर पहुंची, तब रिजर्व पार्टी और राज्य पुलिस कमाण्डो वाली 'घोखा पार्टी' केरवा कैम्प की ओर लौटने लगी और घात पार्टी रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ी। जिस समय घात पार्टी ईंटों के भट्टे के निकट पहुंची, तभी अचानक घाटबेरा गांव से लगभग 1.5 किमी. दूर उत्तरी दिशा से आग्नेय विस्फोट सुनाई पड़ा। दोनों कमाण्डरों ने तत्काल उस मार्ग पर घात लगाने का निर्णय लिया जिस पर नक्सलियों के पहुंचने की सम्भावना थी। श्री नागेश कुमार, सहायक कमांडेंट ने सभी पार्टियों को चुनिन्दा स्थल पर उपयुक्त स्थानों पर तैनात कर दिया।

लगभग 1845 बजे, निरीक्षक रोशन लाल की कमान में अगली कट आफ पार्टी को अपनी बांई ओर (उत्तर) से कुछ पैरों की आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने अपने वायरलेस सेट के माध्यम से एफ/207 के शीर्ष कमान अधिकारी को संदिग्ध आवाजाही की सूचना दी। सभी पार्टियों को सतर्क कर दिया गया। कुछ समय बाद जब कुछ और कदमों की आहट सुनाई दी, तो यह ग्रुप कुछ समय के लिए रूक गया। श्री नागेश कुमार, सहायक कमांडेंट और उनके साथी कांस्टेबल/जीडी बिभु प्रसाद दास ने, जो फ्रंट कट आफ पार्टी के दाहिनी ओर कुल 10 से 12 मीटरी की दूरी पर थे, अपने से केवल 7 से 8 मीटर की दूरी पर कुछ लोगों को दक्षिण की ओर जाते देखा। पहले व्यक्ति ने कांस्टेबल बजाकर कुछ संकेत दिया। तत्पश्चात्, 5 से 6 अन्य व्यक्ति उस क्षेत्र में आगे बढ़े। सिविल पुलिस की कमान संभाल रहे श्री अभिजीत बनर्जी, उप पुलिस अधीक्षक ने अपनी पहचान का खुलासा करके उन्हें रुकने की चुनौती दी किन्तु इसके बजाय नक्सलियों ने घात-पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दी। अपने लोगों को होने वाले खतरे का अंदाजा लगाते हुए श्री नागेश कुमार, सहायक कमांडेंट ने अपने और अपने साथी कांस्टेबल/जीडी बिभु प्रसाद दास से केवल 5 से 6 मीटर की दूरी पर नक्सलियों पर गोलियां दागनी शुरु कर दी। फ्रंट कट आफ पार्टी ने भी पीछे के नक्सलियों की ओर गोली चलानी शुरु कर दी। अपनी सुरक्षा और सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए सारी पार्टी ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। नक्सलियों ने ऊबड़-खाबड़ जमीन का आश्रय लेते हुए सैन्य दलों पर गोलीबारी जारी रखी। लगभग 30 मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी रही।

लगभग एक घण्टे तक शांत रहने के बाद नक्सलियों ने सैन्य दलों पर दुबारा भारी गोलीबारी शुरु कर दी और फ्लैंकिंग हमला शुरू करने का प्रयास किया किन्तु फ्रंट कट आफ पार्टी द्वारा की गई द्रुत और वीरतापूर्ण कार्रवाई से फ्लैंकिंग हमला विफल कर दिया गया और नक्सली वहीं रोक दिए गए। चूंकि वहां घना अंधेरा था अत: सभी पार्टियां सतर्क रहीं और अपने स्थान पर ही रहीं। प्रात: लगभग 0430 बजे तक रूक-रूक कर गोलीबारी जारी रही। सुबह होने पर, उस क्षेत्र की तलाशी करने पर हथियारों और अन्य वस्तुओं सहित दो नक्सलियों के शव गहरे हरे रंग की युद्ध की वर्दी में बरामद किए गए। सम्पूर्ण तलाशी की गई जिसमें खून के बहुत से धब्बे मिले जिससे संकेत मिला कि कुछ नक्सली जख्मी हुए होंगे किन्तु अंधेरे की आड़ और आड़ी-तिरछी/ऊबड़-खाबड़ जमीन का फायदा उठाते हुए बचकर निकलने में सफल हो गए।

इस अभियान में श्री नागेश कुमार, सहायक कमांडेंट, ओसी एफ/207 ने अच्छे रणकौशल बोध, साहसी दृष्टिकोण और वीरतापूर्ण कार्य का प्रदर्शन किया। तनावपूर्ण और जोखिमपूर्ण स्थितियों और नक्सलियों के बहुत निकट होने के बावजूद, उन्होंने स्थिति पर नियंत्रण रखा और उत्कृष्ट नेतृत्व का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार उनके साथी कांस्टेबल/जीडी बिभु प्रसाद दास ने साहस और वीरतापूर्ण कार्य का प्रदर्शन किया और पूर्ण समर्थन/सहायता प्रदान की। दोनों ने ही अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपनी टीम के कार्मिकों की जान बचाने के लिए अत्यंत जोखिम उठाया। उनकी द्रुत कार्रवाई के परिणामस्वरूप दो कट्टर नक्सली मारे गए।

निरीक्षक/जीडी रोशन लाल की कमान के अधीन फ्रंट कट आफ पार्टी ने अत्यंत प्रंशसनीय कार्य किया। नक्सलियों के बहुत निकट और उत्तर की ओर आगे होने के बावजूद, निरीक्षक/जीडी रोशन लाल और उनके साथी कांस्टेबल/जीडी रविन्दर आतंकित नहीं हुए, शांत एवं सतर्क रहे तथा विस्मय की स्थिति बनाए रखी और नक्सलियों द्वारा गोलियां चलाने पर तत्परता से जबावी कार्रवाई की। कांस्टेबल/जीडी कैलाश बिशी और कांस्टेबल/जीडी सी. लाला भाई नामक दो और कांस्टेबल फ्रंट कट आफ पार्टी के अन्य साथी थे। यद्यपि, नक्सली इस पार्टी से केवल 4 से 6 मीटर की दूरी पर थे, तथापि उस अत्यंत तनावपूर्ण और नाजुक स्थिति में उन्होंने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया और नक्सलियों पर गोलियां चलाते रहे। फ्रंट कट आफ पार्टी द्वारा की गई तत्वरित कार्रवाई और समन्वित गोलीबारी ने शेष नक्सलियों को वही रोके रखा और घात पार्टी पर, किसी भी फ्लैंकिंग हमले को रोका, जिसने दो कट्टर नक्सलियों के सफाए में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री नागेश कुमार, सहायक कमांडेंट, बिभु प्रसाद दास, कांस्टेबल, रोशन लाल, निरीक्षक, के. रविन्दर, कांस्टेबल, कैलाश बिशी, कांस्टेबल और सी. लाला भाई, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 14.11.2011 से दिया जाएगा।

सुरेश यादव
राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 अगस्त 2013

सं. पीएफजी(792)/2011-प्रशा.II--भारतीय कारपोरेट विधि सेवा की अधिकारी सुश्री अनु सिंह ने अपना स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप दिनांक 05.08.2013 पूर्वाह्न से सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, हैदराबाद का पदभार संभाल लिया है।

2. केन्द्र सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा, सुश्री अनु सिंह, सहायक कंपनी रजिस्ट्रार को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करती हैं।

राकेश कुमार
अवर सचिव

दिनांक 21 नवम्बर 2013

सं. ए-42011/11/5/2013-प्रशासन-II--भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों ने स्थानांतरण के परिणामस्वरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों में उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथियों से अपने-अपने पदों का कार्यभार ग्रहण किया है :--

क्र. सं.	नाम	पद एवं कार्यालय	दिनांक
	(सर्वश्री/कु.)		
1.	रमेश कुमार	सहायक शासकीय समापक, शासकीय समापक कार्यालय, दिल्ली	24.09.2013 (पूर्वाह्न)
2.	वानिया इंद्रजीत अजमलभाई	सहायक शासकीय समापक, शासकीय समापक कार्यालय, अहमदाबाद	26.09.2013 (पूर्वाह्न)
3.	प्रतिभा रामास्वामी	सहायक शासकीय समापक, शासकीय समापक कार्यालय, मुम्बई	24.09.2013 (पूर्वाह्न)
4.	नितिन फर्त्याल	सहायक शासकीय समापक, शासकीय समापक कार्यालय, कोलकाता	04.10.2013 (पूर्वाह्न)

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा के प्रयोजनार्थ आईसीएलएस के इन अधिकारियों को एतदद्वारा प्राधिकृत करती है।

राकेश कुमार
अवर सचिव

दिनांक 25 नवम्बर 2013

सं.पीएफजी(621)/2000-प्रशासन-II--भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों ने स्थानांतरण के परिणामस्वरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों में उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथियों से अपने-अपने पदों का कार्यभार ग्रहण किया है :--

क्र. सं.	नाम	पद एवं कार्यालय	दिनांक
	(सर्वश्री/कु.)		
1.	एम. आर. .ट्ट	कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, ब.गलुरु	07.10.2013 (पूर्वाह्न)
2.	डॉ टी. पांडियन	कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, मुंबई	19.09.2013 (पूर्वाह्न)
3.	डॉ. एम. मनुनीषे चोलान	कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, चैन्नई	01.11.2013 (पूर्वाह्न)
4.	रेशमा आर. कुरूप	सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, चंडीगढ़	25.09.2013 (पूर्वाह्न)
5.	सत्यपाल सिंह	सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, चंडीगढ़	24.09.2013 (पूर्वाह्न)
6.	शत्रुघ्न चौहान	सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, दिल्ली	24.09.2013 (पूर्वाह्न)
7.	डॉ. अंजलि पोखरियाल	सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, दिल्ली	24.09.2013 (पूर्वाह्न)

8.	डॉ. अफसर अली	सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, दिल्ली	24.09.2013 (पूर्वाह्न)
9.	वरुण बी. एस.	सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, हैदराबाद	03.10.2013 (पूर्वाह्न)
10.	अनन्या सैकिया	सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, मुंबई	27.09.2013 (पूर्वाह्न)
11.	जाधव मंगेश रामदास	सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, मुंबई	27.09.2013 (पूर्वाह्न)
12.	बंग मनोज शामसुंदर	सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, मुंबई	24.09.2013 (पूर्वाह्न)
13.	सीताराम शरण गुप्ता	सहायक कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, मुंबई	04.10.2013 (पूर्वाह्न)

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 609 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा के प्रयोजनार्थ आईसीएलएस के इन अधिकारियों को एतदद्वारा प्राधिकृत करती है।

राकेश कुमार
अवर सचिव

सं.पीएफजी(538)/96-प्रशासन-II--भारतीय कारपोरेट विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों ने स्थानांतरण के परिणामस्वरूप कारपोरेट कार्य मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों में उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथियों से अपने-अपने पदों का कार्यभार ग्रहण किया है:--

क्र. सं.	नाम	पद एवं कार्यालय	दिनांक
	(सर्वश्री)		
1.	एस. चन्द्र सेकरन	प्रा.नि.(द.पू.क्षे), हैदराबाद में संयुक्त निदेशक	02.09.2013 (पूर्वाह्न)
2.	वसीम अकरम	प्रा.नि.(उ.क्षे), नोएडा में संयुक्त निदेशक	24.09.2013 (पूर्वाह्न)
3.	अनुराग सुजानिया	प्रा.नि.(उ.क्षे), नोएडा में संयुक्त निदेशक	24.09.2013 (पूर्वाह्न)
4.	सौरभ गौतम	प्रा.नि.(उ.क्षे), नोएडा में संयुक्त निदेशक	24.09.2013 (पूर्वाह्न)

2. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1 की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा के प्रयोजनार्थ आईसीएलएस के इन अधिकारियों को एतदद्वारा प्राधिकृत करती है।

राकेश कुमार
अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2013

संकल्प

विषय : इस्पात उपभोक्ता परिषद् के गठन के संबंध में।

सं. 5(2)/2011 एसडी-1--इस्पात मंत्रालय के दिनांक 14.03.2011, 07.09.2011, 25.11.2011, 10.12.2012, 15.04.2013, 30.05.2013, 16.07.2013, 04.09.2013, 05.09.2013, 11.09.2013, 16.09.2013, 17.09.2013, 22.10.2013 और 08.11.2013, के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद् में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित किया जाता है। इसके तहत इस मंत्रालय के पूर्व कथित संकल्प के पैरा-3 के अंतर्गत उनके नामों का उल्लेख किया गया है:--

तमिलनाडु

श्री एस. राजकुमार 1/1, सेनगामेटू स्ट्रीट, मइलादुथरई-609001 जिला नागापट्टीणम तमिलनाडु	श्री एम. रामाकृष्णन 2/192, अग्राहारम, कारुगुडी गांव, तिरुवाईयारु, जिला तनजावुरु, तमिलनाडु

2. वर्तमान एससीसी का कार्यकाल 13 मार्च, 2014 तक होगा, जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा यह कार्यकाल विशेष रूप से घआया अथवा बढ़ाया नहीं जाता है। एससीसी जब भी आवश्यकता हो, अपनी बैठकें करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रीमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक और इस्पात उपभोक्ता परिषद् के सभी सदस्यों सहित सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति संप्रेषित की जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

सय्यदैन अब्बासी
संयुक्त सचिव

विज्ञाान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(जैवप्रौद्योगिकी विभाग)
नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 नवम्बर 2013

संकल्प

सं. 16011/01/2010-हिन्दी --जैवप्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखी गई पुस्तकों के लेखकों को पुरस्कृत करने के लिए चलाई जा रही ''डॉ. जगदीश चन्द्र बोस हिंदील ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना'' हेतु जारी किए गए इस विभाग के दिनांक 5 अक्तूबर, 2005 के संकल्प सं. ई.16011/01/2005-हिंदी में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है, तथापि पुरस्कार की राशि दिनांक 14 नवम्बर, 2007 के संकल्प सं. ई.16011/01/2006-हिंदी के अनुसार ही रहेगी :--

क्र. सं.	अनुच्छेद	निम्न के स्थान पर	निम्न पढ़ा जाए
1	2	3	4
1.	5.1	इस योजना में केवल प्रकाशित पुस्तकों पर विचार किया जाएगा।	इस योजना में प्रकाशित पुस्तकों के साथ-साथ अप्रकाशित पुस्तकों पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन अप्रकाशित पुस्तकों का पुरस्कार के लिए चयन कर लिए जाने के पश्चात् उनका चयन से तीन महीने के अंदर प्रकाशन कर लिया जाना अनिवार्य होगा। प्रकाशन के बाद ही वे पुस्तकें पुरस्कार की हकदार होंगी।
2.	5.3	लेखकों को आवेदन पत्र के साथ अपने प्रकाशित ग्रंथ की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।	लेखकों को आवेदन पत्र के साथ अपनी प्रकाशित पुस्तक/अपनी रचित पुस्तक की टंकित 5 प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
3.	5.5	जिन मौलिक पुस्तकों को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उनको पुरस्कार वर्ष-सहित पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित होना चाहिए।	इस योजना के लिए प्रस्तुत प्रकाशित/टंकित पुस्तक कम से कम 150 पृष्ठों की होनी चाहिए।

उपर्युक्त संशोधन दिनांक 01 नवम्बर, 2013 से प्रभावी होगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, भारत में सभी विश्वविद्यालयों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

श्रीषण राघवन
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 29th November 2013

No. 116-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Police:—

Name & Rank of the Officer

Shri Kartik Saikia
AB Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 05.08.2012 one Shri Navanit Sarmah, lodged an FIR at Udalguri PS stating that unknown NDFB (Ranjan group) cadre demanded Rupees five lakhs on NDFB (Ranjan group) letter head and threatened him from cell no 8472932559. Accordingly two constables namely CT Kartik Saikia and CT Prithiraj Chouhan were detailed in his oil depot with necessary briefing.

On 12.08.2012 at around 6:45 pm one armed youth appeared at the oil depot and at gun point ordered Shri Navanit Sarmah to hand over the demanded money. Seeing the development CT Kartik Saikia present nearby, with a view to save the life of Shri Navanit Sarmah went to the opposite side by knowingly exposing himself to risk of his life and asked the extortionist to get disarmed and surrender. The attention of the extortionist got diverted towards the constable and they had a one to one shoot out. However Navanit Sarmah taking the chance escaped unhurt. The extortionist fired two rounds on constable Saikia, one of which hit him on his right hand wrist and middle finger. But displaying exemplary courage, presence of mind and dedication to the entrusted duty, CT Kartik Saikia retaliated with his injured hand and fired three rounds from his 9mm service pistol. The exchange of fire took place almost simultaneously but Constable Kartik Saikia sustained bullet injury on his person whereas the extortionist died on the spot. Injured constable Kartik Saikia was sent to GMCH on being referred by Udalguri Civil Hospital for better treatment. One M-20 pistol, two rounds fired cases, three rounds live ammunition and two mobile handsets with cell no 8472932559 were recovered from the possession of the deceased.

AB Constable Kartik Saikia demonstrated highest degree of dedication to his responsibilities, presence of mind and raw courage even to the extent of nearly scarifying his own life. He could have opened fire from a distance taking some coverage, but in that case the life of civilian Navanit Sarmah would have been at risk.

In this encounter Shri Kartik Saikia, AB Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12/08/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 117-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Bihar Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Raghunath Singh,
Sub-Inspector

02. Santosh Kumar Singh,
Constable

03. Sanjay Kumar,
Constable

04. Baijnath Kumar,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

The districts of Buxar, Rohtas and Kaimur had been reeling under hideous criminal acts perpetrated with frightening regularity by Suresh Rajbhar of village Itwa, Rajpur PS Dist Buxar and his gang, having 10-12 hardcore recorded criminals of Bihar and UP. He was an accused in at least 46 heinous criminal cases of Buxar and its adjoining districts of Bihar and UP which comprises acts of murders, dacoits and kidnappings for ransom. Along with public he was responsible for killing and making injuries to several policemen. He was absconder since 1979. A reward of Rs. 25000/- was declared by Govt. of Bihar for his arrest.

On 24.06.2010 at about 12.35 PM Raghunath Singh, SI of Police cum Officer in charge Rajpur PS, with his subordinate police officers and men, was engaged in verification of a secret information about hiding of Suresh Rajbhar and his associates in Lakshmanpur Dera, a small village of only 8 (eight) earthen houses, under Rajpur PS. They cordoned the suspected house and moved towards it. Sudden shower of bullets from the house hit SAP jawan Awadhesh Prasad Sah. This sudden attack and bullet injury to SAP jawan shook the policemen all at once. The criminals were in advantageous position, having positioned inside a earthen house with thick walls whereas the police personnel found themselves without any defence, in open.

Irrespective of substantial risk to their lives, the police party displayed splendid courage and extreme conviction. They changing their way, neared the house and made counterattacks, warning them to surrender. The desperadoes, paying no heed to their warnings, accelerated their firings. Conceiving gravity of the situation, Shri Raghunath Singh, SI reported prevailing situation to his higher and asked for additional force. Arrival of SP Buxar, SDPO Buxar SDPO Dumaraon and other Police Officers with their force on the scene, enthused the Police Party, confronting the extremely violent criminals tooth and nail. After assessment of the situation, villagers in fear were evacuated from nearby houses. Police Officers and men were deputed on every route of their possible escape despite all precautionary measures, exchange of bullets was going on.

The situation was very challenging and fraught with tense and terrifying risks. Criminals had damaged two police jeeps and its headlights with heavy fire shots just to interrupt police attacks and their mobility. Despite all these odds, the Police Team was firm and determined to perform the job they were entrusted.

Arriving on the scene, DIG of Police, Shahabad Range along with Dy SP discussed further strategic plan to conduct the operation successfully. Blockades of all possible escaping routes were tightened. STF jawans were deployed on roofs of nearby houses. Two raiding cum assault teams were constituted to arrest unyielding and hard bitten criminals. The first team headed by DIG, Shahabad consisting of Sanjay Kumar Singh, Dy SP (Rural) Bhojpur, Mritunjay Kumar Singh, SI of Police (SOG) STF SC Santosh Kumar Singh and JC Sanjay Kumar Singh. Second Assault team was headed by Upendra Kumar Sinha, SP, Buxar, Arvind Gupta, SDPO, Buxar, Raghunath Singh, SI cum Officer in charge, Rajpur PS and JC Baijnath Kumar, STF. Both the teams, in a planned way moved towards the den of the criminals maintaining all precautionary measures. Sanjay Kr. Singh Dy SP, Arvind Kumar Gupta, SDPO, Mritunjaya Kumar Singh, SI of Police and SI Raghunath Singh with STF were ordered by DIG to perform close action of the operation. The offenders were repeatedly being given warnings to stop firing and to surrender, but they fired vehemently upon the police parties, challenging them in most abusive language and threatened to annihilate them. In reply heavy firing were made and hand grenades were exploded by the police teams. The ultras were still unshaked and undeterred inside strong earthen walls of the house. A Police team consisting of DIG, Dy. SP Sanjay Kr. Singh, SI Mritunjay Kr. Singh, SC Santosh Kumar Singh and JC Sanjay Kumar Singh moved towards the den from north side whereas SP Buxar with Arvind Kr. Gupta SDPO Buxar, SI Raghunath Kumar Singh and JC, Baijnath Kumar moved from south west side. In the meantime, the criminals under an evil strategy, sent one portion of the den on fire with intention to escape furtively creating confusion among police personnel. The situation was kept under control by both the teams. Headlights of gypsy car and landmines vehicle were switched on and focused on the encounter site to avoid confusion. As the police parties were engaged in controlling the situation, local supporters of the criminals started firing from west, north and south directions. Available SAP Jawans and additional force of STF Kaimur under leadership of SI Uday Shanker, faced them and control the situation on outer cordon.

This drama continued for whole night. The ultras kept on firing intermittently as police tried to get closer.

As a last, resort in the early morning, the DIG & SP again assessed the situation, regrouped the teams & planned fresh strategy. They tried their best to reach near the fortified den under cover of heavy firing of bullets. The criminals were at the height in counterattack. It was a highly volatile situation. The fighting escalated into a full scale war. DIG Shahabad and SP Buxar called out warnings again to surrender. At this they tried once again to flee in east and west directions under the shower of bullets however their efforts were foiled.

As a strategy one of the criminals, introducing himself as Suresh Rajbhar, agreed to surrender on mobile phone of SDPO Buxar. On this, firing from police side stopped by the DIG & both the DIG and SP came out in front for surrender of criminals. But to utter amazement of Police Team, the criminals, in two groups, came out of the den from south east directions and began to fire indiscriminately and tried to flee. During this intensified firing, JC Sanjay Kumar Singh was hit in his leg. In retaliatory firing by both raiding parties, four fleeing criminals were hit and fell in the eastern field with their weapons.

In course of room intervention the police team exploded hand grenades avoiding apprehension of any further criminals attack resulting spot death of three criminals. They were found dead in the courtyard of the house. In total seven criminals were shot dead, two of which were found in police uniform.

This gruesome encounter continued for 23 hours in which the criminals fired around 500-600 rounds and a big volume of firearms were recovered from their possessions. The number of police officers and personnel employed in this major operation was 181. Total rounds of fire by the Police was 1280 in addition 11 hand grenades and 2 tear gas. This exemplifies their reckless criminality, defiance and propensity for violence with amazing fire power. Fire attacks by the supporters on police parties from outside and from every direction approves the fact that Suresh Rajbhar had organized a strong group of criminals. In such a grave situation surfacing at the critical moment, firing by the police was aptly necessary and of the barest minimum and also fully justified.

During supervision of the case it revealed that the den was in such condition that no punching of effective fire could discourage the criminals till the end of operation. It was also found that several holes were made in thick walls of the den to target the police from all directions. They watched the police strategies of attacks and their movements through the holes.

Exercising superior sense of service, DIG of Police, Shahabad Range, along with police party, handled the situation even in the midst of imminent danger to their lives.

Irrespective of substantial risk of their lives, the police party displayed commendable patience of job and exceptional devotion to duty. By dint of their positive and immediate responsive action, gritty determination, potentiality and combative spirit they faced stiff necked criminals, Suresh Rajbhar and his gang men from the front for about 23 hours at stretch. They, appealing them (criminals) to surrender, exercised maximum restraint. The police party were forced to counterattack in self defence, security of government arms and ammunitions and only when the ultras had increased their fire power to a horrifying level.

Recoveries made :

1. 3006 US Model Rifle Semi Automatic - 01
2. 3006 Prohibited Bore Regular Rifle - 01

3. .315 Bore Regular Rifles - 06
4. DBBL Gun 12 Bore 4057/3764 - 01
5. .315 -179 Round Live Cartridges
6. .3006-102 Round Live Cartridges
7. 7.62 MM-3 round live cartridges
8. 12 Bore- 40 round live cartridges
9. .315 - 56 MT
10. 3006- 12 MT
11. Bindoliya- 07
12. Mobile -3
13. Mobile SIM-4

In this encounter S/Shri Raghunath Singh, Sub-Inspector, Santosh Kumar Singh, Constable, Sanjay Kumar, Constable and Baijnath Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25/06/2010.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 118-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Chhattisgarh Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Love Kumar Bhagat,
Company Commander

02. Brijesh Singh, (Posthumously)
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 16/08/2011, a police party under Company Commander Love Kumar Bhagat moved for anti naxalite operations in area of villages Barko , Adnar, Chema, Nahkanar, Kahkadi and Tirkanaar in Narayanpur district. On receiving the information that the naxalites use Tirkanaar to hide their arms and explosives, the Company Commander decided to cordon and search the village. He formed two parties, one led by himself and the other led by APC Anil Kumar. As the party led by CC Love Kumar was moving into its position, it was ambushed by a large group of naxalites who opened indiscriminate and heavy fire upon the police party from automatic weapons. CC Love Kumar displayed high leadership qualities and directed his men to tactically suitable positions and organized a bold and effective counter response. During the encounter he also noticed that the naxals had taken certain tactically advantageous positions and bold action was needed to counter them. The Company Commander, HC Brijesh Singh and 6 other men advanced by crawling towards the naxal position to counter them effectively. HC Brijesh Singh shot dead a naxalite by fire from his personal weapon. Advancing ahead of the rest of the party, CC Love Kumar and HC Brijesh Singh moved very close to the naxalites and engaged them effectively. The police party used UBGL and hand grenades and inflicted substantial damage upon the naxalites. HC Brijesh Singh got severely wounded by a bullet but kept advancing and firing. The naxalites fled from the spot taking advantage of the thick foliage and undulating terrain. HC Brijesh Singh laid down his life in the operation. After the encounter dead bodies of 04 naxalites along with arms and ammunition were recovered from the encounter site.

In this operation, Shri Love Kumar Bhagat, Company Commander, STF showed high standard of tactical acumen, leadership qualities and exceptional personal bravery. He showed no regard to his personal safety and led his men from the front.

HC Brijesh Singh showed rare personal courage, selflessness and devotion to duty during the operation. His action motivated his team members and resulted in a significant success for the security forces. He laid down his life in line of his duty.

Recoveries Made : - Three 12 bore gun, 39 live cartridges, one muzzle loading gun, 22 live cartridges of .315 and empty cartridges.

In this encounter S/Shri Love Kumar Bhagat, Company Commander and Late Brijesh Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16/08/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 119-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Chhattisgarh Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Dev Narayan Patel,
Sub-Divisional Officer of Police

02. Virendra Srivastava,
Sub-Inspector

03. Ambuj Shukla,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 23.03.2011, Shri Dev Narayan Patel was on a routine anti-naxal operation (searching) in his sub-division in area around villages Uridgaon, Narayanaar and Chinganaralong. When he reached Uridgaon forest, he received information that naxalites were present nearby and were forcefully trying to recruit people in their cadre and also extorting money from the locals in jungle between Kulanar and Remawand, SDOP Devnarayan Patel asked CRPF stationed at Benur for assistance. He led the police party and the Deputy Commandant D S Mishra led the CRPF party which meet in Remawand forest. DC D S Mishra and SDOP Patel formulated a plan and divided the force into two parts. The Police party led by Shri Devanarayan Patel cordoned the jungle patch from one side while the CRPF party of DC D S Mishra cordoned the jungle from the other side. While cordoning, the party led by SDOP Patel came under heavy fire by the naxalites from sophisticated weapons including AK-47 and LMG. The SDOP displayed exemplary personal bravery and leadership qualities while facing the enemy fire. He led his men into a tactically suitable position close to the naxalites and engaged the naxalites boldly and effectively. His personal example motivated other members of his party. Constable Ambuj Shukla and SI Virendra Srivastava showed exemplary personal courage without consideration to their own safety to get closer to the enemy and retaliate effectively. The bold counter offensive of the Police caused inflicted serious damage on the naxalites and forced them to flee.

After the encounter, two dead bodies of uniformed naxalites with one 9mm carbine with 56 rounds, One 9 mm pistol, one 12 bore gun with 22 rounds, one hand grenade, one tiffin bomb of about 2.5kg, four detonators, explosive and other items were recovered. The success of the operation was made possible due to the exemplary courage and gallant action displayed by the SDOP Dev Narayan Patel, SI Virendra Srivastava and Constable Ambuj Shukla.

In this encounter S/Shri Dev Narayan Patel, Sub Divisional Officer of Police, Virendra Srivastava, Sub-Inspector and Ambuj Shukla, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23/03/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 120-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Bhim Sen Tuti,
Superintendent of Police

02. Veer Bahadur Singh Rathore,
Sub-Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

Following a tip off, SP Kishtwar Shri Bhim Sen Tuti, IPS alongwith SI VBS Rathore and his escort party left Kishtwar on 04.08.2011 at 0400 hours to nab two terrorists in village Nagnigarh (Nagdna) Keshwan of Police station Kishtwar. The Commanding officer 11 RR, SOG Kishtwar and Deputy Commandant 74 Bn CRPF were also associated for the operation. The joint party led by SP Kishtwar reached the destination at 0700 hrs. As the target house was located on the periphery of the village, SP Kishtwar took an advance party comprising of his escort and quick reaction team led by Commanding officer 11 RR for laying first cordon, leaving behind the main assault party. There were two probable routes available to the terrorists, one of them was manned by Shri Bhim Sen Tuti, IPS, SP Kishtwar and Commanding officer 11 RR whereas the other route was manned by SI VBS Rathore, Major Anand of 11 RR and SOG personnel. Sensing presence of security forces, the hiding terrorists sneaked out of the house and came out in the open amid heavy firing. The joint party had no option but to take cover. Taking advantage of this, terrorists hide themselves in the maize field surrounding the house. After this, a combing operation was started.

During combing, when the terrorists found themselves surrounded by the security forces, they opened indiscriminate fire on the combing party. The party retaliated in self defence and in the ensuing encounter one terrorist was killed where as the other terrorist made an attempt to flee from the cordon. The search operation continued to neutralize the other ultra who was still hiding in the maize crops as the escape routes were already plugged in by the operation party. Braving the eminent threat to their life in view of their vulnerable position, Shri Bhim Sen Tuti, IPS, SP Kishtwar and SI VBS Rathore, led two separate police parties to launch manhunt for the hiding terrorist. Least caring for their own lives, both these officers led their respective parties from the front and were able to zero on the terrorist who was hiding under the bushes in the maize field. Realizing that there was no scope for his escape and that the police parties have surrounded from all the sides, the hiding terrorist lobbed grenade towards the approaching police parties. Acting tactfully, SI VBS Rathore fired upon him from point blank range and eliminated the terrorist on the spot. A huge quantity of arms/ammunition was recovered from the site of encounter. The slain terrorists were later on identified as Habib Gujjar @ Salman s/o Kher Din r/o Keshwan Kishtwar and Irshad Ahmed Kohli s/o Jamal Din

r/o Catroo, Habib Gujjar @ Salman who was the district commander of banned terrorist outfit Lashkar-e-Toiba (LeT) an "A" category terrorist, wanted in 06 heinous cases. The other terrorist was new recruit into LeT. In the entire operation, Shri Bhim Sen Tuti, IPS, SP Kishtwar and SI VBS Rathore have shown highest degree of bravery, professionalism, camaraderie and courage. These selfless devotion to duty and matchless courage exhibited by them, led to the neutralization of the dreaded terrorists.

Recovery :—

1.	Rifle AK-56	: 01 No.
2.	Magazine AK-56	: 04 Nos.
3.	Rds of AK-56	: 67 Nos.
4.	Chinese grenade	: 02 Nos.
5.	Pouches	: 02 Nos.
6.	Matrix sheet	: 02 Nos.
7.	Damaged mobile	: 01 No.
8.	Knife	: 01 No.

In this encounter S/Shri Bhim Sen Tuti, Superintendent of Police and Veer Bahadur Singh Rathore, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04/08/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 121-Pres/2013—The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:—

Name & Rank of the Officer

Shri Manzoor Ahmed, (Posthumously)
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

Manzoor Ahmed was initially appointed as Sub. Inspector in J&K Armed Police in the year 1993 was handpicked for counter insurgency operation in the state. The officer remained posted in operation group in Kupwara and Poonch District. Because of his excellent track record in anti militancy he was posted in highly militancy infested area that is Bandipora, Kokernag, Tral and Pampore as SHO and with sheer grit, yielded excellent results.

Because of such operations, the officer was awarded out of turn promotion to the rank of Inspector and was also awarded Police Medal for Gallantry in the year 2002. Almost single handedly, the officer neutralized more than dozen dreaded terrorists.

The heroic action of the officer made him a number one target for the anti national elements and foreign terrorists who offered bounties on his head. Intelligence inputs from Subsidiary Intelligence Bureau (SIB), CID, army intelligence etc were being regularly received in this regard and the officer was apprised of the same by senior formations and offered him other postings, but the officer refused to be cowed down and continued his fight against terrorists, producing results. The officer worked with amazing zeal and enthusiasm and was a thorn in the flesh of the terrorists. As late as during last week of November 2006, specific intelligence inputs were received regarding threat to the officer and yet he remained unmoved and geared up for countering this latest threat in his own inimitable style by going after them which rattled the terrorist network.

On 30th of December 2006, the officer was busy in crowd control at Kadlabal Chowk Pampore (In view of Holy festival of Eid-ul-Zuha) where two terrorists managed to reach very close to him wearing phirans and opened fire on the brave officer from point blank range and yet the officer was shouting to his PSOs and nearby CRPF bunker, not to open indiscriminate firing, as the the same would have resulted in huge civilian casualties (as the market place was teeming with thousands of shoppers and huge traffic was plying on National Highway 1-A). The last act of valour of the officer was probably the most supreme, as by his command, unimaginable civilian casualties were prevented. Case FIR No. 175/2006 stands registered in P/S Pampore in this regard.

The officer attained martyrdom but in his supreme sacrifice also, he saved dozens of lives, which otherwise would have been lost. By such unparalleled heroic action, the officer was able to (even in his martyrdom) foil the nefarious designs of the terrorists to cause civilian casualties.

In this encounter Late Shri Manzoor Ahmed, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30/12/2006.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 122-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Showkat Ahmed, (Posthumously)
Assistant Sub-Inspector

02. Randheer Singh, (Posthumously)
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 04/10/2006 at 11:30 hours an information was received regarding presence of some terrorists, who had entered standard Hotel Maisuma. Accordingly a special operation was launched by the Police party of District Srinagar along with nafri of 164 Bn and 158 Bn CRPF.

The building of New Standard Hotel was immediately cordoned from all sides and a three tier security ring was laid around the said building. On the forefront the Police party of SOG Srinagar was deployed. When the party was cordoning the area for search operation, the terrorists hiding in the New Standard Hotel Maisuma opened indiscriminate firing on the Police party with their automatic weapons. It was observed that two terrorists hiding the said Hotel were continuously firing on Police party. A fierce gun battle started between the Police party and hiding terrorists. The special team of Police made their entry in the Hotel which was occupied by the terrorists to carry assault on the terrorist to eliminate them.

It was decided to evacuate the civilians, trapped in the Hotel and its adjoining building. In the fire fight two Police personnel of the SOG namely Showkat Ahmed and HC Randhir JKAP 5th BN sacrificed their lives while evacuating the civilians who were trapped inside the Hotel. It was a great challenge for Police party to kill the hiding terrorists without causing any damage to the public and their property. Before engaging the terrorists in gunfight, the Police party rescued the civilians from the surrounding area. The encounter continued and Police reinforcement were called. The encounter continued for the day and in order to ensure safety of general public and their property around the Hotel Standard Maisuma a three tier security cordon was laid around the Hotel where the terrorists were hiding and the operation was halted for the night. In the wee hours of morning, the operation was again started firing and during encounter two un-identified terrorists were killed. Two Police personnel have also received bullet injuries. In this connection case FIR No. 87/2006 U/S 302, 427 RPC & 27 I. A. Act stands registered in P/S Maisuma.

During the operation, ASI Showket Ahmed and HC Randhir Singh JKAP of 5th Bn of Police component Srinagar scarified their lives while evacuating the civilians who were trapped inside the Hotel and were instrumental in fighting with the terrorists at the forefront which resulted in their elimination.

Recoveries made-

1. AK- 56 without registration No. and without Magazine : 01
2. AK 56 with magazine bearing no. R.9888 : 06
3. Magazine INSAS : 01
4. Magazine AK 56 : 04
5. Magazine AK 47 : 01
6. AK 47 Rounds : 24
7. Chinese grenade : 01
8. Identity card damaged on the name of Mushtaq Ahmad Bhat : 01
9. Identity card on the name of Mhod Ashraf Mir : 01
10. Pocket : 01
11. Shirt with blood stains : 01
12. Chinese grenade bearing No. 650-2002103 : 01
13. AK 47 Magazine empty : 02
14. Rounds : 20
15. Grenade thrower damaged : 01
16. Live grenade : 01

In this encounter late Shri Showkat Ahmed, Assistant Sub-Inspector and late Shri Randheer Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04/10/2006.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 123-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Mohd Rafiq,
Head Constable

02. Shabir Ahmad,
Head Constable

03. Sunil Kumar,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 07.08.2011, a joint operation was launched by Police Handwara and Army in Wadder Payeen Forests to nab the terrorists hiding in the said area. Spotting advance movement of the Police/Army, the hiding terrorist started indiscriminate firing upon them. In the retaliatory action, three personnel among the Police component namely HC Mohammad Rafiq, HC Shabir Ahmad and Ct Sunil Kumar, volunteered to lead the operation from the front and started advancing to the target

site. The terrorist in frustration fired indiscriminately upon them but these personnel remained committed and without caring for their lives took positions at different locations around the target so as to track down the hiding terrorist and not to give him a chance to escape from the cordon.

Acting as per the strategy, these personnel soon after reaching near the proximity of terrorist launched an intense assault on the terrorist which was again retaliated by the terrorist and firefight continued for hours. During fire fight, all these personnel remained very close to the target site firing upon the militant from their respective positions which finally resulted in killing of the terrorist who was later on identified as Fahdullah @ Asif @ Ab. Rehman @ G-4 r/o PoK a top commander of LeT outfit. The killed terrorist was active in Rajwar areas of District Kupwara for a very long time and had caused reign of terror among the people/main stream political workers of the said area. He was involved in various subversive activities in the area and was a great threat for VIP's, security Forces and Police. He was also motivating youth to join terrorist cadres in the area. His killing was highly commended by the local masses of the area and lauded the role of local Police in general and of above named personnel in particular.

Recovery :

1.	AK- 47	: 01 No.
2.	AK- Mag	: 05 Nos. (one damaged)
3.	AK- Rds.	: 130 Nos.
4.	UBGL	: 01 No.

In this encounter S/Shri Mohd Rafiq, Head Constable, Shabir Ahmad, Head Constable and Sunil Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07/08/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 124-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Tahir Sajad Bhat,
Superintendent of Police

02. Iftkhar Talib,
Dy. Superintendent of Police

03. Amit Raina,
SG Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

Following an intelligence input, police component Srinagar led by Shri Tahir Sajad Bhat, SP Operation carried out joint operation with Army in Laribal, Shatigam area of Handwara (Kupwara) on 24.05.2011 to track down two foreign mercenaries who were hiding in the said village. SP (Ops) closely assisted by Dy SP Iftkhar Talib and another jawan from the police component namely Sgct. Amit Raina led the inner cordon party and amid heavy cross fire from the hiding terrorists were able to safely evacuate the inmates who were taken hostage by the terrorists and thereafter launched a front attack on the hiding terrorists which resulted in elimination of both of them in the crossfire. The slain terrorists were involved in a series of terrorist activities in the area and were wanted in a number of cases.

In the third week of May 2011, Police component Srinagar received an information that two Pak origin terrorists namely Mohd Abas @ Ufaidullah (Commander) and Abu Hamza (District Commander) both residents of Pak of LeT outfit who were earlier operating in Laribal, Shatigam Handwara, temporarily shifted to Lolab forests have again returned to their area of operation after meeting their cadres in Lolab forests. The information was further developed and it was established that both commanders of LeT outfit are based in village Laribal, Shatigam Handwara. A team of Police component Srinagar headed by Dy SP Iftikahar Talib was constituted to further develop this information with the objective to pinpoint the hideout used by the terrorists. The team visited the village and got a complete briefing from the source. Having discussed the details regarding the hideout of the top terrorists, the team reported back at Headquarters on the same day. The Incharge of the team alongwith the other members deported to village Laribal, Shatigam area of Handwara to carry out recee of the house as well as entry/exit routes of the village in which the top terrorists had built the hideout.

The police party was reinforced with adequate strength from Police component Srinagar alongwith Police Handwara, 52 RR & 21 RR. Accordingly, the target house was cordoned and it was decided to carry the search of the house in the morning. Subsequently, above mentioned team under the supervision of Tahir Sajad Bhat, SP (ops) Srinagar laid the inner cordon. In the wee hours on 24th of May, 2011 the inner cordon party tried to evacuate the inmates of the target house but when the terrorists noticed that they have been cornered, they took inmates of the target house as hostage which included two women, one old aged person and a child. The inmates of the adjoining houses were evacuated to safer places in order to avoid collateral damage. In the meanwhile, efforts were on to ensure the safe passage of hostage civilians from the terrorists. It was confirmed that two terrorists mentioned above are fully equipped with heavy automatic weapons. Accordingly, the terrorists were asked to surrender and free

the hostage. However, they opened indiscriminate fire on inner cordon party in order to escape from the cordon. The team headed by Tahir Sajad Bhat SP (Ops) Srinagar along with Dy SP Iftkhar Talib which was placed in the inner cordon displayed great courage and supreme sense of duty and foiled their attempt to escape. At this stage, the inner cordon party showed high caliber of duty and patience while dealing with the terrorists especially at the time when the lives of civilians were under great danger. In order to make safe passage of hostage, it was decided to make room intervention from the rear side of the house so that the terrorists could be engaged in gun fight and in the meantime the lives of hostage be saved. Accordingly, one party entered in to room while other including Tahir Sajad Bhat SP (Ops) Srinagar, Dy SP Iftkhar Talib and SgCT Amit Raina of inner cordon party kept the terrorists engaged in close quarter battle without caring for their personal lives. The room intervention party noticed that the terrorists had locked the inmates of the house in a room and bolted it from outside. While the cordon party had engaged the terrorists in heavy gun fight towards the front side of the house, the room intervention party not only safely rescued the hostage without having any loss but also tried to eliminate the terrorists from the house. However, sensing that the action could result in casualty of security force personnel of the front side, the room intervention party was directed to come out of the house with the rescued hostages and place them at a safe location without involving themselves into gunfight with terrorists. The terrorists while firing indiscriminately tried to inflict heavy casualties on the security forces which were fore-fronted by Tahir Sajad Bhat SP (Ops) Srinagar along with Dy SP Iftkhar Talibn and Sgct Amit Raina. At this stage, heavy retaliation of fire was going on and the terrorists realizing undoubting morale of assault team set fire in rear part of house (hideout) in frustration. The billowing smoke forced the assault team to retreat. Within no time the fire spread and whole the building got under the fire. After some time the building burnt into ashes. The two terrorists namely Mohd Abas @ Ufaidullah (Commander) and Abu Hamza (District Commander) both residents of Pak of LeT outfit hided in the building burned in fire and were beyond recognition. The elimination of these terrorists was due to the exemplary courage, presence of mind and extreme sense of duty on part of Tahir Sajad Bhat SP (Ops) Srinagar and Dy SP Iftkhar Talib including Sgct Amit Raina. From the site of encounter AK 47-02 Nos (Burnt), AK Magazines-06 Nos (burnt) were recovered.

In this encounter S/Shri Tahir Sajad Bhat, Superintendent of Police, Iftkhar Talib, Dy. Superintendent of Police and Amit Raina, SG Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24/05/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 125-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:—

Name & Rank of the Officer

Shri Zoheb Tanveer ,
Dy. Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 29.08.2011 at 1507 hours, over a specific information about presence of terrorists in village Mitrigam in district Pulwama in the house of one civilian Mohammad Amin Bhat s/o Abdullah Bhat, a joint cordon by SOG Pulwama, Army and CRPF was laid down and search operation started. During search operation, terrorists hiding in the house started indiscriminate firing on troops, which was retaliated effectively. During the process, the hiding terrorists amid heavy cross fire shifted to a nearby house of one Mohammad Ayoub Bhat son-in-law of Gh Mohammad Bhat @ Mumma Bhat S/o Khazir Bhat and a refugee under the human shield. Civilian evacuation was a big challenge to the search party and the same was entrusted to Shri Zoheb Tanveer, DySP (Ops) Pulwama and his men from the Ops Group. Amid indiscriminate firing and without caring for their own lives, the Group led by Shri Tanveer evacuated about 16 civilians including women and children safely. After the evacuation of civilians, terrorists were asked to lay down their arms which they ignored and instead lobbed hand grenades and continued to shower bullets on the search party. The operational team again effectively retaliated the fire which resulted into fierce gun battle between the two sides. The encounter lasted for about four hours and the firing from inside the house stopped. Presuming that the terrorists might have been got killed, a joint team of 55 RR and Police under the command of Shri Zoheb Tanveer was sent inside the house for conducting the search. While one terrorist was found lying on ground, another terrorist who was still alive and had hidden himself behind the door fired upon the search party. The search party acted swiftly and took their position in the nearby corridor & fired towards the room wherefrom the terrorist was firing upon them.

Shri Zohab Tanveer Commanded the team and led it to retaliate the sudden attack from the hiding terrorist without caring for his own life resulting in elimination of both the terrorists on the spot besides recovery of huge quantity of arms/ammunition from the site. The killed terrorists were later on identified as Ikram Bhai r/o Pakistan, Divisional Commander of JeM outfit (Category "A") for South Kashmir and Farooq Ahmad Lone @ Tahir Bhai s/o Ghulam Hassan Lone r/o Aglar Kandi (Bn Commander of JeM outfit (category "A") for District Pulwama. Both the terrorists were involved in various militancy related incidents in district Pulwama. The death of both the terrorists was a set back to JeM outfit particularly in District Pulwama. The operation ended without any civilian casualty. Sh Zoheb Tanveer, DySP (Ops) fought bravely during the whole encounter and also evacuated the civilians and thereafter lead his team in action against the

hiding terrorists which left both the dreaded terrorists dead in a dare-devil action lasting for over four hours without causing any civilian casualty in the whole action.

Recovery:

1.	AK 74	: 01 No.
2.	AK 56	: 01 No.
3.	Mag AK	: 03 Nos.
4.	Rds AK	: 240 Nos.
5.	Pouches	: 02 Nos.
6.	Cutted Cash	: Rs. 4000/-
7.	Matrix sheet	: 02 Nos.
8.	Cleaning tools	: 01 No
9.	ID Card	: 01 No.

In this encounter Shri Zoheb Tanveer, Dy. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29/08/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 126-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:—

Name & Rank of the Officer

Shri Karanjeet Lal,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 25.05.2011, over a specific information regarding movement of terrorists in Loharpura Top Ludna area under the jurisdiction of PS Doda a counter insurgency operation was launched by District Police Doda, in Loharpur Top Ludna area. The area was cordoned off and the terrorists hiding in that area opened indiscriminate firing on operation party with the intention to kill them. The operation party effectively retaliated the fire in self-defence and as a result an encounter ensued between the two sides which lasted for over three hours. Troops of 8 RR and 76 Bn CRPF also joined the operation. Sensing the gravity of the situation and the eminent dominance of terrorists who had took strategic positions were good in number, the operation party was put to challenge. Amid this situation, Constable Karnjeet Lal took the responsibility of advancing towards the target site and without caring for his own life killed one of the hiding terrorist from the point blank range. However, taking advantage of darkness and thick forest cover, the other terrorists managed to escape from the cordon. The fleeing terrorists also took away the rifle of slain terrorist with them. The slain terrorist was later on identified as Mohammad Isaq Code Munazil r/o Durbail Chatroo District Kishtwar, a "B" category terrorist of LeT outfit. The said terrorist was involved in a number of terrorist actions in the area. Following arms/ammunition were recovered from the slain terrorist.

1.	Chinese Grenades	: 02 Nos.
2.	Magazine AK rifle	: 02 Nos.
3.	Rounds AK rifle	: 10 No.
4.	Ammunition pouch	: 01 No.
5.	Fired cases (AK rifle)	: 10 Nos

Constable Karanjeet Lal played a vital role in eliminating the terrorist at the risk of his life and took the terrorist on front. In this encounter Shri Karanjeet Lal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25/05/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 127-Pres/2013—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01.	Sheraz Ahmad, Head Constable	(Posthumously)
02.	Gulzar Ahmad, Constable	(Posthumously)

Statement of service for which the decoration has been awarded

Over a specific information, regarding presence of a group of terrorists in Awathkul forest area, a joint operation was launched by SOG Kupwara/18 Grenadiers on 26/9/2011. In order to lay proper sieze of the area, a specific portion of Awathkul forest was cordoned off and party of Police component headed by Shri Zahoor Ahmad, Dy SP (Ops) Kupwara along with party of 18 Grenadiers headed by Shri Sanjay Sinha, CO 18 Grenadier started narrowing down the cordon and carried out intense search of the area. The operational party observed some suspicious movement in the forest and on challenging they started indiscriminate and heavy firing upon the operational party by taking advantage of

height, rocky surface and dense vegetative cover. In the initial contact Sandeep Singh of 18 Grenadier received injuries and was safely evacuated from the site of encounter. Sensing the intensity of terrorist's might; Dy SP (Ops) Kupwara re-grouped the Police party into two teams. One party headed by himself along with HC Shiraz Ahmad started advancing from one side and without caring for their own safety, opened fire on the group of terrorists which lead to the elimination of one terrorist. Sensing the heavy assault from the operational party, terrorists group scattered into one's and two's and took shelter in rocks and dense vegetation and started heavy firing upon Police party which caused severe bullet wounds to HC Shiraz Ahmad who succumbed to injuries on the spot. A sub group of scattered terrorists came face to face with another party headed by HC Farooq Ahmad and Ct. Gulzar Ahmad but immediately took shelter behind rock boulders. In order to eliminate the terrorists hiding behind the rock boulders, HC Farooq Ahmad and Ct. Gulzar Ahmad in particular, along with few associates exhibited high camaraderie and opened volley of fire on the terrorists which lead to elimination of one more terrorist. However during the close range gunfight, Ct Gulzar Ahmad received severe bullet wounds and succumbed to injuries on the spot. The remaining terrorists took cover behind the rocks and started heavy firing on the joint operation team, which was effectively retaliated resulting in, intense gun battle that continued upto evening and owing to darkness, the operation was extended for another day.

In the wee hours of September 27, the operation was resumed and strategy was devised by the operational officers concerned in consultation with CO 18 Grenadiers. As per the plan, the area was further narrowed down and advance was made to corner the terrorists during which Havaldar Ravi Kumar of 18 Grenadiers received bullet injuries and in order to rescue the injured Hawaldar and to further corner off terrorists, Capt. Sushil Khajuria started heavy assault upon terrorists and made advance towards their location without caring own safety during which Capt. Sushil Khajuria received bullet wounds and succumbed to injuries on spot and also, Hawaldar Ravi Kumar could not sustain longer and also succumbed to his injuries.

Due to difficult terrain/tough battle, the operation continued upto night and again witnessed a halt during night hours, however, it was swiftly resumed after the things started appearing in the morning. Since operation was getting extended for longer time, it was important to retrieve the bodies of Police Personnel/Army, thereby a separate strategy was devised by operational officers concerned and terrorists were engaged from different directions with which dead bodies were successfully retrieved except the body of Havaldar Ravi Kumar. Later on, party of 18 Grenadiers made an attempt and successfully retrieved the dead body of Havaldar Ravi Kumar. After retrieval of bodies, a heavy assault was made upon remaining terrorists in order to neutralize all of them. The close range gun battle between the Police/SFs and terrorists continued during the fourth day and concluded only with the elimination of 05 unidentified foreign terrorists and recovery of huge quantity of arms/ammunition from their possession. During the operation, besides exemplary gallant act exhibited by HC Shiraz Ahmad and Ct Gulzar Ahmad; Shri Zahoor Ahmad Dy SP (operations) Kupwara and Head Constable Farooq Ahmad also displayed conspicuous act of courage, camaraderie, higher order of selfless duties, perseverance, sense of devotion/gallantry beyond the call of duty.

Recovery:

1.	Rifle AK 47	: 05 Nos.
2.	Magazine AK 47	: 18 Nos (05 damaged)
3.	Pistol 7.62mm	: 02 Nos.
4.	Pistol Mag	: 04 Nos.
5.	AK 47 Rds	: 402 (12 Damaged)
6.	7.62 mm pistol round	: 129 Nos.
7.	Radio Set 1 Com with Antenna	: 05
8.	HE grenade Chinese:	: 05 (destroyed)
9.	GPS	: 03 (01 broken)

In this encounter Late Shri Sheraz Ahmad, Head Constable and Late Shri Gulzar Ahmad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26/09/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 128-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Zahoor Ahmad,
Dy. Superintendent of Police

02. Farooq Ahmad,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 11/08/2011 a specific information generated by Police Kupwara regarding the presence of a terrorists in Girwar forest near Tangwari, was received and accordingly an operation was planned by Police Kupwara with 18 Grenadiers. The joint operation teams started the exercise of cordon and search operation of the area under the command of Shri Zahoor Ahmad, Dy SP ops Kupwara. As the search of specific target (forest area) was carried out, movement of terrorist was sensed

and he was asked to surrender, which he refused and rather fired UBGL shells and H.E Grenades upon Shri Zahoor Ahmad and his men and tried to flee from the target site by taking advantage of rugged topography of the area. Since the terrorist was hiding in a dense forest area therefore it was quite advantageous for the terrorist to inflict damage to the Police party and also to escape from the area. Shri Zahoor Ahmad, exhibited high presence of mind in a quick response and reorganized the Police party into two teams, whereby, one Police party was swiftly spread around the area and another was tasked to lay stops near inhabited area of Tangwari Rashanpora, so as to prevent civilian casualty by the indiscriminate and heavy firing from the terrorist. A retaliatory offensive was started against the terrorist ensuing fierce gunfight. During the gun battle Dy SP Ops Kupwara alongwith HC Farooq Ahmad started advancing towards the terrorist without caring for their personal safety. While advancing towards the heavily armed terrorist, Sh. Zahoor Ahmad, Dy. SP Ops Kupwara and his men utilized their skilled tactics to launch heavy offensive against the holed up terrorist and succeeded in neutralizing of a foreign terrorist identified as Abu Hurratah @ Obaidullah of LeT outfit. During the entire operation, Shri Zahoor Ahmad, Dy. SP ops Kupwara and HC Farooq Ahmad displayed conspicuous act of courage and gallantry.

Recovery:

1. Rifle AK- 47 : 01 No.
2. Mag. AK 47 rifle : 05 Nos.
3. UBGL : 01 No.
4. UBGL Shells : 05 Nos.
5. Hand grenade : 03 Nos.
6. Pouch : 01 No.

In this encounter S/Shri Zahoor Ahmad, Dy. Superintendent of Police and Farooq Ahmad, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11.08.2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 129-Pres/2013—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police:—

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ajit Singh,
SG. Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 01.03.2011, over an information about presence/ movement of a terrorist of JeM outfit in Village Dadsara Awantipora, a joint cordon and search operation was launched by Police, 42 RR and 180 Bn CRPF. During operation contact was established with the terrorist, who entered forcibly into the residential house of one Gulzar Ahmad Mir S/o Akli Mir R/O Mir Mohalla-Dadsara. Due to darkness, the operation was stopped for the night but the cordon remained intact. In the morning of 02.03.2011, the Police officers got engaged with evacuation of the civilians from the houses around the target house. The terrorist inside the target house did not show any activity which created difficulty in ascertaining his presence. A small team consisting of two Jawans of RR, and five Police personnel including sgct Sanjeev Dev Singh and Sgct Ajit Singh was constituted under the command of an officer for room intervention. As soon as they reached near the main door of target house, the terrorist fired indiscriminately upon the room intervening team and injured one RR personnel. However, the others exhibited extraordinary drill and professional skills due to which they succeeded in saving themselves and entered the house. The room intervention party tactfully identified the room in which the terrorist was hiding and it was the exemplary bravery shown by Sg Ct Ajit who fired upon him and killed him in face to face battle. The killed terrorist was identified as Shabir Ahmad Gojjar (Distt Commader) @ Pathan S/o Mehboob Qureshi R/o Zradhyar. The following arms and ammunition were recovered:—

1. Rifle AK : 01 No.
2. AK -Mgs : 02 No.
3. AK-Ammn : 25 Rds.

In this encounter Shri Ajit Singh, SG Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02.03.2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 130-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Javid Iqbal Mattoo,
Addl. Superintendent of Police

02. Romesh Lal,
Sub Inspector

03. Vishal Sharma,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 3.7.2008, a specific information was received by Police Anantnag regarding the presence of terrorists in village Naina Batapora Bijbehara. An Operation was launched by District Police Anantnag in co-ordination with 93 Bn CRPF, 130 Bn CRPF and 55 RR. The entire village was cordoned and it was confirmed that 2 foreign terrorists were hiding in the village. The biggest challenges with the operational group was to localize the two hiding terrorists in the village. Two storming parties were formed, one party headed by Shri Javid Iqbal Mattoo, Addl.SP, Anantnag and another party comprised of the personnel of 55 RR & CRPF.

The party was given the tasks to localize the terrorists, to identify the house in which terrorists were hiding and to dominate the adjoining house. The hiding terrorists started firing from different locations of the village. The Police party responded the firing of terrorists with valour. Shri Javid Iqbal Mattoo, Addl. SP, Anantnag, assisted by Shri Romesh lal, SI and Shri Vishal Sharma, Constable, without caring for their personal lives not only evacuated the civilians from the adjoining houses but zeroed in on the house where terrorists were hiding. Amidst heavy firing the storming party successfully occupied one of the house of the Mohalah which was just adjacent to the house in which 2 foreign terrorists were hiding. This was done with lightening pace coupled with true exhibition of professionalism. The fire fight continued for almost 4 hours and culminated with the elimination of two top ranking foreign terrorists namely Abu Atif @ Shadak R/o Gujranwala Pakistan (Operational Comdr. SKR) and Syed Hyder R/o PAK and recovered 2 AK Rifles, 3 AK Magazines and 1 grenade (destroyed on spot). Case FIR No. 213/08 U/s 307 RPC, 7/27 A Act Stands registered in PS- Pulwama.

It is significant to mention here that both the terrorists who were killed in the encounter were the most notorious LeT terrorists of the South Kashmir. They had master mind and executed Budroo Massacre where nine Nepali laborers were killed in June, 2006. Apart from this they were involved in scores of civilians killings in the Arawani belt. Abu Atif @Shadak who had come from PAK to create terror was active in the area for the last 8 years and was functioning as Operational Commander of LeT in South Kashmir.

In this encounter S/Shri Javid Iqbal Mattoo, Addl. Superintendent of Police, Romesh Lal, Sub Inspector and Vishal Sharma, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03.07.2008.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 131 -Pres/2013—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jammu & Kashmir Police:—

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Imtiyaz Hussain Mir,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 13.09.2011, acting on a tip off over presence of dreaded Pakistani terrorist namely Abdullah Uni, self styled commander of LeT outfit in Bhatat Mohalla, Sopore (Baramulla), a joint operation by Police, Army and CRPF was launched in the area. The Police party, led by Shri Imtiyaz Hussain Mir, SP Sopore, sealed off the area consisting of about 20 houses. The Police party led by Shri Imtiyaz Hussain Mir moved very close to target house and asked the inmates to come out and move to safer places. The terrorist spotting the approaching Police party, fired upon them in which they had a narrow escape but without caring for their lives, they continued to move to the house of Abdul Rashid Shallah, where some women and children were trapped in the cross fire. With a strong and effective back up fire support from Army columns, the party under the command of Sh Imtiyaz Hussain Mir, SP Sopore entered into the house and evacuated the trapped women and children from the rear window of the house to safer place. The house was thereafter sealed by a joint party of Army and Police so that the hiding terrorist does not escape. Initially, the terrorist was asked to surrender which he ignored and instead opened a volley of bullets on the operational party. Braving the extreme risks and without caring for his own life, the officer moved very close to target house and engaged the terrorist in fire fight from a very close range from atop of Mahindra Bullet Proof Rakshakh Vehicle positioned near the courtyard of the target house. This move frustrated the terrorist and he hurled a hand grenade towards the Police party which exploded causing injuries to Shri Imtiyaz Hussain Mir, SP. Showing sheer amount of bravery and presence of mind and the officer not caring for his injury, re-located the vehicle and continued to engage the terrorist in the fire-fight. Displaying exemplary bravery, the officer spotting the terrorist in a room adjacent to balcony, asked accompanying operational parties to give him a backup cover fire.

Thereafter, police party led by the officer approached closer to the wall of the target house and zeroed on the target from a very close range and killed the hiding terrorist. A large quantity of arms/ammunition was recovered from the possession of the killed terrorist identified as Abdullah Uni. He was Chief operational Commander of Lashker-e-Toiba (LeT) outfit and involved in a series of killings of civilians, Police and security forces besides a number of other violent incidents in the area. His killing was a jolt to the militancy in the area and at the same time a great achievement for Police and security forces. Shri Imtiyaz Hussain Mir, SP Sopore displayed a conspicuous role of bravery and camaraderie in the instant operation besides ensuing safe evacuation of the innocent civilians. The officer

exhibited the highest standard of leadership and ensured that no collateral damage takes place.

Recovery:

1.	AK- 47 rifle	: 01 No.
2.	AK 47 mag.	: 03 Nos.
3.	AKRds	: 25 Rds
4.	Chinese pistol	: 01 No.
5.	Pistol Mag	: 02 Nos.
6.	Pistol Rds	: 04 Nos.

In this encounter Shri Imtiyaz Hussain Mir, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13.09.2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 132-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Karnataka Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. A. H. Shankar,
Dy. Commandant

02. Naveen G. Naik,
Constable

03. B.D. Pradeep,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

In a daring operation undertaken in the aftermath of exchange of fire between ANF team and Naxals at Palligadde in Dakshina Kannada District on 04.09.2012, the team led by Sri A.H. Shankar, Deputy Commandant and young constables Naveen Naik, and B.P. Pradeep and others continuously searched and combed the forest area in 20 K.M. of radius for two days. It was raining heavily and water sources were full to their capacity level. Negotiating the difficult terrain in Western Ghats in Dakshina Kannada District, braving the heavy rains, obstructions created by water sources, blood sucking leeches and hunger these three brave police personnel without having fear for their lives confronted the Naxal team led by Vikram Gowda. This is the most active dalam operating in Karnataka State.

The toughness of terrain, weather conditions and thickness of forest was such that no Media person or Civil Right Activist (who had come from Andhra Pradesh, Kerala and Tamilnadu) could reach the scene of incident. Without any credible information, carrying out operations in rainy season during night time is unheard of in any other state of the country in the year 2012. Taking grave risk they have conducted the operation and saved the precious lives of other team mates. This operation has led to unearthing a Naxal camp which was housing 8 members. Naxal literature, one pistol, one Tiffin box bomb, 1 grenade, ration materials and 8 bags were seized from the camp. Totally this operation resulted in seizure of 3 weapons, 1 grenade, 1 Tiffin bomb and number of cartridges.

During the exchange of fire one Naxal named Yellapa, who has been under Ground active member for past 8 years and happened to be an ACM (Area Committee Member) was well connected to be top Naxal leaders in Karnataka and Andhra Pradesh. He had gained expertise in making IEDs. In this incident one more person who was probably Tamil speaking, also received injuries and fled the scene leaving his weapon behind. There is no confirmed report whether the said person is dead or alive on this date. These facts have been revealed during the course of further enquiry and consultation with other intelligence agencies.

The operations conducted by Sri A.H. Shankar, Deputy Commandant and Constables Naveen Naik, and B.D. Pradeep is a unique operation and first of its kind in Karnataka State. Risking their lives and confronting the naxal inimical to National Security, they have shown exemplary bravery. Their gallant act has dented the morale of Naxals in Karnataka State and has diluted the strength and support of Naxal movement in Western Ghats of Karnataka State. By doing this they have done a great service not only to the Karnataka State but also to the county.

In this encounter S/Shri A.H. Shankar, Dy. Commandant, Naveen G. Naik, Constable and B.D. Pradeep Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04.09.2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 133-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Madhya Pradesh Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Rajesh Tripathi,
Superintendent of Police

02. Shivesh Singh Baghel,
Dy. Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On receipt of information on 07.06.2012 that the gang of dreaded and wanted dacoit and a rewardee Rs 40000/= Raja Mawasi was seen with a kidnapee in the Jilha Forest Nursery at the jungle of Village Jhari PS Majhagawan, as per the direction of IGP Rewa Zone, SP AJK and Incharge SP Rewa Rajesh Tripathi immediately collected force and reached at PS Majhagawan, briefed the entire police party, moved forward and left their vehicles 3 kms before the Village Jhari and proceeded on foot towards the location of dacoit gang.

The police force was divided into three parties under the leadership of Shri Rajesh Tripathi, one led by himself, the other party led by Shri Shivesh Singh Baghel and the cut off party was led by SI Madhav Singh.

All the police parties laid the ambush till 5:00 am, thereafter on the directions of Shri Rajesh Tripathi, both parties marched towards the possible hide-out of the dacoits. After proceeding further "Santri" of dacoits suddenly saw the police party and started abusing. The dacoits were warned to surrender but they ignored it and immediately opened indiscriminate fire towards Police party by taking position near the tree with the intention to kill police force. On the other hand the police force was taking position in the open area around the bushes. In the meantime one bullet passed over the head of constable Ganga Tiwari and he narrowly escaped. Thereafter , Shri Rajesh Tripathi opened fire in self defence. It was a very close range battle between Police and dacoits which went on for almost an hour but the police force led by Shri Rajesh Tripathi and Shivesh Baghel showed exemplary courage and kept on advancing. In the mean time constable Sunil Tomar and Rajendra Tomar received bullet injuries. Shri Rajesh Tripathi and Shri Shivesh Baghel boosted morale of these constable, took them in safe position. In the meantime Shri Shivesh Baghel fired on dacoits in which one dacoit fell down and others jumped into the "Nullah" and shouted that "kill the Kidnapee". On that side Shri Rajesh Tripathi along with his party chased them but the dacoits opened fire, SI Phool Singh Gurjar narrowly escaped in the fire of dacoits. At that moment Shri Rajesh Tripathi saw one dacoit who was aiming towards Constable Umesh Vishwakarma and without caring his personal safety and life, Shri Rajesh Tripathi jumped in front of him, showed exemplary courage and in a swift gallant action shot the dacoit who fell down. Thereafter Shri Rajesh Tripathi and Shivesh Baghel chased the dacoits but the dacoits opened fire which resulted injury to const Mohd. Tariq who was rescued by Shri Tripathi and Shri Baghel. Thereafter heavy exchange of fire has taken place in which two dacoits were killed and the kidnapped person Shri Virendera Sahu was safely got released.

Exchange of fire was continued for about an hour from both sides. After the encounter, four dacoits were found dead at the place of incident and identified as Raja Mawasi, Ramnaraesh Mawasi, Nathu @ Nathua Mawasi and Kamlesh Mawasi. A total of 4 rifles, 16 live cartridges, 40 empty cases and articles of daily use were found in a bag from the possession of these dacoits at the place of encounter. In this encounter a total of 47 round were fired by police personnel in self-defence and 50-60 approximately rounds were fired by the dacoits. Raja Mawasi gang, which was carrying a reward of Rs.40000/- had abducted a businessman Virendra Sahu r/o Village Kailora PS Baroundha District Satna on 01.06.12 and demanding a ransom amount of six lakh rupees. This incident had created an environment of terror all around in Satna and Rewa division.

Thus in a fierce encounter, Shri Rajesh Tripathi Supdt. of Police AJK has shown exemplary leadership, extra ordinary operational skills, admirably led his men from the front, displayed exemplary courage by risking his personal safety in saving fellow police men and exhibited conspicuous devotion to duty by ensuring the elimination of the dreaded dacoit as well as saving the life of abducted businessman.

Also in this fierce encounter Shri Shivesh Singh Baghel has shown extra ordinary operational skills, exhibited conspicuous devotion to duty, displayed exemplary courage by risking his personal safety in saving fellow police men and his action was beyond the call of duty.

In this encounter S/Shri Rajesh Tripathi, Superintendent of Police and Shivesh Singh Baghel, Dy. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07.06.2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 134-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Madhya Pradesh Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Vipin Kumar Maheshwari,
Inspector General of Police

02. Dharm Vir Singh,
Addl. Superintendent of Police

03. Sandesh Kumar Jain,
Dy. Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

Eight deadly and desperate terrorists of banned organization Indian Mujahideen and SIMI, three of which were included in the list of absconding IM/SIMI terrorist circulated by Intelligence Bureau Ministry of Home Affairs Govt. of India, and wanted in cases of Ahmedabad serial blast 2008, were apprehended. They were operating and regrouping in Madhya

Pradesh, Chattisgarh, Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh and having close linkages with other terrorist outfits not only across the country but also were in touch with organizations outside India.

The arrest of top SIMI cadre in March 2008 headed by Safdar Nagori was a great setback for the banned organization. On Nov. 28, 2009, members of IM / SIMI module assassinated constable Sitaram of ATS Khandwa Unit to demoralize ATS MP and regain their cadre confidence. Two other civilians were also killed by terrorists while escaping after shooting Constable. Despite this great setback to the operation, the team did not get demoralised rather it firmed their resolve to track absconding terrorists. On June 3, 2011, Constable Shiv Pratap was killed and Sub inspector Manish and constable Jitender were injuried in exchange of fire with this module.

After the killing of constable Sitaram, M.P. Police planned and reviewed its whole strategy and decided to launch a focused operation by the name of 'Operation Vijay' not only to arrest the top absconding terrorist of various bomb blast but also to incapacitate the organization capability of IM/SIMI. Shri Vipin Maheshwari IGP ATS Madhya Pradesh, assisted by Shri Dharm Vir Singh SP, OPS, ATS and Shri Sandesh Jain Dy.Sp, ATS, was entrusted with the responsibility of arresting these dreaded module members. The team thoroughly examined the available interrogation, intelligence reports and data available with the ATS and planned to develop a human intelligence within the banned organization. The team displayed highest degree of professional approach, patience and painstaking efforts to join the smallest piece of information gathered over more than a year.

The team came to conclusion that the IM/ SIMI activist are going to assemble on 5th June 2011 at Shifa Medical Store, a rented hideout of terrorists in Jabalpur, to execute a conspiracy to assassinate an important Hindu leader and a police informer. The terrorists were also known to be equipped with sophisticated weapons. After seeking guidance from ADG Intelligence, Shri Vipin Kumar Maheshwari IG ATS MP, made a meticulous plan to apprehend the IM/SIMI activist. SP ATS Dharm Vir Singh was directed to rush to Jabalpur to execute the plan. After discussing with the team leaders, SP, ATS made a very meticulous plan having special attention to the time and the mode of raid as it is a very densely muslim populated area with human activity round the clock. Special care was taken as any exchange of firing would result into causalities and loss of property. Keeping this in mind, the members of the party were armed with bullet proof jackets and automatic fire weapons to face any untoward incident. The parties were continuously in touch with the IG, ATS Shri Vipin Kumar Maheswari, who was supervising and coordinating the whole operation. The skillful and cleverly designed and executed raid didn't give the terrorists any chance to retort even though they tried their best to assault on the police party by taking out their pistols. The swift and well coordinated action resulted in the apprehension of four deadly terrorist of IM/SIMI module. Most of them had loaded weapons. Had they got a slightest chance, they would have definitely attacked and killed some police officers as carried out earlier.

During the intial interrogation, the arrested terrorist revealed that their leader Abu Faisal and three other important functionary of the IM/SIMI module were about to leave for Bhopal by Jan Shatabdi Express. Acting on this crucial information SP, ATS Dharm Vir Singh, informed IG, ATS Shri V.K.Maheshwari and after seeking proper direction, he along with his team boarded in Jan Shatabdi Express.

The presence of the four terrorists was confirmed by SP, ATS to IGP, ATS, Shri V.K.Maheshwari. IG, ATS decided to lead the operation himself keeping in view the safety of the passengers travelling in the train. It was decided to apprehend the terrorist while they are coming out of the railway platform. A team closely supervised and led by IGP, ATS Shri V.K.Maheswari was formed constituting DSP Sandesh Jain, and other members, while another team led by SP, ATS, Dharm Vir Singh was already following them in the train.

The team led by IGP, ATS reached the station in disguise of passengers, recceed the whole platform of arrival. The team members were regrouped and assigned the specific task . The four accused were leaving the platform hurriedly on arrival of train. SP, ATS, identified them by signal to other teams. IGP, ATS Shri V.K.Maheswari very closely started to follow them putting his life at risk showing exemplary leadership and bravery and waited for the right opportunity. As soon as the terrorist came out from the platform and waited for a taxi at SBI ATM booth, he signaled the teams to apprehend the activists. SP, ATS, tried to stop the leader Abu Faisal, leader of the group, and challenged him to surrender after disclosing the police identity but the dreaded terrorist tried to took out his weapon to open fire upon the police party. Undeterred and unfazed, he along with his team bravely confronted the terrorist and didn't give any chance to fire and finally, apprehend the terrorist. Meanwhile the other three terrorist Azazuddin, Seikh Mehboob, and Seikh Iqrar were apprehended by the team led by DSP Sandesh Jain. All the four activist including Abu Faisal, Seikh Iqrar, Seikh Mehboob and Azazuddin were arrested on the spot with deadly weapons.

The police force executed the plan very bravely and courageously. Without shedding a single drop of a blood, they arrested all the 8 terrorists. It is a matchless example of resilience, gallantry, teamwork and dexterity. If such hardcore terrorist were not caught, they would be a great menace to the unity of the country. Even if they had been killed, it would not be of that help. The information sought from the activist divulges their organization, future strategy, their linkages with HUJI and Taliban, their National and International networks, communication channels, future targets, their training camps which will be very useful in planning the strategy to fight out the challenges to the internal security of the country. The intelligence gathered through their interrogation resulted in the arrest of 21 SIMI activists in Khandwa, 5 SIMI activists in Ratlam and arrest of Danish an important IM functionary by the Gujarat Police.

Shri Vipin Kumar Maheshwari, IGP, ATS, M.P. Shri Dharm Vir Singh SP, OPS, ATS and Shri Sandesh Jain Dy.Sp, ATS risked their life and conspicuously exhibited exemplary

courage, bravery and extra ordinary devotion to duty in this operation. It was such a war like situation where top wanted terrorist armed with sophisticated weapons were apprehended amidst the public place without shedding a single drop of blood.

In this encounter S/Shri Vipin Kumar Maheshwari, Inspector General of Police, Dharm Vir Singh, Addl. Superintendent of Police and Sandesh Kumar Jain, Dy. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 05.06.2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 135-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Maharashtra Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Ravindra Yalagonda Nulle,
Naik

02. Abubakar Abdulgani Shaikh,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

An offence was registered at Shiroli MIDC Police Station, District Kolhapur against three unknown criminals vide Cr. No 11/2011, u/s 392, 34 IPC and 25(1) (3) of Indian Arms Act, on 14.02.2011.

Investigating team of Shiroli MIDC Police nabbed two notorious criminals on 17.02.2011. During interrogation it was revealed that mastermind and main accused in the above said offence was one Rajendra Shivaji Babar, Resident of village Kikali, Distt. Satara. Investigating team comprising of 1) Police Naik Ravindra Nulle , 2) Police Naik Jaykumar dinde, 3) Police Constable Abubakar Shaikh, and 4) Police Constable Uday Satam, had searched him at various places, including Pandharpur (Solapur district), and Sangamner (Ahmednagar).

On the basis of information, the above mentioned team laid a trap at Akola Naka, Sangamner on 19.02.2011. Around 1930 hrs the said team spotted one silver colour Volkswagon Jetta car bearing No TN-02-AA-8962 approaching towards their direction. The team ordered the suspected car to stop. Suspecting the danger of apprehension, the accused immediately took out a loaded revolver and aimed it towards investigation team. P. N. Ravindra Nulle and PC Abubakar Shaikh, both showing great courage and presence of mind, jumped upon the accused, without caring that their lives were in eminent danger. P. N. Ravindra Nulle caught hold of the neck of the accused with the firm grip of his hand. At the same time Abubakar Shaikh jumped quikly towards accused and snatched loaded revolver from his hand. In this incident Police Naik Ravindra Nulle got grievous injuries to his left hand.

During the spot search, one sickle, one knife, cash Rs. 49000/- one more country-made revolver mobile & car which was stolen in the said offence were seized. During interrogation, it was revealed that the accused had committed 88 offences, registered at the different Police Stations in the Sate of Maharashtra.

In this encounter S/Shri Ravindra Yalagonda Nulle, Naik and Abubakar Abdulgani Shaikh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19/02/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 136-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Maharashtra Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Bhimdev Balchandra Rathod,
Senior Inspector

02. Sanjay Maruti More,
Sub Inspector

03. Sanjay Manikrao Bhapkar,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 13.08.2010 a notorious gangster of Ravi Pujari gang active in Mumbai by name Anand A. Dangle forcibly entered into the flat of one Shri Vijay V. Bhatija, located at Flat No 601, 6th floor, Kaveri Bldg behind RBI Quarter, Chembur, Mumbai-71. After entering into the house, he held the persons present in the house, by name 1. Shri Laxaman Bhatija, 2. Shri Vijay Bhatija, 3. Mrs Bindu Laxman Bhatija, 4. Shri Arjun L. Bhatija and 5. Maid servant, Soni Gaikwad as hostages at the gun point and demanded extortion money to the tune of Rs.25 lakh and threatened to kill them, if the money was not given to him, immediately. A case vide CR No. 388/10 u/s 307, 342, 387, 353 IPC r/w 3, 25 Arms Act has been registered at Chembur Police Station under Mumbai Police Commissionerate in this connection. The Police came to know about incident from the kin and neighbour of Bhatija family and immediately swung into action under leadership of Sr. Inspector of Police Shri B.

B. Rathod, Inspector of Police Shri Sanjay More and Sub Inspector of Police Shri Sanjay Bapkar all working at Chembur Police Station under whose jurisdiction place of occurrence falls.

Upon reaching the scene of crime Shri Rathod, Sr PI divided the police parties into three groups consisting of Assault party, Back up party and Cut off party and deployed them tactically. The assault team consisted of Sr PI Rathod, PI More and PSI Bhapkar and other men. The assault team on reaching the spot covered the area from tactical point of view and started negotiating with the gangster.

The gangster however remained unmoved. He instead of heeding to the advice of the police party, threatened to kill the hostages, if his demand was not met immediately. Sensing the danger arising out of the developing situation, the assault party managed to divert the attention of gangster affording opportunity to the one of the hostages Shri Vijay Bhatija to open the main door. However sensing the development the gangster moved inside the master bedroom of the house alongwith two hostages and kept them threatening by pistol and knife and locked the door from inside. The assault party led by Sr. PI Rathod, PI More and PSI Bhapkar displayed exemplary courage and broke open the door of the master bedroom and entered into it. The gangster started firing on them indiscriminately from a very short distance. The team adopted a tactical position and injured the gangster by returning fire. In the exchange of fire the gangster was grievously injured. As soon as he got injured the police party, Sr. PI Rathod, PI More and PSI Bhapkar immediately overpowered him and rushed him to Rajawadi Hospital for medical attention. He was declared dead before admission. The two hostages held by him in the room were rescued safely.

Thus, Sr.P.I. B.B. Rathod, P.I.S. M. More and P.S.I. S.M. Bhapkar have displayed exemplary courage, devotion and dedication to duty, presence of mind, tactical understanding and great valour, under extremely dangerous and close quarter situation posing imminent danger to their own safety and threat to life. One pistol, three live rounds, three empty cartridges of pistol and knife were recovered.

In this encounter S/Shri Bhimdev Balchandra Rathod, Senior Inspector, Sanjay Maruti More, Sub Inspector and Sanjay Manikrao Bhapkar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13.08.2010.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 137-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Maharashtra Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Vishal Hiralal Thakur,
Sub Divisional Police Officer

02. Kailash Jaywant Tokle,
Sub Inspector

03. Ankush Shivaji Mane,
Sub Inspector

04. Dinkar Komti Timma,
Head Constable

05. Shamandas Jayram Uikey,
Head Constable

06. Rama Vatte Kudyami,
Naik

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 03.04.2013, the general information received from the informer regarding location of naxalites in Nelgunda, Bhatpar jungle area of Bhamragad division and they may organize meetings of villagers in that area. Based on that, an anti-naxal operation was led by SDPO Bhamragad Shri Vishal Thakur with manpower of three C-60 parties (teams) i.e. Dinkar Timma with his 27 personnel, Shamandas Uike with his 20 personnel, Rama Kudyami with his 27 personnel and PSI Kailash Tokale of AOP Dhodraj, PSI Ankush Mane of QRT Bharmragad and 2 more police personnel. On 03.04.2013, the police party searched Murangal, Nelgunda, Garewada jungle area and halted at Nelgunda jungle area.

On 04.04.2013 at 05.00 hrs, the police party started search operation in jungle area located on south side of village Bhatpar. For this purpose, they were divided in two groups, the first group led by SDPO Vishal Thakur and being accompanied by PSI Kailash Tokale and C-60 party commanders- Dinkar Timma and Rama Kudyami. Second group led by PSI Ankush Mane alongwith C-60 party commander Shamandas Uike. When the party was searching near Indravati river jungle area, naxalite started firing upon police party. As soon as the firing started, SDPO Vishal Thakur asked his party to take cover and lie down, thus he was instrumental in saving his party from the naxalites firing. When the firing from naxalites started, police party on front also fired back in self defence. Naxalite started shouting in abusive language and started firing indiscriminately and heavily upon police party. At this crucial time SDPO Vishal Thakur, PSI Kailsah Tokale and C-60 party commander Dinkar Timma and Rama Kudyami of first group advanced towards naxalite with cover fire from right side and second party of PSI Ankush Mane with C-60 party commander Shamandas Uike covered by firing at naxalites from left side. This movement of police personnel were very dangerous as they faced naxalites from very short distance, and they could feel the bullets passing over their heads and by the side of their bodies, yet they bore the brunt of attack to save lives of their fellow policemen. The movement

was so instinctive that as soon as the fire started from naxalite side, they rushed towards the direction of naxalite firing and retaliated the fire in a fraction of second which caused gun down of some naxalites. The initiative taken by police personnel without caring for their lives, motivated the fellow party men and they also began to fire aggressively from different angles and positions. This aggression aggravated panic among the naxalite and they began to flee towards the far side, taking the advantage of thick bamboo jungle. After searching of place of incident tactically, the party recovered 5 naxal dead bodies (3 men and 2 women), one .303 rifle, one musket rifle, six bharmar rifles, six detonators with white wire, one wire bundle, 5 pithoos containing clothing and bedding material, torches, naxal literature, medicine and daily use material.

The operation set a precedent and was a morale booster for Gadchiroli and Maharashtra police. The success was possible due to rare courage, able leadership, devotion to duty and conspicuous gallantry exhibited by Vishal Thakur, SDPO, PSI Ankush Mane, PSI Kailash Tokale, C-60 party commander Dinkar Timma, Rama Kudyami and Shamandas Uike. The unflinching courage, determination, perseverance shown by the police personnel, will serve as an inspiration for police department, for times to come.

In this encounter S/Shri Vishal Hiralal Thakur, Sub Divisional Police Officer, Kailash Jaywant Tokle, Sub Inspector, Ankush Shivaji Mane, Sub Inspector, Dinkar Komti Timma, Head Constable, Shamandas Jayram Uikey, Head Constable and Rama Vatte Kudyami, Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04.04.2013.

SURESH YADAV
OSD to the President

———

No. 138-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Maharashtra Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Prabhudas Pandurang Dugga,
Head Constable

02. Vasant Sitaram Khatele,
Sub Inspector

03. Prashant Ramchandra Kamble,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 24.11.2012, upon receipt of intelligence input, as per orders and directive instructions issued by the SP and Addl. SP (Ops), party commander Prabhudas Dugga and party commander Vinod Hichami's teams departed from Gachiroli and reached at Village-Ghot at midnight. There onwards, QRT team Ghot joined them alongwith their officers viz. prob. ASI Khatele and Prob. ASI Kamble. On 25.11.2012, at about 04:00 Hrs. after departing from Ghot, the teams were dropped nearby jungle areas of Village-Macchhali. During the course of anti-naxal operation, after passing through jungle areas of Kotri and Mudholi, they reached East side jungle areas of village-Abapur. At about 09:00 AM when they were continuing the operation, the armed naxalites laying an ambush in the jungle area, suddenly fired at police teams with an intent of killing them, and to rob off their firearms. In that suddenly erupted emergency situation, party commander Prabhudas Dugga guided the police personnel to adopt available protective cover of the ground. Accordingly, Police parties also retaliated through firing back at naxals. Meanwhile, PC.Prafulla Chitale, PC.Mahendra Kuleti and PC/Ganesh Mohurle received the splinter injuries during initial brunt of the naxal fire. In-spite of initial domination by naxals due to prior adoption of advantageous positions of terrain and inflicting injuries on police side, HC Prabhudas Dugga, Prob PSI Khatele and Prob. PSI Kamble, through their relentless efforts and courageous co-coordination of the counter moves, boosted morale of the Police parties. Upon locating, a female naxal firing through a tree cover, the trio targeted her with heavy pounding of fire in that direction. Sensing the enhanced domination of Police teams, naxalites fled from the spot, taking advantage of dense forests. With the cessation of fire from naxal side, the trio stretched the cordon along the area and proceeded towards the attacking side through properly searching the area. During the search, body of a female naxalite, with 12 bore rifle dangling around her shoulder and an ammunitions pouch around trunk containing 15 nos. of live ammunition of 12 bore rifle, other naxal material including 2 clamore containers, 6 blankets, 6 sweaters, 6 plastic tarpaulins, medicine kit box and other misc. naxal material, noticed lying hither and thither at the place of incident. Later, the deceased naxal identified as Rikki Lekami, age-25 years, an active member of Potegaon Naxal dalam.

As the trio, led the operation by quickly acting on the received intelligence, courageously retaliated through never-die sprit in spite of sustaining injuries during the initial stage of encounter and with cool temperament efficiently co-ordinate the attack so as to dominate the naxals who had priorly adopted dominating positions of the forest land.

In this encounter S/Shri Prabhudas Pandurang Dugga, Head Constable, Vasant Sitaram Khatele, Sub Inspector and Prashant Ramchandra Kamble, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently

carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25.11.2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 139 -Pres/2013—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Maharashtra Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Vishwas Narayan Nangre Patil,
(PPMG)
Dy. Commissioner of Police

02. Deepak Narsu Dhole,
(PMG)
Inspector

03. Nitin Digambar Kakade,
(PMG)
Sub Inspector

04. Amit Raghunath Khetle,
(PMG)
Constable

05. Arun Sarjerao Mane,
(PMG)
Naik

06. Ashok Laxman Pawar,
(PMG)
Naik

07. Saudagar Nivrutti Shinde,
(PMG)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

The well trained ten most dreaded terrorists attacked the metropolis of Mumbai at six different places on the night of Nov 26, 2008. Mumbai city police ill equipped compared to the weapons of the terrorists, still gave a tough fight and nine of them were killed in the fierce encounter, which lasted for more than 59 hours with the police and National Security Guards, and one was captured alive. These terrorists were stocked with lethal automatic weapons like AK-47, pistols, hand grenades and RDX with ultimate motive of waging war against country. They killed 183 civilians and 20 security personnel including police and grievously injured about 300 civilians/police, creating chaos and anarchy in the city. At hotel Leopold 9 persons died and 19 persons including two policemen were injured, while at Hotel Taj 34 persons died including Major Sandip Unnikrishnan and one SRPF Constable and 24 persons were injured including 7 Policemen.

On 26th Nov.2008, at about 21:40 hrs. two out of the ten well trained dreaded terrorists opened indiscriminate and berserk fire of AK-47 inside the C.S.T. railway station. Another pair of terrorists stormed into Hotel Oberoi. At the same time six terrorists headed towards Colaba and a pair of these trained terrorists struck the Nariman House, in Colaba. Two of them opened similar indiscriminate and berserk fire at hotel Leopold and subsequently west to hotel Taj, Colaba to join their remaining two associates there. Before going to Hotel Taj they also planted two powerful RDX bombs around Hotel in the vicinity of Gateway of India.

At Hotel Taj, the four terrorists then continued with their indiscriminate fire and lobbed grenades on the innocents. The quick response and entry in the hotel by the team of DCP, Zone-I, and surprise counter attack and firing on the terrorists injuring one of them, laid the terrorists on defensive mode. The teams chased the terrorists almost on all the floors of hotel Taj for next 1 hour and 30 minutes obstructed their free movements, protecting hundreds of lives. Later monitoring from CCTV control room and cross firing from second floor could hinder the movements of the attackers for next three hours on 6th floor of old Taj. The tenacious resistance by police team confined and incapacitated the terrorists and also enabled the rescue of more than 500 innocent people from the various halls, rooms, chambers and restaurants and could prevent the entry of terrorists in new Taj. Throughout the whole operation the team voluntarily risked their lives with utmost motivation and commitment.

Individual Role

1. Role played by Shri. Vishwas Nangre Patil, DCP Zone-I, Mumbai

On 26.11.2008, four terrorists attacked Hotel Taj with AK-47 guns, grenades and IED's of RDX at 21:40 hrs. Vishwas Nangre Patil, then DCP Zone I, rushed to the spot at 21:47 with his Radio Operator (RTPC) Khetle and reached Taj within 7 minutes. At Taj, he took along the security chief of Taj, Sunil Kudiyadi and reached second floor and noticed that three terrorists were moving toward upper floors. He fired 3 rounds from his glock pistol (at 22:02 as per CCTV record), of which one round hit the leg of one of the terrorists.

Seeing the grave danger from the armed terrorists, he took cover behind a ledge when the terrorists retaliated with AK-47 burst. Along with Mr. Kudiyadi, he searched the whole of 6th, 5th, 4th and 3rd floors of South wing. By co-incidence, the terrorists were on the 3rd floor of North wing, when he was searching (as seen in CCTV recording later). He came on the ground floor and reached Royal Staircase when the terrorists threw one grenade on his party. In retaliation, Vishwas Nangre Patil fired two rounds in upward direction to contain the terrorists.

He then called two constables of SRPF, Rahul Shinde and Samadhan More and rushed to the 6th floor of the North wing of Old Taj. The team searched the whole floor but could not locate them. Hence he blocked all the gates with available manpower that he had since reached the spot and gave a call to control-room seeking Assault teams.

Vishwas Nangre Patil and his team could jam the routes of the terrorists on the basis of this visual appreciation of the

movements of terrorists. The terrorists had taken 5 men as hostages. Whenever they tried to come down with hostages, he and Rajvardhan opened cross fire from 2nd floor. They did not allow them to come down by effective retaliation up to 03:00 a.m. During this interregnum, the Taj management guided the guests on intercom and mobiles resulting in evacuation of 650 persons.

At 03:00 a.m., the terrorists located room from where they were getting cross fire and bombed the corridor from 5th floor. As the Naval Commandoes had started their operations as well as the floor had got massive fire, Nangre Patil and his team got out in the corridor. Seeing them in the target area, the terrorists threw grenade and fired from AK-47 wherein Police Constable Rahul Shinde lost his life and two constables got seriously injured due to bullets and splinters. Two officers and two constables were injured by fire.

2. Shri. Deepak Narsu Dhole, Inspector of Police, Colaba P. Station, Mumbai

Shri Deepak Dhole, Police Inspector was one of the members of the team formed by DCP Zone-I to counter attack the terrorist at Hotel Taj. While going to the CCTV room in the old Taj building, PI Dhole and PSI Kakade blocked three lifts on the ground floor to prevent the terrorist from accessing these lifts. The team then went to the second floor straight to the CCTV Control Room when the four terrorists were located on the 6th floor of the hotel. As messages were relayed to Control Room, it directed DCP Zone-I to keep the terrorist engaged and contain their activities to 6th floor.

At about 02:30 or so early morning on 27.11.2008, the gunmen became desperate and set the hotel on fire from inside and started coming down lobbing grenades due to which the CCTV cameras got switched off and Police team lost the traces of these gunmen.

At about 03:00 hrs or so as second floor was also engulfed in fire and as the Police team started moving towards the central staircase of the hotel to go downstairs, the terrorist who had by then come to the 3rd floor, hurled a high explosive grenade towards the team and instantly thereafter started firing. Due to the volley of bullets fired from AK-47 rifle and due to sharpnels of explosives hurled by the terrorists PI Dhole got injured on his left hand. PSI Kakade, PC Amit Khetle and PC Arun Mane were also injured while PC Rahul shinde was seriously injured and fell down instantly. The terrorists were firing from the third floor towards the police party located tactically at gross disadvantage. But undaunted by deadly firing by the terrorists, PI Dhole along with others courageously continued with counter attack protecting the stranded Police Party.

But at this time during the exchange of fire, the Police Party was split into two groups and one group went ahead while another returned to the CCTV room. PC Rahul Shinde after sustaining the injuries crawled back towards the CCTV room and fell unconscious in front of the CCTV room. PI Dhole then again leapt forward while the terrorist were still firing indiscriminately and swiftly pulled PC Rahul Shinde inside the room so that he would not sustain any more bullets being fired by the terrorist. But inside the room PC Rahul Shinde succumbed to the injuries. PI Dhole then led the remaining members of the team to move downstairs from the fire exit staircase in the South-West corner of the building and decided to take the body of the deceased constable Rahul Shinde out of the fire and dragged him outside the CCTV room along till the South end of the building when the gunmen again lobbed a grenade and started firing at the team in which one of the Taj Hotel employee sustained injuries. While fighting with exceptional gallant, and despite getting injured, PI Dhole kept Rahul Shinde down and he and PSI Kakade then again retaliated by firing all the remaining rounds at the terrorist towards the 3rd floor when the firing from the gunmen then stopped.

By this time whole of the Police team got struck in the centre of fire lit by the terrorist. PI Dhole who is also trained in using fire fighting equipments used available fire extinguishers and tried to extinguish some of the fire which helped the team in finding the way to come out through the fire exit stair case at West side of the Hotel. In the process PI Dhole while saving the lives of his colleagues, was seriously injured in the fire and sustained severe burn injuries on his face, both ears as well as internal injuries in his chest. Other team members also suffered burn injuries. PI Dhole then further took the injured Police team to Bombay Hospital. The above police team although ill-equipped, fought valiantly, battled with the terrorists and tried to neutralise them but in vain.

PI Dhole thus in his gallant action fought back the terrorist attack, stayed in the range of terrorist firing, kept the terrorist engaged on the sixth floor of the hotel till 03:00 hrs during which time passengers from rest of the places inside hotel were evacuated by different agencies, retaliated the firing from terrorist with available small weapon, led the team through heavy fire with the help of fire extinguishers and saved the life of the team members while coming out of the building.

3. Shri Nitin Digambar Kakade, Sub-Inspector of Police, Colaba Police Station, Mumbai

On 26.11.2008, PSI Kakade rushed to hotel Leopold from Gateway of India. At Hotel Leopold PSI Kakade, Police Constables Ashok Pawar and Rajesh Sonawane of Colaba Police Station removed the injured to hospital and further rushed to Hotel Taj. On way to Hotel Taj he learnt that the terrorist have placed two powerful grenades around Hotel Taj and hence he evacuated the area and made arrangements to call the Bomb disposal squad at the place. At the time when the terrorists were lobbing grenades inside the hotel Taj and were firing indiscriminately, Shri Nagarale, Shri. Nangre-Patil, PSI Kakade, PC Khetle and PC Pawar rescued the injured and sent them to the hospital.

Shri Nitin Kakade, Police Sub-Inspector was one of the members of the team formed by DCP Zone-I to counter attack the terrorist at Hotel Taj. While going to the CCTV room in the old Taj building, PI Dhole and PSI Kakade blocked three lifts

on the ground floor to prevent the terrorist from accessing these lifts. The team then went to the second floor straight to the CCTV Control Room when the four terrorists were located on the 6th floor of the hotel. As messages were relayed to Control Room, it directed DCP Zone-1 to keep the terrorists engaged and contain their activities to 6th floor.

At about 02:30 or so early morning on 27/11/2008, the gunmen became desperate and set the hotel on fire from inside and started coming down lobbing grenades due to which the CCTV cameras got switched off and Police team lost the traces of these gunmen.

At about 03:00 hrs or so as second floor was also engulfed in fire and as the Police team started moving towards the central staircase of the hotel to go downstairs, the terrorists who had by then come to the 3rd floor, hurled a high explosive grenade towards the team and instantly thereafter started firing. Due to the volley of bullets fired from AK-47 rifle and due to sharpnels of explosives hurled by the terrorists PSI Kakade got injured on his left hand. PI Dhole, PC Amit Khetle and PC Arun Mane were also injured while PC Rahul Shinde was seriously injured and fell down instantly. The terrorists were firing from the third floor towards the Police party located tactically at gross disadvantage. But undaunted by deadly firing by the terrorists, PSI Kakade along with others courageously continued with their counter attack protecting the stranded Police Party.

But at this time during the exchange of fire, the Police Party was split into two groups and one group went ahead while another returned to the CCTV room. PI Dhole then led the remaining members of the team to move downstairs from the fire exit staircase in the South-West corner of the building but as the team reached South end of the building the gunmen again lobbed a grenade and started firing at the team in which one of the employee of Taj hotel sustained injuries. Despite getting injured, PSI Kakade along with PI Dhole then again retaliated by firing all the remaining rounds at the terrorists towards the 3rd floor when the firing from the gunmen then stopped. During this time PSI Kakade suffered burn injuries on his both ears.

As a Gallant act PSI Kakade found the traces of Bomb placed at Gateway of India and made arrangements to dispose off the same thus saving lives of members of public, rescued the stranded citizens inside the Hotel Taj, kept the heavily armed terrorists engaged on the 6th floor of the hotel till 03:00 hrs during which time passengers from rest of the places inside hotel were evacuated by different agencies.

4. Shri Amit Raghunath Khetle, PC 05-0183/Wireless, Mumbai.

On 26/11/2008, Shri Amit Khetle, Police Constable was on night duty as wireless operator with DCP Vishwas Nangre Patil. On the receipt of news of terror strike in Colaba be accompanied DCP Zone-1 and arrived at Hotel Taj. At the hotel he along with DCP Zone-1 without giving any second thought, instantly swung into action and went behind the terrorists inside the hotel. In spite of danger to his life he assisted DCP Zone-1 to check all the floors with the help of Taj security. Later on he accompanied DCP Zone-1 and again rushed to the 6th floor North side to get dominating position and searched for the terrorists.

DCP Zone-1, PSI Kakade, PC Amit Khetle and other Policemen further removed number of injured person from different areas of the hotel to hospital.

PC Amit Khetle, Police Constable was one of the members of the team formed by DCP Zone-1 to counter attack the terrorists at Hotel Taj. The team then went located on the 6th floor of the hotel. As messages were relayed to Control Room, it directed DCP Zone-1 to keep the terrorists engaged and contain their activities to 6th floor.

At about 02:30 or so early morning on 27/11/2008, the gunmen became desperate and set hotel on fire from inside and started coming down lobbing grenades due to which the CCTV cameras got switched off and Police team lost traces of these gunmen.

At about 03:00 hrs or so as second floor was also engulfed in fire and as the Police team started moving towards the central staircase of the hotel to go downstairs, the terrorists who had by then come to the 3rd floor, hurled a high explosive grenade towards the team and instantly thereafter started firing. Due to the volley of bullets fired from AK-47 rifle and due to sharpnels of explosives hurled by the terrorists PC Amit Kehtle suffered injured while PC Rahul shinde was seriously injured and fell down instantly. The terrorists were firing from the third floor towards the police party located tactically at gross disadvantage. But undaunted by deadly firing by the terrorists, DCP Vishwas Nangre-Patil, PI Dhole, PSI Kakade and PC Khetle courageously continued with their counter attack.

But at this time during the exchange of fire the Police Party was split into two groups and one group went ahead while another returned to the CCTV room. PI Dhole then led the remaining members of the team to move downstairs from the fire exit staircase in the South-West corner of the building after facing another attack from the terrorists at South end of the building. By this time whole of the Police team got struck in the centre of fire lit by the terrorists and with the use of the fire extinguishers Police Constable Amit Khetle and others succeeded in coming out of the fire.

As a Gallant act Police Constable Amit Khetle accompanied DCP Zone-1 at Hotel Taj, rescued the stranded citizens inside the Hotel Taj, did not step back even after apprehending a danger for himself, took on the heavily armed terrorists, staying in the range of terrorists firing, gave the Main Control Room continuous information about the movements of the terrorists, kept the terrorists engaged on the 6th floor of the hotel till 03:00 hrs during which time passengers from rest of the places inside hotel were evacuated by different agencies .

5. Shri Arunkumar Sarjerao Mane, Police Naik 3290/LA III, Worli Head Quarter, Mumbai.

Shri, Arun Mane was one of the members of the team formed by DCP Zone-1 to counter attack the terrorists at Hotel Taj. The team then went to the second floor straight to the CCTV Control Room when the four terrorists were located on 6th floor of the hotel. As messages were relayed to Control Room, it directed DCP Zone-1 to keep the terrorists engaged and contain their activities to 6th floor.

At about 02:30 or so early morning on 27/11/2008, the gunmen became desperate and set the hotel on fire from inside and started coming down lobbing grenades due to which the CCTV cameras got switched off and Police team lost the traces of these gunmen.

At about 03:00 hrs or so as second floor was also engulfed in fire and as the Police team started moving towards the central staircase of the hotel to go downstairs, the terrorists who had by then come to the 3rd floor, hurled a high explosive grenade towards the team and instantly thereafter started firing. This attack was retaliated by the members of the team but due to the volley of bullets fired from AK-47 rifle and due to sharpnels of explosives hurled by the terrorists some of the team members were injured while PC Rahul Shinde was seriously injured and succumbed to the injuries.

During the exchange of fire, the Police Party was split into two groups and one group went ahead while remaining members were led by PI Dhole from the fire exit staircase in the South-West corner of the building after facing another attack from the terrorists at South end of the building in which one of the employed of Taj hotle and a Policeman sustained injuries. Police team members retaliated by firing at the gunmen. By this time whole of the Police team got struck in the centre of fire lit by the terrorists and with the use of the fire extinguishers Shri Arun Mane and others succeeded in coming out of the fire. During this time Shri Arun Mane suffered internal burn injuries.

As a Gallant act Police Naik Arun Mane rescued the stranded citizens inside the hotel Taj, kept the terrorists engaged on the sixth floor of the Hotel till 03:00 hrs during which time hotel guests from rest of the places inside hotel were evacuated by different .

6. Shri Ashok Laxman Pawar, Police Naik 6122, Colaba Police Stn, Mumbai.

On 26/11/2008, Police Naik Ashok Pawar had left for his residence but on getting the news about terror strike in Colaba immediately rushed to Hotel Leopold. At Hotel Leopold PSI Kakade, Police Constables Ashok Pawar and Rajesh Sonawane of Colaba Police Station removed the injured to hospital and further rushed to Hotel Taj. On way to Hotel Raj he learnt that the terrorists have placed two powerful bombs around Hotel Taj and hence they evacuated the area and made arrangements to call the Bomb disposal squad at the place. At the time when the terrorists were lobbing grenades inside the Hotel Taj and were firing indiscriminately DCP Zone-1, PSI Kakade, PC Khetle and PC Pawar rescued the injured to the hospital.

Police Naik Ashok Pawar was one of the members of the team formed by DCP Zone-1 to counter attack the terrorists at Hotel Taj. The team then went to the second floor straight to the CCTV Control Room when the four terrorists were located on the 6th floor of the hotel. As messages were relayed to Control Room, it directed DCP Zone-1 to keep the terrorists engaged and contain their activities to 6th floor.

At about 02:30 or so early morning on 27/11/2008, the gunmen became desperate and set the hotel on fire from inside and started coming down lobbing grenades due to which the CCTV cameras got switched off and Police team lost the traces of these gunmen.

At about 03:00 hrs or so as second floor was also engulfed in fire and as the Police team started moving towards the central staircase of the hotel to go downstairs, the terrorists who had by then come to the 3rd floor, hurled a high explosive grenade towards the team and instantly thereafter started firing, This attack was retaliated by the members of the team but due to the volley of bullets fired from AK-47 rilfe and due to sharpnels of explosives hurled by the terrorists some of the team members were injured while PC Rahul Shinde was seriously injured and succumbed to the injuries.

During the exchange of fire, the Police Party was split into two groups and one group went ahead while remaining members were led by PI Dhole from the fire exit staircase in the South-West corner of the building after facing another attack from the terrorists at South end of the building in which one of the employee of Taj Hotel and a Policeman sustained injuries. Police team members retaliated by firing at the gunmen. By this time whole of the Police team got struck in the centre of fire lit by the terrorists and with the use of the fire extinguishers Police Naik Ashok Pawar and others succeeded in coming out of the fire. During this time Police Naik Ashok Pawar suffered internal burn injuries.

As a Gallant act Police Naik Ashok Pawar found the traces of Bomb placed at Gateway of India and made arrangements to dispose off the same through BDDS, rescued the stranded citizens inside the Hotel Taj, stayed in the range of terrorists firing, kept the terrorists engaged on the sixth floor of the hotel till 03:00 hrs during which time hotel guests from rest of the places inside hotel were evacuated by different.

7.Shri Saudagar Nivrutti Shinde, PC 23965 Colaba Police Station, Mumbai.

On 26/11/2008, Shri. Saudagar Shinde, Police Constable who was on his way to home, returned to Police Station after understanding that there was some problem going on at multiple locations in South Mumbai and came straight to Hotel Taj and reported to DCP Zone-I in his action against the terrorist.

Shri Saudagar Shinde was one of the members of the team formed by DCP Zone-I to counter attack the terrorist at Hotel

Taj. The team then went to the second floor straight to the CCTV Control Room when the four terrorists were located on the 6th floor of the hotel. As messages were relayed to Control Room, it directed DCP Zone-I to keep the terrorist engaged and contain their activities to 6th floor.

At about 02:30 or so early morning on 27/11/2008, the gunmen became desperate and set the hotel on fire from inside and started coming down lobbing grenades due to which the CCTV cameras got switched off and Police team lost the traces of these gunmen.

At about 03:00 hrs or so as second floor was also engulfed in fire and as the Police team started moving towards the central staircase of the hotel to go downstairs, the terrorist who had by then come to the 3rd floor, hurled a high explosive grenade towards the team and instantly thereafter started firing. This attack was retaliated by the members of the team but due to the volley of bullets fired from AK-47 rifle and due to sharpnels of explosives hurled by the terrorists some of the team members were injured while PC Rahul shinde was seriously injured and succumbed to the injuries.

During the exchange of fire, the Police Party was split into two groups and one group went ahead while remaining members were led by PI Dhole from the fire exit staircase in the South-West corner of the building after facing another attack from the terrorist at South end of the building in which one of the employee of Taj Hotel and a Policeman sustained injuries. Police team members retaliated by firing at the gunmen. By this time whole of the Police team got struck in the centre of fire lit by the terrorist and with the use of the fire extinguishers Shri Saudagar Shinde and others succeeded in coming out of the fire. During this time Shri Saudagar Shinde suffered internal burn injuries.

As a Gallant act Police Constable Saudagar Shinde rescued the stranded citizens inside the Hotel Taj, kept the terrorist engaged on the sixth floor of the Hotel till 03:00 hrs during which time hotel guests from rest of the places inside hotel were evacuated by different.

In this encounter S/Shri Vishwas Narayan Nangre Patil, Dy. Commissioner of Police, Deepak Narsu Dhole, Inspector, Nitin Digambar Kakade,Sub Inspector, Amit Raghunath Khetle, Constable, Arun Sarjerao Mane, Naik, Ashok Laxman Pawar,Naik and Saudagar Nivrutti Shinde, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26/11/2008.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 140-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Jamkhongam Touthang, Jemadar
02. Leimapokpam Amarjit Singh, Havildar

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 21/03/2012 at about 7:00 pm the district police, Bishnupur received reliable information regarding the presence and movement of armed militants in the general area of the village "Wangoo Sabal". Immediately on receipt of the said intelligence input, a combined team of the Bishnupur District commando personnel and 33 Assam Rifles personnel was organized and rushed to the said area for counter insurgency operation.

Arriving at the village, the Assam Rifles personnel, after proper briefing, made an outer cordon of suspected points of the village while the commando personnel conducted house to house search operation. As it was night time with little electrification, the combined team had a tough situation in conducting the operation. They were physically exposed, rather to be soft targets due to darkness all around. In the given situation, Jemadar Jamkhongam Touthang who was leading the commando personnel alerted his force to maintain strategic movement passing through the residential area, as also to be polite but firm in dealing with the inhabitants. Thus, the Assam Rifles personnel were also on extra-alert in cordoning the area and the commando personnel led by Jemadar Jamkhongam Touthang conducted the house to house search operation with strong determination to detect and find out the hide out of militants, maintaining close vigil over the movement of the inhabitants.

It was at about 8:55 pm when the commando personnel happened to come across the courtyard of one of the inhabitants, who was later on identified as Pukhambam Ongbi Chandrakala Devi, aged about 56 years, wife of late P Bijoy Singh. The commando team approached the house and confirmed presence of underground cadre in the house. The terrorist was seen threatening the house owner and his family with pistol. Using the presence of mind and sensing the danger to innocent civilians, the police commando challenges the underground cadre to put his weapon down in local language. The terrorist did not heed to the warning and one youth ran out of the house in his abortive attempt to escape from the police dragnet with firing towards the commando personnel. Instantaneously, the commandos retaliated and there ensured a lively encounter. Taking advantage of the numerous construction in the household complex like kitchen, main residential house, newly constructed building on the northern side, etc. the militant was running here and there to get coverage and tried to attack the commando with intermittent firing. On the other hand, the commando personnel having no clear

vision of the militant's movement due to darkness had a tough situation to control and over power him. However, Jemadar Jamkhongam Touthang made a swift physical movement to cope with the situation. Hav L Amarjit who was young, energetic and talented jawan perceived the dangerous situation that posed to his commander Jemadar Jamkhongam Touthang. As such, he acted according to the hint of his commander. Ultimately, Jemadar Jamkhongam Touthang and Hav L Amarjit succeeded in cornering up. At a very critical juncture, both of them pinned down the militant who was later on identified as Khangembam Naocha @ Kokpei, aged about 28 years S/o (Late) Kh. Bor Singh, resident of Wangoo Naodakhong, an activist of the banned underground outfit United National Liberation Front (UNLF), Army No. 1613 of 2005 batch. The follwing arms and ammunition, incriminating articles were recovered :—

(i) One 9 mm pistol bearing No NK 231

(ii) One magazine loaded with two live rounds.

(iii) One empty case of 9 mm caliber.

(iv) One NOKIA mobile handset with an Airtel SIM card bearing No. 9862591853

(v) Rs. 1300/- of the denomination of one 1000/- and three 100 note.

In the crucial encounter, the commando personnel of Bushnupur district displayed undaunted valor and raw courage and played a vital and conspicuous role leading to earn the achievement. Had the two commando personnel not acted in such a swift and dedicated manner involving their personnel risk, the militant might have not only escaped but also caused casualty to the commando personnel. Indeed, the leadership quality of Jemadar Jamkhongam Touthang was very exemplary in the critical juncture of a fierce encounter and Hav L Amarjit was also very obedient and acted in tune with the hints of his commander.

In this encounter S/Shri Jamkhongam Touthang, Jemadar and Leimapokpam Amarjit Singh, Havildar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21/03/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 141-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Odisha Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Santosh Juang,
Constable

02. Trinath Totapadia,
Constable

03. Bhuban Chandra Dev,
Lance Naik

04. Laxmi Narayan Muduli,
Constable

05. Sadhan Biswas,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

An operation was launched with 25 police personnel under one S.I. in Nuagada jungle of Malkangiri district as one Naxal group was supposed to pass through. At about 5.30 am on 04/11/2010,40-45 Naxal cadres were noticed proceeding towards them. When asked to surrender the ultras opened fire on the police party which was retaliated. Two grenades were also hurled towards LNK Bhuban Dev CT Santosh Juang, CT Trinath Totapadia, CT Laxmi Narayan Muduli and CT Sadan Biswas but they survived being adhered to operational tactics; though sustained minor injuries. Naxal group tried to surround police party, being more in numbers. On being ordered LNK Bhuban Dev alongwith CT Santosh Juang, CT Trinath Totapadia, CT Laxmi Narayan Muduli and CT Sadan Biswas advanced towards the firing side, inspite of being sustained minor injuries in the grenade blast. On getting nearer, it was assessed that a group of 10-12 Naxalites are positioned in vicinity. Now Bhuban Dev along with CT Santosh Juang and CT Trinath Totapadia moved to the left flank of naxalites. They fired heavily towards the naxals and killed two Naxals on the spot. In that process they were badly exposed which invariably had put their life on risk. Other Naxals fled the spot but by spraying bullets all around. Some Naxals were withdrawing through the left flank of CT Laxmi Narayan Muduli and CT Sadan Biswas. Both of them endangering their life started chasing Naxals. Though they were also fired upon by Naxals, but without caring for their life they gunned down two naxals at a distance of 15 meters. However ultras including six- seven injured managed to escape taking advantage of hilly terrain & thick vegetation. The firing and counter firing lasted for about one hour.

During searching four dead bodies of naxalites and following arms, ammunitions & other items were recovered:—

1. Three Nos. of Country made SBML Gun
2. One No Country made SBBL Gun
3. One No of live H.E Grenade
4. Sixteen Nos. of live 12 bore ammunition
5. One 12 bore empty cartridge
6. Four Nos. of AK 47 empty cases
7. One 303 empty case
8. One Grenade Pouch
9. Three Nos of ammunition pouches
10. Six Nos of Torch lights.
11. Two First aid kit boxes

12. One bundle of Tent tarpaulin

13. Five bundle of printed Maoist posters

14. Two pairs of Maoist uniform

15. Five Shawls

16. Seven Steel Plates

17. Maoist literature

In this encounter S/Shri Santosh Juang, Constable, Trinath Totapadia, Constable, Bhuban Chandra Dev, Lance Naik, Laxmi Narayan Muduli, Constable and Sadhan Biswas, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04/11/2010.

SURESH YADAV
OSD to the President

———

No. 142-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Odisha Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. R. Prakash,
(PMG)
Sub Divisional Police Officer

02. Laxmi Vara Prasad Vasupalli,
(PMG)
Constable

03. Gedela Srikant Kumar,
(PMG)
Constable

04. Ambika Prasad Patra,
(1st Bar to PMG)
Constable

05. Deenabandhu Naik,
(PMG)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

Based on an input on movement of armed naxals in the areas of Basangmali hills under Kashipur PS limits on 08/01/2011, anti-naxal operation was launched by engaging district Police (numbering 29) to nab the naxals and to foil unlawful designs. The team was led by Shri R. Prakash, IPS, the then SDPO, B.Cuttack (at/pr-SP Bolangir). During the course of operation, at around 5:30 am on 9/01/2011, the police party spotted the presence of a group of around 20-25 armed cadres in olive green uniform performing arms drill on the top of the hill. Soon, the team leader divided the operational party into two groups as firing party and cut-off party and took proper tactical position. Then, the team leader revealed identity as Odisha Police and challenged the Maoists to surrender, but the Maoists didn't pay heed and opened indiscriminate fire and hurled hand grenades upon the police party. By such unlawful act of the Maoists and the police party members being certain that Maoists will in no way surrender, in self defence, the police party retaliated by opening fire towards Maoists. The exchange of fire lasted for about one hour. The police team fought bravely without caring for their lives. During the course of this exchange of fire, the police team shot dead nine armed Maoists (four male and five female Maoists), including Duvvuri Srinu @ Ravi @ Ramesh @ Chandranna, Commander of the Maoists group and was a DCM (Divisional Committee Member) rank armed cadre of CPI (Maoists), who was carrying a head-reward of Rs.3 lakhs. Sensing the danger from the assault of the police operational party, the remaining extremists fled away from the scene, taking the advantage of thick forest, boulders and hilly terrain. The police assault group chased the extremists for a considerable distance but the ultras managed to escape.

Besides this, huge cache of arms and ammunition i.e one INSAS rifle, 2 Nos of .303 rifles, 2 Nos of pistol, 2 nos of SBML guns, more than 100 rounds of ammunitions, 18 Nos of Kit bags, large quantities Gelatin sticks, Maoist literatures, Walkie-Talkie, Electronics Detonators, Landmine blasting devices, tent materials, medicines, food items etc were recovered from the EOF-spot.

This successful exchange of fire has given a heavy blow to the naxals and it resulted in the total wipe-out of an entire Kasipur-Niyamgiri Area Committee. This operation is considered as one of the biggest achievements in the history of anti-naxal operation in Odisha and has given tremendous boost to the confidence and morale of security forces involved in anti-naxal operations.

In this encounter S/Shri R.Prakash, Sub Divisional Police Officer, Laxmi Vara Prasad Vasupalli, Constable, Gedela Srikant Kumar, Constable Ambika Prasad Patra, Constable and Deenabandhu Naik, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal/1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09/01/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 143 -Pres/2013—The President is pleased to award 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Odisha Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Santosh Juang,
Constable

02. Trinath Totapadia,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

An operation was conducted on 24.04.2011 in Tentulipadar forest area. At about 06:00 hrs, the Police Party found a group of 30-40 naxals at a distance of 100 mtrs.

The Police party comprising of 37 members was divided in three group. Two group surrounded the Naxals. The third group was acting as assault group whose scouts were Ct Santosh Juang and Ct. Trinath Totapadia. When asked to surrender, the naxalites opened heavy fire which was retaliated by police party. The assault group moved towards the Maoists stealthily but on being noticed by naxals were fired upon. The commander of assault group assessed it to be fire of LMG. Now Santosh Juang and Trinath Totapadia were given the task of silencing the LMG by their Commander. As both of them advanced, one claymore mine planted by Maoists exploded but they lay on ground and fortunately survived. Undeterred, both commandos kept moving tactically towards the ultras. Suddenly they found one Lady Naxal, but they acted before her and shot her down.

Further these two commandos reached the left flank of firing LMG. Having no alternative both commandos half stood and fired heavily towards the LMG, causing injury to the one Naxal. This caused panic amongst the other Naxals and taking cover of vegetation they escaped along with injured Maoist. The gun battle continued from 06:30 hrs to 07:00 hrs. During searching of area, dead body of one Naxal cadre later identified as Gajala was found.

It was a rare act of bravery on account of Ct. Santosh Juang and Ct Trinath Totapadia to act as scouts in such a condition which may incited firing from any side being unaware about position of naxal sentries. Besides surviving claymore mine blast, there were risk to their life while silencing the LMG of naxals, being exposed in the process. While advancing towards the LMG of naxals, had the lady Naxal noticed the movement of two marching commandos from a distance then they would have been martyred.

Recoveries made:

1. One .303 rifle
2. One .22 rifle
3. One country made 12 bore SBBL gun (Recovered from deceased)
4. One Steel container suspected to be a land mine
5. One live H.E grenade (Recovered from the deceased)
6. 15 nos of kit Bags
7. 13 live 12 bore cartridges

In this encounter S/Shri Santosh Juang, Constable and Trinath Totapadia, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24/04/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 144-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Odisha Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Manoranjan Paikray,
Sub Inspector

02. Arun Kumar Behera,
Sub Inspector

03. Marathi Rabi, (Posthumously)
Constable

04. Sarathi Bhuiyan,
Constable

05. Manoj Kumar Guru,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 1-2/01/2011 night getting credible information about movement of Maoists in Tungeisuni Raigati Forest area S/Shri Manoranjan Paikray, SI, Tomka PS alongwith Arun Kumar Behra, SI, Marathi Rabi, Constable, Sarathi Bhuyan, Constable, Manoj Kumar Guru, Constable of SOG and other proceeded towards Raighati Jungle to nab the Maoists. At about 00:40 AM they came across 15 to 20 Maoists carrying weapons and kit bags. After seeing them the police party warned them to lay down their weapons and surrender, but they did not respond and started indiscriminately firing on the police party. Finding no other option, the police party took evasive action immediately and fired from their weapons.

Exchange of fire continued till 6.00 AM and after that the Maoists sneaked into the forest giving anti national and Maoists slogans. In the operation 5 Maoists were killed, 12 rifles, 127 live cartridges, 51 iron ball (Sisa), 200 gms Gun powder, Maoist leaflets and other Maoists articles were seized. In the process they exhibited utmost bravery and courage.

In this encounter S/Shri Manoranjan Paikray, Sub Inspector, Arun Kumar Behera, Sub Inspector, Late Marathi Rabi, Constable, Sarathi Bhuiyan, Constable and Manoj Kumar Guru, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02/01/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 145-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Rajasthan Police:—

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Bharmal, (Posthumously)
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

During the Gurjar agitation on 23.05.2008, Shri Bharmal, Head Constable was deployed at Pilupura (Bayana) railway station, District Bharatpur to safeguard Delhi-Mumbai railway track from agitated Gurjars.

Pilupura being the strategic location, control of track was very crucial for the administration. In order to overpower and to get hold of the track, agitators attacked the police party with deadly weapons. During duty, Shri Bharmal showed great courage, bravery & leadership. He motivated and led his team to safeguard the railway track from the violent agitators. Shri Bharmal and his party had only "Lathis" even then he did not allow the agitators to disrupt the railway track till he was alive. Later on, a large number of agitators gathered at Pilupura and they outnumbered the police party. They suddenly became violent and attacked the police party with deadly weapons. Shri Bharmal responded to the situation with courage and shifted the members of his team safely. During the above incident, he was brutally injured and succumbed to the injuries on the spot itself. Shri Bharmal had shown great devotion to duty, bravery and courage during the incident. He fought bravely and sacrificed his life for the nation.

In this encounter Late Shri Bharmal, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23/05/2008.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 146-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Rajasthan Police:—

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Babu Lal, (Posthumously)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 29.05.2007 during the Gurjar reservation agitation a grave law & order situation erupted in Bundi city. An indefinite dharna was staged by Gurjar community in front of Shri Devnarayan temple. In order to deal with the serious law & order situation police force of Barmer, Jaisalmer, Kota and other districts were deployed. During the violent dharna and protest the rioters resorted to pelting of stones at administrative officers and Police forces. Inside the Devanarayan temple premises they caused heavy damage to Govt Vehicles and after coming out from the temple set many shops on fire. During this riotous situation, injuries were caused to the District Magistrate, Bundi and many police officers. The district Magistrate, Bundi warned the rioters of Gurjar community against resorting to violence, nevertheless they attacked the police force and administrative officers with lethal weapons and stones. While trying to disperse the rioters, Sh. Babu Lal Const of district Barmer, alongwith other members of Police force, was caught by the violent rioters and sustained fatal injuries resulting in loss of his life in discharge of his duties. Thus late Shri Babu Lal, Const. set a fine example of service beyond the call of duty by sacrificing his precious life in a brave and gallant act.

In this encounter Late Shri Babu Lal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29/05/2007.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 147-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Tripura Police:—

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Bankim Debbarma,
Subedar

Statement of service for which the decoration has been awarded

Sub(GD) Bankim Debbarma, the post commander of Ratan Nagar camp of 12th Bn TSR, received an information on 22.07.2012 about presence of heavily armed NLFT militants group led by Sri Bahijoy Tripura. The group was taking shelter in the Jhum hut of Sri Kumbasri Tripura about 15 Kms away in deep jungle bordering Bangladesh located near the BP No 2272 close to Mayani Cherra of Bangladesh with a view to collect extortion from nearby villagers. On receipt of such hard and specific information sub(GD) Bankim Debbarma prepared a proper plan along with his men in a tactical and strategic manner. Thereafter, Sub(GD) Bankim Debbarma launched an offensive operation without loss of time against the extremists alongwith 22 selected men. He proceeded towards the targeted location while about 01 (one) Km away from the target, he divided his party into two groups as the striking party for offence and cut-off party for blocking their escape route very strategically.

When they came very close to the target area within the range of automatic weapons concealing their presence, the armed militants could sense the presence and movement of the TSR party and started heavy fire from their automatic weapons. Finding no other option Sub(GD) Bankim Debbarma and his party took position and retaliated by firing from their weapons without caring for their own safety. There after, heavy exchange of firing took place between the heavily armed militants and the TSR parties who fired 164 Rds under the leadership of Sub(GD) Bankim Debbarma against 200 Rds approx fired by the armed militants which lasted for more than thirty (30) minutes and compelled the extremists to leave their position and run away by taking the advantage of difficult terrain towards Bangladesh territory which is very close from the place of occurrence.

Thereafter, Sub(GD) Bankim Debbarma conducted thorough search of the PO and recovered one dead body of militant with multiple bullet injuries in OG (Olive Green) colour dress, One AK-47 Rifle, two magazines, 50 (fifty) live rounds, two live Chinese grenades, two pitthoos, one portable solar plate and nine (09) subscriptions notices of NLFT printed letter Pad addressed to nine Tribal Village Headmen along with personal belongings of the deceased. The said dead body was later on identified by his sister Smt. Kalati Tripura as Bahijoy Tripura @ Boyjoy Tripura @ Bashy Tripura (35) S/o Shri Kanchan Mohan Tripura of Taraban Colony, Haripur under Gandacherra PS. This refers to Raishyabari PS case No. 06/2012, U/S 148/149/120(B)/353/307/384 IPC & 25(1-B) (A)/27 of Arms Act, 5 of E.S Act & 10/13 ULA(P) Act.

During the entire operations Sub Bankim Debbarma showed a very high degree of initiative, determination and strategic brilliance at all stages i.e. in collection of intelligence, planning and execution of the operations under his personal and gallant leadership.

This was indeed a case of exemplary bravery and a gallant act on the part of Sub Bankim Debbarma which yielded the spectacular achievement in the fight against armed NLFT insurgents group killing the leader with recovery of sophisticated arms and ammunitions and also many other incriminating materials giving a serious setback for the insurgents and boosting up the moral of the operating troops.

In this encounter Shri Bankim Debbarma, Subedar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22/07/2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 148-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Ram Shankar Singh,
Constable

02. Ravendra Singh Yadav,
Constable

03. Chandra Pal Singh
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 29.09.2011, a reliable information was received by STF team. On the basis of said information, a team comprising of SI Harpal Singh, Const. Ram Shankar, Const.Commando Ravendra Kumar Singh and Const. Commando Chandra Pal Singh amongst others cautiously advanced into the forest on way to Dharkundi to nab the gang of dreaded dacoit Shiv Kumar Kol carrying a reward of Rs. 50,000/-. As they reached nearer the dacoits, the informer identified them as Hariya's gang. On this, team leader challenged them to surrender which was replied with abuses and indiscriminate firing by the gang aiming at the police personnel with intention to kill. Several bullets fired by them pierced the ground and the police party had a narrow escape undeterred by the firing. Constable Ram Shankar, C/Commando Ravendra Singh and C/Commando Chandra Pal Singh advanced towards the gang without caring for their lives and at the same time employing various tactics

of field craft. The relentless firing of the dacoit gang couldn't shake the profound sense of duty of these commandos and they moved ahead towards the gang showing exemplary courage and bravery during which the bullets fired by the gang missed them by a whisker several times. On instruction of the team leader to cover the gang from left side Const. Ram Shankar, C/Commando Ravendra Singh and C/Commando Chandra Pal crawled ahead valiantly displaying utmost dedication to duty mixed with shrewd tactical movements, opened fire in self-defence. During this intense exchange of fire a dacoit was hit and the firing stopped after a while. The other gang members had fled from the scene. The injured criminal lying on the ground was found dead on examination and was later on identified as dreaded dacoit gang leader Shiv Kumar Kol @ Hariya.

Recoveries made :

(a)	Rifle factory made	- 01 No.
(b)	Live cartridges	- 50 Nos.
(c)	Empty shells of .315 bore	- 04 Nos.
(d)	DBBL gun factory made	- 01 No.
(e)	Empty shells of 12 bore	- 03 Nos.

In this encounter S/Shri Ram Shankar Singh, Constable, Ravendra Singh Yadav, Constable and Chandra Pal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29/09/2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 149-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police:—

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Atul Kumar Singh,
Head Constable

02. Mani Chandra,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 02.04.2011, acting on an intelligence input about a dreaded gang of hardened criminals, SI D.P.Singh along with his team intercepted 03 criminals riding a motor cycle after confirmation by informer. Police party challenged the criminals to surrender. The criminals suddenly started firing indiscriminately with the intention to kill. Undeterred by the firing of the criminals HC Atul Kumar Singh and Const. Commando Mani Chandra displaying indomitable courage, came into the firing range of the criminals and advanced to arrest the criminals firing in self-defence. A bullet fired by the criminal hit commando Mani Chandra. Despite being critically injured, he advanced towards him firing. HC Atul Kumar Singh fired which hit the criminal and injured him. On seeing the commando hit, HC Atul Kumar Singh shouted loudly on which SI S.N. Yadav returned and after maneuvering reached the criminal crawling cautiously. Thereafter it transpired that the criminal hit during firing was not breathing and the other criminal was arrested. On interrogation arrested accused disclosed his name as Atul Kumar Kaushal and identified the deceased as Vimal Upadhyay. The other pillion rider fled away. In this fierce face to face encounter which took place in a village & where innocent passers-by including women & children were caught in the cross fire between the police party and the dreaded criminals with dangerous weapons, the team led by HC Atul Kumar and Commando Mani Chandra without caring for their own lives in order to pre-empt public casualty, faced and challenged the dreaded criminals with great courage, presence of mind and exhibited utmost sense of devotion to duty.

Recoveries made :

(a)	Country made pistol	- 02 Nos.
(b)	Live Cartridges	- 02 Nos.
(c)	Empty Shell of .315 bore	- 02 Nos.
(d)	Live cartridges of .32 bore	- 05 Nos.
(e)	Mobile phone	- 03 Nos.
(f)	Bajaj Discover M/Cycle	- 01 No.

In this encounter S/Shri Atul Kumar Singh, Head Constable and Mani Chandra, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02.04.2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 150-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Uttar Pradesh Police:—

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Vijay Prakash Singh,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 15.02.2010, SHO Jahangirabad and Shri Vijay Prakash Singh, Inspector Kotwali city, District Bulandshahar received

an information from S.S.P. Bulandshahar that the movement of notorious criminal Ankit Chauhan having a reward of Rs. 30,000/-, to commit some heinous crime in Kotwali city area, immediately sprung into action and closed the police force at kotwali city and planned a strategy to nab the criminal and executing it, constituted three police teams headed by SHO Jahangirabad, Shri Vijay Prakash Singh, Inspector and Station Officer Gulaothi. These teams arrived at different entry points of Bulandshahar city and started intensive vehicle check.

The S.O. Gulaothi conducting vehicle check at bhur-crossing, sighted a black colour tavera car, coming from Delhi side and intercepted it to stop but the car speeded on D.A.V. College road a densely populated road of the city, the police party strategically chased them but the miscreants opened fire and providently escaped. S.O. Gulaothi alerted the other two teams. Shri Vijay Prakash Singh and SHO Jahangirabad with his teams, immediately moved on to DAV college road and as they crossed the railway crossing they saw the said car. The miscreants finding them so surrounded by the police hurriedly stopped their car and four miscreants firing incessantly abandoned it and three miscreants escaped taking advantage of heavy traffic and movement of School going children. They were chased but could not be apprehended whereas one miscreant hide behind the road-side kiosk and continued firing. The police parties took position behind their vehicles.

Shri Vijay Prakash Singh sensing the possible escape of the miscreant from the nearby small boundary wall of sugar mill, skillfully moved ahead and challenged, but due to incessant firing by miscreant, a bullet hit him and he was injured, but Shri Vijay Prakash encouraging the police teams. Shri Vijay Prakash Singh and SHO Jahangirabad displayed an exemplary courage great sense of dedication towards their duty, great personal risk to their life and limb left their position moved ahead with a definite intent to arrest him alive and challenged the miscreant with restrained firing in self defense causing the miscreant to fell down who was identified as criminal Ankit Chauhan.

Recoveries made :

1. One factory made pistol made in Italy with magazine, 02 live cartridges and 02 empty shells of .9mm bore.

2. One factory made pistol made in USA with magazine, 08 empty shells of .32 bore.

In this encounter Shri Vijay Prakash Singh, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15/02/2010.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 151 -Pres/2013—The President is pleased to award the 2nd Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Uttar Pradesh Police:—

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Vijay Bhushan,
Additional Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 01/05/2007 Mohit Chandani a boy aged 16 years was kidnapped while going to school, in Lucknow. This was a sensational crime committed in broad daylight. After a few hours the kidnappers demanded a ransom of Rs. Fifty Lacs for his release. The crime was reported prominently in both the print and electronic media and it became a major challenge for the police.

A STF (Special Task Force) team under the leadership of Shri Vijay Bhushan Addl. SP was formed to work out the case and release the boy from the clutches of the kidnappers.

Collection of intelligence and investigation conducted by Shri Vijay Bhushan and his team revealed that the kidnapped boy was being held captive at an abandoned house in village Ganeshpur of district Barabanki. The team under the leadership of Shri Vijay Bhushan soon reached the Village and conducted a detailed reconnaissance of the area. Before launching the rescue operation Shri Vijay Bhushan divided the force under his command into two teams, one led by himself and the other by Shri Shahab Rashid Khan Dy. SP. Both teams then began the operation in a planned manner.

On sighting the police team led by Shri Vijay Bhushan, the kidnappers began to fire with their weapons from inside the house. Shri Vijay Bhushan Addl. SP warned the criminals to cease fire and surrender but this had no effect on them and they continued with the firing. As planned Shri Vijay Bhushan Addl. SP, SI Vinay Kumar Gautam, HC Gajendra Pal Singh, Dy. SP Sahab Rashid Khan and HC Anil Kumar Singh entered the premises tactically and engaged the criminals who had refused to surrender in an encounter. Braving the bullets and gunfire the members of the STF team closed in and killed two kidnappers and managed to rescue the boy Mohit Chandani alive from the clutches of the kidnappers.

Shri Vijay Bhushan, IPS, SP HR cell then Additional SP STF has displayed gallantry and courage beyond the call of duty and of a very high order. Despite grave threat to their lives, they entered the premises in which the kidnappers were hiding, engaged them in an encounter and killed them. They could also rescue the kidnapped boy Mohit Chandani unhurt.

Recovery:

1. Country made Pistol .315 bore - 02 Nos.

2. Live Cartridges .315 bore -04 Nos.

3. Empty Cartridges .315 bore -06 Nos.

In this encounter Shri Vijay Bhushan, Addl. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08.05.2007.

SURESH YADAV
OSD to the President

No.152-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Avinash Chandra,
Senior Superintendent of Police

02. Vishambhar Dayal Shukla,
Addl. Superintendent of Police

03. Sarvesh Kumar Rana,
Addl. Superintendent of Police

04. Rajeev Narain Mishra,
Dy. Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

Five Terrorist hired a private jeep and at about 9:15 A.M. on 05.07.2005 blasted it near Jain temple. The explosion resulted in breaking of 8 to 10 meters of barricading. The terrorist, taking advantage of smoke and commotion entered the premises with bags on their back and automatic weapons in their hands and quickly ran towards the inner cordon of RJB/BM main structure. PAC men deployed on patrolling duties under leadership of company commander Krishna Chandra Singh & Platoon Commander Naresh Singh Yadav immediately took position and without caring for their lives started engaging the terrorists with return of fire who were firing indiscriminately towards the police force. Exemplary courage was shown by Shri Musharraf Ali, HC, Shri Shatrughan Dubey, HC and Shri Himansu Yadav, Const. The CRPF men deputed in the inner cordon duty under leadership of company commander Vizato Tino and Lady Company Commander Santo Devi quickly retaliated to the attack of the terrorist from their morchas without caring for their lives. Extra ordinary Gallant was shown by Shri Nanda Kishore Singh, SI, CRPF, Shri Sultan Singh, HC CRPF and Shri Dharmveer Singh, HC, CRPF. All these three CRPF men sustained bullet injures. The message of terrorists attack on RJB/BM parisar reached the police officers immediately through wireless. SSP Faizabad Shri Avinash Chandra alongwith his team which included Circle Officer city Shri Rajiv Narayan Mishra & others reached near generator room at about 9:35 A.M. and took positions. Both these officers showing extra ordinary courage and bravery and without caring for their lives fired at the terrorists who were hurling grenades and firing from their automatic weapons towards the sanctam sanctorum. Addl. SP City Shri B.D. Shukla & Addl. SP Security Shri Sarvesh Kumar Rana also reached the encounter side and took position from the side of Sita Rasoi and without caring for their lives engaged the terrorists. The encounter between the terrorists and the joint police forces of CRPF, PAC & UP Police lasted for about one and half hour. This resulted in knocking down of all the five terrorists who attacked the structure with the evil design of creating communal disharmony and riots throughout the country. This effort of the police forces was lauded and praised by all sections of society.

Recoveries made :

1. 05 A.K.-47 Rifles, 09 Magazines and 141 live cartridges.
2. 02 Rocket launcher tube.
3. 15 Grenades.
4. 01 Pistol and 04 live cartridges.
5. 01 Chineese pistol.
6. 01 Quran Sharif Gutka (Muslims Religious Book)

In this encounter S/Shri Avinash Chandra, Senior Superintendent of Police, Vishambhar Dayal Shukla, Addl. Superintendent of Police, Sarvesh Kumar Rana, Addl. Superintendent of Police and Rajeev Narain Mishra, Dy. Superintendent of police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 05.07.2005.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 153-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Rajesh Singh Chauhan, (Posthumously)
Head Constable

02. Brijesh Kumar Yadav, (Posthumously)
Constable

03. Uma Shankar Yadav, (Posthumously)

Constable

04. Girish Chandra Nagar, Constable (Posthumously)

05. Lakshman Prasad Sharma, Constable (Posthumously)

06. Ishwar Deo Singh, Constable (Posthumously)

Statement of service for which the decoration has been awarded.

The team of Special Task Force under the leadership of Sri Dhirendra Kumar Rai was collecting intelligence about the dreaded gang of Thokia @ Ambika Patel (IS-229). Gang leader Thokia was carrying reward of Rs. 3 Lakh on his head. STF was making sincere efforts to curb the activities of the gang.

On 22.07.2007 STF team comprising of DSP Shri Dhirendra Kumar Rai along with police team were present in Chitrakoot. Intelligences were being received that gang was present in the forest of Sakri Beda and was going to commit some sensational crime and the presence of gang was noticed in that area. On 22.05.2007 at about 5 AM the team started for combing the forest. Two teams were formed. One team comprising of Shri DK Rai DSP, SI S/Shri Shailendra Singh, Sharad Tilara, Mahvir Singh, Head Constable Yogesh Kumar Sharma, Constable Brijesh Tiwari, Commando Upendra Singh, Laxman Sharma, Manish Upadhyay was headed by DSP Shri DK Rai and the second team comprising of SI Dinesh Kumar Yadav, Constable Shesham Singh, HC Commando Sheo Kumar Awasthi, Rajesh Chauhan, Const. Commando Dinesh Singh, Uma Shankar, Brijesh Yadav, Girish Chandra Nagar, and Munir Ahmad was headed by SI Dinesh Kumar Yadav. Both the teams were stationed on safe place near a water source in the forest. After some time 4 persons were seen coming from the south direction of hill/forest. When they were challenged to stop they ran away towards the forest throwing buckets containing food. STF team chased them and climbed the Bedha forest hills. The dacoits suddenly started firing on STF team with an intention to kill policemen. On being challenged by STF team they started to abuse and said that their arms be snatched after killing them. Having no alternative for safety, the STF team fired in a controlled manner in self defence. This encounter was carried out from 8:00 AM to 9:15 AM. The STF team tried its best to intercept the dacoits but the dacoits successfully escaped taking advantage of difficult geographical condition. When the firing stopped, one dacoit was found dead, who was identified as Maiya Din, an active hardcore member.

When the encounter was over, the STF team started combing to search for the absconding dacoits. In the evening STF team was coming back from forest in two vehicles. When the team was passing through uneven narrow Kachcha road muddied due to rains, the vehicles slowed down. Thokia @ Ambika patel along with his 30-35 gang members had planned an ambush on Tekri. The gang opened fire on STF vehicles indiscriminately. The driver of the front STF vehicle fell to the firing by the gang of dacoits. Having seen no alternative STF team took position by crawling and started firing back on the gang to break the ambush. The dacoits could not gather enough courage to reach near the vehicles due to timely retaliatory action taken by STF team. In this encounter 6 members of the STF team namely Head Constable Commando Rajesh Singh Chauhan, Constable Commando Brijesh Yadav, Constable commando Uma Shankar, Constable Commando Girish Chandra Nagar, Constable commando Lakshman Prasad Sharma and Constable driver Ishwar Deo Singh laid down their lives. Besides these 6 personnel who laid down their lives while fighting the gang, SI Shailendra Singh, SI Sharad Tilara,SI Dinesh Kumar Yadav and SI Mahavir Singh showed extra ordinary courage without caring their own lives.

Recoveries made:—

1. Rifle .315 bore Factory made
2. 88 live cartridges .315 bore.
3. 11 live cartridges of 7.65 bore
4. 09 live cartridges of 8 bore
5. One hand grenade with fuse

In this encounter S/Shri Late Rajesh Singh Chauhan, Head Constable, Late Brijesh Kumar Yadav, Constable, Late Uma Shankar Yadav, Constable,Late Girish Chandra Nagar, Constable, Late Lakshman Prasad Sharma, Constable and Late Ishwar Deo Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22.07.2007.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 154-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of West Bengal Police:—

Name & Rank of the Officer

Shri Vineet Kumar Goyal,
Dy. Inspector General

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 24.11.2011Shri Praveen Kumar Tripathi IPS, SP Paschim Midnapore and Shri Alok Rajoria IPS, Addl. SP (Operations) Jhargram having received the information of a top polit Bureau member of CPI (Maoist) and his armed squad in and around Khushabani Jungle area under Jambani PS recced their hideout. During recce, taking great risk to their lives, traversed heavily mined jungle area which was completely dominated by armed maoist groups.

After reccing the area, they alongwith Shri Sumit Kumar IPS, SDPO Jhargram and officers of 207 COBRA Bn under the leadership of Shri Vineet Kumar Goyal, IPS, DIG Midnapore Range meticulously planned a quick operation. After planning, the joint forces were briefed by Vineet Kumar Goyal IPS regarding terrain, risks, arms and ammunitions in the possession of armed cadres etc.

As per plan, Vineet Kumar Goyal IPS and Praveen Kumar Tripathi IPS taking overall command moved tactically with teams towards targeted hide out near Burishol Jungle. The teams after reaching their respective points cordoned the area.

At around 16:30 hrs. when the assault team led by Alok Rajoria IPS was nearing the targeted hideout, 12-15 armed cadres started indiscriminate firing and hurled grenades. At this CT Tapas Ghosh, DAP Jhargram, AC Nagendra Singh, AC Binoj P Joseph, S. Sreenu CT/GD, CT/GD S. Mathubela CT/GD Birendra Kumar Singh, CT/GD Deepak Kumar and all of 207 COBRA Bn led by Alok Rajoria IPS, putting their lives at high risk, showing extra ordinary courage and gallantry and adopting fire & move tactics advanced and fired amidst bullets & grenade splinters sprayed by armed cadres.

In between some of the armed cadres stared indiscriminate firing upon the teams positioned on other flanks of the jungle area. Amidst firing, Vineet Kumar Goyal and Praveen Kumar displaying immense courage crawled the jungle stretch and advanced towards armed cadres with a view to catch them. They exhibiting courageous leadership and highest professional acumen not only launched a quick chase of the armed cadres who were forced to move to nearby Burishol Village but also kept on coordinating, communicating and guiding other teams during entire operation for avoiding any harm/casualty to police side. The action later on resulted in arrest of some armed cadres.

On the other side, Sumit Kumar IPS and CT Bapi Sinha, facing heavy volley of fire from the armed cadres, showing exemplary gallantry fired at armed cadres with a view to save lives of team members and to catch the armed cadres which culminated in retreat of armed cadres.

During search of the area following firing which continued for half an hour, one dead body with AK-47 in his hand later on identified as of a top Polit Bureau member of CPI (Maoist) was found lying on the ground, During further search, one AKM rifle, a bag containing cash, Maoist literature, hard discs and other material were also found nearby.

In the entire operation, despite heavy firing from the hard-core Maoists and peril to their own lives, the officers and personnel exhibited exemplary courage and outstanding leadership in the most challenging circumstances, Gallantry, dedication to their duty, exemplary control over nerves in life threatening circumstances and have produced an inspiring success in fight against left militancy. The brave action by personnel resulted in huge setback to left militancy in WB ushering a semblance of order and peace.

Recovery:

01.	AK-47 Rifle bearing Arsenal No. KT-435182.	01
02.	Camouflage coloured cotton made ammunition pouch.	01
03.	Small black coloured multi pockets chain fitted rexin Bag (containing Hard Disc, Pen drive and Maoist literatures).	01
04.	Motorola wireless hand set	01
05.	Hard Disc store jet 500 G.B in damaged condition	01
06.	Hard disc Seagate 320 G.B. in damaged condition.	01
07.	C.D. in broken condition	01
08.	Pencil torch light (black colour)	01
09.	Samsungs Mobile Phone (black colour)	01
10.	Nokia Mobile Phone (black colour)	01
11.	U.S.B. cord in a plastic pocket	01
12.	Data cards	04
13.	Mobile Chips	14
14.	Reliance Mobile Sim Card	01
15.	B.S.N.L. Mobile Sim Card	01
16.	4 G.B. data traveller pen drive	01
17.	Card reader Zembonic	01
18.	Pocket diary	01
19.	One plastic pocket containing pull-through, Oil bottle, Cotton pieces.	01
20.	Spectacle with golden colour covered	01
21.	One plastic pocket containing Naphthalene ball 05 Nos.	01
22.	Duracell battery (small)	01 Nos.
23.	Ball Pen	04 pieces
24.	Thermo Meter	01
25.	Gillette blade	04 Nos.
26.	Gillette razor	01
27.	Scissors (small)	01
28.	Lotus media made compact disc	01
29.	Total Cash Rs. 84,535/- of various denomination	--
30.	AK-47 Rifle having fixed Butt No. SAP/8-31, Arsenal No. BE-445317 fitted with sling, Loaded with one round	01

	7.62 mm live ammunitions in chamber and one round 7.62 mm live ammunition in magazine.	
31.	Empty Cartridges of 7.62 mm	02 Nos.
32.	While colour Zariken	01
33.	Hearing aid machine of Novax company with extention card	01
34.	Leather chappal	01
35.	One Samsung made Mobile battery bearing No. AB-553446 BU with stain of blood.	01

In this encounter Shri Vineet Kumar Goyal, Dy. Inspector General displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24.11.2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 155-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Arun Kumar,
Deputy Commandant

02. Kamlesh Singh,
Constable

03. Satyaveer Singh,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

41 Battalion BSF is deployed in a hyper sensitive Naxal infested area of District-Kanker (Chhattisgarh). The 'B' Company Operating Base (COB) of the Unit is operating from a remote and isolated place, Udanpur. The area around is thickly infested with Naxals thus the COB has to remain operationally and administratively self-sustained. The intelligence gathering is again a big challenge as the COB is located in the Naxals strong hold and enjoys the support of the local population.

On 2nd April 2012 at about 00:40 hrs. Constable Kamlesh Singh and Constable Satyaveer Singh, while on duty at Medium Machine Gun (MMG) Morcha No. 09, observed some freak movement on the North-West flank of the COB through their Hand Held Thermal Imager (HHTI) and Night Vision Device (NVD). The movement was detected at a distance of 150-200 mtrs from the Morcha No. 09. Constable Kamlesh Singh focused his HHTI and later NVD in that direction and detected a number of carefully camouflaged human forms crouching one behind the other and advancing surreptitiously. They had covered themselves with blankets to camouflage their silhouette. On further focusing the HHTI, these alert and seasoned soldiers could identify the weapons being carried by the group. The alert sentries immediately scanned the area all around and detected similar movement about 100-150 mtrs towards Morcha No 14. They immediately understood that their COB has been surrounded by large number of Maoists in the middle of the night. The sentries intelligently, without giving an indication, informed their Coy Commander, Shri Arun Kumar, Deputy Commandant about this development.

Shri Arun Kumar tactically moved, without disclosing his movement and reached the sentries. He took stock of the situation and thereafter made a quick assessment regarding the number of Naxals, their distance viz-a-viz own disposition and immediately alerted the COB. He had ensured that the deployment is well prepared and defenses was sound enough to meet the imminent threat, without an iota of inkling to the Naxals.

The Naxals struck and the first thing they did was to cut off the electric supply, the whole area plunged into darkness followed by blistering barrage of fire from small arms, Rocket launchers, 2 inch Mortar and Rocket fired Molotove cocktails on the COB from South-West and North-East directions to baffle the COB in the first also by afflicting maximum casualties and creating panic and chaos and finally rounded over the COB. The well-prepared COB Commander and the alert troops, positioned in defenses, assessed the enemy disposition and retaliated selectively choosing the target directions of Naxals in the pitched dark night. The COB Commander held his nerves and ensured that the motivated troops are not only able to retaliate the attack but also inflict injuries on these Naxals.

On the orders of Coy Commander, Constable Kamlesh Singh and Constable Satyaveer Singh engaged the Naxalites by bringing down aimed fire from their MMG inflicting heavy casualties on Naxals. Simultaneously they kept on scanning the general area with their HHTI and NVD and continuously warning & updating troops of COB, Udanpur about the naeuvers of the Naxalites. The Bombs fired by Naxals started landing all over the post and a number of shells landed on Morcha No. 09 where Constable Kamlesh Singh and Constable Satyaveer Singh were positioned. The main thrust of Naxlas attack was to destroy Morcha No. 09 and 14 and seek an entry into the camp. On realizing this, Constable Kamlesh Singh decided to neutralize the Rocket launcher dett. of the Naxals which was firing accurately on the post. He along with Constable Satyaveer Singh crawled ahead of the Morcha braving the murderous fire of the Naxals. They located the position of the Rocket launcher dett. and displaying raw courage destroyed it. Through the NVD it could be seen that the Naxals were evacuating number of dead/injured comrades. Their daring action, in utter disregard to their personal safety, saved the post from being overrun by the Naxalites.

In the meantime, a group of Naxals firing heavily attempted to advance towards Morcha No. 14. On this Shri Arun Kumar rushed towards Morcha No. 14 braving heavy barrage of bombs and rockets landing all around him. He displayed outstanding bravery, commendable leadership trails and ensured effective retaliation by directing the type and quantum of fire to break the intensity of Naxals attack and stopped their advance. He, in a professional manner employed his 51 mm Mortars and tactically utilized the illumination bombs and high explosive bombs with the flat trajectory fire from the defenses, which caused heavy casualties on the Naxals. The young Company Commander vigorously motivated his troops to intelligently re-align the direction of fire as the Naxalites kept on shifting/adjusting their positions, thereby inflicting heavy casualties on the insurgents.

On the dreaded night intervening 1st and 2nd April' 12, Shri Arun Kumar braved the battle from 00:40 hrs to 03:30 hrs. against the heavily armed Naxals which were later reported to be around 200. Exhibiting exemplary command, leadership qualities with remarkable fire discipline and optimum reasource utilization, Shri Arun Kumar, with his brave men repulsed the attack completely by 03:30 hrs. killing many naxals and causing grievous injuries on others who fled leaving behind their weapons and explosive. The State Intelligence Bureau Chhattisgarh confirmed cremation of 4 of these Naxals, who died in the operation, in the vicinity of village Gome under Police Station Koyalibeda.

This operation is an example of well-trained motivated Commander leading his troops with optimum utilization of resources without causing any collateral damage to the village Udanpur in near vicinity, even after using area weapon in pitched dark night and repulsing one of the most dreaded attacks of the Naxals on a force camp.

The level of coordination and use of battle drills was of highest standard which ensured no casualties on own side. More so the Naxals had planned at length to the level that they had laid a road block between Koylibeda and COB Udanpur to prevent any reinforcement. This incident has also give morale ascendency to the fighting troops and is a perfect case for citing defensive operations with offensive spirit by an isolated COB on self-sustenance basis.

Recovery :—

(a)	Improvises crude Rocket Launcher	- 01 No.
(b)	Blind HE Mortar Bombs	- 04 Nos.
(c)	Petrol Bombs	- 20 Nos.
(d)	Improvised Petrol/HE Rocket	- 06 Nos.
(e)	Scrap of Rocket Projectile	- 07 Nos.
(f)	Wire Cutter	- 01 No.
(g)	Detonator	- 04 Nos.
(h)	Knife (small)	- 01 No.
(i)	Camouflage cap	- 02 Nos.

In this encounter S/Shri Arun Kumar, Deputy Commandant, Kamlesh Singh, Constable and Satyaveer Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 02.04.2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 156-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. K. Kumaran, Constable (Posthumously)

02. Arjun Oraon, Constable

03. V.V. Prasad Ganjala, Constable

04. C.R. Soren, Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

As per approved Ops plan, on 26.3.2012 at about 07:35 hrs, two parties consisting of 76 personnel, under over all command of Shri K. Jai Shanker, Dy. Commandant of 217 Bn, left the camp for carrying out Area Domination and search operations. One party covered the left flank while the other covered the right flank, in double file formation. When parties covered about 1.5 Kms, at about 08:10 hrs. Naxalites from well-fortified position behind trees and bunds, opened indiscriminate fire upon the troops from the front left and right sides. Immediately the troops retaliated with fire. Since naxalites were firing indiscriminately CT/GD K. Kumaran, CT/GD Arjun Oraon, who were with D/217 party in front position of right side, immediately took position and retaliated fire against the naxals in the course of counter attack. Notwithstanding to the heavy fire brought upon them they tactically negotiated and launched a daring close quarter battle. CT/GD K. Kumaran and CT/GD Arjun Oraon showing great determination and without caring for their personal safety, effectively retaliated the determined volley that the entrenched Naxals were pouring towards their direction. As was revealed from shouts of screams and groans from the Naxal position, the bold counter-offensive by CT/GD K. Kumaran and CT/GD Arjun Oraon had managed to inflict injuries and killing of some of the retreating Naxals. Fearless action by CT/GD K. Kumaran and CT/GD Arjun Oraon also managed to keep the momentum of the operational initiative and stall effective re-grouping by the Naxals. In the ensuing

engagement, CT/GD Arjun Oraon was hit by a shot fired by the Naxals in his left shoulder and CT/GD K. Kumaran sustained fatal bullet injury in right Jaw. Despite fatal bullet injuries sustained both CT/GD K. Kumaran and CT/GD Arjun Oraon displaying unparallel courage and conspicuous chivalry, exceptional bravery continued to advance and foiled the attempt of naxals who were trying to encircle them and snatch their weapon. Apart from above they also have broken the file & ranks of naxals. Seeing such high level of determination, naxals were forced to retreat from their position. Thus before laying down his life, CT/GD K. Kumaran had shown exemplary courage, bravery, promptness in counter attack and presence of mind and CT/GD Arjun Oraon despite of fatal injury, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

On seeing naxals coming very close to CT/GD K. Kumaran who was badly injured, HC/GD C.R. Soren who was detailed with the party of D/217, immediately took position and started firing on the Naxals. He exhorted all the Jawans of D/217 to retaliate the firing. He rendered first aid to CT/GD K. Kumarn who was badly injured in the encounter. Unfortunately, CT/GD K. Kumaran succumbed to his injury. HC/GD C.R. Soren without showing panic has exhibited high sense of command, retrieved the personal weapon of CT/GD K. Kumaran and kept in his custody. He also evacuated dead body of martyr CT/GD K. Kumaran to safer place. Thus HC/GD C.R. Soren displayed exemplary courage, bravery and exhibited gallant action without caring for life during the encounter.

When the Naxals were firing indiscriminately on the troops, CT/GD V.V.Prasad Ganjala who was detailed with the party of D/217 was ordered by HC/GD C.R. Soren to give cover firing to facilitate him to advance towards the injured CT/GD K. Kumaran. CT/GD V.V. Prasad Ganjala has given tactical cover firing in a highly professional manner which had distracted the attention of naxals and prevented them from advancing. At great personal risk, displaying total devotion and stellar spirit of sacrifice, he moved towards the injured CT/GD Arjun Oraon. He rendered first aid to CT/GD Arjun Oraon. His daring action of advancing forward fully aware of the hazards that it entailed for his own safety was the single most important factor that helped in removing of injured CT/GD Arjun Oraon alongwith personal weapon to safety. Thus CT/GD V.V. Prasad Ganjala displayed exemplary courage and bravery during this encounter.

In this encounter S/Shri Late K. Kumaran, Constable, Arjun Oraon, Constable, V.V. Prasad Ganjala, Constable and C.R. Soren, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26.03.2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 157-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force:—

Name & Rank of the Officer

Shri Sampat Lal, (Posthumously)

Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

As per the decision taken in the meeting held on 01.04.2010 under the Chairmanship of IGP Bastar Range Chhattisgarh, it was decided to carry out area domination operation for 3 days continuously by CRPF, keeping in view the proposed Tactical Counter Offensive Campaign called for by the Naxals on 15.04.2010.

In line with the decision taken in the meeting, ops was planned by 62 Bn for area domination from Chintalnar, Chintagufa and Kakerlanka camp for continuous 3 days. Party comprising of 03 platoons of A/62, 01 platoon of C/62 and 01 platoon of G/62 went for area domination on 04.04.2010. The troops were led by Shri Satyawan Singh, Dy. Comdt. The party carried out searching operations at Burkapal Village initially and then at Mukram Village. After carrying out searching operations at these two villages, the party left for Tadmetla Village on 06.04.2010 enroute to Chintalnar. At about 0550 hrs. when the parties were nearing the Gargarmeta hill, all of sudden about 700 armed Naxalites, who had laid an ambush, started indiscriminate firing from all the sides. Troops retaliated very bravely and in the course of action, 75 brave jawans gave supreme sacrifice of their lives and 07 jawans sustained severe injuries.

On receiving message about the incident, an additional reinforcement party was sent, in which Constable/Dvr. Sampat Lal detailed with TATA 407 Bullet Proof Bunker was sent to assist jawans to defy the Naxal attack besides to retrieve his wounded colleagues.

In the act of real bravery, CT/Dvr. Sampat Lal displayed exceptional professional acumen and courage by moving his TATA 407 bullet proof vehicle to rescue and retrieve his wounded fellow jawans. However, naxals opened fire on his vehicle, but CT/Dvr. Sampat Lal moved forward without caring for his own life, in between the line of firing to save the personnel trapped under naxal fire and to evacuate all the injured personnel. Unfortunately, his vehicle was blasted by an IED planted by the naxalites in which he also lost his life. Before his vehicle was blasted by naxals, he had shown conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of order and tried to extend all possible help to the personnel without caring for his life.

In this encounter Late Shri Sampat Lal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 06.04.2010.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 158 -Pres/2013—The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01.	Uday Divyanshu, Dy. Commandant	(1st Bar to PMG)
02.	Rajan Roshan Tirkey, Assistant Commandant	(PMG)
03.	Vinod Sawant, Assistant Commandant	(PMG)
04.	M. Kailasham, Head Constable	(PMG)
05.	U. Rama Rao, Constable	(PMG)
06.	Pratap Paul, Constable	(PMG)
07.	Pingale Kalpesh Sampat, Constable	(PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded

Four (04) teams of 202 COBRA Bn divided into two Groups namely Group A and Group B under overall command of Shri Uday Divyanshu, DC were detailed for a special operation from 15.06.10 to 16.06.10 on the basis of intelligence about presence of 90 to 100 heavily armed Maoists moving/ organizing training camps inside the jungles of Duli under PS-Salboni in Distt. West Midnapur of West Bengal. At around 160430 hrs. while combing the dense jungles, both the Groups came under heavy indiscriminate firing/IED blasts by multiple ambush parties of armed Maoists from well fortified positions stretching to a radius of nearly one Km. The armed Maoists were firing from different positions from close range with the help of sophisticated weapons like AK 47 & SLR and also by country made weapons.

Group A came under the killing zone configured by Maoist ambush parties. In the course of their counter ambush, Shri Uday Divyanshu DC, Shri Vinod Sawant AC, and CT/GD S.P. Panigrahi immediately formed a small team and detected one of the multiple ambush parties consisting of 15 to 20 Maoists and counter ambused gallantly. Similarly, Shri Rajan Roshan Tirkey AC, formed another small team with HC/GD M. Kailasam and CT/GD U. Ramarao and detected another Maoist ambush group consisting of 15 to 20 Maoists and retaliated bravely.

Group B also came under Maoist ambush during their counter offensive. CT/GD Pratap Paul and CT/GD Pingale formed another small team detected one of the multiple ambush parties consisting of 10 to 15 Maoists and retaliated bravely.

Taking great risk of their lives, all the personnel of these teams crawled amidst minefields and heavy firing by the Maoists and launched a daring close quarter battle on their fortified positions and shattered their ambush and killed many Maoists.

The continuous pursuit by these personnel in their line of advance created panic amongst the Maoists and eight of the fleeing Maoist guerillas were neutralized by these teams. Other Maoists managed to escape away leaving behind their Arms/ Amns. One AK 47, 01 SLR, 4 SBBL, 02 Pistols, 04 large landmines along with a huge cache of ammunitions, IED components were recovered from the site of ambush. More importantly, these Groups succeeded in breaking another ambush set by the Maoists while bringing the 08 dead bodies of the neutralized Maoists to PS Salboni.

In executing this brave act, the commandos displayed conspicuous gallant and exceptional bravery and courage by putting their own lives at risk against overwhelming numbers of Maoists, adverse and unfavorable conditions and IED blasts and succeeded in effecting an outstanding operational success.

In this encounter S/Shri Uday Divyanshu, Dy. Commandant, Rajan Roshan Tirkey, Assistant Commandant, Vinod Sawant, Assistant Commandant, M. Kailasham, Head Constable, U. Rama Rao, Constable, Pratap Paul, Constable and Pingale Kalpesh Sampat, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16.06.2010.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 159 -Pres/2013—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01.	Mahadev Minj, Constable	(PPMG Posthumously)
02.	Praveen Kumar, Head Constable	(PMG)
03.	Suresh V. Constable	(PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 19.09.2012 a party consisting of 67 personnel of E/02 and F/02 including 02 representative of Civil Police under command of Sh. Manish Kumar, Assistant Commandant left the camp at about 09:00 hrs to carrying out area search and sanitization OPS of helipad surrounding area to give safe passage to helicopter carrying the life saving drugs and rations for the personnel at Gorkha Camp under P.S.-Bheji, District-Sukma, Chhattisgarh.

After searching the helipad area personnel took their appropriate position. Suddenly at about 10:05 hrs. naxals opened heavy fire with automatic weapons from three different directions followed by IED blasts. It is estimated that there were 150-200 armed naxals, who taking the advantage of heavy vegetation during monsoon, approached close to area from different directions with obvious plan to inflict maximum damage to troops and loot weapons. This was very effectively retaliated by the troops by effective use of area weapons (AGL, UBGL, 51mm Mortar & R/Grenade). During this process HC/GD Praveen Kumar, CT/GD Mahadev Minj and CT/GD Suresh V. spotted some naxals in black uniform and immediately reacted by aimed fire upon naxalites. During the process of exchange of fire, mortar detachment commander HC/GD Praveen Kumar got bullet injury in his upper portion of the left thigh. Despite huge bleeding he displayed conspicuous courage and gallant action and without caring his life kept on fighting with the naxals. He also guided the Mortar-1 to fire HE bomb in the direction of naxals. He also alerted the troops at base camp and requested for effective use of area weapons towards naxals. CT/GD Mahadev Minj performing the duty of Mortar-2 got bullet injury on his right lower chest during the fierce encounter. Despite huge bleeding due to the bullet pierced through his body, he displayed exemplary courage and conspicuous bravery against the naxals and without caring for his own life continued firing and prevented them to come close and loot the weapons. While being shifted from incident spot to coy locations CT/GD Mahadev Minj told his colleagues that during exchange of fire he had killed at least 03-04 naxals, which exhibits his ruthless determination. However on the way he martyred. CT/GD Suresh V. was performing the duty of Mortar-1 with 51 mm Mortar. During the encounter with naxals, he saw that his mortar detachment commander and Mortar-2 were injured and the vegetation did not permit him to fire HE bomb from mortar in the "conventional way". But sensing the need of time, he showed his presence of mind and displayed exemplary courage and without caring for his own life, fired 06 HE bombs in an unconventional way with the support of his right shoulder, which eventually got severely injured with the thrust of the Mortar. When it became extremely difficult for him to fire the Mortar from severely injured shoulder, he shifted to his second weapon X-95 and fired 64 rounds and foiled naxals bid. It is noteworthy to mention that later the intelligence agencies and print/electronic media verified that at least six naxals were killed and some were injured in the encounter on 19.09.2012 at Gorkha.

It is nothing but a high degree of display of professionalism and never say-die attitude of these three brave soldiers which not only forced large number of naxalities to retreat, saved the arms, ammunition and personnel but also enhanced the pride of the force.

Recoveries made :

Four number Tiffin Bomb/IED (Appx. 02 kg.), 1000 Meter Electric Wire, 30 Meter Codex Wire and six numbers Detonator.

In this encounter S/Shri Late Mahadev Minj, Constable, Praveen Kumar, Head Constable and Suresh V, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19.09.2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 160-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Thonglenlal Haokip, Assistant Commandant (PMG)

02. Showkat Ahmad Ganie, Constable (PMG)

03. Ajay Singh Tomar, Constable (1st Bar to PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded

On July 08' 2011, at about 18:25 hrs. on receipt of specific information from Dy. SP Pulwama, J&K about the presence of some terrorists in the house of one Ali Mohd. Hurra S/O Frooq Hurra of Village Hanjan Pyeen under P.S. Rajpora, Distt. Pulwama with prohibited Arms/Amns, one dedicated unit of D/182 Bn, CRPF alongwith Special Operation Group Team of Pulwama under command of Shri Thonglenlal Haokip, Assistant Commandant and Shri Raja Zuhaib Tanvir, Dy. SP (SOG), Pulwama, Troops of 44 RR under command of Major P. Dixit and troops of civil police reached Village Hanjan Payeen and after due briefing, the house of Ali Mohd. Hurra of Village-Hanjan Payeen (where the terrorist were hiding) was cordoned tactically taking into consideration all precautions. While the cordon was under progress one terrorist came out from the house of Ali Mohd. Hurra firing indiscriminately and throwing hand grenades on the cordon party and trying to break the

cordon to escape. At this moment CT/GD A.S.Tomar along with RR and SOG Party, without loosing their cool and without becoming panicky putting their lives in danger did not allow the terrorist to break the cordon and engaged the terrorist inside the cordon itself very bravely. This pitch gun-battle continued till 20:00 hrs. and ultimately firing from the said terrorist stopped. Another terrorist who was giving the covering fire to the first terrorist continued firing which prevented the troops to reach the place where the terrorist was laying down without any apparent movement at the place outside the house of Ali Mohd Hurra. At about 19:45 hrs. Shri N. Shiva Shankara, Commandant 182 Bn CRPF and Shri J.K. Joshi DC (Ops) reached the encounter site alongwith Unit Quick Action Team and took over the command of the operation. The terrorist who was hiding inside the house of Ali Mohd. Hurra was still firing continuously from time to time to engage the security force. Commandant 44 RR and SSP Pulwama were also supervising the operation. At about 21:00 hrs. Dr. B.N. Ramesh, IPS, IGP(Ops) Kashmir CRPF reached the encounter site. He interacted with all senior officers present on the spot and took over the command of the operation. He saw that one terrorist was laying without any movement out side the house of Ali Mohd. Hurra. The firing from the other terrorist was continuous from inside the house. He took the lead alongwith other troops and ensured the evacuation of the unconscious terrorist to Govt. Hospital, Pulwama in the volley of continuous firing by the other terrorist. The Doctors of Govt. Hospital, Pulwama declared him brought-dead. The terrorist was later identified as J-e-M Bn Cmdr Javaid Nengroo@ Umair S/o Farooq Ahmed, R/o Hanjan Bala and one AK-56 Rifle, 02 Magazines and one hand grenade were recovered from him. After evacuation of the unconscious terrorist firing from the house of Ali Mohd. Hurra stopped but cordon of all security Forces was kept intact and it was decided to start the search / house intervention by first light. Before first light, Dr. B. N. Ramesh, IPS, IGP(Ops), Sh. Neeraj Kumar, DIG(ops) South Kashmir CRPF and Brig. Shivender Singh of 12 Sector RR alongwith Comdt. 182 Bn CRPF, Comdt. 44 RR and SSP Pulwama worked out the strategy and specific tasks were assigned to the different security forces and with the advent of first light cornering of the hide out and the adjoining house started.

At about 05:30 hrs. on 9.07.11, when Dr B.N. Ramesh, IGP(Ops) was giving some direction to Shri N. Shiva Shankara, Comdt 182 Bn CRPF, then all of sudden one terrorist who was hiding in the house of Ali Mohd. Hurrah came out from the house and threw two hand grenades one by one towards the IGP(Ops) and tried to run away towards the eastern side. Immediately Dr. B.N. Ramesh, IGP(Ops), Shri N. Shiva Shankara and CT/GD Azad Ahmed Khan immediately took tactical position and responded, which resulted in diversion of terrorist who was compelled to take shelter in a part of house belonging to Gulam Mohd. Mir which was situated towards the south side. The terrorist shifted to new house and started firing from the windows of the new house. This gun-battle continued till 13:00 hrs. but due to continuous firing and lobbing of grenades from inside it became very difficult for the security forces to enter into the hide-out. Ultimately at about 13:00 hrs. a new strategy was planned that the CRPF and Police team will fire tear smoke munitions from the nearest window of Ghulam Mohd. Wani's house which was hardly 10m towards west of the hide-out.

Reaching to window of Ghulam Mohd Wani was highly risky, but displaying presence of mind and excellent operational skill Assistant Commandant Shri Thonglenlal Haokip alongwith CT/GD Showkat Ahmed and CT/GD Parameswar Singh bravely crawled under the heavy firing and reached to the eastern window of Ghulam Mohd. Wani to fire the tear smoke shell but the terrorist could locate their position and lobbed one hand grenade towards them into the said window, but it could not go inside the window. Then the terrorist fired heavily with his automatic weapon, but Assistant Commandant Shri Thnoglenlal Haokip and CT Showkat Ahmed without caring for their lives and showing grit and determination dashed for cover behind the edge of the wall and started firing at the terrorist putting their lives at high risk. Assistant Commandant Shri Thonglenlal Haokip then directed CT/GD Parameswar Singh who was behind the window to fire nine tear smoke shells in quick successions which made the terrorist operationally inactive thereafter. Simultaneously RR and SOG personnel threw some grenades into the hide-out and continuously fired MGL (Multiple Grenade Launcher) into the windows of the hide-out. This gun battle continued till 15:30 hrs. and resulted in death of one dreaded terrorist of J-e-M namely Ahsan Bhai @ Mohmoo, Div.Comdr/Chief financial adviser of J-e-M, R/o Pakistan.

The operation conducted successfully under the distinctive supervision of Dr. B N Ramesh, IPS, IGP(Ops) Kashmir, CRPF who reached the encounter site, took over the command of operation and supervised the operation. In this operation Shri Thnoglenlal Haokip, Assistant Commandant has played vital role in which he immediately took action to cordon the existing marked house and commanded very well and showed his ability to control the operation and performed his duty with risk of his life for success of the operation. By displaying presence of mind and excellent operational skill, Shri Thonglenlal Haokip, Assistant Commandant alongwith two CT Showkat Ahmed and CT Parmeshwar Singh crawled under heavy firing reached eastern window of Ghulam Mohd Wani to fire the tear smoke in the hide-out of the terrorist without caring for his life. CT/GD Showkat Ahmed of 182 Bn also played very active/brave role in the operation and performed conspicuous gallant action for eliminating of the dreaded terrorist. Further, CT/GD A.S.Tomar of 182 Bn has played vital role, at about 19:30 hrs. on 08.07.2012, when one terrorist tried to escape from the house of Ali Mohd. Hurrah by breaking the cordon. He without losing his cool and without becoming panicky putting his life in danger did not allow the terrorist to break the cordon and engaged the terrorist inside the cordon itself very bravely.

The exhibiting exceptional courage and conspicuous act of gallant, brilliant leadership qualities showing utter disregard to their personal safety during the operation dated 8-9.07.2011 at Hanjan Payeen, under PS Rajpora, District Pulwama (J&K)

resulted in killing of two most dreaded terrorists of J-e-M group namely (1) Ahsan Bhai @ Mahmoo, Div. Cmdr/Chief financial advisor of J-e-M, R/o Pakistan and (2) Javaid Ahmed Nengroo @ Umair S/o Farooq Ahmed, R/o Hanjan Bala (Both of them were categorized as 'A' category terrorist and were active in Pulwama area for last one decade and security forces were looking for them for last 11 years), besides recovery of Arms/amns from their possession.

Recoveries made :

(i)	AK-56 Rifle	-	02 Nos.
(ii)	AK Magazine	-	03+01 (damaged) Nos.
(iii)	Hand Grenades	-	01 (destroyed in situ)

In this encounter S/Shri Thonglenlal Haokip, Assistant Commandant, Showkat Ahmad Ganie, Constable and Ajay Singh Tomar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal/1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 08.07.2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 161-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force:—

Name & Rank of the Officer

Shri Sukhdev Singh, (Posthumously)
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 18.12.2011, an information received about presence of approx. 100 armed CPI(Maoist) cadres at a place near Village Bandu under P.S. Sonua, West Singhbhum. An operation was planned. A party comprising 4 teams of 209 CoBRA along with Civil Police element under command Shri Naresh Panwar moved tactically and reached on pre-decided point and took LUP on a hillock on 20.12.11 (day time) and started again from LUP at about 18:00 hrs.(after darkness). On 21.12.11 (about 12:35 hrs.) when Strike- 1 was approaching the target, suddenly the maoist opened heavy firing from their well established morchas. On this Shri Mritunjay Kumar, AC charged the enemy displaying tremendous courage and forced them to retreat. Meanwhile Shri Panwar with the help of three Jawans made a flanking attack on enemy without caring for their personal safety paving the way for Shri Mritunjay Kumar, AC to move further. When Strike- 1 was under heavy fire, HC/GD Sukhdev Singh took 51 mm Mortar and came in front, firing with low angle which silenced the enemy for some time. When he was again firing the Mortar, he was hit on both of his legs from Maoist LMG, got injured and slipped further down the hill. In spite of being injured, he fought gallantly and made the supreme sacrifice for the nation. His act did not allow the naxals to fire at our men by taking aim. His action saved the lives of many of his teammates.

Recoveries made :

01.	Empty cases (INSAS/7.62mm)	44 Rds.
02.	Live Rds of 315	02 Rds.
03.	IED with Flash Gun	01 No.
04.	Sewing Machine -.	05 Nos.
05.	Gen Set -	01 No..

In this encounter Late Shri Sukhdev Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21.12.2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 162-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force:—

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Satya Prakash Deshwal, (Posthumously)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

An operation was launched from 30.03.12 to 06.04.12 at near Village Karmadih under P.S. Barwadih in District Latehar, Jharkhand on the intelligence that there was huge concentration of senior maoist leaders and other leaders of BRC many LGS for high level meeting to be held in Burha Pahar area to divert and trap the SF planting landmines on different locations/routes like in Kutku, Khurha-Madgari route, Saneya-Kutku route establishing a misleading camp at east of Saneya Village with booby traps. Three strikes each comprising three teams of 203 CoBRA and 1 AG of JJ was inducted on 30.03.12 from Latehar to ops area from different axis.

Strike-4 under command Shri D. E. Kindo, DC conducting seek and destroy operation in Morwai, Karampani reached Bere on 02.04.12 and met strike-5 Under command Sri Kuldeep Kumar, AC. Both party took LUP near Bere. Further conducting operation in Narnagu both strike 4 and 5 reached Koyal river on 4.04.12 at 13:00 hrs. and met strike-2. All strikes took LUP in jungle between Narnagu and Karamdih. The command post ordered strike-4 to dominate and sensitize Karamdih for landing of helicopter, strike-5 to dominate Serandag forest area and strike-2 to lay ROP between Serandag to Lat so that fresh strikes would be inducted via Karamdih by

MPV on 05.04.12. As per orders all three strikes took position by 09:00 hrs. on 05.04.12. It was reported to command post. At 1005 hrs when helicopter was to land naxals fired from approximate 2km away from north-west direction. However the helicopter took off around 10:15 hrs. taking the two personnel. Naxals started firing from the north-west direction of the village, where JJ personnel were assigned the task of securing the area for safe landing of the chopper. Shri D.E. Kindo DC was communicating some points to tiger 203 through satellite phone. Tiger 203 instructed Shri D.E.Kindo DC to move towards the direction of firing after firing some HE bombs. Shri D.E.Kindo DC quickly assessed the ground reality that naxals were up for massive attack on our troops and while moving tactically he assigned tasks to different segments in a following manner- team No. 2 was informed to come near the encounter place from the right side, team No. 1 and team 18 to cover the village from west to east as naxals might plan to attack from that side also and ordered Sri Kuldeep Kumar, AC to return immediately to deploy his team for ROP duty at some distance away from Karamdih village. Since remaining troops were deployed for all round defence of the village, Shri D.E.Kindo, DC and Shri Sanjay Kumar, AC alongwith six jawans immediately moved towards the direction of firing by employing fire and move tactics and making use of ground cover the eight personnel reached at a place which was hardly 50-75 meter away from a core attacking group of naxals inflicting heavy firing on JJ personnel who were retaliating, in which one of them was injured. Team no.5 led by Shri Kuldeep Kumar, AC reached Karamdih Village and fired two HE bombs in the north-west direction from where naxals were firing. Shri D.E. Kindo, DC, Shri Sanjay Kumar, AC, CT Satya Prakash, CT Sunil Kumar Panigrahi, CT C.K.Pandey, Shri Sanjay Kumar, AC, CT Vikram Singh, CT Ravinder Kumar, CT Dilip Pradhan all positioned themselves in an extended line behind different trees and rocks and implicated heavy fire on naxal positions. This was one of the excellent close-quarter battles in which the enemy had the advantage of both being on a commanding height and having a solid cover. Yet troops fought gallantly with great professional skill and courage for nearly three hours. Especially CT/GD Satya Prakash showed exemplary bravery and killed one naxal who was crawling behind the bushes. 10-15 naxals tried to take away the killed naxal under heavy cover of fire. CT/GD Satya Prakash bravely came out of cover without caring for his personal life and fired some UBGL grenade. In this gallant effort some more naxals were injured and fell down. Unfortunately while changing his position CT/GD Satya Prakash sustained bullet injury on his neck and fell down on the ground. CT/GD Satya Prakash and injured one JJ personnel were evacuated 20-30 mtrs back to a safe place and quickly given first aid treatments. Through satellite phone command post was informed and requested for immediate evacuation for Satya Prakash by that time team No.-2 had also joined and HC Kulbeer Singh of team No-2 also used UBGL to fire grenades. The troops showed exemplary act which forced the naxal to flee away.

Both injured personnel were evacuated by Comdt-203 in MPV to Labhar CRPF camp and further in ambulance to Chianki , Daltonganj. From there they were air lifted by helicopter to Appolo Hospital, Ranchi where CT/GD Satya Prakash Deshwal was declared dead.

Few individuals exhibited exemplary courage and bravery which saved the day for us from bigger ignominy. CT/GD Satya Prakash Deshwal was one such hero. He not only fired from his personal weapons, moved forward to save the entrapped JJ troops, requisitioned UBGL from his buddy fired fearlessly which thwarted the naxal advance and ultimately suffered martyrdom.

In this encounter Late Shri Satya Prakash Deshwal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 05.04.2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 163-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Dev Shankar Mishra,
Deputy Commandant

02. Niraj Kumar,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 23.03.2011 at about 11:45 hrs. specific intelligence input was received from State Police at PS Benur, about presence of 40-50 armed Naxalites in the forest area adjoining village Kulanar, PS Benur, near about 07 Km North West of PS Benur. The inputs indicated of Naxal plan to hold a meeting of villagers coercing them to join Naxal cadres. Based on the input, special joint ops together with police Benur and A/139 Bn CRPF was planned. Shri Dev Shankar Mishra DC who was then present at A/139 location volunteered to lead. To assist Insp. Neeraj Kumar was the incharge of the other contingent of A/139. The duties were specifically distributed and action plan was clearly laid.

To avoid being noticed by the Early Warning System of the Naxals, the party was split into two parts comprising of CRPF & State Police. FUP was pre decided before launch of OPS. As already briefed the parties went to Cordon the area from all possible directions. The team lead by Shri D S Mishra and Insp. Niraj Kumar proceeded to cordon the area from left flank area where possibility of Naxal presence was maximum. During the layout of Cordon, the Naxals who held positions behind trees and boulders, started indiscriminate firing

towards the CRPF contingent from close vicinity. Heavy volley of bullets engulfed the entire area. Shri Dev Shankar Mishra DC and Insp./GD Niraj Kumar decided to tactically encircle the Naxals, risking their own life. Amidst heavy and elongated exchange of fire from both sides, Shri Dev Shankar Mishra DC and Insp/GD Niraj Kumar tactically crawled and managed to move closer to the Naxal groups positioned near the hillock. Shri Dev Shankar Mishra DC hurled grenades, which created a panic amongst the Naxals and forced them to run helter-skelter to save their life. In the meantime, a group of 4-5 uniformed Naxals firing and moving towards thick jungle were noticed by the duo. Shri Dev Shankar Mishra, DC and Insp/GD Niraj Kumar pursued the fleeing Naxals by adopting tactics of fire and move without caring for their own safety. Bullets from both sides were fired indiscriminately. While doing so, Shri Dev Shankar Mishra, DC even slipped and sustained injury while trying to occupy a cover. Without caring for his bleeding injury Shri Dev Shankar Mishra, DC and Insp/GD Niraj Kumar continued to pursue the Naxals by firing. This exchange of fire lasted for about 90 minutes. During search after gun battle was over, dead bodies of two uniformed Naxals were recovered. One was identified as Sunil, the Commander of the Keshkal Barda Dalam of East Baster Division of CPI (Maoist) and the other was identified as Ramnath, the member of the Keshkal Barda Dalam East Bastar Division of CPI (Maoist). One automatic carbine 9mm, one pistol auto 9 mm loaded, one gun 12 bore loaded, cache of ammunitions, explosives and other lethal articles were recovered from the encounter site. Blood stains and dragging marks indicated of more loss to the Naxal group during the operation.

Shri Dev Shankar Mishra, DC and Insp/GD Niraj Kumar swiftly and meticulously, exhibited gallant leadership, demonstrated exemplary courage in accepting grave risk without caring for own life. They fought with Naxals and eliminated to dreaded ones.

In this encounter S/Shri Dev Shankar Mishra, Deputy Commandant and Niraj Kumar, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23.03.2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 164 -Pres/2013—The President is pleased to award the 3rd Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Prakash Ranjan Mishra, Deputy Commandant (3rd Bar to PMG)

02. Karun Kumar Ojha, Assistant Commandant (PMG)

03. Raman Kumar, Constable (PMG)

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 19/7/2012 Shri Prakash Ranjan Mishra, Dy Comdt, 203 CoBRA received a reliable information about movement of Ajay Ganju @ Paras, a very senior Maoist leader (Regional Commander & Bihar Regional Military Commission member). As per information, Ajay Ganju (with a group of Naxals) were coming to his home, Lakarmanna a very remote and hostile place in PS- Kunda to meet his family members. The information was communicated to S.P. Chatra who verified it through human and technical sources. As Ajay Ganju was a dreaded Maoist working in the area for the last 20 years and was promoted as Regional Commander due to his military/ fighting capability, SP Chatra, alongwith Shri Prakash Ranjan Mishra, Dy Comdt and Shri Karun Kumar Ojha , Asstt Comdt planned a small team operation. The intelligence was conveyed to IGP CRPF JKD, DIG CRPF Ranchi and Comdt 203 CoBRA who planned an operation. Accordingly, it was decided to go ahead with the operation with 2 teams of B/203 CoBRA under command of Shri Prakash Ranjan Mishra, Dy Comdt, Shri Karun Kumar Ojha , Asstt Comdt and SI S Tamang, O/C Lawalong PS moved towards the target area at 2030 hrs after proper briefing of the participating troops and distribution of tasks to different groups. Vehicles were used upto Kunda. Thereafter troops moved towards the village approx 20 kms from Kunda on foot. Despite pitch darkness, tough terrain, bushes, Nallas and heavy rain, the troops moved very swiftly and reached near the village at 0330 hrs . The village was surrounded by forest and hillocks. After observing the nearby forest by NVD, Shri Prakash Ranjan Mishra, DC ordered the cordon Group to cordon the village. As soon as the cordon group started cordoning the village, Shri Prakash Ranjan Mishra Dy Comdt, Shri Karun Kumar Ojha Asstt Comdt, SI S. Tamang O/C Lawalong with few selected brave assault team members started moving towards the cluster of houses. Immediately, dogs in the village started barking and a volley of fire came from the nearby forest. Ignoring the fire, Shri Prakash Ranjan Mishra along with Karun Kumar Ojha & S Tamang with assault team moved very quickly towards the house of Ajay Ganju to surround and search his house and ordered the cordon group to cordon immediately. Shri Prakash Ranjan Mishra who was leading the assault group reached very close to the house of Ajay Ganju when he saw a person running towards the forest. He ordered HC/RO Prabhakar Singh, CT S Khalko and CT Ajit Ram Verma to give cover/support from right side as he chased the escaping Naxal. Shri Karun Kumar Ojha and CT Raman Kumar started following Naxal. The Naxal turned back and fired a few rounds but Shri Prakash Ranjan Mishra followed by Shri Karun Kumar Ojha and CT Raman Kumar survived narrowly not detained by firing of Naxals they kept on pursuing him. A volley of fire came from forest towards assault group which was retaliated back

by HC/RO Prabhakar Singh, CT S Khalko and CT Ajit Ram Verma. This retaliation helped the raid/search group to advance. When Shri Prakash Ranjan Mishra with Shri Karun Kumar Ojha and CT Raman Kumar closed in on the naxal , he turned back & fired on Shri Prakash Ranjan Mishra few rounds which narrowly missed despite the fire coming from point-blank range . When Naxal was about to enter the forest under arriving fire of Maoists Shri Prakash Ranjan Mishra, Shri Karun Kumar Ojha and CT Raman Kumar fired at the escaping Naxals, who fell down immediately on the ground. Shri Prakash Ranjan Mishra, Shri Karun Kumar Ojha and CT Raman Kumar kept on retaliating naxal fire when firing from naxals stopped they closed in and found the body of a person with a loaded 9 mm pistol. One HE 36 Grenade was lying few feet away. On search, one HE 36 Grenade, one loaded 9 mm magazine and 2 mobiles were found in his pocket. The cordon party started closing towards the area from where Maoists were firing. But Maoists had managed to escape before the troops could reach. Few fired cases of different bore weapons were found from the spot. The killed person was later identified by the villagers as Ajay Ganju @ Paras @ Fagu, a dreaded Naxal Regional Commander and member of Bihar regional military commission, who was a terror in many districts of Bihar and Jharkhand carrying reward of 7 lakhs on his head. More than 100 cases were pending in different districts of Bihar and Jharkhand against him. He was the key person in almost every Naxal incidents of ambush, blast, attack and encounter in bordering area of Bihar and Jharkhand for many years. Troops returned back to Kunda PS and handed over the body and recoveries made to Police Station and further moved to meet base in Chatra.

In the whole operation, Shri Prakash Ranjan Mishra, Dy Comdt and Shri Karun Kumar Ojha, Asstt Comdt played very important role. They led the troops from the front despite clear threat/danger to their lives. Their initiatives prompt, action and extraordinary courage and bravery during ops turned the operation into a major success resulting in elimination of a dreaded Maoist Regional Commander . CT Raman Kumar supported them in the whole operation taking equal risk with extra ordinary devotion towards duty and highest order of gallantry. All the three personnel have shown exemplary courage, extraordinary grit and determination despite clear threat to their lives.

In this encounter S/Shri Prakash Ranjan Mishra, Deputy Commandant, Karun Kumar Ojha, Assistant Commandant and Raman Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 3rd Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20.07.2012.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 165-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Vimal Panwar,
Deputy Commandant

02. Thakur Diwakar Singh,
Assistant Commandant

03. Ram Naresh,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On getting int. inputs about concentration of more than 200 cadres and their top commanders of ERB/ Koel -Sankh zone of naxals in Piri forest area, Ops " Triangle" was planned by top officers of civil police and CRPF. Three strike parties were formed from three different axis . Strike No. 01 comprised of team 02 of 203 under command Shri Thakur Diwakar Singh , Asstt.Comdt and teams of 208 CoBRA, 1 AG of Jharkhand Jaguwar under overall command of Sh.Vijay Kumar, Commandant- 208 CoBRA, Strike 02 comprised of team 14 of 203 alongwith two teams of 208 CoBRA under command of Sh. Vimal Panwar, Dy. Comdt. and SDPO Barwadih and Strike No. 03 comprised of team of 203 CoBRA under command Sh. D.E Kindo, Dy.Comdt. along with 1 AG and ASP Latehar from Kanhe / Sarju axis. The strike groups moved from base camp Garu, Latehar by vehicle at 14:00 hrs. and on foot from Teenmohani junction in Garu forest at 14:30 hours. Strike group -I moved to target Piri Nala from northern side and strike group - II moved to same target from southern side. Both the strike groups took LUP in the jungle on 31/07/11 in the night and reached near the target at about 09:00 hours on 01/08/11. Strike group-II Commander Shri Vimal Panwar , Dy. Comdt. and his scout spotted a hide out of naxals 50 mtrs away amidst very dense woods. Shri Vimal Panwar, DC immediately not opened fire as he wanted to be fully assured that they were naxals and not villagers. He also wanted to ascertain whether there were other hide outs or morchas of naxals around. Therefore, Shri Vimal Panwar, Dy. Comdt. and his scout immediately took position and started deploying the party for action. The naxals got alarmed and fired towards the party and tried to escape. The party also immediately retaliated with heavy fire. In a few seconds, party started facing fire from four directions, 100 to 250 yards away. As the party was on a ridge, surrounded by low to high ridges around and visibility was very limited due to thick forest and very tall trees, a lot of difficulties were faced in locating the escaping naxals. However the party exercised fire and moved very tactically and with great ability. On hearing that Strike No. 2 was fired upon, strike 01 moved strategically towards strike 02 location. After covering a distance of about 200 meters the front section i.e. Shri Thakur Diwakar Singh, Asstt.Comdt. alongwith CT/GD Ram Naresh came under heavy volley of fire from three direction towards their right 100 to 200 yards from very thick and high ridges. They took position and crawled towards naxals with fire and move tactics. Naxals also threw country made bombs on them. Holding the nerves, strike No.

01 commandos Shri Thakur Diwakar Singh, Asstt.Comdt. alongwith CT/GD Ram Naresh also moved forward crawling towards the organized enemy and the fight took place. Shri Thakur Diwakar Singh , Asstt.Comdt and Scout CT/GD Ram Naresh saw a man in Black Dangri shouting loudly and firing with his automatic weapon. A fierce battle took place in close proximity in which Commandos fired heavily rounds, UBGL shells and saw that the man in black dangri got bullet injury and collapsed on ground. The fanning out of the parties negated chances of their encirclement by the naxals and bewildered them and they started running helter skelter for cover. After a few minutes the party spotted another hide out 60 mtrs away from hide out No.1. The party immediately raided it. This hide out was a training camp, a lot of training kit items and structures were found inside. As the party started moving to another flank, they faced a heavy volley of fire from nearby hillock. This ambush was being done from a freshly made hide out. The party retaliated effectively and four naxals were seen running away in injured condition. This hide out was also busted. Fire stopped for about 45 minutes and the party started search operation.

Just a few minutes later at about 13:00 hours, they found another hide out and a number of anti personnel mines in a 200 mtr long stretch on the ground and many of them planted even on trees outside the hide out. A lot of wires and some explosive materials were inside the hide out and the hide out was deserted. The hide out was destroyed by the party. Again search operation was started and the naxals kept on firing intermittently and the party kept on firing in retaliation and moving. By this time Shri Vijay Kumar, Commandant had also reached and has taken position with his strike group No. 1 about 400 yards away on another ridge and was closing in, in support of strike group No.II trying to cordon off atleast one or two groups of naxals with the advantage of the enhanced Nos. of troops of both the strike groups. But when multiple mines were detected in the area between the two strike groups, Shri Vijay Kumar, Commandant directed Shri Vimal Panwar, Dy.Comdt. not to disturb or handle or tamper with the recovered explosives, mines and other suspicious objects and quickly evacuate from the area after taking photographs of the recovered/detected suspicious objects. Both the strike groups then decided a common RV in a random direction and strike No.II was directed to move towards that RV, i.e. Ganeshpur area practically neutralizing probable ambushes by naxals. The strike party fought with utmost bravery, courage and determination which forced the naxals to repulse back and they flew taking advantage of thick jungle. After the fire was over the party searched the area and recovered 11 Nos. of IED each weight 20 Kgs., 8 mm pistol- 03 live rounds, empty cartridge of SLR, cash Rs.8000, Gas Cylinder- 01 No. Some blood stains were also found on ground. The party chased naxals but finally they managed to flee from the nearby area of encounter site. Then as per direction received from command post, strike 02 and 03 assembled at a given point and returned back to base through Ganeshpur-Domakhanr axis. The recovered items were strategically important for naxals and this was a major setback for naxals because they had not anticipated entry of force in such type of tough/remote forest area. If these items could not be recovered these could have been used by the naxals in attack/ ambush/blast on security forces and loss of many lives could have occurred. Later on after Ops, 04 naxals including one zonal commander Naresh Khairwarar was reported killed in the encounter as per newspaper and IB report which is considered as major blow to naxals.

In this encounter S/Shri Vimal Panwar, Deputy Commandant, Thakur Diwakar Singh, Assistant Commandant and Ram Naresh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 01.08.2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

No. 166-Pres/2013—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force:—

Name & Rank of the Officers

S/Shri

01. Nagesh Kumar,
Assistant Commandant

02. Bibhu Prasad Das,
Constable

03. Roshan Lal,
Inspector

04. K Ravinder,
Constable

05. Kailash Bishi,
Constable

06. C. Lala Bhai,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 14.11.2011 at about 13:00 hrs. information was received from SP Purulia regarding movement of 10-15 armed Maoists, including prominent Commander Ranjit Paul, in the jungle area around Village Ghatbera on the eastern slopes of the Ayodhya Hills under PS: Balrampur of Distt. Purulia, West Bengal. Accordingly, an operation, Ambush Ghatbera, was planned near jungle area, west of Ghatbera Village by Officer Commanding F/207 Sh. Nagesh Kumar AC and Sh. Avbijit Banerjee Dy. SP (D&T), Civil Police, Purulia WB after consultation with Sh. D. T. Banerjee, Comdt-207 Bn CoBRA and Sh S. K. Choudhary, SP Purulia (WB). One team of F/207 CoBRA, under command Sh. Nagesh Kumar AC was detailed as ambush party and another team of F/207 CoBRA, under command Sh. Shaji Antony AC was kept as Reserve party. It was decided that Ambush party, Reserve party and 40 state police commandos will meet at Kerwa State Armed Police camp by 17:00 hrs. From there, the parties will move towards Ghatbera

Village. Ambush party will move directly towards jungle area west of Ghatbera but reserve team alongwith state police commandos will return through Ghatbera village as a deception tactic.

After detailed briefing at F/207 CoBRA location by Sh. Nagesh Kumar AC & Sh Shaji Antony AC, teams left for Kerwa camp at about 16:00 hrs. where they met the state police commandos and proceeded to Village Ghatbera by Vehicle. When the whole party reached the western end of the Village Ghatbera, deception party, consisting of reserve party and state police commandos started returning to Kerwa camp and ambush party tactically advanced. While the ambush party was near the brick kiln, suddenly, a burst fire was heard from the northern direction approximately 1.5 km away of Ghatbera Village. Both commanders decided to place hasty ambush on the route which was the probable approach of the naxals. Sh. Nagesh Kumar AC placed all the parties at appropriate places at the selected site.

Around 18:45hrs. the front cut off party under command Insp Roshan Lal heard some footsteps from the left side (north). He conveyed the suspected movement through wireless set to OC F/207. All the parties were alerted. After a short while more footsteps were heard, this group halted for some time. Sh. Nagesh Kumar, AC and his buddy CT/GD Bibhu Prasad Das, who were just 10 to 12 mtrs on the right side of front cut off, saw some persons, just 7 to 8 mtrs away from them, crossing towards south. The first one made a signal by whistle. Then another 5 to 6 persons moved in that area. Sh. Avijit Banerjee Dy SP who was commanding the Civil Police, challenged them to halt by disclosing his identity but instead the naxals opened indiscriminate fire towards the ambush party. Sensing threat to his men, Sh. Nagesh Kumar AC opened fire on the naxals who were just 5 to 6 mtr away from him and his buddy CT/GD Bibhu Prasad Das. The front cut off party also opened burst fire towards rear naxals. In exercise of their right of self defence and to save the Govt. property, the whole firing party opened fire. The naxals took cover in the broken ground and kept firing at the troops. The exchange of fire continued for around 30 minutes.

The naxals, after a pause of about one hour, again fired heavily upon the troops and tried to launch flaking attack but due to swift and gallant move made by the front cut off party the flanking attack was foiled and the naxals were kept at bay. Since it was pitch dark, all the parties remained alert and held their ground. Intermittent fire continued till around 04:30 hrs. in the morning. At day break when the area was searched, dead bodies of two naxals, in dark green combat uniform alongwith weapons and other articles were recovered. Thorough search was conducted and many blood stains noticed which indicated that some naxals must got injured but managed to escape from the spot by using the cover of darkness and undulated/broken ground.

During this operation Sh. Nagesh Kumar AC, OC F/207, displayed good tactical appreciation, courageous attitude and gallanty action. Inspite of tense, risky situation and very close proximity to the naxals, he kept the situation under control and showed excellent leadership. Similarly his buddy CT/GD Bibhu Prasad Das displayed courage, gallant action and gave full support/assistance. Both of them didn't care for their own safety and took extreme risk to save the lives of their team personnel. Their prompt action resulted in elimination of two hard core naxals.

The front cut off party under command Insp/GD Roshan Lal did a highly commendable job. Inspite of being very close to the naxals and being the first on the north side, Insp/GD Roshan Lal and his buddy CT/GD Ravinder didn't panic, remained calm, alert, maintained surprise and reacted promptly when the naxals opened fire. Two more constables namely CT/GD Kailash Bishi and CT/GD C Lala Bhai were another buddy of front cut off party. Though naxals were only at 4 to 6 mts away from this party, in that highly tense and critical situation they showed great patience and kept firing upon naxals. This prompt action of front cut off party and a well coordinated fire kept the remaining naxals at bay and prevented any flanking attack on the ambush party which played a key role in elimination of two hardcore naxals.

In this encounter S/Shri Nagesh Kumar, Assistant Commandant, Bibhu Prasad Das, Constable,Roshan Lal, Inspector,K Ravinder, Constable, Kailash Bishi, Constable and C. Lala Bhai, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14.11.2011.

SURESH YADAV
OSD to the President

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 26th August 2013

No. PFG(792)/2011-Admn.II—Consequent upon his transfer, Ms. Anu Singh, Officer of Indian Corporate Law Service, has assumed the charge of the post of Assistant Registrar of Companies, Hyderabad with effect from the forenoon of 05.08.2013.

2. In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorize Ms. Anu Singh, Assistant Registrar of Companies for the purpose of the said Section.

RAKESH KUMAR
Under Secy.

The 21st November 2013

No. A-42011/115/2013-Ad.-II—Consequent upon transfer, following Officers of Indian Corporate Law Service subsequently assumed the charge of their respective posts

in concerned offices of Ministry of Corporate Affairs with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Designation & Office	W.E.F.
	(Sh./Kum.)		
1.	Ramesh Kumar	Asstt. Official Liquidator, O/o OL, Delhi	24.09.2013 (F.N.)
2.	Vania Indrajit Ajmalbhai	Asstt. Official Liquidator, O/o OL, Ahmedabad	26.09.2013 (F.N.)
3.	Prathibha Ramaswamy	Asstt. Official Liquidator, O/o OL, Mumbai	24.09.2013 (F.N.)
4.	Nitin Phartyal	Asstt. Official Liquidator, O/o OL, Kolkata	04.10.2013 (F.N.)

2. In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 448 of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby authorize these Officers of ICLS for the purpose of the said Section.

RAKESH KUMAR
Under Secy.

The 25th November 2013

No. PFG (621)/2000-Ad.-II—Consequent upon transfer, following Officers of Indian Corporate Law Service subsequently assumed the charge of their respective posts in concerned offices of Ministry of Corporate Affairs with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Designation & Office	W.E.F.
1	2	3	4
	(Sh./Kum.)		
1.	M. R. Bhat	Registrar of Companies, O/o ROC, Bengaluru	07.10.2013 (F.N.)
2.	Dr. T. Pandian	Registrar of Companies, O/o ROC, Mumbai	19.09.2013 (F.N.)
3.	Dr. M. Manuneethi Cholan	Registrar of Companies, O/o ROC, Chennai	01.11.2013 (F.N.)
4.	Reshma R Kurup	Asstt. Registrar of Companies, O/o ROC, Chandigarh	25.09.2013 (F.N.)
5.	Satya Pal Singh	Asstt. Registrar of Companies, O/o ROC, Chandigarh	24.09.2013 (F.N.)
6.	Shatrughan Chauhan	Asstt. Registrar of Companies, O/o ROC, Delhi	24.09.2013 (F.N.)
7.	Dr. Anjali Pokhriyal	Asstt. Registrar of Companies, O/o ROC, Delhi	24.09.2013 (F.N.)
8.	Dr. Afsar Ali	Asstt. Registrar of Companies, O/o ROC, Delhi	24.09.2013 (F.N.)
9.	Varun B. S.	Asstt. Registrar of Companies, O/o ROC, Hyderabad	03.10.2013 (F.N.)
10.	Anannya Saikia	Asstt. Registrar of Companies, O/o ROC, Mumbai	27.09.2013 (F.N.)
11.	Jadhav Mangesh Ramdas	Asstt. Registrar of Companies, O/o ROC, Mumbai	27.09.2013 (F.N.)
12.	Bang Manoj Shamsundar	Asstt. Registrar of Companies, O/o ROC, Mumbai	24.09.2013 (F.N.)
13.	Sitaram Sharan Gupta	Asstt. Registrar of Companies, O/o ROC, Mumbai	04.10.2013 (F.N.)

2. In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby authorize these Officers of ICLS for the purpose of the said Section.

RAKESH KUMAR
Under Secy.

No. PFG(538)/96-Admn.-II—Consequent upon transfer, following Officers of Indian Corporate Law Service subsequently assumed the charge of their respective posts in concerned offices of Ministry of Corporate Affairs with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Designation & Office	W.E.F.
	(Sh./Kum.)		
1.	S. Chandrasekaran	Joint Director in O/o RD (SER), Hyderabad	02.09.2013 (F.N.)
2.	Waseem Akram	Asstt. Director in O/o RD (NR), Noida	24.09.2013 (F.N.)
3.	Anurag Sujania	Asstt. Director in O/o RD (NR), Noida	24.09.2013 (F.N.)
4.	Saurabh Gautam	Asstt. Director in O/o RD (NR), Noida	24.09.2013 (F.N.)

2. In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorize these Officers of ICLS for the purpose of the said Section.

RAKESH KUMAR
Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 10th December 2013

RESOLUTION

Subject : Constitution of Steel Consumers' Council—Regarding.

No. 5(2)/2011-SD-I—In continuation of Ministry of Steel Resolution of even number dated 14.03.2011, 07.09.2011, 25.11.2011, 10.12.2012, 15.04.2013, 30.05.2013,

16.07.2013, 04.09.2013, 05.09.2013, 11.09.2013, 16.09.2013, 17.09.2013, 22.10.2013 and 08.11.2013, the following persons are hereby nominated as non-official Members to the Steel Consumers' Council of Ministry of Steel to represent the States/UTs under which their names have been mentioned, under Para. 3 of this Ministry's aforesaid Resolution :—

Tamil Nadu	
Shri S. Rajakumar 1/1, Sengamettu Street, Mayiladuthurai-609001 Nagapattinam District Tamil Nadu	Shri M. Ramakrishnan 2/192, Agraharam Karugudi Village Tiruvaiyaru Thanjavur District Tamil Nadu

2. The tenure of the present SCC will be upto 13th March, 2014 unless specifically extended or curtailed by the Central Government. The SCC shall meet as and when required.

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

SYEDAIN ABBASI
Jt. Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi, the 1st November 2013

RESOLUTION

No. 16011/01/2010-Hindi—In partial modification of this Department's Resolution No. E-16011/91/2005-Hindi dated 5th October, 2005 regarding the scheme called "Dr. Jadish Chandra Bose Hindi Granth Lekhan Puraskar Yojna" implemented by the Deptt. of Biotechnology, Govt. of India for awarding writers for writing original books in Hindi on the subjects related to biotechnology, following changes have been made therein, however the amount of prize would remain as per Resolution No. E-16011/91/2006-Hindi dated 14th Nov., 2007 :—

Sl. No.	Para	In place of	May be read
1.	5.1	Only published works will be considered under the scheme.	Published works as well as unpublished works will be considered under the scheme. But it would be mandatory to publish the unpublished works within three months after its selection for award. Author would be entitled for award only after its publication.
2.	5.3	The authors will be required to submit copies of their published works.	Author have to submit 5 copies of their published book/unpublished typed manuscript.
3.	5.5	The origin works submitted under this scheme will be required to have been published within the preceding three years including the year of award.	The published books/typed manuscript should contain atleast 150 pages.

The above modifications would come into force w.e.f. 01 November, 2013.

Ordered that a copy of this resolution be sent to all the Ministries and the Department of the Govt. of India, all the State Govts., all the universities of India. Ordered also that resolution be published in the Gazette of India for public information.

SHREESHAN RAGHAWAN
Jt. Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013
www.dop.nic.in

MGIPF—[PART I–SEC.1]—120 Copies